

22nd वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2023-2024



26TH JANUARY 2024 REPUBLIC DAY



गणतंत्र दिवस, 2024 के अवसर पर, माननीय निदेशक (वित्त) श्री एससी दास ने नामरूप के गांधी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सीआईएसएफ इकाई, वेनगार्ड और केंद्रीय विद्यालय, नामरूप के स्कूली छात्रों द्वारा परेड का निरीक्षण किया।

On the occasion of Republic Day, 2024, Hon'ble Director (Finance) Shri S.C. Das unfurls the National Flag at Gandhi Field in Namrup and inspected the parade by CISF Unit, Vanguard and School students from Kendriya Vidyalay, Namrup.



श्री पी.के. बानिक की धर्मपत्नी श्रीमती मीतू बानिक विभिन्न कार्यक्रमों में विजयी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान करती हुई।

Smt. Mitu Banik, wife of Shri P.K. Banik, handing over certificates to the participants who won the various programmes.



गणतंत्र दिवस, 2024 के अवसर पर, माननीय निदेशक (वित्त) श्री एससी दास ने नामरूप के गांधी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सीआईएसएफ इकाई, वेनगार्ड और केंद्रीय विद्यालय, नामरूप के स्कूली छात्रों द्वारा परेड का निरीक्षण किया।

Director(Production) Shri P.K. Banik offering prayers before the Mahatma Gandhi statue on the occasion of Republic Day, 2024.

22^{वीं} वार्षिक रिपोर्ट 22nd ANNUAL REPORT

2023-2024



ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : नामरूप, डाकघर : पर्वतपुर, जिला : डिब्रूगढ़ - 786223, असम
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED
Regd. Office: Namrup, P.O.: Parbatpur, Dist. Dibrugarh- 786623, Assam

NAMO DRONE DIDI – A HISTORIC EVENT – 11TH MARCH 2024



श्री रॉबिन गंगटे,
नोडल अधिकारी, उर्वरक विभाग,
महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए
Shri Robin Gangte,
Nodal Officer, Dept. of Fertilizer,
emphasizing Women Empowerment



श्री सत्यजीत मिश्रा,
महाप्रबंधक (विपणन) बीवीएफसीएल,
नमो ड्रोन दीदी योजना के लाभों और हमारे
माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए
Shri Satyajeet Misra,
General Manager (Marketing) BVFCL,
highlighting the benefits of Namu Drone Didi Scheme
and the vision of our Hon'ble Prime Minister



बीवीएफसीएल द्वारा एमटीआरओएन, गुवाहाटी (आरपीटीओ) में नामित 18 एनडीडी को कृषि ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया गया।
Agri Drone flying training provided by BVFCL to designated 18 NDDs at AMTRON, Guwahati (RPTO)



११ मार्च २०२४ को नमो ड्रोन दीदियों को कृषि ड्रोन सौंपे जाएंगे।
Handing over of Agricultural Drones to Namu Drone Didis on 11th March 2024



श्री पी.के. बानिक (सीएमडी प्रभारी) नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपते हुए
Shri P.K. Banik (CMD I/C) handing over of Drones to Namu Drone Didis



नई पीएलसी आधारित बैगिंग और वजन नियंत्रण प्रणाली की स्थापना
INSTALLATION OF NEW PLC BASED BAGGING & WEIGHING CONTROL SYSTEM



नए पीएलसी आधारित बैगिंग और वजन नियंत्रण प्रणाली की नई स्थापना दक्षता को बढ़ाती है और पैकेजिंग प्रक्रिया में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करती है। यह उन्नत प्रणाली उत्पादन को अनुकूलित करती है और बेहतर आउटपुट के लिए संचालन को सुव्यवस्थित करती है।
The newly installation of new PLC based bagging & weighing control system enhances efficiency and ensures quality control in the packaging process. This advanced system optimizes production and streamlines operations for better output.

मॉक ड्रिल / MOCK DRILL



एजेंसियों के बीच अंतर-समन्वय की जांच के लिए सीआईएसएफ और अग्निशमन एवं सुरक्षा टीम बीवीएफसीएल द्वारा बीवीएफसीएल नामरूप में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।

A mock drill was conducted at BVFCL Namrup by CISF and the fire & safety team BVFCL to check inter-co ordination among agencies.

विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून 2024 / WORLD ENVIRONMENT DAY 05 JUNE 2024



श्री पी.के. बानिक, (सीएमडी प्रभारी), श्री एस.सी. दास, निदेशक (वित्त) और कंपनी के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में विश्व पर्यावरण दिवस के उत्सव की एक झलक।

A glimpse of Celebration of World Environment Day in the presence of Shri P.K. Banik, (CMD I/C), Shri S.C. Das, Director (Finance) and other Officials of the Company.





श्री मुखमीत सिंह भाटिया, आईएस, अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता, कैबिनेट सचिवालय ने 05.06.2024 को बीवीएफसीएल का दौरा किया। बीवीएफसीएल सम्मेलन कक्ष में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। Sri Mukhmeet Singh Bhatia,

IAS, Chairman, National Authority Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat visited BVFCL on 05.06.2024. A review meeting was held at BVFCL Conference Hall.

21 जून 2024 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस / 21ST JUNE 2024 INTERNATIONAL YOGA DAY



श्री पी.के. बानिक (प्रभारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) एवं कंपनी के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में योग दिवस समारोह की एक झलक।
A glimpse of Yoga Day Celebration in the presence of Shri P.K. Banik, (CMD I/C) and Other Officials of the Company.

महिला दिवस 09 अगस्त 2024 / WOMEN'S DAY 09 AUG 2024



बीवीएफसीएल नामरूप में महिला दिवस समारोह की एक झलक।
A glimpse of celebration of Women's Day at BVFCL Namrup.

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस / 15TH AUGUST INDEPENDENCE DAY



15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस
A glimpse of Independence Day Celebration, 15th August 2024.

HINDI DIWAS – HINDI ADHIKARI VISIT



01-09-2024 से 14-09-2024 तक बीवीएफसीएल नामरूप में मनाए जाने वाले हिंदी पखवाड़े की एक झलक। इस अवसर पर गृह मंत्रालय के सहायक निदेशक, श्री भास्कर बाबू ने 12-09-2024 को बीवीएफसीएल परिसर का दौरा किया और हिंदी कार्यशाला पर एक सत्र लिया।
A glimpse of Hindi Pakhwada celebrated in BVFCL Namrup from 01-09-2024 to 14-09-2024. On this occasion, Shri Bhaskar Babu, Assistant Director, Ministry of Home Affairs visited the BVFCL premises on 12-09-2024 and took a session on Hindi Karyashala.



नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दुलियाजान द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बीवीएफसीएल को "ऑयल राजभाषा पुरस्कार योजना" के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार " ऑयल नराकास राजभाषा शील्ड" से सम्मानित किया गया।

BVFCL was awarded the third prize "Oil Narakas Rajbhasha Shield" under the "Oil Rajbhasha Puraskar Yojana" for excellent performance of official language during the year 2023-24 by the Town Official Language Implementation Committee, Duliagan.

सचिव का दौरा / SECRETARY VISIT



"श्रीरजत कुमार मिश्र, माननीय सचिव, उर्वरक विभाग ने 12.09.2024 को बीवीएफसीएल परिसर का दौरा किया। माननीय सीएमडी और निदेशक (वित्त) ने उन्हें क्रमशः फूलन गमोचा और लकड़ी की नक्काशीदार गैडे (असम का गौरव) के साथ स्वागत किया। बीवीएफसीएल के सम्मेलन हॉल में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद, उन्होंने बीवीएफसीएल उत्पादन और बैगिंग साइट का दौरा किया।"

"Shri Rajat Kumar Mishra, Hon'ble Secretary, DoF, visited the BVFCL premises on 12.09.2024. The Hon'ble CMD and Director (Finance) welcomed him with a Phulon Gamocha and a wooden carved Rhinoceros (Pride of Assam),

respectively. A review meeting was held at the Conference Hall of BVFCL. Following the meeting, he visited the BVFCL production and bagging site."

स्वच्छता अभियान 02 अक्टूबर 2024 / SWACHTA ABHIYAN 02ND OCTOBER 2024



स्वच्छता अभियान पर 2024 की एक झलक। माननीय सीएमडी ने कंपनी के अधिकारियों के साथ मिलकर दिन की शुरुआत घास काटने और झाड़ू लगाने से की, गांव को स्वच्छ बनाने के लिए अथक प्रयास किया

A glimpse of cleanliness drives 2024 on Swachhta Abhiyan. Hon'ble CMD joined the Officials of the Company who kicked off the day with grass cutting & brooming, working tirelessly to make the village cleaner

वृक्षारोपण और वितरण 2024 / TREE PLANTATION AND DISTRIBUTION 2024



माननीय सीएमडी पौधे वितरित करते हुए, वरिष्ठ अधिकारी पौधे लगाते हुए, वृक्षारोपण जलवायु परिवर्तन से निपटने, जैव विविधता को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

The Hon'ble CMD distributing tree saplings, while senior officials plant them, as tree plantations play a crucial role in combating climate change, promoting biodiversity, and enhancing environmental sustainability.

DIWALI 2024



बीवीएफसीएल परिसर में दिवाली 2024 समारोह की एक झलक

A glimpse of Diwali 2024 Celebration at BVFCL premises

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 / VIGILANCE AWARENESS WEEK 2024



28.10.2024 से 03.11.2024 तक बीवीएफसीएल नामरूप में मनाए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह की एक झलक। इस अवसर पर श्री एल.एम. पांडे, सीवीओ, बीवीएफसीएल ने बीवीएफसीएल परिसर का दौरा किया और माननीय सीएमडी द्वारा उनका स्वागत किया गया तथा सतर्कता जागरूकता पर एक सत्र आयोजित किया गया।

A glimpse of Vigilance Awareness week celebrated in BVFCL Namrup from 28.10.2024 to 03.11.2024. On this occasion Shri L.M. Pandey, CVO BVFCL, visited the BVFCL premises and welcomed by Hon'ble CMD and a session on Vigilance awareness was held.

राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन 2024

NATIONAL FOUNDATION FOR COMMUNAL HARMONY 2024



सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय स्थापना 2024 का उत्सव समुदायों के बीच एकता, शांति और आपसी सम्मान के महत्व पर प्रकाश डालता है। सद्भाव को बढ़ावा देने और समावेशिता और सामाजिक सामंजस्य के मूल्यों को बनाए रखने की शपथ ली गई।

The celebration of National Foundation for Communal Harmony 2024 highlights the importance of unity, peace, and mutual respect among communities. An oath was taken to promote harmony and uphold the values of inclusivity and social cohesion.



17 अगस्त, 2024 को सावन विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह मिताली लेडीज़ क्लब के लिए एक यादगार कार्यक्रम था क्योंकि सदस्यों ने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए हरे रंग की मेखला सादर और साड़ियों को पहना था।

Sawan special programme was conducted on 17 August, 2024. It was a memorable event for Mitalee Ladies Club as the members decked up in Green Mekhala Sadar and sarees to showcase their talent.



5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मिताली क्लब द्वारा मनाया गया। "हमारी धरती, हमारा भविष्य" थीम को ध्यान में रखते हुए सभी ने मंच पर अपने विचार साझा किए। मिताली क्लब की अध्यक्ष श्रीमती मीतू बनिक ने सभी मिताली क्लब को नीम के पौधे वितरित किए और आस-पास के क्षेत्र में पौधे लगाकर कार्यक्रम का समापन किया।

June 5, World Environment Day, was celebrated by Mitalees. Keeping the theme June 5, World Environment Day, was celebrated by Mitalees. Keeping the theme, "Our Land, Our future.", in mind, all exchanged their views on dias. Presidentt of Mitalee Club, Mrs.Mitu Banik distributed Neem plants to all Mitalees and concluded the event by planting them in surrounding area



अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 2024 को मनाया गया। इस दिन को विख्यात और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए मितालियों के बीच एक वाद-विवाद आयोजित किया गया।

International Women's Day was observed on 8 March, 2024. A debate among Mitalees was conducted to make the day eventful n purposeful.



अंतर्वस्तु

CONTENTS

		पृष्ठ सं./ Page No.
1. निदेशक मंडल	1. Board of Directors	11
2. प्रबंधन टीम	2. Management Team	11
3. निदेशक मंडल के सदस्यों की प्रोफाइल	3. Profile of Member's of Board of Directors	14
4. नागरिक चार्टर	4. Citizen Charter	16
5. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का भाषण	5. Speech of Chairman & Managing Director	18
6. 22वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	6. Notice of 22nd Annual General Meeting	22
7. निदेशकों का प्रतिवेदन	7. Directors' Report	27
8. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन	8. Management Discussion and Analysis Report	36
9. ऊर्जा संरक्षण के संबंध में विवरण का प्रकटीकरण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय	9. Disclosure of particulars with respect to Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo	63
10. एससी, एसटी, ओबीसी और पीएच का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला वार्षिक विवरण	10. Annual statement showing representation of SCs, STS, OBCs and PHs	65
11. कॉर्पोरेट अधिशासन प्रतिवेदन	11. Corporate Governance Report	66
12. आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा	12. Declaration of Compliance of Code of Conduct	81
13. सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	13. Secretarial Audit Report	82
14. कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अनुपालन प्रमाणपत्र	14. Compliance Certificate of Corporate Governance	85
15. सीईओ और सीएफओ का प्रमाणपत्र	15. Certificate of CEO and CFO	88
16. स्वतंत्र लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में बताई गई टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब	16. Management Replies on the observations stated in the Independent Audit Report	90
17. कंपनी के वार्षिक खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	17. Comments of the Comptroller and Auditor General of India on the Annual Accounts of the Company	116
18. वैधानिक लेखा परीक्षकों की प्रतिवेदन	18. Statutory Auditors' Report	117
19. तुलनपत्र	19. Balance Sheet	144
20. लाभ एवं हानि विवरण	20. Statement of Profit & Loss A/C	146
21. नकदी प्रवाह विवरण	21. Cash Flow Statement	148
22. वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ	22. Notes on Financial Statements	151
23. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	23. Significant Accounting Policies	171
24. कार्य निष्पादन – एक दृष्टि में	24. Performance at Glance	192

निदेशकमंडल

1. श्री प्रदीप कुमार बनिक
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्तप्रभार)
(03.02.2024 से)
निर्देशक (निर्माण)
2. श्री शिब प्रसाद मोहंती
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (28.12.2023 तक)
3. श्री सुबाष चंद्र दास
निदेशक (वित्त)
4. डॉ. अश्वनी कुमार
सरकार नामांकित निदेशक (28.10.2024 से)
5. श्री सुरेन्द्र ठाकुर
सरकार नामांकित निदेशक (24.12.2024 से)
6. श्री हरविंदर सिंह
सरकार द्वारा नामित निदेशक (28.10.2024 तक)
7. श्री निरंजन लाल
सरकार द्वारा नामित निदेशक (16.07.2024 तक)
8. श्री एस.के. शर्मा
गैर सरकारी निदेशक (04.11.2024 तक)
9. श्री रबीरंजन सेन
गैर सरकारी निदेशक (04.11.2024 तक)
10. श्री बिपिन बिहारी पाठी
गैर सरकारी निदेशक (08.05.2023 तक)

कंपनीसचिव

- सुश्री प्रियंका कुमारी (25.07.2024 से)
श्री आशीष श्रीवास्तव (अनुबंधपर) (06.05.2024 से)
श्री आर.के. तिवारी (02.03.2024 तक)
श्री आर.के. गुप्ता (31.07.2023 तक)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री ललित मोहन पांडे

नामरूप इकाई

- श्री मैथ्यू जॉनसन दारा - महाप्रबंधक (वित्त) (03.10.2024 तक)
श्री समित महापात्र - महाप्रबंधक (म सं)
श्री सत्यजीत मिश्रा- महाप्रबंधक (विपणन)
श्री एमपी सिन्हा – महाप्रबंधक (तकनीकी)
श्री डी के दास – महाप्रबंधक (उत्पादन एवं रखरखाव)
श्री अरुण कुमार डब्ल्यू. वी. – उप महाप्रबंधक (म सं)
श्री ए.के. दत्ता – उप महाप्रबंधक(विपणन)

BOARD OF DIRECTORS

1. Shri Pradip Kumar Banik
Chairman & Managing Director
(Additional Charge) (Since 03.02.2024)
Director (Production)
2. Shri Siba Prasad Mohanty
Chairman & Managing Director (Upto 28.12.2023)
3. Shri Subash Chandra Das
Director (Finance)
4. Dr. Ashwani Kumar
Govt Nominee Director (From 28.10.2024)
5. Shri Surendra Thakur
Govt Nominee Director(From 24.12.2024)
6. Shri Harvinder Singh
Govt. Nominee Director (Upto 28.10.2024)
7. Shri Niranjn Lal
Govt. Nominee Director (Upto 16.07.2024)
8. Shri S.K. Sharma
Non Official Director (Upto 04.11.2024)
9. Shri Rabi Ranjan Sen
Non Official Director (Upto 04.11.2024)
10. Shri Bipina Bihari Padhy
Non Official Director (Upto 08.05.2023)

COMPANY SECRETARY

- Ms. Priyanka Kumari (Since 25.07.2024)
Shri Aashish Srivastava (On Contract) (Since 06.05.2024)
Shri R. K. Tiwari (Upto 02.03.2024)
Shri R. K. Gupta (Upto 31.07.2023)

CHIEF VIGILANCE OFFICER

Shri Lalit Mohan Pandey

NAMRUP UNIT

- Shri Mathew Johnson Dara - GM (Finance) (Upto 03.10.2024)
Shri Samit Mohapatra – GM (HR)
Shri Satyajit Misra- GM (Marketing)
Shri M. P. Sinha – GM (Technical)
Shri D. K. Das – GM (Production& Maintenance)
Shri Arun KumarW.V. – DGM (HR)
Shri A.K. Dutta – DGM (Marketing)



श्री ए.के. सिंह – उप महाप्रबंधक (सामग्रीप्रबंधन)
श्री अमृत बन्दोपाध्याय - उप महाप्रबंधक (तकनीकी सेवाएँ)
श्री के के दिहिर – उपमहाप्रबंधक (अनुरक्षण)

वैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स बी. एल. पुरोहित एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, गुवाहाटी (असम)

लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स सुभद्रा दत्ता एंड एसोसिएट्स
लागत लेखाकार, कोलकाता

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स प्रवीण छाजेर एंड एसोसिएट्स
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, गुवाहाटी

पंजीकृत कार्यालय

डाकघर: परबतपुर, नामरूप-786623, जिला-डिब्रूगढ़ (असम)
फ़ोन: 0374-2500240;
फैक्स: 0374-2500317
ई-मेल: info@bvfc.co.in
वेबसाइट का पता: www.bvfc.com
सीआईएन: U24123AS2002GO1006786

इकाई

नामरूप (असम)

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
केनरा बैंक

Shri A.K. Singh –DGM (Material Handling)
Shri Amrit Bandyopadhyay – DGM (Technical Services)
Shri K.K. Dihider – DGM (Maintenance)

STATUTORY AUDITORS

M/s. B.L. Purohit & Co.
Chartered Accountants, Guwahati (Assam)

COST AUDITORS

M/s. Subhadra Dutta & Associates
Cost Accountants, kolkata

SECRETARIAL AUDITORS

M/s Pravin Chhajer & Associates
Practicing Company Secretaries, Guwahati

REGISTERED OFFICE

P.O.: Parbatpur, Namrup-786623, District-Dibrugarh (Assam)
Phone: 0374-2500240;
Fax: 0374-2500317
E-mail: info@bvfc.co.in
Website address: www.bvfc.com
CIN: U24123AS2002GO1006786

UNIT

Namrup (Assam)

BANKERS

State Bank of India
Canara Bank

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS



श्री प्रदीप कुमार बनिक
निदेशक (उत्पादन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अतिरिक्त प्रभार के साथ
(03.02.2024 से)

Shri Pradip Kumar Banik

Director (Production) with Chairman & Managing Director Addl Charge (From 03.02.2024)



श्री सिबा प्रसाद मोहंती
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (28.12.2023 तक)

Shri Siba Prasad Mohanty

Chairman & Managing Director Upto 28.12.2023)



श्री सुभाष चंद्र दास
निदेशक (वित्त)

Shri Subash Chandra Das

Director (Finance)



डॉ. अश्वनी कुमार
सरकार नामांकित निदेशक
(28.10.2024 से)

Dr. Ashwani Kumar

Govt Nominee Director
(From 28.10.2024)



श्री सुरेंद्र ठाकुर
सरकार नामांकित निदेशक
(24.12.2024 से)

Shri Surendra Thakur

Govt Nominee Director
(From 24.12.2024)



श्री हरविंदर सिंह
सरकार नामांकित निदेशक
(28.10.2024 तक)

Shri Harvinder Singh

Govt Nominee Director
(Upto 28.10.2024)



श्री निरंजन लाल
सरकार नामांकित निदेशक
(16.07.2024 तक)

Shri Niranjana Lal

Govt Nominee Director
(Upto 16.07.2024)



श्री एस.के. शर्मा
गैर सरकारी निदेशक
(स्वतंत्र निदेशक) (04.11.2024 तक)

Shri S.K. Sharma

Non Official Director
(Independent Director)
(Upto 04.11.2024)



श्री रबी रंजन सेन
गैर सरकारी निदेशक
(स्वतंत्र निदेशक) (04.11.2024 तक)

Shri Rabi Ranjan Sen

Non Official Director
(Independent Director)
(Upto 04.11.2024)



श्री बिपिन बिहारी पाढ़ी
गैर सरकारी निदेशक
(स्वतंत्र निदेशक) (08.05.2023 तक)

Shri Bipin Bihari Padhy

Non Official Director
(Independent Director)
(Upto 08.05.2023)



निदेशक मंडल के सदस्यों की प्रोफ़ाइल - DIRECTOR'S PROFILE

1. श्री प्रदीप कुमार बनिक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) और निदेशक (उत्पादन) (DIN: 10095724) , 1. Shri Pradip Kumar Banik, Chairman & Managing Director (Additional Charge) and Director (Production) (DIN : 10095724)



भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभागने 2 फरवरी 2024 के आदेश के माध्यम से श्री प्रदीप कुमार बनिक, निदेशक (उत्पादन), बीवी एफ सी एल को उनके अपने कर्तव्यों के अलावा बीवी एफ सी एल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। इस के पश्चात, श्री प्रदीप कुमार बनिक ने 3.02.2024 से बीवी एफ सी एल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया। वे 22 मार्च 2023 से बीवी एफ सी एल में निदेशक (उत्पादन) के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान पद भार ग्रहण करने से पहले, श्री प्रदीप कुमार बनिक बीवी एफ सी एल में उप महा प्रबंधक (मैकेनिकल) के रूप में कार्यरत थे।

The Govt. of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers vide Order dated 2nd February, 2024, entrusted additional charge of the post of Chairman & Managing Director, BVFCL, to Shri Pradip Kumar Banik, Director (Production), BVFCL, in addition to his own duties. Subsequently, Shri Pradip Kumar Banik has assumed the additional charge of Chairman & Managing Director of BVFCL w.e.f 03.02.2024. He is Director (Production), BVFCL w.e.f. 22nd March, 2023. Prior to his present assignment as Director (Production), BVFCL, Shri Pradip Kumar Banik was working as DGM (Mechanical), BVFCL.

2. श्री सुबाष चंद्र दास, निदेशक (वित्त), बीवीएफसीएल (DIN: 08988297), Shri Subash Chandra Das, Director (Finance) DIN-08988297



सुबाष चंद्र दास ने 18 दिसंबर 2020 से बीवीएफसीएल के निदेशक (वित्त) का कार्यभार संभाला। उनके पास इस्पात और एल्युमिनियम क्षेत्र में 26 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव है, जो उन्होंने सेल (SAIL), नाल्को (NALCO) जैसे प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) और निजी कागज उद्योग में अर्जित किया।

वर्तमान पदभार से पहले, श्री दास 22.12.2017 से नाल्को में उप महा प्रबंधक (वित्त) के रूप में कार्यरत थे। नाल्को में, वे पवन ऊर्जा परियोजनाओं, व्यवसाय विकास और अनुसंधान एवं विकास (R&D) प्रभाग की वित्तीय जिम्मेदारियों के प्रभारी थे। इसके अलावा, वे नाल्को के सीएसआर ट्रस्ट और सेवानिवृत्ति निधि के मामलों का भी पर्यवेक्षण करते थे।

नाल्को में शामिल होने से पहले, उन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL), राउरकेला स्टील प्लांट में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया। अपने दो दशक से अधिक लंबे करियर के दौरान, उन्होंने वित्तीय योजना और नियंत्रण, लेखा और लेखा परीक्षा, एमआईएस और बजट, निधि प्रबंधन और निवेश, वाणिज्यिक और कर मामलों जैसे क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया।

05 जुलाई 1971 को जन्मे श्री दास, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के फेलो सदस्य हैं। वे भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), रांची के पूर्व छात्र भी हैं, जहां से उन्होंने प्रबंधन में कार्यकारी पीजी डिप्लोमा पूरा किया।

अपने पेशेवर दायित्वों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के साथ-साथ श्री दास सामाजिक गतिविधियों और सामुदायिक विकास में भी सक्रिय रूप से योगदान देते रहे हैं।

Shri Subash Chandra Das has assumed charge of Director (Finance), BVFCL w.e.f. 18th December, 2020. He has a rich industry experience of more than 26 years in steel and aluminium sector in premier CPSEs like SAIL & NALCO and private paper industry.

Prior to his present assignment as Director (Finance), BVFCL, Shri Das was working as DGM (Finance), NALCO w.e.f. 22.12.2017. He was in-charge of finance function for wind power projects, Business Development and R&D division of NALCO and also supervising affairs of CSR Trust and superannuation funds of NALCO. Prior to joining NALCO, he worked in various capacities at Steel Authority of India Limited, Rourkela Steel Plant. During a career span of more than two decades, he garnered experience in the field of Financial Planning and Control,

Accounts & Audit, MIS & Budget, fund management & Investment, Commercial and Tax matters etc.

Born on 05.07.1971, Shri Das is a Fellow Member of the Institute of Cost Accountants of India (ICAI) and also an alumnus of Indian Institute of Management Ranchi from where he completed Executive PG Diploma in Management.

Apart from excelling in professional responsibilities, he has been equally active in social activities and community development.

3. डॉ. अश्वनी कुमार, सरकारद्वारा नामित निदेशक, Dr. Ashwani Kumar, Govt Nominee Director (From 28.10.2024)



डॉ. अश्वनी कुमार, भारतीय आर्थिक सेवा (IES) 2012 बैच के अधिकारी हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता अर्थशास्त्र में पीएचडी है। उन्होंने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे एमएसएमई, नीति आयोग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार के रूप में सेवा दी है।

वर्तमान में, वह रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग में संयुक्त निदेशक (आईसी) के पद पर कार्यरत हैं। अब उन्हें ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BVFCL) के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

Dr. Ashwani Kumar is an officer of Indian Economics Service (IES), 2012 batch. His educational qualification is Ph.D (Economics). He has served in different Ministries of Government of India i.e. MSME, Niti Aayog, Information & Broadcasting as Addl. Economics Adviser.

He is presently working as Joint Director (IC) in the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India. He is now appointed as Government Nominee Director on the Board of M/s. Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL).

4. श्री सुरेंद्र ठाकुर, सरकार नामांकित निदेशक, Shri Surendra Thakur, Govt Nominee Director



श्री सुरेंद्र ठाकुर केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं। उनकी शैक्षिक योग्यताएँ मास्टर ऑफ साइंस (भौतिकी) और आपदा प्रबंधन और पुनर्वास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हैं। उन्होंने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कार्य किया है, जैसे कि संचार मंत्रालय (डाक विभाग, दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय और टीआरई -प्रतिनियुक्ति पर), संस्कृति मंत्रालय (राष्ट्रीय संग्रहालय में ए.ओ. के रूप में प्रतिनियुक्ति पर) और गृह मंत्रालय (जिसमें एनडीआईएम में संयुक्त निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति भी शामिल है)।

वह वर्तमान में भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग में उप सचिव (स्थापना, सामान्य प्रशासन, आईटी और नकद) के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें अब ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

Shri Surendra Thakur is an officer of the Central Secretariat Services. His educational qualifications are M.Sc. (Physics) and PG Diploma in Disaster Preparedness & Rehabilitation. He has served in different Ministries of Government of India i.e. Ministry of Communications (Department of Posts, Department of Telecommunications, BSNL Corporate Office & TRAI-on deputation), Ministry of Culture (as AO in National Museum on deputation) and Ministry of Home Affairs (including deputation in NIDM as Joint Director).

He is presently working as Deputy Secretary (Estt, Gen Admn., IT & Cash) in the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India. He is now appointed as Government Nominee Director on the Board of M/s. Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL).



नागरिक चार्टर

प्रस्तावना

यह चार्टर हमारे मिशन, उद्देश्यों, मूल्यों, प्रतिबद्धताओं, मानकों और दूसरों से हमारी अपेक्षाओं की घोषणा है।

मिशन

- उर्वरकों का दक्षता पूर्वक, किफायती और पर्यावरण अनुकूल ढंग से उत्पादन करना।
- स्वयं को लाभ अर्जित करने वाले उद्यम के रूप में स्थापित करना।
- देश के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर भागों के सर्वतोमुखी विकास के लिए कार्य करना।
- अन्य औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन में विविधता लाना।
- क्षेत्र में संतुलित आर्थिक विकास करना।

लक्ष्य

बीवी एफ सी एल के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों का दक्षतापूर्ण और किफायती ढंग से उत्पादन और विपणन करना;
- सभी कार्यकलापों में दक्षता और उत्पादकता का इष्टतम स्तर बनाए रखना और प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना;
- ऊर्जा संरक्षण की योजनाओं को लागू करते हुए उत्पादों के विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी लाना;
- संयंत्र प्रचालन सुरक्षा में लगातार सुधार करना;
- वर्ष 2022-23 के दौरान यूरिया उत्पादन क्षमता उपयोग में वृद्धि करना;
- कंपनी के मानव संसाधनों की गुणवत्ता को लगातार उन्नत बनाना तथा संगठनात्मक विकास को प्रोन्नत करना।

मूल्य

हम अपने कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन अत्यधिक:

- निष्ठा
- तीव्रता
- समता
- अखण्डता
- पारदर्शिता से,
और बिना किसी भय या पक्षपात से करेंगे।

मानक

- हमने आपके साथ सभी लेनदेन करने के लिए अपने मानक स्थापित किए हैं। हम यह वचन देते हैं कि किसी संभावित या अपरिहार्य विलंब के मामले में हम इसकी सूचना तत्काल संबंधित पार्टी को देंगे।

CITIZENS' CHARTER

Preamble

This Charter is a declaration of our mission, objectives, values, commitments, standards and our expectations from others.

Mission

- To produce fertilizer efficiently, economically and in environment friendly manner.
- To established itself as profit making enterprises
- To work for all round improvement of the strategically important North Eastern parts of the Country.
- To diversify into production of other industrial products.
- To provide balanced economic growth in the region.

Objective

BVFCL has the following objectives:

- To produce and market fertilizers efficiently and economically in an environmentally sound manner;
- To maintain optimum levels of efficiency and productivity in all activities and to carry out upgradation of Technology;
- Reduction in specific energy consumption of the product by taking up and implementing energy savings schemes;
- To continuously improve plant operation safety.
- To achieve increase in urea production capacity utilisation during 2023-2024;
- To continuously upgrade the quality of human resources of the Company and promote organizational development.

Values

We shall carry out our functions and duty with utmost:

- Sincerity
- Speed
- Equity
- Integrity
- Transparency
and without any fear or favour.

Standards

- We have set up upon ourselves the standards for all transactions with you. We undertake that in case of likely or inevitable delay, we shall promptly communicate the same to the party concerned.

हमारी प्रतिबद्धताएं

हम प्रतिबद्ध हैं:-

- विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक उर्वरकों का उत्पादन और वितरण करने में;
- उपभोक्ता की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए अपने उर्वरकों का समय पर वितरण करने में;
- मानव संसाधनों के विकास और प्रौद्योगिकियों का सतत् उन्नयन करने में, तथा
- निर्धारित सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन करने में।

ग्राहकों/नागरिकों को प्रदान की गई सेवाएं

उत्पादकता में सुधार करने के लिए उर्वरकों के संतुलित उपयोग हेतु गांव/ब्लॉक स्तर पर कंपनी द्वारा किसानों को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है।

कंपनी में निम्नलिखित शिकायत निवारण प्रणाली का गठन किया गया है:

1. कर्मचारी शिकायत निवारण समिति
2. टाउनशिप कल्याण समिति
3. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना
4. ग्राहक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ
5. जनता रिश्त या वित्तीय अनियमितताओं के निवारण से संबंधित शिकायतों के लिए कंपनी के मुख्यसतर्कता अधिकारी से संपर्क कर सकती है।
6. केन्द्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)
7. अधिनियम, 2013 के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) के लिए आंतरिक शिकायत समिति।

शिकायतों के निपटान की समय सीमा

- | | |
|--|-----------|
| क. याचिकाकर्ता को पावती/अंतरिम उत्तर जारी करना | -2 सप्ताह |
| ख. संबंधित प्राधिकारी को शिकायत याचिका भेजना | -3 सप्ताह |
| ग. शिकायत याचिका का अंतिम निपटान | -2 महीने |

ग्राहकों/नागरिकों से अपेक्षाएँ

हम ग्राहकों/नागरिकों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे किसी प्रकार का प्रलोभन दिए बिना और तुच्छ मुद्दों को उठाए बिना कंपनी के साथ अपने सभी लेनदेन में अपने अधिकारों और बाध्यताओं का प्रयोग करने में तर्कसंगत होंगे और शीघ्र कार्रवाई करेंगे।

- क. ग्राहक द्वारा खरीदे गए उत्पाद इसकी गुणवत्ता, वजन आदि के बारे में सूचना को समय पर देना।
- ख. आगे सुधार करने के लिए सुझाव।

Our Commitments

We commit to:

- Produce and distribute quality fertilizers conforming to the specifications.
- Timely distribution of our fertilizers to ensure consumer satisfaction.
- Continual upgradation of Technology and Development of Human Resources.
- Strict adherence to the prescribed Safety, Health and Environmental Protection Standards.

SERVICE EXTENDED TO THE CUSTOMERS/CITIZENS'

Training is imparted to the farmers free of cost by the Company in village/ block level for balanced use of fertilizers for improving productivity.

FOLLOWING GRIEVANCES REDRESSAL MACHANISM HAS BEEN CONSTITUTED IN THE COMPANY.

1. Employees Grievance Redressal Committee
2. Township Welfare Committee
3. Information under the Right to Information Act, 2005
4. Customer Grievances Redressal Cell
5. Complaints involving redressal for bribes or financial irregularities, public may approach to the Chief Vigilance Officer of the Company
6. Centralized Public Grievance Redress And Monitoring System (CPGRAMS)
7. Internal Complaints Committee under Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

TIME LIMIT FOR DISPOSAL OF GRIEVANCES

- | | |
|--|------------|
| a. Issue of acknowledgement /interim reply to petitioner | - 2 week |
| b. Forwarding of the grievance petition to the concerned authority | - 3 weeks |
| c. Final disposal of the grievance petition | - 2 months |

EXPECTATION FROM CUSTOMERS/ CITIZENS

We expect from the customers / citizens to be reasonable and prompt in exercising your rights and obligations in all your transactions with the Company without extending inducement of any kind and not raising any frivolous issues.

- a. Timely feed back of information about the product purchased by the customer, its quality, weight, etc.
- b. Suggestion for further improvement.





22वीं वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष का भाषण

प्रिय सदस्यगण,

कंपनी की इस 22वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। अब तक आपको वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां मिल गई होंगी। मैं मानता हूँ कि आपने पूरी वार्षिक रिपोर्ट पढ़ ली है और इसे पढ़ा हुआ मानते हैं।

मुझे इस अवसर पर आपकी कंपनी की सफलता और विकास की उल्लेखनीय यात्रा को याद करते हुए बहुत खुशी हो रही है। हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एकमात्र उर्वरक विनिर्माण इकाई होने के नाते, बीवीएफसीएल ने किसानों, विशेष रूप से पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में किसानों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज, मुझे बीवीएफसीएल के संघर्षशील इकाई से एक संपन्न और लाभदायक उद्यम में प्रेरक परिवर्तन का वर्णन करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है, यह उपलब्धि हमारे सामूहिक और अटूट प्रयासों से संभव हुई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आपकी कंपनी के प्रदर्शन की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नामरूप-III में यूरिया का उत्पादन 180153 मीट्रिक टन था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में नामरूप-III में उत्पादित यूरिया के प्रति मीट्रिक टन ऊर्जा खपत 13.27 जीसीएल/मीट्रिक टन थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में नामरूप-III में 239 ऑन-स्ट्रीम दिन हासिल किए जा सकते हैं।

जैविक खादों के उत्पादन को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2023-24 में जैव उर्वरकों का अब तक का सर्वाधिक उत्पादन दर्ज किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जैव उर्वरकों का उत्पादन 195.68 मीट्रिक टन रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पिछला सर्वाधिक उत्पादन 152.938 मीट्रिक टन था।

CMD'S ADDRESS AT THE 22ND AGM

Dear Members,

It gives me immense pleasure to extend my warm welcome to all of you at this 22nd Annual General Meeting of the Company. By now you must have received copies of the Annual Report of the Company for the Financial Year 2023-24. I assume, you have gone through the full Annual Report and consider it as read.

I am delighted to take this opportunity to recount the remarkable journey of your Company's success and growth. BVFCL, being the sole fertilizer manufacturing entity in the North Eastern region of our nation, has played a pivotal role in supporting farmers, especially in Eastern India and the North Eastern regions. Today, I take immense pride in narrating BVFCL's inspiring transformation from a struggling entity to a thriving and profitable enterprise, an achievement made possible through our collective and unwavering efforts.

Coming to the performance of your Company during the Financial Year 2023-24. Urea production in Namrup-III during the Financial Year 2023-24 was 180153 MT. Energy consumption per MT of urea produced in Namrup-III was 13.27 GCal/MT in the Financial Year 2023-24. On-stream days of 239 could be achieved in Namrup-III in Financial Year 2023-24.

In pursuance of the policy of Govt. of India to promote production of organic fertilizers, in the Financial Year 2023-24, all time highest production of Bio Fertilizers was recorded. Bio Fertilizer production achieved during the Financial Year 2023-24 was 195.68 MT, compared to previous highest of 152.938 MT in Financial Year 2022-23.

जनवरी 2023 में, कंपनी ने जल में घुलनशील एनपीके 19:19:19 उर्वरक उत्पादन संयंत्र भी स्थापित किया है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 463.59 मीट्रिक टन एनपीके उर्वरक का उत्पादन किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 67.53 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने उर्वरक विभाग से प्राप्त आवंटन के अनुसार पारादीप पोर्ट के माध्यम से आयातित यूरिया का विपणन किया है। कुल 257694.265 मीट्रिक टन देश में विभिन्न विपणन क्षेत्रों में अपने डीलरों के नेटवर्क के माध्यम से आयातित यूरिया की बिक्री की गई, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह 218897.38 मीट्रिक टन थी।

समय-समय पर संयंत्र विफलता और शटडाउन जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, आपकी कंपनी ने प्रतिदिन अधिकतम उत्पादन को 730 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 854 मीट्रिक टन करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो दैनिक अधिकतम उत्पादन क्षमता का लगभग 95% है।

आपकी कंपनी की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय सहित नए राज्यों में अपने विभिन्न कृषि उत्पादों की शुरुआत के माध्यम से अपनी बाजार उपस्थिति का विस्तार करना है। इस विस्तार ने न केवल कंपनी के ग्राहक आधार को व्यापक बनाया बल्कि हमारी वित्तीय स्थिरता को भी बढ़ाया।

हमने विभिन्न कंपनियों के साथ सहयोग के माध्यम से अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता लाई है, एक एकीकृत अवधारणा के तहत पौधों के पोषक तत्वों की एक व्यापक श्रृंखला की पेशकश की है। इस विविधीकरण ने हमें अपने ग्राहकों की उभरती जरूरतों को पूरा करने और उर्वरक उत्पादों के एक विश्वसनीय राष्ट्रव्यापी वितरक के रूप में बीवीएफसीएल की स्थिति को मजबूत करने में सक्षम बनाया है।

इसके अलावा, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए आपकी कंपनी की प्रतिबद्धता कई ब्लॉक स्तर और जिला स्तर के प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) दुकानों को नया रूप देने और स्थापित करने की पहल के माध्यम से स्पष्ट है। ये पीएमकेएसके किसानों की विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा करेंगे और कृषि-इनपुट (जैसे उर्वरक, बीज, उपकरण आदि) प्रदान करेंगे; मिट्टी, बीज, उर्वरकों के लिए परीक्षण सुविधाएं; किसानों के बीच जागरूकता पैदा करना; विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना और ब्लॉक/जिला स्तर की दुकानों पर खुदरा विक्रेताओं की नियमित क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना।

संयंत्र की छोटी क्षमता और पुरानी उम्र के कारण सभी बाधाओं के बावजूद, आपकी कंपनी बहुत कम उत्पादन लागत पर स्वदेशी यूरिया का उत्पादन करके प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। संयंत्र पास के कुओं से केवल एपीएम प्राकृतिक गैस का उपयोग कर रहा है और इस तरह आयातित एलएनजी/आरएलएनजी आदि पर कोई निर्भरता नहीं है। इसके अलावा, चूंकि प्लांट बहुत पुराने हो रहे हैं, इसलिए अधिकांश स्पेयर पार्ट्स अब स्थानीय विक्रेताओं द्वारा विकसित स्वदेशी स्रोतों से खरीदे जा रहे हैं।

आपकी कंपनी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सभी प्रासंगिक और लागू कानूनों/नियमों/मानकों आदि का पालन कर रही है। जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,

In January 2023, the Company has also established a Water Soluble NPK 19:19:19 fertilizer production plant and 463.59 MT of NPK fertilizer has been produced during the Financial Year 2023-24, compared to 67.53 MT in Financial Year 2022-23.

During the Financial Year 2023-24, the Company has marketed imported urea through Paradip Port, as per the allotment received from Department of Fertilizers. Total 257694.265 MT of imported urea were sold through own dealers network in different marketing territories in the Country, compared to 218897.38 MT in Financial Year 2022-23.

Despite encountering challenges such as intermittent plant failure and shutdowns, your Company has made significant strides in improving maximum production per day from 730 MT to 854 MT which is approx 95% of daily maximum production capacity.

One of the most noteworthy achievements of your Company has been the expansion of its market presence through introduction of its various agri-products in new states, including the State of Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, and Meghalaya. This expansion not only broadened the Company's customer base but also enhanced our financial stability.

We diversified our product portfolio through collaborations with various companies, offering a comprehensive range of plant nutrients under a unified concept. This diversification empowered us to meet the evolving needs of our customers and solidify BVFCL's position as a trusted nationwide distributor of fertilizer products.

Furthermore, your Company's commitment to empowering local communities and fostering grassroots-level skill development is evident through initiatives to revamp and establish multiple block level and district level Pradhan Mantri Kisan Samruddhi Kendra (PMKSK) Shops. These PMKSK will cater to a wide variety of needs of the farmers and provide agri-inputs (like fertilizers, seeds, implements etc.); testing facilities for soil, seeds, fertilizers; generate awareness among farmers; provide information regarding various government schemes and ensure regular capacity building of retailers at block/ district level outlets.

In spite of all bottlenecks due to small capacity and old age of the Plant, your Company is immensely contributing to Prime Minister's call of Atmanirbhar Bharat by producing indigenous urea at a very low production cost. The plant is using only APM Natural Gas from the near-by wells and thereby ensuring no dependence on imported LNG/RLNG etc. Moreover, as the plants are becoming very old, so most of the spares are now procured from indigenous sources by developing local vendors for the same.

Your Company is committed to work for the protection of environment and it is adhering to all the relevant and applicable laws/rules/ standards etc. viz. the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention & Control of Pollution) Act,



1986, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 आदि सभी रिटर्न/रिपोर्ट आदि जो विभिन्न कानूनों/नियमों/सरकारी आदेशों के अनुसार प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, नियमित रूप से समय पर प्रस्तुत किए जाते हैं। जल अधिनियम और वायु अधिनियम के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम द्वारा संचालन की सहमति का नियमित रूप से नवीनीकरण किया जाता है। आपदा की स्थिति में आस-पास के लोगों को बीमा कवरेज देने के लिए सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के तहत 15.00 करोड़ रुपये की पॉलिसी ली गई है। कंपनी ने GeM पोर्टल से 15.15 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की सफलतापूर्वक खरीद की है और एमएसई विक्रेताओं से 15.34 करोड़ रुपये मूल्य की खरीद की गई।

मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार, दीर्घकालिक स्थिरता के लिए 28.01.2016 को आरएफक्यू जारी किया गया और 17.06.2016 को आरएफपी जारी किया गया। दो बोलीदाताओं अर्थात् मेसर्स गुजरात फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और मेसर्स अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड पूर्व-योग्य थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी आरएफपी के जवाब में अपनी वित्तीय बोलियां प्रस्तुत नहीं कीं। इस प्रकार, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित दो चरण की बोली प्रक्रिया सफल नहीं हो सकी, क्योंकि प्रस्ताव के अनुरोध के लिए बोलीदाताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पीपीपी मोड बोली में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने के मद्देनजर, 05.09.2016 को डीओएफ में एक बैठक आयोजित की गई और अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया कि डीओएफ द्वारा सीपीएसई और असम सरकार के संयुक्त उद्यम का गठन करके नामांकन मार्ग के माध्यम से 12.70 एलएमटीपीए एनजी आधारित संयंत्र की स्थापना के लिए एक नई पहल की गई। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगीकरण और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

आपकी कंपनी की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों को साझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। बीवीएफसीएल को 2022-23 से तीन वर्षों के लिए भारत सरकार के खाते में आयातित यूरिया की हैंडलिंग और मार्केटिंग के लिए PICT पोर्ट, पारादीप आवंटित किया गया है। मार्केटिंग क्षेत्रों को छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश तक बढ़ा दिया गया है और बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में डीलरों का नेटवर्क बढ़ाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बीवीएफसीएल ने 06 जहाजों की हैंडलिंग और मार्केटिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। बीवीएफसीएल अखिल भारतीय उपस्थिति हासिल करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विपणन क्षेत्रों के और विस्तार की भी योजना बना रहा है।

मौजूदा समझौता ज्ञापनों के अलावा, बीवीएफसीएल ने 2023-24 के दौरान अपने उत्पाद की रेंज बढ़ाने के लिए नए व्यापार भागीदारों जैसे इफको, एग्रोफोस इंडिया लिमिटेड, माधव एग्रोकैम प्राइवेट लिमिटेड, एमएन क्रॉप और फर्टिको प्राइवेट लिमिटेड, दीपी केम लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन हमेशा से आपकी कंपनी की पहचान रहा है। कंपनी का दर्शन अपने व्यवहार में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और व्यापार के नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के लिए देश के कानूनों और नियमों का अनुपालन करना है। कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के लिए त्रैमासिक/वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट

1981, Environment Protection Act, 1986, Public Liability Insurance Act, 1991 etc. All the returns/reports etc. which are required to be submitted as per various laws/rules/govt. orders are submitted regularly in time. Consent to Operate is renewed by the Pollution Control Board, Assam regularly as per Water Act and Air Act. A policy of Rs.15.00 crores under Public Liability Insurance Act, 1991 has been taken to give insurance coverage to the nearby people in case of disaster. The Company successfully procured goods and services worth Rs..15.15 Crores from GeM portal and procurement worth Rs.15.34 Crores was from MSE vendors.

Looking ahead for long term sustainability, as per the Cabinet Approval, RFQ was floated on 28.01.2016 and RFP was floated on 17.06.2016. Two bidders viz. M/s Gujarat Fertilizers & Chemicals Limited and M/s. Adani Enterprises Ltd. were pre-qualified, but none of them submitted their financial bids in response to RFP. As such, the two stage bidding process approved by the Union Cabinet could not be successful, as there was no response from the Bidders for the Request for Proposal. In view of no response received in PPP mode bidding, a meeting was held on 05.09.2016 at DoF and it was inter-alia decided that a proposal should be put up for setting up the new Ammonia-Urea plant of BVFCL at Namrup (i.e. Namrup-IV) through PSU route. A new initiative was taken by DoF for setting-up of a 12.70 LMTA NG based plant through nomination route by forming a JV of CPSEs and Govt. of Assam. This will give a boost to industrialization and economy of the North Eastern region.

It is my pleasure to share some noteworthy achievements of your Company. BVFCL has been allotted PICT port, Paradip for Handling & Marketing of Imported Urea in Govt. of India account for Three years from 2022-23 onwards. Marketing areas have been extended to Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha & Madhya Pradesh and dealers network has been increased in lesser represented areas of Bihar & West Bengal states. During F.Y. 2023-24 BVFCL has successfully completed Handling & Marketing of 06 numbers of ships. BVFCL is also planning for further expansion of Marketing areas to Uttar Pradesh, Telangana & Andhra Pradesh with the aim of achieving a pan India presence.

In addition to the existing MoUs, BVFCL has executed MoUs with new business partners viz. IFFCO, Agrophos India Ltd, Madhav Agrochem Pvt. Ltd., MN Crop and Fertico Pvt Ltd, Deepee Chem. Ltd to enhance the range of its product basket during 2023-24.

Good corporate governance has always been the hallmark of your Company. The philosophy of the Company is to ensure transparency in its dealings and compliance of country's laws and regulations in order to promote ethical conduct of business. Quarterly/Annual compliance report for corporate governance guidelines have been

लागू दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय/डीपीई को भेजी गई है। आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा सुशासन के लिए "उत्कृष्ट रेटिंग" प्रदान की गई है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को सार्वजनिक उद्यम विभाग को प्रस्तुत अनुपालन दस्तावेजों के आधार पर वर्ष 2023-24 में "उत्कृष्ट रेटिंग" की भी उम्मीद थी। सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों ने आचार संहिता नियमों के अनुपालन की पुष्टि की है।

अंत में, मैं निदेशक मंडल में अपने सहकर्मियों को हमारी कंपनी के मामलों के प्रबंधन में उनके अमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं इस अवसर पर भारत सरकार के विभागों और मंत्रालयों अर्थात् रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (FICC), कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, सांविधिक लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक, अभ्यासरत कंपनी सचिव, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, असम गैस कंपनी लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पीडीआईएल, एफएसीटी, इफको, हमारी कंपनी के मूल्यवान डीलरों, ग्राहकों और प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

सबसे बढ़कर, मैं कंपनी के सभी समर्पित कर्मचारियों को चुनौतियों पर काबू पाने और हमारी सफलता में योगदान देने के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ट्रेड यूनियनों को उनके रचनात्मक सहयोग के लिए भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी ओर से, मैं हमेशा की तरह आपका निरंतर समर्थन चाहता हूँ।

आप सबको एक बार फिर धन्यवाद।

जय हिंद

ह/-

निदेशक (उत्पादन) अतिरिक्त प्रभार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
बीवीएफसीएल, नामरूप, असम

स्थान: नामरूप

दिनांक: 28.11.2024

sent to the Administrative Ministry/ DPE as per the applicable guidelines. Your Company has been awarded "Excellent Rating" towards good governance by the Department of Public Enterprises for the Financial Year 2022-23. During the year under review, the Company also expected "Excellent Rating" in the year 2023-24 based on the compliance documents submitted to the Department of Public Enterprises. All the Directors and Senior Management officials have affirmed the compliance to Code of Conduct Rules.

In conclusion, I extend my heartfelt appreciation to my colleagues on the Board of Directors for their invaluable support and guidance in managing our Company's affairs. I take this opportunity to express my gratitude to Departments and Ministries of the Govt. of India viz. Ministry of Chemicals & Fertilizers, Fertilizer Industry Co-ordination Committee (FICC), Ministry of Agriculture, Indian Council for Agricultural Research, Ministry of Petroleum & Natural Gas, Ministry of Railways, Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, Department of Public Enterprises, Statutory Auditors, Cost Auditors, Practising Company Secretaries, Comptroller & Auditor General of India, Assam Gas Company Limited, Oil India Limited, PDIL, FACT, IFFCO, valued dealers, customers and the Press and Electronic Media of our Company.

Above all, I would like to sincerely thank all the dedicated employees of the Company for their unwavering efforts in overcoming challenges and contributing to our success. I also extend my gratitude to the trade unions for their constructive cooperation. On their behalf, I seek your continued support, as always.

Thank you all once again.

Jai Hind

Sd/-

Director (Production) with Addl. Charge of
Chairman and Managing Director,
BVFCL, Namrup, Assam

Place : Namrup

Date: 28/11/2024



ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नामरूप, पोस्ट ऑफिस परबतपुर,

जिला: डिब्रूगढ़, असम – 786623

सीआईएन - U24123AS2002GOI006786

वेबसाइट का पता : www.bvfcl.com

दूरभाष : 0374-2500618,

ई-मेल: pkumari@bvfcl.com

बीवीएफसीएल की 22वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की 22वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से गुरुवार, 28 नवंबर, 2024 को अपराह्न 3.30 बजे निम्नलिखित व्यवसायों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी:-

साधारण व्यवसाय:

- 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना, साथ ही निदेशक मंडल की रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखापरीक्षा और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियां और निम्नलिखित प्रस्ताव को किसी भी संशोधन के साथ या उसके बिना साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“यह संकल्प लिया गया कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण, निदेशक की रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उन पर सीएंडएजी की टिप्पणियों को एतद्द्वारा अनुमोदित और अपनाया जाता है।”

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना और यदि उचित हो तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“यह संकल्प लिया गया कि कंपनी की लेखा परीक्षा समिति/निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों के लिए ऐसे पारिश्रमिक की समीक्षा करने और अनुमोदित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जैसा कि वह तय कर सकता है और वैधानिक लेखा परीक्षक इस वार्षिक आम बैठक के समापन से कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक के समापन तक कार्यालय धारण करेंगे।”

विशेष व्यवसाय :

- वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को अनुमोदित करना।
विचार करने और यदि उपयुक्त लगे, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने के लिए:

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

Reg. Office: Namrup, P.O. Parbatpur,

Dist.: Dibrugarh, Assam – 786623

CIN - U24123AS2002GOI006786

Website: www.bvfcl.com

Phone no: 0374-2500618,

e-mail: pkumari@bvfcl.com

NOTICE OF 22ND ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting of the Members of Brahma Putra Valley Fertilizer Corporation Limited will be held through Video Conferencing (VC)/Other Audio Video means (OAVM) on Thursday, 28th day of November, 2024 at 3.30 pm to transact the following businesses :-

ORDINARY BUSINESS:

- To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2024, together with the Reports of Board of Directors, Independent Audit and the comments of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) thereon and to pass the following resolution with or without any modification(s) as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT the Audited Annual Financial Statements of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2024 along with the Director's Report, Independent Audit Report and the comments of C&AG thereon be and are hereby approved and adopted.”

- To fix remuneration of Statutory Auditors of the Company for the Financial Year 2024-25 and, if though fit, to pass the following resolution with or without modification(s), as an Ordinary Resolution

“RESOLVED THAT the Audit Committee/ Board of Directors of the Company be and are hereby authorised to review and approve such remuneration as it may decide for the Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the Financial Year 2024-25 and the Statutory Auditors shall hold the office from the conclusion of this Annual General Meeting till the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company.”

SPECIAL BUSINESS :

- To ratify the remuneration of the Cost Auditors for the financial year ended March 31, 2025.

To consider and if thought fit, to pass the following resolution, with or without modification(s), as an Ordinary Resolution

“यह संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी अधिनियम, 2013 की अन्य लागू प्रावधानों और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014, समय-समय पर संशोधित, के तहत, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के लागत लेखा रिकॉर्ड की लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त किए गए एम/एस सुभद्रा दत्ता एंड एसोसिएट्स, कोलकाता, लागत लेखाकारों को वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने के लिए, निम्नलिखित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाए।”

- i) वर्ष 2024-25 के लिए तीन (03) तिमाहियों यानी जून, सितंबर और दिसंबर के लिए वार्षिक लागत लेखा परीक्षा और त्रैमासिक लागत समीक्षा के लिए कुल देय व्यावसायिक शुल्क रु 42,500/- रुपये (बयालीस हजार पांच सौ रुपये मात्र)
- ii) वार्षिक लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट को एक्सबीआरएल प्रारूप में परिवर्तित करने और एमसीए पोर्टल पर अपलोड करने का शुल्क 7,500/- रुपये (सात हजार पांच सौ रुपये मात्र)
- iii) प्रोपराइटर या 1 (एक) साझेदार और/या 1 (एक) योग्य कर्मचारी को हवाई यात्रा (इकोनॉमी क्लास) (आने-जाने) के लिए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति, प्रतिपूर्ति 2 एसी रेल किराया (आने-जाने) में होगी और लेखापरीक्षा सहायक 1 (एक) को प्रतिपूर्ति 3 एसी रेल किराया (आने-जाने) में या वास्तविक के अनुसार, जो भी कम हो, दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर होगी;
- iv) बीवीएफसीएल गेस्ट हाउस में ऑडिट टीम के लिए भोजन और आवास निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा;
- v) नामरूप रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड और कंपनी के गेस्ट हाउस से कार्यस्थल तक (आना-जाना) स्थानीय परिवहन कंपनी द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, मूल गंतव्य पर स्थानीय परिवहन शुल्क के संबंध में, प्रतिपूर्ति (आना-जाना) ऑटो शुल्क तक सीमित होगी, जो ऑडिट स्टाफ के लिए 200/- रुपये और मालिक या भागीदार के लिए टैक्सी द्वारा 300/- रुपये या वास्तविक, जो भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर कम हो;
- vi) ऑडिट रिपोर्ट (त्रैमासिक/वार्षिक) की हार्ड कॉपी के तीन सेट मुद्रित किए जाने चाहिए और प्रस्तुत करने से पहले बाइंड किए जाने चाहिए, जिसके लिए बीवीएफसीएल द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा;
- vii) सभी प्रभागों/फीसों में लागू कर (यदि कोई हो) शामिल नहीं हैं।
“आगे यह भी संकल्प लिया गया कि कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, व्यवस्था और प्रावधान करने तथा ऐसे सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है, जो इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो सकते हैं।”

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

स्थान : नामरूप, असम
दिनांक : 27.11.2024

प्रियंका कुमारी
कंपनी सचिव

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 148 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended from time to time, M/s. Subhadra Dutta & Associates, Cost Accountants, Kolkata, as Cost Auditor of the Company appointed by the Board of Directors of the Company to conduct the audit of the Cost Accounting Records of the Company for the Financial Year ending 31st March, 2025, be paid the remuneration as under ::

- i. A total professional fee payable Rs. 42,500/- (Rupees Forty Two Thousands Five Hundred only) towards annual cost audit and quarterly cost review for three (03) quarters i.e. June, September and December for the year 2024-25;
- ii. Conversion of Annual Cost Audit Report to XBRL format and uploading fee to MCA portal for Rs. 7,500/- (Rupees Seven Thousand and Five Hundred Only);
- iii. Reimbursement of travelling expenses by Airfare (Economy class) (to & fro) to Proprietor or 1(one) Partner and/or 1 (one) qualified staff, the reimbursement will be in 2AC rail fare (to & fro) and to audit assistant 1(one), the reimbursement will be in 3AC rail fare (to & fro) or as per actuals, whichever is less, on submission of documentary evidence;
- iv. Fooding and lodging to the audit team in BVFCL Guest House shall be provided free of charge;
- v. Local transport at the Namrup Railway Station/Bus Stand and Company's Guest House to place of work (to and fro), shall be provided by the company free of charge. However, in respect of local transport charges at the originating destination, the reimbursement (to and fro) shall be limited to auto charges @Rs. 200/- to Audit staff and Rs. 300/- for Proprietor or Partner by Taxi, or actual, whichever is less on production of documentary evidence;
- vi. Three set of hard copy of the audit report (Quarterly/ Annual) should be printed and bind before submission for which no additional payment will be reimbursed by BVFCL;
- vii. All the charges/fees are excluding the applicable taxes, if any.

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to do all such acts, deeds and things and to take all such steps, as may be necessary or expedient to give effect to this resolution.”

By Order of the Board of Directors

Sd/-

Place : Namrup, Assam
Date : 27.11.2024

Priyanka Kumari
Company Secretary



टिप्पणियाँ :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार मद संख्या 3 (विशेष व्यवसाय) के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।
2. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19.09.2024 के साथ सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022, 2/2022 दिनांक 05 मई, 2022, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 (इसके बाद सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के माध्यम से सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना 30 सितंबर, 2025 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है। एमसीए परिपत्रों के साथ अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी की बाईसवीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बुलाई और संचालित की जा रही है, जिसके लिए सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। एजीएम का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नामरूप, जिला डिब्रूगढ़, असम, पिन -786623 माना जाएगा।
3. मीटिंग का वेब लिंक कंपनी के सभी सदस्यों को उनकी आधिकारिक मेल आईडी पर भेजा जाएगा। सदस्य मीटिंग शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले VC/OAVM मोड में AGM में शामिल हो सकते हैं। सदस्य मीटिंग शुरू होने के 15 मिनट के भीतर भी शामिल हो सकते हैं।
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।
5. एमसीए परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के अनुसार, इस एजीएम के लिए सदस्यों के लिए उपस्थित होने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और धारा 114 के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति जैसे सदस्यों के प्रतिनिधि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेंगे और हाथ उठाकर अपना वोट देंगे।
6. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के अनुरूप, एजीएम बुलाने का नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.bvfcl.com पर अपलोड कर दिया गया है।

Notes :

1. Explanatory Statement Pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of the item No. 3 (Special Business) is annexed hereto.
2. The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular no. 09/2024 dated 19.09.2024 read with General Circular no. 10/2022 dated December 28, 2022, 2/2022 dated May 05, 2022, General Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021, General Circular no. 20/2020 dated May 05, 2020, General Circular no. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular no. 14/2020 dated April 08, 2020 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") permitted holding of AGM through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") till September 30, 2025 without the physical presence of the Members. In pursuance of the applicable provisions of the Act read with MCA Circulars, the Twenty Second Annual General Meeting of the Company ("AGM") is being convened and conducted through VC / OAVM, which does not require physical presence of members at a common venue. The venue of AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company at Namrup, Dist. Dibrugarh, Assam, PIN -786623.
3. The meeting web link will be sent to all the members of the Company at their official mail id. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before the time scheduled for commencement of the meeting. Members can also join within 15 minutes of the commencement of meeting.
4. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
5. Pursuant to MCA Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM. However, in pursuance of Section 112 and Section 114 of the Companies Act, 2013, representatives of the members such as the President of India shall attend the AGM through VC/OAVM and cast their votes through show of hands.
6. In line with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Company at www.bvfcl.com.

7. नोटिस में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज बैठक की तिथि तक सभी कार्य दिवसों (रविवार और सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) पर कारोबारी घंटों के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुले हैं।

7. Relevant documents referred to in the Notice are open for inspection by the members at the registered office of the Company on all working days (that is, except Sundays and Public Holidays) during business hours upto the date of the Meeting.

सेवा में

बीवीएफसीएल के सभी सदस्य
बीवीएफसीएल बोर्ड के सभी निदेशक
निगम के वैधानिक लेखा परीक्षक
निगम के सचिवीय लेखा परीक्षक

To

All Members of BVFCL
All the Directors on the BVFCL Board
Statutory Auditors of the Corporation
Secretarial Auditors of the Corporation



सूचना का अनुलग्नक

ANNEXURE TO THE NOTICE

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण)

मद संख्या . 3: 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के लागत लेखांकन रिकॉर्ड की लेखा परीक्षा करने के लिए बीवीएफसीएल बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर 29 जुलाई, 2024 को आयोजित अपनी 123वीं बोर्ड बैठक में मेसर्स सुभद्रा दत्ता एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कोलकाता की कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति और पारिश्रमिक को मंजूरी दे दी है। कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, एक साधारण प्रस्ताव के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक के लिए सदस्यों से अनुसमर्थन मांगा जा रहा है, जैसा कि सूचना के मद संख्या 3 में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तावित साधारण प्रस्ताव को पारित करने की सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा उक्त साधारण प्रस्ताव के पारित होने से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

ह/-
प्रियंका कुमारी
कंपनी सचिव

स्थान : नामरूप, असम
दिनांक : 27.11.2024

(Explanatory Statement Pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013)

Item No. 3 : Ratification of the Remuneration of the Cost Auditors of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2025. The Board of Directors of the Company has approved the appointment and remuneration of M/s. Subhadra Dutta & Associates, Cost Accountants, Kolkata, as Cost Auditors of the Company in its 123rd Board meeting held on 29th July, 2024 on the recommendation of the Audit Committee of the BVFCL Board to conduct the audit of the Cost Accounting Records of the Company for the Financial Year 2024-25. In accordance with the provisions of Section 148 and other applicable provisions of Companies Act, 2013 read with the Rule 14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, ratification for the remuneration payable to the Cost Auditors for the Financial Year 2024-25 by way of the an Ordinary Resolution is being sought from the members, as set out at item No. 3 of the Notice. The Board accordingly recommends the passing of the proposed Ordinary Resolution for approval of the members.

None of the Directors or Key managerial personnel of the Company or their relatives are, in any way, concerned or interested, financially or otherwise in passing of the said Ordinary Resolution.

By Order of the Board of Directors

Sd/-
Priyanka Kumari
Company Secretary

Place : Namrup, Assam
Date : 27.11.2024

निदेशक की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

प्रिय सदस्यों,

आपके निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ-साथ स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर 22वीं (बाईसवीं) वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

1. वित्तीय निष्पादन की समीक्षा:

पिछले वर्ष की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी का संक्षिप्त वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है:

विवरण	(करोड़ रुपए में)	
	वित्तीय वर्ष के लिए	
	2023-24	2022-23
मूल्यहास, ब्याज और कर से पूर्व लाभ (+)/ हानि (-)	24.51	59.21
मूल्यहास	15.14	34.73
ब्याज	0.66	0.10
कर पूर्व लाभ (+)/हानि (-) (पीबीटी)	8.71	24.38
कर व्यय	0	0
कर पश्चात शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	8.71	24.38

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष के 59.20 करोड़ रुपये के मूल्यहास, ब्याज और कर (PBDIT) से पूर्व लाभ के मुकाबले 24.51 करोड़ रुपये का मूल्यहास, ब्याज और कर (PBDIT) से पूर्व लाभ अर्जित किया। लाभ में कमी मुख्य रूप से पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उत्पादन और बिक्री (व्यापार व्यवसाय सहित) में कमी के कारण हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान यूरिया का उत्पादन 180153 मीट्रिक टन (MT) (पिछले वित्तीय वर्ष 223342 मीट्रिक टन) था।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बेची गई यूरिया की मात्रा 175340 मीट्रिक टन (पिछले वित्तीय वर्ष में 227873 मीट्रिक टन) थी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, व्यापारित उत्पादों की बिक्री का मूल्य रु. 258.42 करोड़ रुपये (पिछले वित्तीय वर्ष में रु. 409.98 करोड़ रुपये) था।

2. आरक्षित निधि में स्थानांतरित की गई राशि, यदि कोई हो:

वित्त वर्ष 2023-24 में बोर्ड ने किसी भी राशि को सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित करने की सिफारिश नहीं की।

DIRECTORS' REPORT

To,
The Members,
Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited

Dear Members,

Your Board of Directors have pleasure in presenting the 22nd (Twenty second) Annual Report on the business and operations of the Company along with the Audited Annual Financial Statements for the Financial Year ended 31st March, 2024 together with Independent Audit Report and Comments of Comptroller and Auditor General of India thereon.

1. REVIEW OF FINANCIAL PERFORMANCE:

The summarized financial performance of the Company during the year under review vis-à-vis previous year is stated as under:

Particulars	(Rs. in Crore)	
	For the Financial Year	
	2023-24	2022-23
Profit (+)/Loss (-) before Depreciation, Interest & Tax	24.51	59.21
Depreciation	15.14	34.73
Interest	0.66	0.10
Profit (+)/Loss (-) before Tax (PBT)	8.71	24.38
Tax Expenses	0	0
Net Profit (+)/ Loss (-) after Tax	8.71	24.38

During the financial year 2023 – 24, the Company earned profit before Depreciation, Interest & Tax (PBDIT) of Rs. 24.51 Crores against the profit before Depreciation, Interest & Tax (PBDIT) of Rs. 59.20 Crores in the previous year. The decrease in profit is mainly due to the decrease in production and sales (Including trading business) during the financial year 2023–24 in comparison to the previous Financial Year 2022-23. During the financial year 2023–24 the production of Urea was 180153 Metric Tonnes (MT) (previous Financial Year 223342 MT).

During the Financial Year 2023-24, the quantity of Urea sold was 175340 MT (Previous Financial Year 227873 MT). Further, during the Financial Year 2023-24, value of sale of traded products was Rs. 258.42 Crores (previous Financial Year Rs. 409.98 Crores).

2. AMOUNT, IF ANY, TRANSFERRED TO RESERVES :

In the F.Y. 2023-24, the Board did not recommend any amount to be transferred to General Reserves.



3. लाभांश की घोषणा :

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 8.71 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के पूंजी पुनर्गठन पर डीआईपीएएम दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन पीएटी का 30% या नेटवर्थ का 5%, जो भी अधिक हो, का न्यूनतम वार्षिक लाभांश देगा। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123, कंपनी को तब तक लाभांश घोषित करने से रोकती है जब तक कि पिछले वर्ष या वर्षों में प्रदान नहीं किए गए पिछले घाटे और मूल्यहास को चालू वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के विरुद्ध सेट नहीं किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में भारी संचित घाटे (68,166.28 लाख रुपये) और नकारात्मक नेटवर्थ (31,583.04 लाख रुपये) के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित लाभ में से लाभांश का भुगतान करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुशांसा नहीं की जाती है।

4. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट:

निगम के परिचालन और भविष्य की संभावनाओं को कवर करने वाली प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट अनुलग्नक-I में संलग्न है, जो निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

5. निगमित अधिशासन:

वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड के सदस्यों के लिए आचार संहिता नियमों के अनुपालन की घोषणा के साथ निगमित अधिशासन रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगमित अधिशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करने वाले प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म से प्रमाण पत्र और सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर और सीपीएसई, 2010 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन में सीईओ और सीएफओ का प्रमाणन सामूहिक रूप से अनुलग्नक - II में संलग्न हैं, जो निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

6. निदेशक मंडल में परिवर्तन:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

- श्री बिपिन बिहारी पाटी, गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र) जिन्हें रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग द्वारा दिनांक 01 मई, 2020 को 09 मई, 2020 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष (03) वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था, का कार्यकाल 08 मई, 2023 को समाप्त हो गया है।
- बीवीएफसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री शिव प्रसाद मोहंती ने 28.12.2023 से बीवीएफसीएल के सीएमडी पद से इस्तीफा दे दिया है।

3. DECLARATION OF DIVIDEND :

The Company has earned the profit of Rs.8.71 crores during the Financial Year 2023-24. As per the DIPAM Guidelines on Capital Restructuring of Central Public Sector Enterprise, every CPSE would pay a minimum annual dividend of 30% of PAT or 5% of the net-worth, whichever is higher subject to the maximum dividend permitted under the extant legal provisions. Section 123 of the Companies Act, 2013, prohibits the Company to declare dividend unless carried over previous losses and depreciation not provided in previous year or years are set off against profit of the company for the current year.

In the FY 2023-24, the Board is hereby not recommended for paying dividend out of the profit earned by the Company during the Financial Year 2023-24 on account of huge accumulated losses (Rs.68,166.28 Lakhs) and negative networth (Rs.31,583.04 Lakhs) in compliance of the provisions of Section 123 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder.

4. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT:

A Report on Management Discussion and Analysis Report covering the operations and future prospects of the Corporation is enclosed at Annexure – I, forming part of the Directors' Report

5. CORPORATE GOVERNANCE:

A report on Corporate Governance along with declaration of compliance of code of conduct rules for Senior Management and Board members, Secretarial Audit Report, Certificate from Practicing Company Secretaries Firm conforming the compliance of corporate governance guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Department of Public Enterprises (DPE) and the management replies on the observations made in Secretarial Audit Report and Certification of CEO & CFO in compliance of Guidelines on Corporate Governance for CPSE, 2010 are collectively enclosed at Annexure – II, forming part of the Directors' Report.

6. CHANGES IN BOARD OF DIRECTORS':

During the period under review, the following changes took place in the Board of Directors of the Corporation:

- The tenure of Shri Bipina Bihari Padhy, Non Official Director (Independent) who was appointed by Ministry of Chemical and Fertilizers, Department of Fertilizers, dated May 01, 2020 for a period of three year (03) years commencing from May 09, 2020 has ended on May 08, 2023.
- Shri Siba Prasad Mohanty, Chairman & Managing Director, BVFCL, has resigned from the post of CMD, BVFCL w.e.f. 28.12.2023.

• रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, उर्वरक विभाग ने दिनांक 02.02.2024 के आदेश के तहत 30.01.2024 से श्री प्रदीप कुमार बनिक, निदेशक (उत्पादन) को बीवीएफसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

• इसके बाद, श्री पीके बनिक ने 03.02.2024 से बीवीएफसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया।

निदेशक मंडल, श्री बिपिन बिहारी पाढ़ी और श्री शिब प्रसाद मोहंती द्वारा बीवीएफसीएल बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए अपनी हार्दिक सराहना दर्ज करना चाहता है।

7. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के साथ धारा 134 3 (सी) के प्रावधानों के अनुपालन में, आपके निदेशक उल्लेख हैं कि:

- क. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में, अधिनियम की अनुसूची III के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और उसमें कोई भौतिक विचलन नहीं है;
- ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;
- ग. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।
- घ. निदेशकों ने वार्षिक लेखे 'चलती संस्था' के आधार पर तैयार किए हैं;
- ङ. निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं;
- च. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

• The Govt. of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers vide Order dated 02.02.2024 has assigned the additional charge of Chairman & Managing Director, BVFCL, to Shri Pradip Kumar Banik, Director (Production), w.e.f 30.01.2024.

Subsequently, Shri P. K. Banik has assumed the additional charge of Chairman & Managing Director, BVFCL w.e.f. 03.02.2024.

The Board of Directors wishes to place on record its sincere appreciation for the services rendered by Shri Bipina Bihari Padhy and Shri Siba Prasad Mohanty, during their tenure on the BVFCL Board.

7. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

In compliance of the provisions of Section 134 3 (c) read with Section 134 (5) of Companies Act, 2013, your Directors states that:

- a) in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2024, the applicable accounting standards read with requirements set out under Schedule III to the Act, have been followed and there are no material departures from the same;
- b) the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31, 2024 and of the Profit and loss of the Company for the year ended on March 31, 2024;
- c) the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- d) the Directors have prepared the annual accounts on a 'going concern' basis;
- e) the Directors have laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and are operating effectively;
- f) the Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.



8. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय:

ऊर्जा का अधिक कुशलता से उपयोग करके या ऊर्जा के उपयोग को कम करके ऊर्जा का संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है। कंपनी अपनी विनिर्माण सुविधाओं और संबद्ध परिचालनों में ऊर्जा के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास करती है और अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए रास्ते तलाशती है। ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के बारे में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (3) के साथ पठित के प्रावधानों के अनुसार सूचना का प्रकटीकरण अनुलग्नक-I (क) और (ख) में संलग्न है।

9. वैधानिक लेखा परीक्षक:

मेसर्स बीएल पुरोहित एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, गुवाहाटी को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के खातों का ऑडिट करने के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उपरोक्त लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरणों पर अपनी स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 24.08.2024 को प्रस्तुत की है। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने कुछ प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों पर उचित जोर देते हुए ध्यान आकर्षित किया है। उपरोक्त प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों पर प्रबंधन के उत्तर अनुलग्नक-III में संलग्न हैं, जो निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणी:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों पर पूरक लेखापरीक्षा की है। C&AG के लेखा परीक्षकों ने 11.09.2024 को 8 (आठ) टिप्पणियां जारी कीं और सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी सहित प्रबंधन का जवाब 25.09.2024 को प्रधान लेखा निदेशक (कृषि, खाद्य और जल संसाधन) कोलकाता के कार्यालय में निदेशक को भेजा गया। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों पर C&AG की दिनांक 15.10.2024 की टिप्पणियां अनुबंध IV के रूप में संलग्न हैं, जो निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

11. लागत लेखा परीक्षक:

आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रख रही है। मेसर्स सुभद्रा दत्ता एंड एसोसिएट्स, कोलकाता, (फर्म पंजीकरण संख्या: 000223) को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के लागत

8. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO:

The conservation of energy can be achieved by using the energy more efficiently or by reducing the usage of energy. The Company continuously makes efforts to conserve energy in its manufacturing facilities and allied operations and look for avenues to use alternate sources of energy, to reduce its carbon footprint. The disclosure of information in accordance with the provisions of Section 134 (3) (m) read with Companies read with Rule 8 (3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 regarding conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo are enclosed at Annexure -I (A) & (B).

9. STATUTORY AUDITORS:

M/s. B. L. Purohit & Co., Chartered Accountants, Guwahati were appointed as Statutory Auditors of the Company by the Comptroller & Auditor General of India to audit the accounts of the Company for the Financial Year 2023-24. The above Auditors have submitted their Independent Audit Report dated 24.08.2024 on the Annual Financial Statements of the Company for the Financial Year ending March 31, 2024. The Statutory Auditors has drawn the attention with due emphasis on certain key audit matters. The management replies on the above key audit matters are enclosed at Annexure - III, forming part of the Directors' Report.

10. COMMENT OF COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA (C & AG):

The Comptroller & Auditor General of India (C&AG) has undertaken supplementary audit on the audited annual financial statements of the Company for the year ended 31st March, 2024 under the provisions of Section 143 (6) of the Companies Act, 2013. C&AG Auditors issued 8 (eight) nos. of observation on 11.09.2024 and Management reply including comment of Statutory Auditors were sent to the Director, O/o the Principal Director of Audit (Agriculture, Food & Water Resources) Kolkata on 25.09.2024. The Comments of C&AG dated 15.10.2024 on the audited annual financial statements of the Company for the year ended 31st March, 2024 is enclosed as Annexure IV, forming part of Directors' Report and do not require for any reply, as no comments has been reported by C&AG.

11. COST AUDITORS:

Your Company is maintaining cost accounting records as specified by the Central Government under the provisions of Section 148(1) of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder. M/s Subhadra Dutta & Associates, Kolkata, (Firm Registration Number: 000223) were appointed to conduct the audit of cost accounting records of the

लेखांकन रिकॉर्ड का ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया गया था। उपरोक्त फर्म ने 19.09.2024 को प्रबंधन को अपनी मसौदा लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट 27.09.2023 को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदन के बाद, एसआरएन एफ 1961098 दिनांक 26.10.2023 के तहत वेबसाइट www.mca.gov.in पर दाखिल/अपलोड की गई थी।

12. आंतरिक लेखा परीक्षक:

मेसर्स एएमए एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली, (फर्म पंजीकरण संख्या: 013066सी) को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। उपरोक्त फर्म ने वर्ष 2023-24 के लिए अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अनुपालन की समीक्षा करने के बाद लेखा परीक्षा समिति ने कंपनी के कार्यकारी प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश/सलाह जारी की, ताकि जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। कंपनी का तकनीकी आंतरिक लेखा परीक्षा एक आंतरिक तकनीकी आंतरिक लेखा परीक्षा समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कंपनी के तकनीकी सेवा, वित्त और सामग्री प्रबंधन विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

13. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन:

आपकी कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। भारत सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए सभी सरकारी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी में हिंदी राजभाषा के प्रयोग के लिए कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ की गईं:

- i. 1 सितम्बर से 15 सितम्बर, 2023 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान निबंध लेखन, भाषण, प्रश्नावली, अनुवाद आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
- ii. वर्ष के दौरान चार (04) हिन्दी कार्यशाला/सेमिनार आयोजित किए गए।
- iii. दिनांक 20.05.2023 को उप निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष, कार्यान्वयन कार्यालय, गुवाहाटी द्वारा बी.वी.एफ.सी.एल. मुख्यालय का निरीक्षण किया गया।
- iv. बी.वी.एफ.सी.एल. ने हिन्दी दिवस समारोह एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, पुणे (14-15 सितम्बर, 2023) में भाग लिया।
- v. बी.वी.एफ.सी.एल. ने राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की 115वीं जयंती के अवसर पर विश्व हिन्दी परिषद द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं राजभाषा पुरस्कार समारोह 2023 में भाग लिया।
- vi. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बी.वी.एफ.सी.एल. को नराकास दुलियाजान द्वारा हिंदी कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।
- vii. राजभाषा विभाग के कार्यान्वयन से संबंधित वार्षिक एवं त्रैमासिक रिपोर्ट

Company for the Financial Year 2023-24. The above firm has submitted their draft Cost Audit Report to the management on 19.09.2024. The filing of Cost Audit Report for the Financial Year 2023-24 is under process. The Cost Audit Report for the Financial Year 2022-23 was filed/uploaded on the website www.mca.gov.in vide SRN F71961098 dated 26.10.2023, after duly approved by the Board of Directors of the Company on 27.09.2023.

12. INTERNAL AUDITOR:

M/s. AMAA & Associates, Chartered Accountants, New Delhi, (Firm Registration Number: 013066C) was appointed as Internal Auditor of the Company for the Financial Year 2023-24. The above firm has submitted their internal audit report for the year 2023-24. The Audit Committee after reviewing the Internal Audit Report and compliances issued necessary directions / advisories to the Executive Management of the Company for taking corrective actions, wherever sought necessary. The Technical Internal Audit of the Company are being conducted by an in house Technical Internal Audit Committee consisting the representatives of the Technical Services, Finance and Material Management Departments of the Company.

13. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY:

Your Company is making all efforts to propagate and implement Official Language Policy of the Government of India. All Govt. directions for implementation of Official Language Policy of the Govt. of India are being followed. During the year under review, following activities were taken place to increase the awareness and motivate the employees for the use of Hindi Raj Bhasha in the Company:

- i) Hindi fortnight was celebrated from 1st September to 15th September, 2023. During the fortnight, competitions like essay writing, speech, questionnaire, translation etc. were organized, in which employees and officials participated enthusiastically;
- ii) Four (04) Hindi workshops/seminars were organized during the year;
- iii) BVFCL Head Office was inspected on 20.05.2023 by Deputy Director and Head of Office, Implementation Office, Guwahati.
- iv) BVFCL participated in Hindi Diwas Celebration and 3rd All India Official Language Conference, Pune (14-15 September, 2023).
- v) BVFCL participated in the International Conference and Official Language Award Ceremony 2023 organized by Vishwa Hindi Parishad on the occasion of 115th birth anniversary of national poet Shri Ramdhari Singh Dinkar Ji.
- vi) During the Financial Year 2023-24, BVFCL was awarded the first prize for Hindi implementation by NARAKAS Duliajan.
- vii) Annual and quarterly reports related to the implementation of the Department of Official Language are being regularly sent to the



- नियमित रूप से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गृह मंत्रालय, गुवाहाटी और ऑयल इंडिया लिमिटेड दुलियाजान (नराकास कार्यालय) को भेजी जा रही है।
- viii. अक्टूबर माह में आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान सभी प्रतियोगिताएं मुख्यतः हिंदी भाषा में आयोजित की गईं (क्षेत्र (ग) में होने के बावजूद)
- ix. बाल दिवस के दौरान छात्रों और अधिकारियों के लिए द्विभाषी गीत/कविता प्रतियोगिता आयोजित की गई।
- x. बी.वी.एफ.सी.एल. ने नराकास (दुलियाजान) की बैठकों में भाग लिया।
- xi. बी.वी.एफ.सी.एल. ने 08 मार्च, 2024 को सिलीगुड़ी में पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया।
- xii. हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय केंद्र - डिब्रूगढ़ द्वारा आयोजित सत्र जुलाई-नवंबर, 2023 के लिए बी.वी.एफ.सी.एल. में हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ और पारंगत कक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गईं।
- xiii. हिंदी भाषा की जागरूकता के लिए कार्यालय परिसर में प्रतिदिन एक शब्द हिंदी/अंग्रेजी प्रदर्शित किया जा रहा है, जिससे कंपनी में हिंदी भाषा के प्रयोग में सहायता मिलेगी।
- xiv. बी.वी.एफ.सी.एल. वेबसाइट द्विभाषी है और समय-समय पर उसमें नियमित अपडेट किए जाते हैं।
- xv. कंपनी के उच्च अधिकारियों की आधिकारिक मुहरें आधिकारिक उपयोग के लिए द्विभाषी बनाई गईं।
14. धारा 197 के अंतर्गत कर्मचारियों का विवरण:
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कर्मचारियों के विवरण के विवरण को शामिल करने से छूट दी गई है और इसलिए उक्त विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए हैं।
15. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समय पर उत्तर देना अनिवार्य होता है। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पूर्ण स्वामित्व वाली एक सरकारी कंपनी है और सार्वजनिक प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में आती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जारी निर्देशों का अनुपालन करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। आपकी कंपनी ने पारदर्शी अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी, जन सूचना अधिकारी, वैकल्पिक पीआईओ तथा कंपनी के सहायक जन सूचना अधिकारी का नामांकन किया है ताकि अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों के अनुरोध का प्रभावी ढंग से उत्तर दिया जा सके। अधिनियम के अंतर्गत नामित अधिकारियों का ब्यौरा ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ताकि कंपनी के कार्यों के बारे में सूचना दी जा सके।
- Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, Regional Implementation Office of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Guwahati and Oil India Limited Duliajan (NARAKAS Office).
- viii) During the Vigilance Awareness Week organized in the month of October, all the competitions were organized mainly in Hindi language. (Despite being in area C)
- ix) Bilingual song/poem competition was organized for students and officers during Children's Day.
- x) BVFCL participated in the meetings of NARAKAS (Duliajan).
- xi) BVFCL participated in the Joint Regional Official Language Conference for East and North-Eastern Region in Siliguri on March 08, 2024.
- xii) Hindi Prabodh/Praveen/Pragya and Parangat classes were successfully organized in BVFCL for the session July-November, 2023 organized by Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Home Ministry Centre - Dibrugarh.
- xiii) For the awareness of Hindi language, one word Hindi/English is being displayed every day in the office premises, which will help in use of Hindi language in the Company.
- xiv) BVFCL Website is in bilingual and regular updates thereon are made from time to time.
- xv) Bi-lingual official seals of higher officials of the Company were made for official use.
14. PARTICULARS OF EMPLOYEES UNDER SECTION 197:
As per the provisions of Section 197 of the Companies Act, 2013 and rules made there under, Government Companies are exempted from inclusion of the statement of particulars of employees and therefore the said particulars are not included in the Board's Report.
15. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005:
Right to Information Act, 2005 mandates timely response to citizen's requests for information relating to Public Authorities. BVFCL is a wholly owned Government Company under the administrative control of the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers and come within the purview of Public Authority. As per the provisions of the said Act, your Company makes all efforts to follow the directives so issued under the Act. Your Company has nominated Transparency Officer, Appellate Authority, Public Information Officer and Alternate Public Information Officer to respond effectively to the requests of the applicants under the Act. The details of the officers nominated under the Act have been displayed on the Company's BVFCL website to facilitate information about the affairs of the Company.

कंपनी की वेबसाइट (www.bvfcl.com) में अद्यतन सूचना अपलोड की जाती है और सूचना का अधिकार अधिनियम के सभी प्रावधानों को अपलोड किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आरटीआई के तहत कुल 47 आवेदन प्राप्त हुए। सभी 47 आवेदनों का निपटारा कर दिया गया। 12 आवेदन प्रथम अपील स्तर पर प्राप्त हुए, जिनमें से सभी का निपटारा निर्धारित समय अवधि के भीतर कर दिया गया।

16. ऋण/निवेश/गारंटी का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में, 31.03.2024 तक किए गए निवेशों और प्रदान किए गए ऋणों/गारंटियों का विवरण वित्तीय विवरणों के संबंधित नोटों में दिया गया है।

17. वार्षिक प्रतिलाभ का उद्घरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (क) के साथ पठित धारा 92(3) के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी का वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट www.bvfcl.com, पर प्रदर्शित किया गया है, जो वेबलिक https://bvfc.com/wp-content/uploads/2023/12/Final_Form_MGT_7_19122023_JMD_Signed.pdf पर उपलब्ध है।

18. सचिवीय मानक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118(10) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

19. लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों का अनुपालन:

भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर सीपीएसई को ग्रेड देने के उद्देश्य से कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं और यह रिपोर्ट तिमाही/वार्षिक आधार पर सरकार को प्रस्तुत की जानी चाहिए। आपकी कंपनी डीपीई द्वारा निर्धारित सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों का नियमित रूप से अनुपालन कर रही है और डीओएफ/डीपीई को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की है और आपकी कंपनी को 'उत्कृष्ट रेटिंग' की उम्मीद है। हालांकि, इस मामले में डीपीई अधिसूचना का इंतजार है।

20. बोर्ड बैठकें:

बोर्ड बैठकों का विस्तृत विवरण संलग्न निगमित अधिशासन रिपोर्ट में दिया गया है।

21. लेखापरीक्षा समिति की संरचना:

बोर्ड ने एक लेखा परीक्षा समिति गठित की थी, जिसमें अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक श्री एस.के. शर्मा, स्वतंत्र निदेशक श्री रबी रंजन सेन और सदस्य के रूप में सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री निरंजन लाल शामिल थे।

इसके अलावा, लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों के अन्य विवरण संलग्न निगमित अधिशासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

The Company's website (www.bvfcl.com) is maintained with updated information and all provisions of Right to Information Act have been kept uploaded. During the year under review, total 47 applications were received under RTI. All 47 nos. of applications were disposed off. 12 nos. of applications were received at first appeal stage, all of which were disposed off within stipulated time period.

16. DETAILS OF LOANS/INVESTMENTS/GUARANTEES:

In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, the details of investments made and loans/guarantees provided as on 31.03.2024 are given in the respective notes to the financial statements.

17. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

Pursuant to the provisions of Section 92 (3) read with Section 134(3) (a) of the Companies Act, 2013, the Annual Return of the Company for the Financial Year 2022-23, has been displayed on the website of the company at www.bvfcl.com, which is available at weblink: https://bvfc.com/wp-content/uploads/2023/12/Final_Form_MGT_7_19122023_JMD_Signed.pdf.

18. SECRETARIAL STANDARDS

During the Financial Year 2023-24, your Company has complied with the applicable Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) duly approved by the Central Government under the provisions of Section 118(10) of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder.

19. COMPLIANCE OF CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES ISSUED BY DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES:

The Department of Public Enterprises (DPE), Government of India, has laid down certain parameters for the purpose of grading the CPSEs on the basis of their compliance with guidelines on Corporate Governance and this report needs to be submitted to the Government on quarterly/annual basis. Your Company is regularly complying with the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs laid down by DPE and submits reports to the DOF/DPE. During the Financial Year 2023-24, Company has submitted self assessment report and expected 'Excellent Rating' to your Company. However, DPE notification in this matter is awaited.

20. BOARD MEETINGS:

The detailed disclosures of Board meetings have been made in the annexed Corporate Governance Report.

21. COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE:

The Board had constituted an Audit Committee comprising of Mr. S.K. Sharma, Independent Director as the Chairman; Mr. Rabi Ranjan Sen, Independent Director and Mr. Niranjana Lal, Govt Nomine Director as the Members.

Further, the other details of the Audit Committee and other Committees of the Board are given in the annexed Corporate Governance Report,



22. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा:

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों (श्री बी बी पाठी, श्री एस के शर्मा और श्री रबी रंजन सेन) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करने की घोषणा की है।

23. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अंतर्गत निर्धारित संबंधित पक्ष के साथ कोई अनुबंध नहीं किया है।

24. धारा 143(12) के अंतर्गत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी, केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य धोखाधड़ी के अलावा:

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किसी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई।

25. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अंतर्गत लंबित आवेदन / किसी कार्यवाही का विवरण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अंतर्गत न तो कोई आवेदन किया गया और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

26. जोखिम प्रबंधन :

कंपनी के पास एक संरचित आंतरिक जोखिम प्रबंधन ढांचा है, जिसे जोखिमों की पहचान, आकलन और उचित रूप से कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति को बोर्ड की सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है:

- क) कंपनी के उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन ढांचे की देखरेख करना;
- ख) यह सुनिश्चित करना कि साइबर सुरक्षा, सुरक्षा और परिचालन, अनुपालन, नियंत्रण और वित्तीय जोखिमों सहित सभी महत्वपूर्ण सामरिक और वाणिज्यिक जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन कर लिया गया है; और
- ग) यह सुनिश्चित करना कि इन जोखिमों से निपटने के लिए सभी पर्याप्त जोखिम शमन उपाय मौजूद हों।

27. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण:

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी ने एक नीति बनाई है, जिसके अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए किसी भी आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कंपनी ने POSH अधिनियम के तहत आने वाली किसी भी शिकायत के निवारण और समाधान के लिए आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन किया है। वर्ष 2023-24 के दौरान, BVFCL के कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

22. DECLARATION BY INDEPENDENT DIRECTORS UNDER SECTION 149 (6) OF COMPANIES ACT, 2013:

The Independent Directors (Shri B.B. Padhy, Shri S.K. Sharma and Shri Rabi Ranjan Sen) on the Board during the F.Y. 2023-24, have given declarations towards meeting the criteria of independence as laid down under section 149 (6) of the Companies Act, 2013.

23. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES:

The Company has not entered into any contract with the related party as prescribed under section 188 of the Companies Act, 2013 during the year under review.

24. FRAUDS REPORTED BY AUDITORS UNDER SECTION 143(12), OTHER THAN THOSE WHICH ARE REPORTABLE TO THE CENTRAL GOVERNMENT:

There were no frauds reported during the Financial Year 2023-24 by the Statutory Auditors of the Company.

25. DETAILS OF APPLICATION / ANY PROCEEDING PENDING UNDER THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016:

During the year under review, neither any application was made nor any proceeding is pending under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) for the Financial Year 2023-24.

26. RISK MANAGEMENT :

The Company has a structured internal Risk Management Framework, designed to identify, assess and mitigate risks appropriately.

The Risk Management Committee has been entrusted with the responsibility to assist the Board in:

- a) Overseeing the Company's enterprise wide risk management framework;
- b) Ensuring that all material Strategic and Commercial risks including Cyber security, Safety and Operations, Compliance, Control and Financial risks have been identified and assessed; and
- c) Ensuring that all adequate risk mitigation measures are in place to address these risks.

27. DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013:

In accordance with the requirements of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013 (POSH Act) and the Rules made thereunder, the Company has in place a policy which mandates no tolerance against any conduct amounting to sexual harassment of women at workplace. The Company has constituted Internal Complaints Committee(s) (ICCs) to redress and resolve any complaints arising under the POSH Act. During the year 2023-24, no complaint has been reported on sexual harassment of women employees in work places of BVFCL.

28. वर्ष के दौरान उठाए गए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों का विवरण:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) के प्रावधानों के तहत तीन मानदंडों में से एक सीमा मानदंड को पूरा करती है, अर्थात् शुद्ध लाभ >/5 करोड़। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की सीएसआर समिति का गठन 25.07.2023 को बोर्ड द्वारा किया गया था और सीएसआर नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, चूंकि तत्काल पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कोई औसत लाभ नहीं हुआ है, इसलिए धारा 135 (5) के प्रावधानों के अनुसार औसत लाभ का 2% खर्च करने की बाध्यता वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लागू नहीं होती है।

हालांकि, आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाती है और अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में कई उपाय करती है, जो (8 किलोमीटर की परिधि के भीतर के आसपास के क्षेत्रों तक) सीमित है, जिसका विवरण अनुबंध I यानी प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में विस्तार से दिया गया है।

29. अभिस्वीकृति:

निदेशक मंडल भारत सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों जैसे रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी), कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, सांविधिक लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक, कार्यरत कंपनी सचिव, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, असम गैस कंपनी लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पीडीआईएल, एफएटीसी, इफको, मूल्यवान डीलरों, ग्राहकों और प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन और निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों और भारतीय स्टेट बैंक तथा केनरा बैंक जैसे बैंकों के प्रति उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल आपके निगम के कर्मचारियों द्वारा कई बाधाओं के बावजूद परिचालनरत नामरूप-III संयंत्रों के उत्पादन प्रदर्शन में सुधार के लिए सभी स्तरों पर किए गए अथक प्रयासों लिए भी आभार व्यक्त करता है और उन की सराहना करता है।

बोर्ड की ओर से

ह/-

पी के बानिक

निदेशक (उत्पादन) अतिरिक्त प्रभार के साथ

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 10095724

स्थान : नामरूप, असम

दिनांक : 27 नवंबर, 2024

28. DETAILS OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES TAKEN DURING THE YEAR :

During the Financial Year 2023-24, the Company satisfies One threshold criteria as under the provisions of Section 135 (1) of the Companies Act, 2013 i.e. Net Profit >/5 Crore out of the three criteria. In compliance of the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013, the CSR Committee of the Company was constituted by the Board on 25.07.2023 and the CSR Policy is in process of formulation. Moreover, since there is no average profit during immediate three preceding Financial Years, obligation to spend 2% of average profit as per the provisions of Section 135 (5) doesn't arise during the Financial Year 2023-24.

However, your Company undertakes various welfare schemes for its employees and a host of measures as its Corporate Social Responsibility limited to (the surrounding areas within 8 kms radius), the details of which are mentioned in detailed in Annexure I i.e. Management Discussion and Analysis Report.

29. ACKNOWLEDGEMENT:

The Board of Directors acknowledges the valuable guidance and continued support extended by the various Departments and Ministries of the Govt. of India viz. Ministry of Chemicals & Fertilizers, Fertilizer Industry Co-ordination Committee (FICC), Ministry of Agriculture, Indian Council for Agricultural Research, Ministry of Petroleum & Natural Gas, Ministry of Railways, Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, Department of Public Enterprises, Statutory Auditors, Cost Auditors, Practising Company Secretaries, Comptroller & Auditor General of India, Assam Gas Company Limited, Oil India Limited, PDIL, FACT, IFFCO, valued dealers, customers and the Press and Electronic Media.

The Board of Directors wishes to place on record its sincere appreciation to State Governments of all the North Eastern States, Bihar, West Bengal, Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Bankers viz. State Bank of India and Canara Bank for their valued co-operation. The Board of Directors also acknowledges and appreciates the untiring efforts put in by the employees of your Corporation at all levels for improving the production performance of operational Namrup - III plants, despite of several constraints.

For and on behalf of the Board

S/d

P.K. BANIK

Director (Production) with Additional Charge of

Chairman & Managing Director

DIN : 10095724

Place : Namrup, Assam

Date : 27 November, 2024



प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

1. प्रस्तावना

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) वर्ष 2002 में (CIN U24123AS2002GOI006786) उर्वरक विभाग (डीओएफ), रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक अनुसूची 'बी' श्रेणी का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसयू) है। बीवीएफसीएल, नामरूप (असम) में यूरिया, जैव-उर्वरक, वर्मी-कम्पोस्ट खाद के निर्माण और बीज, कीटनाशक, उर्वरक (एमओपी, एसएसपी, अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, रॉक फॉस्फेट), प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सिटी कम्पोस्ट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आदि के व्यापार में लगा हुआ है। निगम अपने उत्पादों का विपणन "मुक्ता" ब्रांड नाम से कर रहा है।

2. उद्योग संरचना और विकास:

यूरिया, नाइट्रोजन का एक प्रमुख स्रोत होने के नाते, एकमात्र नियंत्रित उर्वरक भी है और अन्य सभी उर्वरकों की तुलना में इसकी खपत में बड़ी हिस्सेदारी है। यूरिया वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) के अंतर्गत आता है और सरकार बिक्री के लिए यूरिया का वैधानिक मूल्य घोषित करती है और विभिन्न निर्माताओं को ईसीए के तहत मूवमेंट ऑर्डर जारी करती है। वैधानिक रूप से अधिसूचित बिक्री मूल्य और सांकेतिक एमआरपी संबंधित विनिर्माण इकाई की उत्पादन लागत से कम है। उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य/एमआरपी के बीच के अंतर का भुगतान अनुमोदित एफआईसीसी ऊर्जा मानदंड के आधार पर निर्माताओं को सब्सिडी/रियायत के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक गैस यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए एकमात्र कच्चा माल है और यूरिया उत्पादन लागत का अधिकांश हिस्सा इसी पर आता है। बीवीएफसीएल, पूरे उत्तर-पूर्व और पूर्वी भारत में एकमात्र यूरिया विनिर्माण इकाई होने के नाते, पूरे क्षेत्र में किसानों को समय पर यूरिया की आपूर्ति करने की प्राथमिक जिम्मेदारी वहन करती है।

3. उत्पादन निष्पादन की समीक्षा:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नामरूप-III में यूरिया उत्पादन 180153 मीट्रिक टन था, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 223342 मीट्रिक टन उत्पादन हासिल किया जाना था। पुराने, अविश्वसनीय उपकरणों की विभिन्न अप्रत्याशित खराबी के कारण 2023-24 में लक्षित यूरिया उत्पादन हासिल नहीं किया जा सका। नामरूप-III में उत्पादित यूरिया के प्रति मीट्रिक टन ऊर्जा खपत 13.27 जीसीएल/एमटी थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह 12.20 जीसीएल/एमटी थी। पिछले पांच वर्षों के दौरान यूरिया, जैव उर्वरक और वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन नीचे दिया गया है

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

1. PREAMBLE

Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL) incorporated in the year 2002 (CIN U24123AS2002GOI006786) is a Schedule 'B' category Central Public Sector Enterprise (CPSU) under the administrative control of the Department of Fertilizers (DOF), Ministry of Chemicals & Fertilizers, Govt. of India. BVFCL is engaged in the manufacture of Urea, Bio-fertilizers, Vermi-Compost manure at Namrup (Assam) and trading of Seeds, Pesticides, Fertilizers (MOP, SSP, Ammonium Phosphate Sulphate, Ammonium Sulphate, Rock Phosphate), Plant Growth Regulator, City compost and Micronutrients etc. The Corporation is marketing its products under the brand name "Mukta".

2. INDUSTRY STRUCTURE & DEVELOPMENTS:

Urea, as a major source of nitrogen, is also the only controlled fertilizer and has a major share of consumption compared to all other fertilizers put together. Urea is at present covered under Essential Commodity Act (ECA) and the Government declares statutory price of urea for sale and issues Movement Orders under ECA to different manufacturers. The statutorily notified sale price and indicative MRP is less than the cost of production of the respective manufacturing unit. The difference between the cost of production and the selling price/ MRP is paid as subsidy/ concession to manufacturers based on approved FICC Energy norm. Natural gas is the only raw material for production of Urea fertilizer and accounts for most of the urea production costs. BVFCL, being the only urea manufacturing unit in entire north-east and eastern India, bears primary responsibility of supplying timely urea to farmers across the region.

3. REVIEW OF PRODUCTION PERFORMANCE:

During the year under review, Urea Production in Namrup-III was 180153 MT compared to 223342 MT achieved in Financial Year 2022-23. The targeted Urea production in 2023-24 could not be achieved due to various unforeseen breakdowns of old, unreliable equipments. Energy consumption per MT of Urea produced in Namrup-III was 13.27 GCal/MT compared to 12.20 GCal/MT in the Financial Year 2022-23.

Productions of Urea, Bio Fertilizer and Vermi Compost during the last five years are given below

वित्त वर्ष	यूरिया (एमटी)		जैव-उर्वरक (एमटी)		वर्मी कम्पोस्ट (एमटी*)		एनपीके (एमटी**)	
	उत्पाद	बिक्री	उत्पाद	बिक्री	उत्पाद	बिक्री	उत्पाद	बिक्री
2019-20	155992	160186	35.54	29.60	83.86	64.73	—	—
2020-21	131880	137569	14.75	16.48	81.02	80.19	—	—
2021-22	170280	169922	53.81	48.42	107.17	110.41	—	—
2022-23	223342	227870	152.94	147.84	101.39	60.66	67.53	59.94
2023-24	180153	175340	195.68	152.13	0.00	41.04	463.59	195.48

* उत्पादन की उच्च लागत के कारण 10.02.2023 से वर्मी कम्पोस्ट निर्माण बंद कर दिया गया।

** एनपीके प्लांट जनवरी 2023 में चालू हो गया है

नामरूप- II संयंत्र को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान दो बड़ी विफलताओं का सामना करना पड़ा, पहली 17.05.2019 को और दूसरी 06.01.2020 को हुई थी। पहली घटना के लगभग चार महीने बाद संयंत्र को फिर से शुरू किया जा सका और पहली घटना के बाद नामरूप- II का संचालन फिर से शुरू होने के तुरंत बाद दूसरी घटना हुई। 06.01.2020 को दूसरी घटना के बाद से संयंत्र लगातार बंद है। संयंत्र के निरीक्षण के लिए पीडीआईएल को लगाया गया था और संश्लेषण अनुभाग में एनडीटी किया गया था। उर्वरक विभाग ने नामरूप- II संयंत्रों की सुरक्षित और आर्थिक संचालन की स्थिति की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था और एनएफएल और आरसीएफ विशेषज्ञों की एक तकनीकी टीम ने संयंत्रों का दौरा किया और नामरूप- II संयंत्रों के संचालन को फिर से शुरू करने के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने पाया कि संश्लेषण अनुभाग में ही रेडियोग्राफी में काफी संख्या में दोषपूर्ण वेल्डिंग जोड़ पाए गए और एनडीटी में कुछ पाइपलाइन जोड़ दोषपूर्ण पाए गए, जो संचालन के मामले में असुरक्षित स्थिति पैदा कर सकते हैं। समिति ने आगे पाया कि नामरूप-II में वास्तविक ऊर्जा खपत एफआईसीसी मानदंड से बहुत अधिक है, जब तक एफआईसीसी एसईसी मानदंड संशोधित नहीं हो जाता, तब तक संयंत्र का संचालन वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं होगा। समिति ने राय दी है कि नामरूप-II के पूरे अमोनिया संयंत्र के स्वास्थ्य अध्ययन और एफआईसीसी एसईसी मानदंड में संशोधन की आवश्यकता है, ताकि नामरूप-II संयंत्रों को फिर से शुरू करने की व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सके। इसलिए, समिति ने नामरूप-II संयंत्रों के संचालन को फिर से शुरू करने के पक्ष में सिफारिश नहीं की है। तकनीकी समिति की रिपोर्ट और कंपनी को हुए भारी वित्तीय घाटे को देखते हुए, 8 मई, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित बीवीएफसीएल के निदेशक मंडल की 117वीं बैठक में “नामरूप-II समूह के संयंत्रों को स्थायी रूप से बंद करने और इसके निपटान” के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। बीवीएफसीएल के कार्यकारी प्रबंधन के प्रस्ताव पर कंपनी के निदेशक मंडल की सहमति प्रदान की गई, जिसमें नामरूप-II समूह के संयंत्रों को स्थायी रूप से बंद करने और इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, इसके साथ जुड़े जल उपचार संयंत्र को छोड़कर, "जैसा है जहां है" के आधार पर इसका निपटान करने की बात कही गई। बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, नामरूप-II समूह के संयंत्रों को स्थायी रूप से बंद करने और इसके निपटान का प्रस्ताव 27 जून 2023 को उर्वरक विभाग को अनुमोदन के लिए भेजा गया। इसके बाद, वित्त विभाग ने बीवीएफसीएल को पत्र (संदर्भ संख्या: 18017/02/2023-पीएसयू (ई.34631) दिनांक 17 जुलाई 2023 के माध्यम से

F. Yr.	Urea (MT)		Bio-Fertilizers (MT)		Vermi Compost (MT*)		NPK (MT**)	
	Prod.	Sale	Prod.	Sale	Prod.	Sale	Prod.	Sale
2019-20	155992	160186	35.54	29.60	83.86	64.73	—	—
2020-21	131880	137569	14.75	16.48	81.02	80.19	—	—
2021-22	170280	169922	53.81	48.42	107.17	110.41	—	—
2022-23	223342	227870	152.94	147.84	101.39	60.66	67.53	59.94
2023-24	180153	175340	195.68	152.13	0.00	41.04	463.59	195.48

* Vermicompost Manufacturing was discontinued w.e.f. 10.02.2023 due to high Cost of Production.

** NPK Plant has been commissioned in January 2023

Namrup-II plant suffered two major failures during FY 2019-20, the first one was on 17.05.2019 and the second was on 06.01.2020. The plant could be re-started after the first incident after about four months time and the second incident occurred shortly after resumption of operation of Namrup-II after the first incident. The plants are under continuous shutdown after the second incident on 06.01.2020. PDIL was engaged for inspection of the plant and NDT was carried out in the Synthesis Section. Department of Fertilizer had constituted a Committee to review the status of safe and economic operability of the Namrup-II plants and a Technical team comprising NFL and RCF experts visited the plants and submitted their report regarding the resumption of operation of Namrup-II plants. The Committee observed that in the Synthesis Section itself, a considerable numbers of faulty welding joints were found in radiography and some pipeline joints were found to be defective in NDT, which may create unsafe condition in case of operation. The committee further observed that the actual energy consumption in Namrup-II being much higher than the FICC norm, operation of the plant will not be financially viable, till the FICC SEC norm is revised. Committee has opined that health study of the entire Ammonia Plant of Namrup-II and revision of FICC SEC norm is required, to ensure the viability of re-starting the Namrup-II plants. So, the committee has not recommended in favour of resumption of operation of Namrup-II plants. In view of Technical Committee Report and also huge Financial Losses to the Company, a detailed proposal for “Permanent de-commissioning of Namrup-II group of plants and its disposal” was deliberated in the 117th Meeting of Board of Directors of BVFCL held on 8th May, 2023 in New Delhi. The consent of the Board of Directors of the Company was accorded on the proposal of the Executive Management of BVFCL to permanently de-commission of Namrup-II Group of Plants and its disposal on “as is where is” basis, except the Water Treatment Plant associated with it, after following due process in this regard. After obtaining approval from Board, proposal for 'permanent decommissioning of Namrup-II group of plants and its disposal' was sent to Department of Fertilizers on 27th June 2023 for approval. Subsequently, DoF directed BVFCL vide letter (Ref. No.: 18017/02/2023-PSU (E.34631) dated 17th July



नामरूप- II इकाई को बंद करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को वैकल्पिक तंत्र के लिए नोट के रूप में भेजने का निर्देश दिया, जिसमें नामरूप- II इकाई का परिचय, भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन के साथ पृष्ठभूमि, जनशक्ति और भूमि का विवरण, डीपीई के "मूल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा इकाइयों को बंद करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत" में निर्धारित शर्तों के तहत प्रस्ताव का औचित्य और वित्तीय निहितार्थ शामिल है, जो 31 अक्टूबर 2022 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से जारी किया गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, नामरूप- III संयंत्र में वित्त वर्ष 2022-23 में 315 दिनों की तुलना में 239 ऑन-स्ट्रीम दिन प्राप्त किए जा सकते हैं।

सेकेंडरी रिफॉर्मर-आरजीबी ट्रांसफर हेडर विफलता के कारण जबरन बंद होने के कारण अप्रैल, 2023 में किए गए कुछ कार्य इस प्रकार हैं:

1. सेकेंडरी रिफॉर्मर से आरजीबी ट्रांसफर हेडर लीकेज का सुधार।
2. सेकेंडरी रिफॉर्मर उत्प्रेरक धूल की स्किमिंग।
3. प्राथमिक रिफॉर्मर ट्यूब संख्या 229 में उत्प्रेरक को उतारना और पुनः लोड करना।

11 जून, 2023 को प्लांट को वार्षिक-2023 शट डाउन के लिए बंद कर दिया गया। वार्षिक शट डाउन 2023 (जून-जुलाई, 2023) में किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

1. संश्लेषण कनवर्टर उत्प्रेरक प्रतिस्थापन
2. एचटीएस कनवर्टर बॉटम बेड उत्प्रेरक को पुनः भरना, साथ ही बॉटम सपोर्ट ग्रिड को प्रतिस्थापित करना (नए तार जाल के साथ)।
3. डी-सल्फ्यूराइजर और मेथेनेटर टॉप बेड डस्ट की स्किमिंग और मेथेनेटर में उत्प्रेरक की टॉप अप।
4. सहायक बॉयलर स्टीम सुपर हीटर कॉइल की 7 ट्यूबों का प्रतिस्थापन।
5. एसजीसी- ईएमजी और डब्ल्यूके दोनों टर्बाइनों और सभी चार बैरलों की ओवरहालिंग के अलावा ईएमजी टर्बाइन और 2 बैरल के रोटार प्रतिस्थापन।
6. पीएसी एचपी बैरल की ओवरहालिंग।
7. एनजीबीसी और पीआरसी की बेयरिंग जांच।
8. एनजीबीसी टरबाइन के गवर्नर को अमोनिया-II से प्रतिस्थापित करना।
9. हीट एक्सचेंजर्स की हाइड्रो-जेट सफाई।
10. बेनफील्ड सॉल्यूशन कूलर (1.32 HE4) पंखों की सूखी बर्फ से सफाई।
11. कूलिंग टॉवर पिट की सफाई।
12. 3 शीतल जल आपातकालीन पंप की स्थापना।
13. कूलिंग टॉवर एम/डी एम-1 पंप की पुनर्निर्मित मोटर की स्थापना।
14. पीआरसी कंडेनसर और सब-कंडेनसर पर बैकवाशिंग लाइनों का प्रावधान।

सिन गैस कंप्रेसर के ईएमजी रोटार के टूटने के कारण एटीए 2023 को अगस्त तक बढ़ा दिया गया।

2023 to forward a proposal for closure of Namrup-II Unit to DoF in the form of Note for Alternative Mechanism containing the introduction, background with physical and financial performance, manpower and land details of Namrup-II unit, justification and financial implication of the proposal under terms and conditions as stipulated in DPE "Guiding Principles for Closure of Units by the Parent Public Sector Enterprises" issued vide OM dated 31st October 2022.

During the FY 2023-24, 239 on-stream days could be achieved in Namrup-III Plant compared to 315 days in FY 2022-23.

Some of the Jobs carried out in April, 2023 due to forced shut down for Secondary Reformer-RGB Transfer Header Failure are as follows:

1. Rectifications of Secondary Reformer to RGB transfer header leakage.
2. Skimming of Secondary Reformer catalyst dust.
3. Unloading and reloading of catalyst in Primary Reformer Tube no. 229.

Plant was taken shut down on 11th June, 2023 for Annual Shut Down 2023. Some of the major jobs carried out in the Annual Shut Down 2023 (June – July, 2023) are as follows:

1. Synthesis Converter catalyst replacement
2. HTS Converter Bottom bed catalyst refilling along with replacement of bottom support grids (with new wire mesh).
3. Skimming of De-Sulphurizer and Methanator top bed dust and top up of catalyst in Methanator.
4. Replacement of 7 nos. of tubes of Auxiliary Boiler steam super heater coil.
5. SGC- overhauling of both EMG and WK turbines and all four barrels beside Rotor replacement of EMG turbine and 2nd barrel.
6. Overhauling of PAC HP barrel.
7. Bearing check up of NGBC and PRC.
8. Replacement of Governor of NGBC turbine with the one from Ammonia-II.
9. Hydro-jet cleaning of heat exchangers.
10. Dry ice cleaning of Benfield Solution Cooler (1.32 HE4) fins.
11. Cleaning of Cooling Tower pit.
12. Installation of 3rd Cooling Water emergency pump.
13. Installation of reconditioned motor of Cooling Tower M/D M-1 Pump.
14. Provision of backwashing lines at PRC Condensers and Sub-condenser.

ATA 2023 got extended up to August due to shearing off of EMG rotor of Syn Gas Compressor.

उत्पादन जैविक उर्वरक: वित्त वर्ष 2023-24 में जैव उर्वरक का अब तक का सर्वाधिक उत्पादन दर्ज किया गया। 2022-23 में 152.938 मीट्रिक टन के पिछले उच्चतम उत्पादन की तुलना में 195.68 मीट्रिक टन जैव उर्वरक उत्पादन प्राप्त हुआ। उत्पादन की उच्च लागत के कारण 09/02/2023 से वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन बंद कर दिया गया है।

नीम लेपित यूरिया: नीम कोटेड यूरिया (NCU) के अनिवार्य 100% उत्पादन के लिए भारत सरकार के निर्देश के अनुसार, मिट्टी की उर्वरता और उच्च उपज में वृद्धि पर NCU के लाभकारी प्रभावों पर विचार करते हुए, बीवीएफसीएल ने केवल NCU का उत्पादन करने के लिए नामरूप-III में सफलतापूर्वक विकसित घरेलू नीम कोटिंग संयंत्र स्थापित किए हैं। कंपनी 20 अगस्त 2015 से अपने संयंत्र से केवल नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन कर रही है। भारत सरकार ने इसके उत्पादन को बढ़ावा देने और कोटिंग की अतिरिक्त लागत वसूलने के लिए NCU को यूरिया के MRP से 5% अधिक पर बेचने की अनुमति दी है।

एक राष्ट्र एक उर्वरक का कार्यान्वयन: सरकार ने उर्वरक सब्सिडी योजना के तहत उर्वरकों के लिए एकल ब्रांड और लोगो की शुरुआत करके एक राष्ट्र एक उर्वरक को लागू करना भी अनिवार्य कर दिया है, जिसका नाम है "प्रधानमंत्री भारतीय जनउर्वरक परियोजना (पीएमबीजेपी)"। कंपनी इस योजना के तहत 27 दिसंबर 2022 से नए बैग का उपयोग कर रही है, जैसा कि उर्वरक विभाग द्वारा एफ. संख्या 20-1/2022-एफआई, दिनांक: 24 अगस्त 2022 के निर्देशानुसार है।

4. विपणन प्रदर्शन समीक्षा:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपके निगम की निम्नलिखित विपणन गतिविधियाँ हैं:

क. विपणन परिचालन की समीक्षा:

(क) स्वयं के उत्पाद.

- मुक्ता नीम कोटेड यूरिया: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने – 175339.800 मीट्रिक टन यूरिया बेचा (पिछले वर्ष 2,27,870.160 मीट्रिक टन; निर्यात मात्रा को छोड़कर)
- जैव-उर्वरक: 228.20 लाख रुपये मूल्य के 152.134 किलोलीटर तरल जैव-उर्वरक बेचे गए (पिछले वर्ष 221.78 लाख रुपये मूल्य के 147.84 किलोलीटर तरल जैव-उर्वरक बेचे गए थे)
- वर्मी कम्पोस्ट: 5.75 लाख रुपये मूल्य की 41.040 मीट्रिक टन वर्मी कम्पोस्ट बेची गई (पिछले वर्ष 8.49 लाख रुपये मूल्य की 60.66 मीट्रिक टन)
- एनपीके (19:19:19): 293.22 लाख रुपये मूल्य के 195.48 मीट्रिक टन मुक्ता एनपीके (19:19:19) बेचे गए (पिछले वर्ष 89.91 लाख रुपये मूल्य के 59.94 मीट्रिक टन बेचे गए थे)।
- आयातित यूरिया: 14551.14 लाख रुपये मूल्य का 257694.265 मीट्रिक टन आयातित यूरिया बेचा गया। (पिछले वर्ष 11,725.82 लाख रुपये मूल्य का 218897.38 मीट्रिक टन)

Production Organic fertilizers: In the FY 2023-24, all time highest production of Bio Fertilizer was recorded. Bio Fertilizer production achieved was 195.68 MT, compared to previous highest of 152.938 MT in 2022-23. The production of Vermi Compost has been discontinued w.e.f. 09/02/2023 due to high cost of production.

Neem Coated Urea: As per Government of India's directive for mandatory 100% production of Neem Coated Urea (NCU) considering beneficial effects of NCU on increase in soil fertility and higher yield, BVFCL has successfully set-up developed in house Neem coating plants in Namrup-III to produce only NCU. The Company has been producing only Neem Coated Urea with effect from 20th August 2015 from its plant. The GoI has allowed sale of NCU at 5% of above MRP of Urea as encouragement for its production and to recover extra cost of coating.

Implementation of One Nation One Fertilizer: Government has also made it mandatory to implement One Nation One Fertilizer by introducing Single Brand for Fertilizers and Logo under Fertilizer subsidy scheme namely "Pradhanmantri Bhartiya Janurvarak Pariyojna (PMBJP)". The Company is using new bags w.e.f. 27th December 2022 under this scheme as directed by Dept. of Fertilizer vide F. No. 20-1/2022-FI, dated: 24th August 2022.

4. MARKETING PERFORMANCE REVIEW:

During the year under review, your Corporation has following marketing activities:

A. Review of Marketing Operations:

(a) Own Products.

- Mukta Neem Coated Urea: During the financial year 2023-24, company sold – 175339.800 MT Urea (Previous year 2,27,870.160 MT; excluding export quantity)
- Bio-Fertilizers: 152.134 KL liquid Bio-Fertilizers valued Rs. 228.20 Lakhs were sold (Previous year 147.84 KL liquid Bio-Fertilizers valued Rs. 221.78 lakhs)
- Vermi Compost: 41.040 MT Vermi Compost valued Rs. 5.75 Lakhs were sold (Previous year 60.66 MT valued Rs. 8.49 Lakhs).
- NPK (19:19:19): 195.48 MT of Mukta NPK (19:19:19) valued Rs 293.22 Lakhs were sold (Previous year 59.94 MT valued Rs. 89.91 Lakhs).
- Imported Urea: 257694.265 MT of Imported Urea valued Rs 14551.14 Lakhs were sold. (Previous year 218897.38 MT valued Rs. 11,725.82 Lakhs).



(ख) व्यापारित वस्तुएँ.

- i. यूरिया (एनएफएल): 790.16 लाख रुपये मूल्य के 13993.380 मीट्रिक टन बेचे गए (पिछले वर्ष 3,516.77 लाख रुपये मूल्य के 65705.22 मीट्रिक टन)।
- ii. यूरिया (एचयूआरएल) : 2768.17 लाख रुपये मूल्य के 49023.000 मीट्रिक टन बेचे गए (पिछले वर्ष शून्य)।
- iii. यूरिया (इफको) : 273.735 मीट्रिक टन मूल्य 14.61 लाख रुपए (पिछले वर्ष शून्य)।
- iv. एसएसपी उर्वरक: 32468.000 मीट्रिक टन मूल्य 3103.08 लाख रुपये बेचे गए (पिछले वर्ष 71927.60 मीट्रिक टन मूल्य 7,950.85 लाख रुपये)।
- v. एमओपी उर्वरक: 603.91 लाख रुपये मूल्य के 1965.500 मीट्रिक टन बेचे गए (पिछले वर्ष 2,200.25 लाख रुपये मूल्य के 6988.60 मीट्रिक टन)
- vi. डीएपी उर्वरक: 93.60 लाख रुपये मूल्य के 375.000 मीट्रिक टन बेचे गए (पिछले वर्ष 4,404.76 लाख रुपये मूल्य के 17566.85 मीट्रिक टन)।
- vii. रॉक फॉस्फेट: 4943.800 मीट्रिक टन, मूल्य रु. 376.67 लाख बेचे गए (पिछले वर्ष 10115.00 मीट्रिक टन, मूल्य रु. 756.99 लाख)।
- viii. मुक्ता पावर: 1823.76 लाख रुपये मूल्य के 1424.810 मीट्रिक टन बेचे गए (पिछले वर्ष 4,416.28 लाख रुपये मूल्य के 3450.22 मीट्रिक टन)।
- ix. अमोनियम सल्फेट: 1067.96 लाख रुपये मूल्य के 6455.700 मीट्रिक टन बेचे गए (पिछले वर्ष 2,999.35 लाख रुपये मूल्य के 16867.51 मीट्रिक टन)।
- x. फैक्टमफोस: 1455.400 मीट्रिक टन मूल्य 304.18 लाख रुपये बेचा गया (पिछले वर्ष 426.00 मीट्रिक टन मूल्य 110.52 लाख रुपये)।
- xi. एपीएस: शून्य (पिछले वर्ष 3583.60 मीट्रिक टन मूल्य 945.23 लाख रुपये)।
- xii. एनपीके (10:26:26): 32.45 लाख रुपये मूल्य के 119.000 मीट्रिक टन बेचे गए (पिछले वर्ष 746.54 लाख रुपये मूल्य के 2742.60 मीट्रिक टन)।
- xiii. पीडीएम: 51.19 लाख रुपये मूल्य के 345.500 मीट्रिक टन बेचे गए (पिछले वर्ष 565.77 लाख रुपये मूल्य के 4052.95 मीट्रिक टन)।
- xiv. जिंक सल्फेट: 198.10 लाख रुपये मूल्य के 254.525 मीट्रिक टन बेचे गए (पिछले वर्ष 152.08 लाख रुपये मूल्य के 261.98 मीट्रिक टन बेचे गए थे)।
- xv. एनपीके: (जल घुलनशील उर्वरक): 0.100 मीट्रिक टन मूल्य 0.10 लाख रुपये बेचे गए (पिछले वर्ष 53.52 मीट्रिक टन मूल्य 80.19 लाख रुपये)।
- xvi. बीज: 16.52 लाख रुपये मूल्य के 14.000 मीट्रिक टन बीज बेचे गए (पिछले वर्ष 12.23 लाख रुपये मूल्य के 110.00 मीट्रिक टन बीज बेचे गए थे);
- xvii. नैनो यूरिया: 0.816 किलोलीटर मूल्य 3.17 लाख रुपये बेचा गया (पिछले वर्ष शून्य)।
- xviii. नैनो डीएपी: 0.186 किलोलीटर मूल्य 1.93 लाख रुपये बेचे गए (पिछले वर्ष शून्य)।
- xix. कैल्शियम नाइट्रेट: 38.85 लाख रुपये मूल्य के 68,000 मीट्रिक टन बेचे गए (पिछले वर्ष शून्य)।
- xx. बेन्टोनाइट सल्फर: 1.90 लाख रुपये मूल्य के 4.260 मीट्रिक टन बेचे गए (पिछले वर्ष शून्य)
- xxi. सागरिका - इफको 10 किलोग्राम बाल्टी/बैग: रु. 0.20 लाख मूल्य की 51,000 बेची गई (पिछले वर्ष शून्य)।

(b) Traded Items.

- i. Urea (NFL) : 13993.380 MT valued Rs. 790.16 lakhs were sold (Previous year 65705.22 MT valued Rs. 3,516.77 lakhs).
- ii. Urea (HURL) : 49023.000 MT valued Rs. 2768.17 lakhs were sold (Previous year Nil).
- iii. Urea (IFFCO) : 273.735 MT valued Rs. 14.61 lakhs (Previous year Nil).
- iv. SSP Fertilizers: 32468.000 MT valued Rs. 3103.08 lakhs were sold (Previous year 71927.60 MT valued Rs. 7,950.85 lakhs).
- v. MOP Fertilizers : 1965.500 MT valued Rs. 603.91 lakhs were sold (Previous year 6988.60 MT valued Rs. 2,200.25 lakhs)
- vi. DAP Fertilizers: 375.000 MT valued Rs. 93.60 lakhs were sold (Previous year 17566.85 MT valued Rs. 4,404.76 lakhs).
- vii. Rock Phosphate : 4943.800 MT , valued Rs. 376.67 lakhs were sold (Previous year 10115.00 MT , valued Rs. 756.99 lakhs).
- viii. Mukta Power: 1424.810 MT valued Rs 1823.76 lakhs were sold (Previous year 3450.22 MT valued Rs 4,416.28 lakhs).
- ix. Ammonium Sulphate: 6455.700 MT valued Rs 1067.96 lakhs were sold (Previous year 16867.51MT valued Rs 2,999.35 lakhs).
- x. Factamfos: 1455.400 MT valued Rs 304.18 lakhs were sold (Previous year 426.00 MT valued Rs 110.52 lakhs).
- xi. APS : Nil (Previous year 3583.60 MT valued Rs 945.23 lakhs).
- xii. NPK (10:26:26): 119.000 MT valued Rs 32.45 lakhs were sold (Previous year 2742.60 MT valued Rs 746.54 lakhs).
- xiii. PDM : 345.500 MT valued Rs 51.19 lakhs were sold (Previous year 4052.95 MT valued Rs 565.77 lakhs).
- xiv. Zinc Sulphate: 254.525 MT valued Rs. 198.10 lakhs were sold (previous Year 261.98 MT valued Rs. 152.08 lakhs).
- xv. NPK: (Water Soluble Fertilizer): 0.100 MT valued Rs 0.10 lakhs were sold (Previous year 53.52 MT valued Rs 80.19 lakhs).
- xvi. Seed: 14.000 MT valued Rs. 16.52 lakhs were sold (Previous year 110.00 MT valued Rs. 12.23 lakhs);
- xvii. NANO UREA : 0.816 KL valued Rs. 3.17 lakhs were sold (Previous year Nil).
- xviii. NANO DAP : 0.186 KL valued Rs. 1.93 lakhs were sold (Previous year Nil).
- xix. Calcium Nitrate: 68.000 MT valued Rs. 38.85 lakhs were sold (Previous year Nil).
- xx. Bentonite Sulphur: 4.260 MT valued Rs. 1.90 lakhs were sold (Previous year Nil).
- xxi. Sagarika - IFFCO 10 Kg Bucket/Bag: 51.000 Nos valued Rs. 0.20 lakhs were sold (Previous year Nil).

- xxii. सागरिका - इफको: 0.060 किलोलीटर मूल्य की 0.29 लाख रुपये की बिक्री हुई (पिछले वर्ष शून्य)।
- xxiii. सिटी कम्पोस्ट : शून्य (पिछले वर्ष 397.00 मीट्रिक टन मूल्य 28.96 लाख रुपये);
- xxiv. एचआईएल नेट: शून्य (पिछले वर्ष 7000.00 नग, मूल्य 18.76 लाख रुपये)
- xxv कीटनाशक: शून्य (पिछले वर्ष 7.67 मीट्रिक टन/किलोग्राम मूल्य 33.35 लाख रुपये)।
- xxvi बोरोन: शून्य (पिछले वर्ष 9.00 मीट्रिक टन मूल्य 9.02 लाख रुपये)।

(ग) कृषि संवर्धन कार्यक्रम:

आपका निगम पूर्वोत्तर में एकमात्र यूरिया विनिर्माण कंपनी है, जो मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने और फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए अपने ग्राहकों/किसानों को शिक्षा प्रदान करने/जागरूकता पैदा करने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। कंपनी द्वारा किए गए किसानों/डीलरों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है:

- I.) **डीलर प्रशिक्षण कार्यक्रम:** वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न विपणन क्षेत्रों में 03 डीलर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। चूंकि डीलर किसानों और खुदरा विक्रेताओं तक सूचना पहुंचाने में महत्वपूर्ण कड़ी हैं। डीलरों को मृदा परीक्षण के महत्व, मृदा नमूना रिपोर्ट के आधार पर उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लाभों और आपके निगम के नीम लेपित यूरिया, वर्मी कम्पोस्ट और जैव-उर्वरकों के लाभों के बारे में शिक्षित किया गया। डीलरों से अनुरोध किया गया कि वे किसानों को उनकी मिट्टी की आवश्यकता के अनुरूप उर्वरकों की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करें।
- ii.) **किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम:** वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न विपणन क्षेत्रों में 34 किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। किसी भी क्षेत्र में उर्वरक की बिक्री के लिए मूल्यवान किसान महत्वपूर्ण होते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को शिक्षित किया गया और उन्हें बीवीएफसीएल उत्पाद बास्केट से उत्पादों का उपयोग करने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उर्वरक के संतुलित उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- iii.) **प्रदर्शन कार्यक्रम:** किसानों को बीवीएफसीएल के उत्पाद के लाभों को स्थापित करने के लिए विभिन्न विपणन क्षेत्रों में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 06 फील्ड प्रदर्शन आयोजित किए गए।
- iv.) **प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके):** पीएमकेएसके किसानों की विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा करेगा और कृषि-इनपुट (उर्वरक, बीज, उपकरण) प्रदान करेगा; मिट्टी, बीज, उर्वरकों के लिए परीक्षण सुविधाएं; किसानों में जागरूकता पैदा करना; विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना और ब्लॉक/जिला स्तर की दुकानों पर खुदरा विक्रेताओं की नियमित क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना। 3.3 लाख से अधिक खुदरा उर्वरक दुकानों को पीएमकेएसके में परिवर्तित करने की योजना है। बीवीएफसीएल ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में

- xxii. SAGARIKA - IFFCO: 0.060 KL valued Rs. 0.29 lakhs were sold (Previous year Nil).
- xxiii. City Compost: Nil (Previous year 397.00 MT valued Rs. 28.96 lakhs);
- xxiv. HIL NET: Nil (Previous year 7000.00 nos valued Rs 18.76 lakhs)
- xxv. Pesticides: Nil (Previous year 7.67 MT/KL valued Rs 33.35 lakhs).
- xxvi. Boron: Nil (Previous year 9.00 MT valued Rs. 9.02 lakhs).

(c) Agricultural Promotion Programme:

Your Corporation is the only Urea manufacturing company in Northeast, playing proactive roles in imparting education/ creating awareness to its customers/farmers for maintaining the soil health and increase in crop production. The details of farmers/dealers training programme undertaken by the company are mentioned as below:

- I.) **Dealers Training Programme:** 03 nos. of Dealers Training Programme were conducted at during F.Y. 2023-24 in different marketing territories. Since the dealers are vital link in disseminating the information to the farmers & retailers. Dealers were educated about the importance of soil testing, benefits of balanced use of fertilizers based on soil sample report and benefits of Neem Coated Urea, Vermi Compost & Bio-fertilizers of your corporation. Dealers were requested to facilitate supply of fertilizers to the farmers conforming to their soil requirement.
- ii.) **Farmers Training Programme:** 34 no.s of Farmers Training Programme were conducted at during F.Y. 2023-24 in different marketing territories. Valued farmers are the key for sale fertilizer in any area. Though these training programs farmers were educated and encourage for using the products from BVFCL product basket and balance use of fertilizer to maintain soil health.
- iii.) **Demonstration Programme:** 06 nos of Field Demonstration were conducted at during F.Y. 2023-24 in different marketing territories to establish the benefits of product of BVFCL to the farmers.
- iv.) **Pradhan Mantri Kisan Samruddhi Kendra (PMKSK) :** PMKSK will cater to a wide variety of needs of the farmers and provide agri-inputs (fertilizers, seeds, implements); testing facilities for soil, seeds, fertilizers; generate awareness among farmers; provide information regarding various government schemes and ensure regular capacity building of retailers at block/ district level outlets. More than 3.3 lakh retail fertilizer shops are planned to be converted into PMKSK. BVFCL has



जिला स्तर पर कई पीएमकेएसके खोले हैं और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए डीओएफ ने हमें पूर्वोत्तर राज्यों में 1126 पीएमकेएसके खोलकर देश के किसानों की सेवा करने का जिम्मा सौंपा है।

- v.) **विकसित भारत संकल्प यात्रा:** ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) ने असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कई नवीन कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि में उन्नति और सरकारी पहलों को बढ़ावा देना था, जिसमें खेती में टिकाऊ प्रथाओं और तकनीकी एकीकरण पर जोर दिया गया।

यात्रा का मुख्य आकर्षण ड्रोन प्रदर्शन था, जिसमें किसानों के लिए उपलब्ध आधुनिक कृषि तकनीकों को दर्शाया गया। इन प्रदर्शनों ने उर्वरकों और कीटनाशकों के कुशल छिड़काव से लेकर फसल के स्वास्थ्य की निगरानी तक, सटीक कृषि में ड्रोन की क्षमता को प्रदर्शित किया, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हुई और पर्यावरणीय प्रभाव कम हुआ। ड्रोन के व्यावहारिक उपयोग को स्थानीय किसानों ने उत्साहपूर्वक देखा, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि कैसे प्रौद्योगिकी उनकी पारंपरिक खेती प्रथाओं को बदल सकती है।

- vi.) **नमो ड्रोन दीदी:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना “महिला किसान ड्रोन केंद्र” को मंजूरी दे दी है। उक्त योजना के तहत, महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को अगले तीन वर्षों में 15,000 ड्रोन प्रदान किए जाएंगे और महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और उनका उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन महिला पायलटों को “नमो ड्रोन दीदी” के नाम से जाना जाएगा। बीवीएफसीएल ने छह जिलों यानी डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट, गोलाघाट, सोनितपुर और उदलगुरी में असम के महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 18 महिलाओं को 18 ड्रोन वितरित किए थे।

6. यूरिया के विपणन में आने वाली बाधाएं:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को निम्नलिखित कारणों से यूरिया के विपणन में बाधाओं का अनुभव हुआ:

रेलवे से संबंधित मुद्दे:

- प्रतिबंध, भीड़ और कोटा समस्या के कारण रैकों की अनुपलब्धता।

संचलन समस्या:

- बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए आपूर्ति योजना नगण्य या शून्य है।
- रैक संचलन के लिए दूरी की सीमा 1400 किलोमीटर।
- फैक्ट्री से भेजे गए माल के मामले में सड़क माल भाड़े की प्रतिपूर्ति की सीमा 500 किलोमीटर है।

opened nos of PMKSK in district level in North Eastern states during F.Y. 2022-23 and for F.Y. 2023-24 DoF has entrusted us to serve the farmers of the nation by opening 1126 nos of PMKSK in North Eastern states.

- v.) **Viksit Bharat Sankalp Yatra:** Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL) showcased a series of innovative programs during the Viksit Bharat Sankalp Yatra, conducted across the north eastern states of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura and Mizoram. The event aimed to promote agricultural advancements and government initiatives, emphasizing sustainable practices and technological integration in farming.

A key highlight of the yatra was the drone demonstration, which illustrated the modern agricultural techniques available to farmers. These demonstrations showcased the potential of drones in precision agriculture, from efficient spraying of fertilizers and pesticides to monitoring crop health, thereby enhancing productivity and reducing environmental impact. The practical use of drones was met with enthusiasm from local farmers, who saw firsthand how technology could transform their traditional farming practices.

- vi.) **Namo Drone Didi:** Union Cabinet has approved a Central Sector Scheme “Mahila Kisan Drone Kendra”. Under the said scheme, Women Self Help Groups (SHGs) will be provided with 15,000 drones in the next three years and the women will be given training to fly and use drones. These women pilots will be known as “Namo drone didi”. BVFCL had distributed 18 numbers Drones to 18 numbers of women belonging to Women Self Help Group of Assam in six districts viz. Dibrugarh, Tinsukia, Jorhat, Golaghat, Sonitpur & Udalguri.

6. CONSTRAINTS FACED IN MARKETING OF UREA:

During the year under review, company experienced constraints in marketing of urea due the following reasons:

Railway related issues:

- Non-availability of rakes due to Restrictions, Congestions and Quota problem.

Movement Problem:

- Negligible or no Supply plan for Bihar and West Bengal.
- Distance limitation of 1400 Kms for rake movement.
- Limitation of 500 Kms road freight reimbursement in case of Ex-factory dispatches.

अन्य मामले:

- विपणन विभाग बहुत सीमित जनशक्ति के साथ काम कर रहा है।
- व्यापार हमेशा बाजार की स्थितियों और आपूर्ति पर निर्भर करता है।

जैविक उर्वरकों का उत्पादन और विपणन:

बीवीएफसीएल 2008-09 से दो प्रकार के जैव-उर्वरकों अर्थात एजोटोबैक्टर और फॉस्फोबैक्ट्रिन (पीएसबी) का उत्पादन कर रहा है और ८ जनवरी 2021 से तरल रूप में उत्पादन शुरू कर दिया है। कैरियर आधारित जैव उर्वरक का उत्पादन कैरियर सामग्री की अनुपलब्धता और उनकी आर्थिक अव्यवहार्यता के कारण बंद कर दिया गया है। इन-हाउस विशेषज्ञता का उपयोग करके तरल जैव उर्वरक का उत्पादन शुरू किया गया है। यह मांग और विपणन क्षमता के आधार पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य तरीके से स्थिर आधार पर उच्च उत्पादन प्राप्त करने में अत्यधिक लाभकारी है।

नामरूप में वर्मी कम्पोस्ट परियोजना भी स्थित है, जो वित्त वर्ष 2008-09 से उत्पादन कर रही है। प्रारंभिक चरण में खाद बनाने के लिए, असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट से केंचुआ रेड विग्लर्स (ईसेनिया फेटिडा) प्रजाति खरीदी गई थी। उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट एफसीओ मानदंडों के अनुसार है। उत्पादन की उच्च लागत के कारण 10.02.2023 से वर्मी कम्पोस्ट निर्माण बंद कर दिया गया।

बीवीएफसीएल ने अक्टूबर 2016 से सिटी कम्पोस्ट का विपणन शुरू कर दिया है। सिटी कम्पोस्ट की आपूर्ति पश्चिम बंगाल से की जाती है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों में कोई निर्माता उपलब्ध नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप सिटी कम्पोस्ट की लागत बहुत अधिक है। 1500 रुपये/एमटी का वर्तमान एमडीए असम के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल से असम के विभिन्न जिलों तक सड़क मार्ग से परिवहन की लागत बहुत अधिक है।

बीवीएफसीएल पूर्वोत्तर में एकमात्र यूरिया विनिर्माण कंपनी है और मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने और फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने ग्राहकों/किसानों को शिक्षा प्रदान करने/जागरूकता पैदा करने में सक्रिय भूमिका निभा रही है।

विपणन लागत को कम करने के लिए अपनाए गए कुछ प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

- आवागमन को युक्तिसंगत बनाना - रेल-सड़क आवागमन अनुपात को डीओएफ द्वारा 80:20 की अनुमेय सीमा के मुकाबले घटाकर 94:06 कर दिया गया (रेलवे मालभाड़ा 100% प्रतिपूर्ति योग्य है)।
- पूर्वोत्तर राज्यों में बिक्री को प्राथमिकता दी जाती है।
- न्यूनतम भंडारण के साथ रेल-हेड बिक्री को अधिकतम करके इन्वेंट्री वहन लागत में कमी।
- साइलो में न्यूनतम इन्वेंट्री स्तर.
- 100% भुगतान संग्रह आरटीजीएस/सीएमएस के माध्यम से होता है।

कंपनी किसानों की मदद के लिए उर्वरकों और कृषि उत्पादों के लिए व्यापारिक गतिविधियों को जारी रख रही है ताकि सभी कृषि उत्पाद एक ही छत के नीचे (सिंगल विंडो अवधारणा) उपलब्ध हों।

Other issues:

- Mktg Dept. is working with very limited manpower.
- Trading business always depends upon the market conditions and supplies.

Production and Marketing of Organic fertilizers:

BVFCL is producing two types of Bio-fertilizers i.e. Azotobacter and Phosphobactrin (PSB) since 2008-09 and started producing in Liquid form w.e.f. 8th Jan 2021. Production of Career based Bio Fertilizer has been stopped due to non-availability of the career materials and their economic non-viability. Production of Liquid Bio Fertilizer has been started by using in-house expertise. This is highly beneficial in achieving higher production on a steady basis in economically viable way, depending upon demand and marketability.

Vermi Compost Project is also located at Namrup having production from F.Y. 2008-09 onwards. For composting at the initial stage, the earthworm Red wigglers (Eisenia fetida) species were procured from Assam Agricultural University, Jorhat. The Vermi Compost produced is as per FCO norms. Vermi Compost Manufacturing was discontinued w.e.f. 10.02.2023 due to high Cost of Production.

BVFCL has started marketing of City Compost from October 2016. City compost supplies are arranged from West Bengal as no manufacturer is available in NE states, which results very high cost of City compost. The current MDA of Rs.1500/MT is not sufficient for Assam as the cost of transportation by Road from West Bengal to various districts of Assam is very high.

BVFCL is the only urea manufacturing company in Northeast and playing proactive roles in imparting education/ creating awareness to its customers/ farmers for maintaining the soil health and increasing Crop production.

Some of the major steps adopted to reduce marketing cost are as follows:

- Rationalization of movement - Rail-Road movement ratio brought down to 94:06 against permissible limit of 80:20 by DoF (Railway freight is 100% reimbursable).
- Sales in North-Eastern States is given priority.
- Reduction in Inventory Carrying Cost by maximizing Rail- head sales with minimum storage.
- Minimum Inventory level in Silos.
- 100% Payment collection is through RTGS/CMS.

The company is continuing the trading activities for fertilizers and agricultural products to help farmers so that all Agro products are available under one roof (Single Window Concept).



जैविक उर्वरकों के विपणन में बाधाएँ:

- किसानों में जैविक उर्वरकों के उपयोग और लाभ के बारे में जागरूकता की कमी।
- जैविक उर्वरक, रासायनिक उर्वरकों की तरह तत्काल और नाटकीय प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं।
- जैव-उर्वरक का शेल्फ जीवन पाउडर के रूप में 6-12 महीने और तरल रूप में 12-24 महीने तक सीमित है।
- जैव-उर्वरक किस्मों की अनुकूलन क्षमता विशिष्ट मृदा एवं जलवायु परिस्थितियों तक सीमित होती है।
- रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को भी डीलरों तक पहुंचाया जा रहा है तथा डीलरों/खुदरा विक्रेताओं के स्तर पर किसानों को जबरन इनकी बिक्री की जा रही है।
- पैकिंग के रिसाव/फटने से बचने के लिए इसके संचालन और परिवहन के दौरान विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है।

बाधाओं को दूर करने के लिए बीवीएफसीएल द्वारा उठाए गए कदम:

- तरल जैव-उर्वरकों का उपयोग शुरू किया गया क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ 12 से 24 महीने तक है।
- उर्वरक अनुप्रयोग जागरूकता कार्यक्रम (एफएएपी), जन संपर्क कार्यक्रम और किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के दौरान जैविक उर्वरकों के उपयोग और लाभों पर किसानों को प्रशिक्षण।
- जैविक उर्वरकों की कार्यप्रणाली, लाभ आदि पर डीलरों और खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि वे किसानों को उचित तरीके से मार्गदर्शन दे सकें, क्योंकि उनका बड़े स्तर पर किसानों के साथ दिन-प्रतिदिन संपर्क बना रहता है।
- जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के कृषि विभाग/कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिकों की भागीदार और सक्रिय समर्थन रहा।
- जैविक उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, बीवीएफसीएल के जैविक उर्वरकों को पूर्वोत्तर राज्यों यानी असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम में बेचा जाता है।
- हम मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में भी राज्य प्रशासन/कृषि विभाग/केवीके के साथ निकट समन्वय में जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं।

सब्सिडी का प्रावधान:

- अन्य रासायनिक उर्वरकों और शहरी खाद की तरह जैविक उर्वरकों यानी जैव-उर्वरक और वर्मी-कम्पोस्ट को सब्सिडी योजना के तहत शामिल करने से इन उत्पादों को किसानों की नियमित प्रक्रिया में शामिल करने में मदद मिलेगी।
- सिटी कम्पोस्ट के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से लागू एमडीए को बहाल किया जाना चाहिए।

Constraints in Marketing of Organic fertilizers:

- Lack of awareness about uses & benefits of Organic fertilizers among farmers.
- Organic fertilizer does not show instant and dramatic response like chemical fertilizers.
- The shelf life of bio-fertilizer is limited to 6-12 months in powder form and 12-24 months for liquid form.
- Adaptability of bio-fertilizer strains is limited to specific soil & climatic conditions.
- Organic fertilizers are pushed to the dealers along with Chemical fertilizers and forced sale is taking place at Dealers/Retailers level to farmers.
- Needs special care during its handling & transportation to avoid leakage/bursting of packing's.

Steps taken by BVFCL to overcome the Constraints:

- Switched over to Liquid bio-fertilizers as they have longer Shelf life to the extent of 12 to 24 months.
- Training to farmers on uses and benefits of Organic fertilizers during Fertilizer Application Awareness Programme (FAAP), Mass Contact Programme & Farmers Training Programmes etc.
- Training programmes to Dealers & Retailers on Organic fertilizers on mode of action, benefits so that they can guide farmers in a proper way as they are having day to day contact with the farmers at larger level.
- Involvement and active Support of States' Agriculture Department/ Agriculture Universities and Krishi Vigyan Kendra Scientists to promote Organic fertilizers.
- In order to promote the use of Organic fertilizer, BVFCL's Organic fertilizers are sold in North Eastern states i.e. Assam, Manipur, Tripura, Nagaland & Mizoram.
- We are also trying our best efforts to promote Organic fertilizers in Meghalaya, Arunachal Pradesh & Sikkim states as well, in close coordination with the State Administration/Agriculture Department/ KVKs of these states.

Provision for subsidy:

- Inclusion of Organic Fertilizers i.e. Bio-fertilizer and Vermi-compost under Subsidy scheme like other Chemical fertilizers & City Compost will help these products to get added into regular package of practices by the farmers.
- M.D.A. applicable for City compost @ Rs 1500/- Per MT needs to be restored.

7. चालू वर्ष के लिए भविष्य का दृष्टिकोण और पहल:

- बीवीएफसीएल को 2022-23 से तीन साल के लिए भारत सरकार के खाते में आयातित यूरिया की हैंडलिंग और मार्केटिंग के लिए पारादीप का पीआईसीटी बंदरगाह आवंटित किया गया है। मार्केटिंग क्षेत्रों को छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश तक बढ़ा दिया गया है और बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में डीलरों का नेटवर्क बढ़ाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बीवीएफसीएल ने 06 जहाजों की हैंडलिंग और मार्केटिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। बीवीएफसीएल अखिल भारतीय उपस्थिति हासिल करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विपणन क्षेत्रों के और विस्तार की भी योजना बना रहा है।
- मौजूदा समझौता ज्ञापनों के अलावा, बीवीएफसीएल ने 2023-24 के दौरान अपने उत्पाद की रेंज बढ़ाने के लिए नए व्यापार भागीदारों जैसे इफको, एग्रोफोस इंडिया लिमिटेड, माधव एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, एमएन क्रॉप और फर्टिको प्राइवेट लिमिटेड, दीपी केम लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

8. बीवीएफसीएल नामरूप से संबंधित आत्मनिर्भर भारत की स्थिति रिपोर्ट:

कंपनी बहुत कम उत्पादन लागत पर एक बहुत पुराने डिजाइन किए गए संयंत्र को चलाकर स्वदेशी यूरिया का उत्पादन करके आत्मनिर्भर भारत में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। संयंत्र पास के कुओं से केवल एपीएम प्राकृतिक गैस का उपयोग कर रहा है और इस प्रकार आयातित एलएनजी/आरएलएनजी आदि पर निर्भरता नहीं सुनिश्चित कर रहा है। इसके अलावा, चूंकि संयंत्र बहुत पुराने हैं, इसलिए अधिकांश पुर्जे अब स्थानीय विक्रेताओं द्वारा विकसित स्वदेशी स्रोतों से खरीदे जाते हैं।

मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

- वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) के नजदीकी क्षेत्रों से उपलब्ध केवल घरेलू APM प्राकृतिक गैस का उपयोग किया है और किसी भी LNG/RLNG या अन्य आयातित फीडस्टॉक का उपयोग नहीं किया है। संयंत्रों के अपने प्रभावी जीवन को पार करने और लगातार विफलताओं से परेशान होने के बावजूद, स्थानीय प्राकृतिक गैस का उपयोग करके स्वदेशी सस्ते यूरिया का उत्पादन करके विदेशी मुद्रा की बचत हासिल की गई, जिसे अन्यथा यूरिया की कमी को पूरा करने के लिए आयात करना पड़ता।
- आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के लिए यूरिया उत्पादन को तीन गुना से अधिक बढ़ाकर यूरिया आयात पर निर्भरता कम करने के लिए मौजूदा संयंत्रों को प्रतिस्थापित करके बड़ी क्षमता की एक नई आधुनिक परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव उर्वरक विभाग के विचाराधीन है।
- अन्य परियोजनाओं के विपरीत, जो अपनी फीडस्टॉक आवश्यकता के लगभग 30% के लिए आरएलएनजी पर निर्भर हैं, मौजूदा संयंत्र और प्रस्तावित परियोजना पूरी तरह से मेसर्स ऑयल से आस-पास के क्षेत्रों से उपलब्ध घरेलू प्राकृतिक गैस पर आधारित होगी। इससे आत्मनिर्भरता की योजना को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

7. FUTURE OUTLOOK AND INITIATIVES FOR THE CURRENT YEAR:

- BVFCL has been allotted PICT port, Paradip for Handling & Marketing of Imported Urea in Govt. of India account for Three years from 2022-23 onwards. Marketing areas have been extended to Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha & Madhya Pradesh and dealers network has been increase in lesser represented areas of Bihar & West Bengal states. During F.Y. 2023-24 BVFCL has successfully completed Handling & Marketing of 06 numbers of ships. BVFCL is also planning for further expansion of Marketing areas to Uttar Pradesh, Telangana & Andhra Pradesh with the aim of achieving a pan India presence.
- In addition to the existing MoUs, BVFCL has executed MoUs with new business partners viz. IFFCO, Agrophos India Ltd, Madhav Agrochem Pvt. Ltd., MN Crop and Fertico Pvt Ltd, Deepee Chem. Ltd to enhance the range of its product basket during 2023-24.

8. STATUS REPORT FOR ATMANIRBHAR BHARAT PERTAINING TO BVFCL NAMRUP:

The Company is immensely contributing to Atmanirbhar Bharat by producing indigenous Urea by running one very old designed plants at a very low production cost. The plant is using only APM Natural Gas from the near-by wells and thereby ensuring no dependence on imported LNG/RLNG etc. Moreover, as the plants are very old, so most of the spares are now procured from indigenous sources by developing local vendors for the same.

Salient points are given below:

- During the year, the Company has used only domestic APM Natural Gas available from the near-by fields of Oil India Limited (OIL) and not used any LNG/RLNG or other imported feedstock. In spite of the plants surpassing their effective life and troubled with frequent failures, saving of foreign exchange was achieved by producing indigenous cheap urea using local Natural Gas, which would have to be imported otherwise to meet the shortfall in Urea.
- A proposal to replace the existing plants by establishing a new modern project of bigger capacity is under consideration of DoF to reduce dependence of urea import by boosting Urea production by more than three times to encourage Atmanirbharta.
- Unlike other projects which are dependent on RLNG for about 30% of their feedstock requirement, the existing plants and the proposed project will be based entirely on domestic Natural Gas available from the near-by areas from M/s OIL. This will give a big boost to the scheme of Atmanirbharta.



- घ. इस परियोजना में पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार आदि को यूरिया निर्यात करने की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि यह इन देशों के बहुत करीब है और अच्छी कनेक्टिविटी है, जब देश में यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल हो जाएगी। कंपनी ने पहले ही नेपाल को 2.0 LMT से अधिक यूरिया निर्यात किया है। इससे माननीय प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' के साथ-साथ 'मेक फॉर वर्ल्ड' के विजन को भी बढ़ावा मिलेगा।
- ङ. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जीईएम पोर्टल और एमएसई के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद नीचे दी गई है:

क)

क) संख्या के आधार पर:क

क्रम सं.	संख्या आधार	संख्या	कुल के सापेक्ष प्रतिशत
1	कुल पी ओ की संख्या (जेम + जेम के बाहर)	474	
	जेम	247	52%
	जेम के बाहर	227 (एकल निविदा/ नामांकन)	48%

ख) मूल्य के आधार पर:

क्रम सं.	मूल्य आधार	राशि (₹.)	कुल के सापेक्ष प्रतिशत
2	कुल (जेम + जेम से बाहर) खरीद	55,62,79,661.00	
ए	जेम के माध्यम से कुल पीओ मूल्य	15,15,22,955.00	27.23%
बी	आउट-साइड जेम के माध्यम से कुल पीओ मूल्य	40,47,56,706.00	72.76%
बी 1	नामांकन / एकल निविदा के आधार पर प्राप्त कुल मूल्य	16,51,85,787.00	29.69%
बी 2	जेम पर अनुपलब्धता के कारण कुल क्रय मूल्य	23,23,77,083.00	41.77%
3	कुल एमएसएमई (जेम + जेम से बाहर) (ए+बी)	15,34,80,658.00	27.59%
ए	जेम के माध्यम से कुल एमएसएमई पीओ मूल्य	10,18,57,874.00	18.31%
बी	बाहरी जेम के माध्यम से कुल एमएसएमई पीओ मूल्य	5,16,22,784.00	9.28%
सी	महिला उद्यमियों से खरीदी मूल्य	1,16,43,769.00	2.09%
डी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसएमई से प्राप्त कुल मूल्य	0.00	0.00%

- d) This project has a very high potential to export Urea to the neighbouring countries like Bangladesh, Nepal, Myanmar etc. because of its close proximity to these countries and good connectivity, when self sufficiency in Urea production is achieved in the Country. The Company had already exported more than 2.0 LMT of Urea to Nepal in the past. This will boost the vision of honourable Prime Minister for 'Make for World', along with 'Make in India'.
- e) Procurement of Goods and Services through GEM Portal and MSE during the Financial Year 2023-24 is given below:

a)

a. On number basis:

Sr. No.	Number Basis	No	Percentage w.r.t Total
1	Total No. of PO placed (GeM + Outside GeM)	474	
	GeM	247	52%
	Out Side GeM	227 (including 37 Pos placed on Single Tender/ Nomination basis)	48%

b. On value basis:

SL. No.	Value Basis	Amount (Rs.)	Percentage w.r.t Total
2	Total (GeM + Outside GeM) Procurement	55,62,79,661.00	
A	Total PO Value through GeM	15,15,22,955.00	27.23%
B	Total PO Value through Out-side GeM	40,47,56,706.00	72.76%
बी 1	Total Value procured from Nomination/Single Tender Basis	16,51,85,787.00	29.69%
बी 2	Total Value procured due to non availability on GeM	23,23,77,083.00	41.77%
3	Total MSME (GeM + Outside GeM) (A+B)	15,34,80,658.00	27.59%
A	Total MSME PO Value through GeM	10,18,57,874.00	18.31%
B	Total MSME PO Value through Outside GeM	5,16,22,784.00	9.28%
C	Total Value of procured from WOMEN entrepreneurs	1,16,43,769.00	2.09%
D	Total Value procured from MSEs owned by SC / ST entrepreneurs	0.00	0.00%

9. उर्वरक विभाग के पास लंबित मुद्दे:

- I. एएमआरसीडी तंत्र के माध्यम से बीवीएफसीएल और मेसर्स एजीसीएल के बीच वाणिज्यिक विवाद के मध्यस्थता/समाधान के लिए सचिवों की समिति (सीओएस) की बैठक: समिति को 09.06.2023 को अधिसूचित किया गया है, बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई है। विवाद में दावे की राशि 57.16 करोड़ रुपये है।
- II FICC ऊर्जा मानदंडों का संशोधन: 22.05.2024 को आयोजित 122वीं बोर्ड बैठक में, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए, निदेशक (उत्पादन) और सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार), बीवीएफसीएल ने बोर्ड को वर्ष 2021 में पीडीआईएल की रिपोर्ट से अवगत कराया और ऊर्जा मानदंड 12.69 जीसीएल/एमटी को बढ़ाकर 13.24 जीसीएल/एमटी करने का सुझाव दिया।

बोर्ड ने एजेंडा नोट पर विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श किया तथा कंपनी के कार्यकारी विभाग को निर्देश दिया कि वह पीडीआईएल रिपोर्ट के आधार पर ऊर्जा मानदंडों में वृद्धि के बारे में ईंधन मंत्रालय से बात करे।

तदनुसार, पीडीआईएल की सिफारिश के अनुसार 01.01.2017 से नामरूप-III के लिए एफआईसीसी एसईसी मानदंडों को संशोधित कर 13.24 जीसीएल/एमटी करने के अनुमोदन के लिए 02.07.2024 को अपर सचिव (एएम), डीओएफ को अनुरोध पत्र भेजा गया था।

- iii. नामरूप-III पौधों का स्वास्थ्य अध्ययनवर्तमान परिदृश्य में जीविका और अस्तित्व के लिए, नामरूप-III इकाई के मौजूदा संयंत्रों की ऊर्जा खपत में कमी और क्षमता वृद्धि के लिए व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए अध्ययन करने हेतु प्रक्रिया लाइसेंसदाताओं की नियुक्ति की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, मैसर्स टॉपसो ए/एस (पूर्व में मैसर्स हल्दोर टॉपसो ए/एस) और मैसर्स सैपेम को अमोनिया, यूरिया और उपयोगिता संयंत्रों के लिए उपर्युक्त अध्ययन करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पत्र दिनांक 12.03.2022 के माध्यम से संपर्क किया गया, जिसका उद्देश्य है:

क) क्षमता वृद्धि (वर्तमान स्तर 720 मीट्रिक टन/दिन से लगभग 1200 मीट्रिक टन/दिन तक)।

ख) ऊर्जा खपत में कमी (वर्तमान स्तर 12.00 जीसीएल/एमटी से 8.00 जीसीएल/एमटी तक) सबसे किफायती तरीके से, ताकि इन संयंत्रों को बिना किसी बड़े निवेश के कम से कम अगले 10 वर्षों तक संचालित किया जा सके।

प्रक्रिया के उन्नयन और महत्वपूर्ण उपकरणों के प्रतिस्थापन/नवीनीकरण के माध्यम से ऊर्जा में कमी के साथ-साथ क्षमता में वृद्धि का कार्य करने के लिए मेसर्स एचटीएएस से 16.06.2022 को और मेसर्स सैपेम से 20.06.2022 को प्रस्ताव प्राप्त हुए।

बीवीएफसीएल बोर्ड ने अपनी 112वीं बैठक (अगस्त 2022) में उपरोक्त अध्ययन के संचालन के लिए "सैद्धांतिक रूप से" स्वीकृति प्रदान की। सुधार उपायों के कार्यान्वयन के लिए ऋण या अनुदान के रूप में बीवीएफसीएल को वित्तीय सहायता के लिए दिनांक 18.11.2022 और 04.01.2023 के पत्रों के माध्यम से डीओएफ से संपर्क किया गया था।

9. ISSUES PENDING WITH DEPARTMENT OF FERTILIZERS:

- I. Committee of Secretaries (CoS) meeting for arbitration / resolution of commercial dispute between BVFCL & M/s AGCL through the AMRCD mechanism: Committee has been notified on 09.06.2023, meeting date yet to be finalized. The amount of claim in the dispute is Rs. 57.16 Cr.
- ii. Revision of FICC Energy norms: In the 122nd Board Meeting held on 22.05.2024, while reviewing the Physical & Financial Performance of the Company for FY 2023-24, the Director (Production) & CMD (Addl. Charge), BVFCL apprised the Board about the report of PDIL in the Year 2021, and suggested enhancement of energy norms of 12.69 GCal/MT to 13.24 GCal/MT.

The Board held detailed discussions and deliberations on the agenda note and directed the Executive Department of the Company to pursue about the enhancement of energy norms to the Ministry of DoF based on PDIL Report.

Accordingly, a request letter was sent to Addl. Secretary (AM), DoF on 02.07.2024 for according approval for revision of FICC SEC norms for Namrup-III to 13.24GCal/MT w.e.f. 01.01.2017 as recommended by PDIL.

- iii. Health Study of Namrup-III Plants: For sustenance & survival in present scenario, requirement was felt for engagement of Process Licensors to conduct study to assess feasibility for energy consumption reduction & capacity enhancement of the existing plants of Namrup-III Unit. Accordingly, M/s Topsoe A/s (previously M/s Haldor Topsoe A/S) and M/s Saipem were contacted vide Letter dated 12.03.2022 for submission of proposal for undertaking the above mentioned study for Ammonia, Urea & Utility Plants with the objective of:

a) Capacity Enhancement (from its present level of 720 MT/day to about 1200 MT/day).

b) Energy Consumption Reduction (from its present level of 12.00 Gcal/MT to 8.00 Gcal/MT) in the most economic way, so that these Plants can be operated for at least next 10 years without any further major investment.

Proposals were received from M/s HTAS on 16.06.2022 & from M/s Saipem on 20.06.2022 for undertaking the job of energy reduction as well as enhancement of capacity through up gradation of the process and replacement/ renovation of critical equipments.

BVFCL Board accorded "In Principle" Approval in its 112th Meeting (Aug'22) for conducting the above study. DoF was approached vide letters dated 18.11.2022 & 04.01.2023 for Financial Assistance to BVFCL in the form of Loan or Grant for implementation of the revamp measures.



हालाँकि, चूंकि नामरूप-IV परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन था, इसलिए स्वास्थ्य अध्ययन को रोक दिया गया।

स्वास्थ्य अध्ययन के संचालन के लिए वित्तीय भागीदार अध्ययन के पूरा होने और अध्ययन रिपोर्ट के तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के बाद ही पता चलेगा। हालाँकि, अध्ययन के संचालन के लिए अनुमानित वित्तीय लागत 8.00 (आठ) करोड़ रुपये (लगभग) होगी।

तदनुसार, नामरूप- III के लिए पुनरुद्धार अध्ययन आयोजित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने के साथ-साथ इसके लिए बीवीएफसीएल को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 02.07.2024 को अपर सचिव (एएम), डीओएफ को एक अनुरोध पत्र भेजा गया था।

- iv. नामरूप-IV परियोजना की स्थापना: नामरूप-IV की स्थापना के लिए दिनांक 21.05.2015 को कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, नई परियोजना उर्वरक विभाग, उर्वरक एवं वन मंत्रालय के सक्रिय विचाराधीन है।

10. एमओयू रेटिंग:

कंपनी ने 2004-05 से उर्वरक विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया था और वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त रेटिंग “अच्छी” थी। वर्ष 2023-24 के लिए समझौता ज्ञापन रेटिंग से छूट दी गई थी।

पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त रेटिंग नीचे दी गई हैं:

वर्ष	रेटिंग
2019-20	खराब
2020-21	खराब
2021-22	खराब
2022-23	अच्छा
2023-24	एमओयू से छूट

11. नियंत्रक मंत्रालय और अन्य भारत सरकार मंत्रालयों/एजेंसियों आदि के विभिन्न निर्देशों का अनुपालन।

भारत सरकार ने सीपीएसई के विभिन्न मापदंडों की निगरानी के लिए समन्वय, समाधान, संबंध, दृष्टि आदि जैसे कई ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किए हैं और कंपनी नियमित रूप से इन साइटों को नवीनतम उपलब्ध जानकारी के साथ अद्यतन कर रही है और सभी आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन कर रही है।

लोक उद्यम विभाग ने हाल ही में ई-समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है, जो एक ऑनलाइन निगरानी और अनुपालन तंत्र है, जिसे भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों, राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि जैसी विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के लंबित कार्य-बिंदुओं / प्रस्तावों / मुद्दों/परियोजनाओं/स्कीमों/लक्ष्यों आदि के अनुपालन में तेजी लाने के लिए विकसित किया गया है।

However, as the proposal for setting up of Namrup-IV project was under active consideration, the Health Study was kept on hold.

The financial involvement for conducting the Health Study would be known only after completion of the study and technical & financial appraisal of the study report. However, approximate financial implication for conducting the study would be to the tune of Rs. 8.00 (eight) Cr (approx.)

Accordingly, a request letter was sent to Addl. Secretary (AM), DoF on 02.07.2024 for according approval for conducting the revamp study for Namrup-III as well as for extending financial assistance to BVFCL for the same.

- iv. Establishment of Namrup-IV Project: As per the Cabinet Approval dated: 21.05.2015 for setting up of Namrup-IV, the new project is under active consideration of Department of Fertilizer, MoC&F.

10. MOURATING :

The Company had started signing MoU with Department of Fertilizer w.e.f. 2004-05 and Ratings obtained during the year 2022-23 was “Good”. The MoU Rating for the Year 2023-24 was exempted.

Ratings obtained during the last five years are given below:

Year	Rating
2019-20	Poor
2020-21	Poor
2021-22	Poor
2022-23	Good
2023-24	MoU Exempted

11. COMPLIANCE OF VARIOUS DIRECTIVES OF THE CONTROLLING MINISTRY AND OTHER GOI MINISTRIES /AGENCIES ETC.

Govt. of India has set-up many online portals viz. Samanvay, Samadhan, Sambandh, Drishti etc. to monitor various parameters of the CPSEs and the Company is regularly updating these sites with the latest available information and is fully complying all the requirements.

Department of Public Enterprises has recently launched e-Samiksha portal which is an online Monitoring and Compliance Mechanism, developed to fast track the compliance of pending action-points/ proposals/ issues/ projects/ schemes/ targets, etc. of various implementing agencies such as Ministries/ Departments/ Organizations of Government of India, State Governments, Autonomous Bodies, PSUs, etc.

एक बार जब कार्रवाई-बिंदु/प्रस्ताव/मुद्दे/लक्ष्य आदि ई-समीक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म में जोड़ दिए जाते हैं, तो सिस्टम स्वचालित रूप से संबंधित हितधारकों को नियमित अंतराल पर अपडेट करने के लिए भेजता है, जब तक कि अनुपालन नहीं हो जाता। निगरानी एजेंसियां तुरंत विभिन्न अपवादात्मक और अनुपालन स्थिति रिपोर्ट प्राप्त कर सकती हैं।

यह प्रणाली निगरानी एजेंसियों को किसी विशेष कार्य-बिंदु/प्रस्ताव/मुद्दे/लक्ष्य आदि पर हितधारकों को निर्देश/टिप्पणियाँ देने तथा ईमेल/एसएमएस भेजने की सुविधा भी प्रदान करती है। निगरानी एजेंसियों के निर्देशों/टिप्पणियों को प्राथमिकता दी जा सकती है तथा हितधारकों द्वारा शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए उन्हें अलग-अलग रंगों में प्रदर्शित किया जा सकता है। कंपनी ने विधिवत अपना नोडल अधिकारी नामित किया है तथा नवीनतम भारत सरकार पोर्टल का उपयोग करके प्रभावी ढंग से बातचीत कर रही है।

12. नामरूप-IV परियोजना की स्थापना की स्थिति रिपोर्ट:

चूँकि संयंत्रों में पुरानी समस्या आ रही है और वे पहले ही अपना प्रभावी जीवन पूरा कर चुके हैं, इसलिए यदि नई परियोजना की स्थापना में तुरंत तेजी नहीं लाई गई, तो उपकरणों और मशीनरी की बड़ी विफलताओं के कारण यूरिया उत्पादन में गंभीर रुकावट आ सकती है। फिर भी उपलब्ध आंतरिक संसाधनों के साथ, नई परियोजना के चालू होने तक संयंत्रों को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, 28.01.2016 को आरएफक्यू जारी किया गया था और 17.06.2016 को आरएफपी जारी किया गया था। दो बोलीदाताओं अर्थात् मेसर्स गुजरात फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और मेसर्स अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को पहले से ही योग्य माना गया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी आरएफपी के जवाब में अपनी वित्तीय बोलियां प्रस्तुत नहीं कीं। इस प्रकार, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित दो चरण की बोली प्रक्रिया सफल नहीं हो सकी, क्योंकि बोलीदाताओं की ओर से प्रस्ताव के लिए अनुरोध के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

पीपीपी मोड बोली में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के मद्देनजर, 05.09.2016 को डीओएफ में एक बैठक आयोजित की गई और अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया कि पीएसयू रूट के माध्यम से नामरूप (अर्थात् नामरूप-IV) में बीवीएफसीएल के नए अमोनिया-यूरिया संयंत्र की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव रखा जाना चाहिए। डीओएफ द्वारा सीपीएसई और असम सरकार के संयुक्त उद्यम का गठन करके नामांकन मार्ग के माध्यम से 12.70 एलएमटीपीए एनजी आधारित संयंत्र की स्थापना के लिए एक नई पहल की गई।

13. जोखिम प्रबंधन:

कंपनी ने मूल्यांकन और न्यूनीकरण प्रक्रियाओं के लिए जोखिम प्रबंधन नीति निर्धारित की है, जिसकी समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर की जाएगी। संभावित जोखिमों की पहचान की गई है और उन्हें संयंत्र संचालन और रखरखाव, उपयोगिताएँ, पर्यावरण विनियामक, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, बाजार, वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, कानूनी और आंतरिक नियंत्रण जैसे विशिष्ट जिम्मेदारी क्षेत्रों के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है।

Once the action-points/ proposals/ issues/ targets, etc. are added in the eSamikSha digital platform, system automatically pushes it for the regular interval updation to the respective stakeholder(s), till it get compliance. Monitoring Agency(s) may obtain various exceptional and compliance status reports on the fly.

This system also facilitates the Monitoring Agencies to further give directions/ remarks and send email/ SMS to the stakeholder(s) on a particular action-points/ proposals/ issues/ targets etc. Monitoring Agencies directions/ remarks may be prioritized and displayed in different colours to act promptly by the stakeholder(s). The Company has duly nominated its Nodal Officer and is effectively interacting by using the latest GoI portal.

12. STATUS REPORT TOWARDS SETTING-UP OF NAMRUP-IV PROJECT:

As the plants are facing ageing problem and they have already surpassed their effective life, so if the establishment of a new project is not immediately expedited, serious interruption in urea production may be resulted because of major failures of the equipments and machineries. Still with the available in-house resources, utmost efforts are being made to continue to run the plants safely till the new project is commissioned.

As per the Cabinet Approval, RFQ was floated on 28.01.2016 and RFP was floated on 17.06.2016. Two bidders viz. M/s Gujarat Fertilizers & Chemicals Limited and M/s. Adani Enterprises Ltd. were pre-qualified, but none of them submitted their financial bids in response to RFP. As such, the two stage bidding process approved by the Union Cabinet could not be successful, as there was no response from the Bidders for the Request for Proposal.

In view of no response received in PPP mode bidding, a meeting was held on 05.09.2016 at DoF and it was inter-alia decided that a proposal should be put up for setting up the new Ammonia-Urea plant of BVFCL at Namrup (i.e. Namrup-IV) through PSU route. A new initiative was taken by DoF for setting-up of a 12.70 LMTPA NG based plant through nomination route by forming a JV of CPSEs and Govt. of Assam.

13. RISK MANAGEMENT:

The company had laid down Risk Management Policy for Assessment & Minimization procedures to be reviewed by the Board of Directors on quarterly basis. The possible risks have been identified and grouped under specific responsibility areas such as Plant Operation & Maintenance, Utilities, Environment Regulatory, Business Competition, Market, Finance, Human Resources, Information Technology, Legal and Internal Control.



14. पर्यावरण एवं सुरक्षा प्रबंधन का अनुपालन:

बीवीएफसीएल नामरूप पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सभी प्रासंगिक और लागू कानूनों/नियमों/मानकों आदि का पालन कर रहा है। जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, बैटरी (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम 2001 आदि सभी रिटर्न/रिपोर्ट आदि, जिन्हें विभिन्न कानूनों/नियमों/सरकारी आदेशों के अनुसार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, नियमित रूप से समय पर प्रस्तुत किए जाते हैं। जल अधिनियम और वायु अधिनियम के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम द्वारा संचालन की सहमति का नियमित रूप से नवीनीकरण किया जाता है। आपदा की स्थिति में आस-पास के लोगों को बीमा कवरेज देने के लिए सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के तहत 15.00 करोड़ रुपये की पॉलिसी ली गई है।

(पीपीई) समय-समय पर कर्मचारियों को जारी किया जाता है और स्वास्थ्य जांच भी की जाती है। सभी कार्य सुरक्षा मानदंडों के अनुसार निष्पादित किए जाते हैं। बीवीएफसीएल में एक अच्छी तरह से सुसज्जित फायर ब्रिगेड भी है, जो सभी नियमित जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में पड़ोसी उद्योगों के साथ पारस्परिक सहायता योजना के अनुसार, किसी भी आपदा की स्थिति में बाहरी सहायता भी उपलब्ध है। तरल अमोनिया को 1500 मीट्रिक टन क्षमता के हॉर्टन क्षेत्र में संग्रहीत किया जाता है, जो कि स्थिर और मोबाइल दबाव (अनफायर) नियम 2016 के तहत पेट्रोलियम विस्फोटक और सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) लाइसेंस द्वारा कवर किया जाता है। 2020 में बाहरी सलाहकार को शामिल करके बाहरी सुरक्षा ऑडिट और जोखिम मूल्यांकन के साथ पहली बार हैज़ॉप अध्ययन किया गया था। बाहरी सुरक्षा ऑडिट (आईएस 14489:1998) 2022 में आयोजित किया गया था।

15. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016:

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी), भारत सरकार ने 18.03.2016 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नियम निर्दिष्ट किए हैं। नियमों में प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रह और प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायत और अपशिष्ट उत्पादकों के साथ-साथ उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों की जिम्मेदारी तय की गई है। इस नियम के अनुसार, बीवीएफसीएल ने पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है।

16. प्रमुख अवसर और खतरे:

i.) कंपनी के लिए अवसर

- पड़ोसी राज्यों को यूरिया निर्यात की संभावना।
- अन्य कृषि उत्पादों में विविधीकरण।
- एकल खिड़की अवधारणा के अनुसार सभी उर्वरकों और कृषि उत्पादों की व्यवस्था करना।
- नई ब्राउन फील्ड परियोजना की स्थापना।

14. COMPLIANCE OF ENVIRONMENT & SAFETY MANAGEMENT:

BVFCL Namrup is committed to work for the protection of environment and it is adhering to all the relevant and applicable laws/rules/ standards etc. viz. the Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974, Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981, Environment Protection Act 1986, Public Liability Insurance Act 1991, Batteries (Management & Handling) Rules 2001 etc. All the returns/reports etc., which are required to be submitted as per various laws/rules/govt. orders are submitted regularly in time. Consent to Operate is renewed by the Pollution Control Board, Assam regularly as per Water Act and Air Act. A policy of Rs.15.00 crores under Public Liability Insurance Act 1991 has been taken to give insurance coverage to the nearby people, in case of disaster. All safety norms are strictly followed in BVFCL. Personnel Protective Equipments

(PPE) is periodically issued to employees and health check-ups are also carried out. All jobs are executed as per safety norms. BVFCL is also having a well equipped Fire Brigade, which is capable of meeting all regular need. As per Mutual Aid Scheme with the neighboring industries in Dibrugarh and Tinsukia district, external assistance is also available in case of any disaster. Liquid ammonia is stored in Horton Sphere of 1500 MT capacity which is covered by Petroleum Explosives & Safety organization (PESO) License under Static and Mobile Pressure (Unfired) Rules 2016. Hazop Study was done for the first time along with External Safety Audit and Risk Assessment, by engaging the external Consultant in 2020. External Safety Audit (IS 14489:1998) was conducted in 2022. Also the On-site Emergency Plan is updated periodically.

15. PLASTIC WASTE MANAGEMENT RULES, 2016:

The Ministry of Environment Forests and Climate Change (MoEF & CC), Government of India, vide gazette Notification dated 18.03.2016 has specified rules for Plastic Waste Management. The Rules fix the responsibility of local bodies, Gram Panchayat and Waste generators, as well as producers, importers and brand owners for collection and management of plastic waste. As per this rule, BVFCL has started the registration process.

16. KEY OPPORTUNITIES AND THREATS :

i.) The Opportunities to the Company

- Scope for exporting of urea to neighbouring states.
- Diversification into other agricultural products.
- To arrange for all fertilizers and agro products as per single window concept.
- Setting up new brown field project.

ii.) कंपनी को खतरे

- कम ऊर्जा वाली अन्य यूरिया विनिर्माण कंपनियों से प्रतिस्पर्धा खपत और उत्पादन लागत में कमी।
- रियायती दर पर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति जारी रहने की अनिश्चितता।
- निधि सृजन में कमी के कारण पूंजी निवेश में कमी।
- उत्पादन की उच्च लागत और अव्यवहार्यता के कारण कंपनी को बंद करना पड़ा।
- संयंत्रों को चलाने के लिए जनशक्ति की भारी कमी।
- आकर्षक पारिश्रमिक देने वाले अन्य सीपीएसयू में योग्य और अनुभवी जनशक्ति का निरंतर स्थानांतरण।
- मौजूदा परियोजना के स्थान पर नई बड़ी परियोजना स्थापित करने में विलंब।

iii.) ताकत और कमजोरी

- फीडस्टॉक और ईंधन की संपूर्ण आवश्यकता भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मूल्य पर उपलब्ध एपीएम प्राकृतिक गैस से पूरी की जा रही है।
- यह इकाई केवल घरेलू गैस का उपयोग कर रही है और फीड/ईंधन एनजी के स्रोत के करीब स्थित है।
- यदि इकाइयों को बिना किसी रुकावट के चलाया जाए तो उत्पादन की कुल लागत कम होगी।
- यह सम्पूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों में एकमात्र यूरिया उत्पादक कंपनी है, जहां अभी भी 40 लाख मीट्रिक टन तक की कमी है।
- भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बाहर स्थित अन्य कंपनियों की तुलना में यूरिया की आपूर्ति के लिए परिवहन लाभ।
- गैस कुओं के निकट नामरूप संयंत्रों के स्थित होने के कारण प्राकृतिक गैस की परिवहन लागत कम है।
- असम एवं अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन, जो मुख्यतः आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।

iv.) कंपनी की कमजोरी

- राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ा नहीं है।
- आधुनिक मानक आकार के संयंत्र की तुलना में संयंत्र की छोटी क्षमता
- एफसीआईएल और एचएफसीएल से विरासत में मिली पुरानी ऊर्जा अकुशल प्रौद्योगिकी।
- पौधों की वृद्धावस्था.
- अप्रचलन के कारण स्पेयर पार्ट्स की अनुपलब्धता।
- कुशल एवं प्रशिक्षित जनशक्ति की अनुपलब्धता।
- कुशल जनशक्ति की तीव्र कमी

ii.) The Threats to the company

- Competition from other urea manufacturing companies having lower energy consumption and lower cost of production.
- Uncertainty of continuation of supply of Natural Gas at a concessional rate.
- Shortage of capital investment due to paucity in fund generation.
- Closure of the Company due to high cost of production & unviability.
- Acute shortage of manpower to run the plants.
- Continuous attrition of qualified and experienced manpower to other CPSUs offering attractive remuneration.
- Delay in establishing a new bigger size project replacing the existing one.

(iii.) Strength and Weakness

- Entire requirement of feedstock and fuel is being met from APM Natural Gas available at GoI notified price.
- The unit is using only domestic gas and is located close to the source of Feed/ Fuel NG.
- Lower absolute cost of production in the units if run without interruption.
- It is the only urea producing Company in the entire North-Eastern States, where still there is shortfall to the extent of 40 Lakh MT exists.
- Transportation advantage for supply of Urea compared to other companies situated outside North-Eastern states of India.
- Lower transportation cost of the natural gas because of location of Namrup plants near to the gas wells.
- Direct and indirect generation of employment in the States of Assam & other North-Eastern states, which are predominantly economically backward.

iv.) The Weakness of the Company

- Not connected to the National Gas Grid.
- Small capacity of the plants compared to modern standard size plant.
- Old energy inefficient technology inherited from FCIL and HFCL.
- Old age of the plants.
- Non-availability of spares due to obsolescence.
- Non-availability of skilled & trained manpower.
- Acute shortage of skilled manpower



17. आईटी उन्नयन और ई-गवर्नेंस:

I. आईटी अपनाना/उन्नयन:

- एनआईसी की ईमेल सेवा @bvfc.com डोमेन में लागू की गई है। सभी अधिकारियों को आधिकारिक ईमेल आईडी प्रदान की गई है।
- आगंतुक प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है।
- कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन आउटगोइंग एवीआई लागू किया गया है।
- एनआईसी द्वारा विकसित डिजिटल कार्यस्थल समाधान ई-ऑफिस को क्रियान्वित किया गया है।
- लेखांकन प्रणाली को पुराने COBOL आधारित सॉफ्टवेयर से टैली लेखांकन प्रणाली में स्थानांतरित किया जा रहा है।
- मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है।
- आवास आवंटन आवेदन पत्र ऑनलाइन कर दिया गया है।
- कंपनी की वेबसाइट को अद्यतन जानकारी के साथ नवीनीकृत किया गया है।
- बिल ट्रैकिंग प्रणाली लागू की गई है।

II. ई-गवर्नेंस:

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा विकसित सरकारी ई-खरीद प्लेटफॉर्म (जीईपीएनआईसी) का उपयोग ऑनलाइन निविदाएं प्रकाशित करने और ऑनलाइन नीलामी आयोजित करने के लिए किया गया है।
- सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जेम) के माध्यम से खरीद का उपयोग किया जा रहा है।
- कंपनी की वेबसाइट पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध है। रिक्तियों/नोटिस को कंपनी की वेबसाइट और नेशनल करियर सर्विस के पोर्टल पर प्रकाशित किया जाता है।
- आधिकारिक ट्विटर, फेसबुक, कू ऐप, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट को अद्यतन जानकारी के साथ बनाए रखा जा रहा है।

18. बीमा:

आपके निगम की संपत्तियां और बीमा योग्य परिसंपत्तियां जैसे संयंत्र और मशीनरी, बिल्टिंग स्टॉक और अन्य का पर्याप्त बीमा किया गया है। सार्वजनिक बीमा अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के अनुसार, आपके निगम ने किसी भी आपदा की स्थिति में आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बीमा कवरेज देने के लिए 15 करोड़ रुपये की पॉलिसी ली है।

19. सुरक्षा:

नामरूप उर्वरक परिसर की सुरक्षा की निगरानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा की जा रही है और निगम की टाउनशिप में सार्वजनिक भवनों में सुरक्षा गार्डिंग के साथ-साथ रात्रि गश्त की निगरानी आउटसोर्स निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा की जा रही है। निगम पूरे क्षेत्र/टाउनशिप में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए नामरूप टाउनशिप में और उसके आसपास निगरानी रखने के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकरण को रात्रि गश्ती वैन प्रदान कर रहा है। बीवीएफसीएल फैक्ट्री परिसर की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए, समय-समय पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट कमांडर के साथ सुरक्षा बैठक आयोजित की जाती है और यदि कोई आवश्यकता/कमजोरी उनके द्वारा बताई जाती है तो उसका तुरंत

17. IT UPGRADATION AND E-GOVERNANCE:

I. IT ADOPTION / UP-GRADATION:

- Email service from NIC has been implemented in the domain @bvfc.com. All Officers have been provided official email ids.
- Visitor Management System has been implemented.
- Online Outgoing AVI for Employees has been implemented.
- E-Office, a digital workspace solution developed by NIC has been implemented.
- Accounting System is being migrated from old COBOL based software to Tally Accounting System.
- HR Management System has been implemented.
- House Allotment Application form has been made online.
- Company's website has been renovated with up to date information.
- Bill Tracking System has been implemented.

II. E-GOVERNANCE:

- Government eProcurement Platform (GePNIC), developed by National Informatics Centre (NIC) has been utilized to publish online tenders and to conduct online auctions.
- Procurement through Government e-Market place (GeM) is being utilized.
- The Company's web site is maintained with updated information. Vacancies/ notices are published in the company's website and the portal of National Career Service.
- Official Twitter, Facebook, Koo app, Youtube Channel and Instagram accounts are being maintained with updated information.

18. INSURANCE:

The properties and insurable assets of your Corporation such as Plant & Machineries, Building Stocks and others are adequately insured. As required under the provisions of Public Insurance Act, 1991, your Corporation has taken a policy of Rs. 15 crores to give insurance coverage to the peoples of adjoining areas, in case of any disaster.

19. SECURITY:

The security of the Namrup Fertilizer Complex is being monitored by the CISF and in Corporation's township, the security guarding in public buildings as well as night patrolling are being monitored by the outsourced private security Agency. Corporation is providing a night patrolling van to local police authority to keep vigil in and around the Namrup Township for maintenance of peace and tranquility in entire area/township. In order to review the entire security system of BVFCL factory premises, Security meeting is organised from time to time with CISF Unit Commander and the requirement/infirmary if any

समाधान किया जाता है। आपके निगम के प्रबंधन, सुरक्षा कर्मचारियों और कर्मचारियों को समय-समय पर निगम की सुरक्षा आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बीवीएफसीएल फैक्ट्री क्षेत्र में तैनाती के लिए सीआईएसएफ कर्मियों की स्वीकृत संख्या 144 है। इसके अलावा, आउटसोर्स सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से पूरे बीवीएफसीएल टाउनशिप में 24*7 घंटे कुल 31 निजी सुरक्षा कर्मी भी तैनात हैं।

20. सत्यनिष्ठा संधि:

आपके निगम ने वर्ष 2019 में निदेशक मंडल की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद 1.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की सभी खरीद में सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) को लागू किया है। इसके अलावा, सत्यनिष्ठा संधि खंड को अनिवार्य रूप से एक करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य की सभी निविदाओं में शामिल किया गया है। सत्यनिष्ठा संधि कार्यान्वयन की निर्धारित आवधिक समीक्षा स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर(ओ) के माध्यम से की जा रही है।

21. आईएसओ 9001 और 14001 प्रमाणपत्र की स्थिति:

आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ 14001:2015 के लिए प्रमाणपत्र 17/01/2022 से प्राप्त किए गए और 16/01/2025 तक वैध हैं। पुनः प्रमाणन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद प्रमाणपत्र प्राप्त किए गए।

पुनः प्रमाणन ऑडिट मार्च 2022 के महीने में आयोजित किया गया था।

आईएसओ 9001:2015 और 14001:2015 के लिए पुनः प्रमाणन का कार्य नामरूप-III संयंत्र समूह और बीवीएफसीएल के सामान्य सेवा विभागों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

प्रमाणन एजेंसी: मेसर्स स्विस सर्ट प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली।

पुनः प्रमाणन के बाद, जनवरी 2024 में पहला निगरानी ऑडिट आयोजित किया गया।

दूसरा निगरानी ऑडिट चालू वर्ष (2024-25) में होना है जो शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा।

22. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली:

कंपनी के पास वित्त और लेखा के संबंधित क्षेत्रों में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो आंतरिक लेखा परीक्षा और नियमित प्रबंधन समीक्षाओं द्वारा समर्थित है। लेखांकन में, वाउचर की तैयारी से ही आंतरिक नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है जहाँ प्रत्येक वाउचर की जाँच की जाती है और शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल के अनुसार संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है। मैनुअल आधार पर दैनिक कैशबुक शेष की भौतिक रूप से गणना की जाती है और पुस्तक के साथ जाँच की जाती है। इसी तरह, सभी बैंक खातों का भी समय-समय पर मिलान किया जाता है। लेखांकन के लिए भी आंतरिक नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है जहाँ सिस्टम में दर्ज जर्नल वाउचर सहित वाउचर की

highlighted by them are immediately addressed. The management, security staff and the employees of your corporation are sensitized periodically to the security needs of Corporation.

The sanctioned strength of CISF personnel for deployment in BVFCL factory area is 144 during the period under review. Moreover, total 31 nos. private security personnel are also deployed in entire BVFCL township on 24*7 hrs. through out source security agency.

20. INTEGRITY PACT:

Your Corporation has implemented Integrity Pact (IP) in all the Procurement of Goods and Services having threshold value of Rs. 1.00 Crores and above after obtaining approval of Board of Directors in the year 2019. Further, the Integrity Pact clause is invariably incorporated in all the Tenders having value more than Rs. One Crore and above. Prescribed periodic review of Integrity Pact implementation is being done through Independent External Monitor(s).

21. STATUS OF ISO 9001 & 14001 CERTIFICATE:

Certificates for ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 were obtained w.e.f. 17/01/2022 and valid till 16/01/2025. Certificates were obtained after successful completion of Recertification Process.

Recertification Audit was conducted in the month of March 2022.

Re-certifications for ISO 9001:2015 and 14001:2015 are being implemented in Namrup- III Group of Plants and Common Services Departments of BVFCL.

Certification Agency: M/s SWISS CERT PRIVATE LIMITED, Delhi.

After Recertification, First Surveillance Audit was conducted in January 2024.

Second Surveillance Audit is due in the current year (2024-25) which will be conducted shortly.

22. INTERNAL CONTROL SYSTEM:

The Company has adequate internal control system in the respective areas of Finance & Accounts supported by Internal Audit and regular management reviews. In the accounting, internal control is exercised right from the preparation of vouchers where each voucher is checked and countersigned by respective senior officers as per delegation of power. The daily cashbook balance on manual basis is physically counted and checked with the book. Similarly, all bank accounts are also reconciled periodically. Internal control is also exercised for accounting where vouchers including journal vouchers entered into



जाँच की जाती है और उनका लेखा करने से पहले उन्हें मान्य किया जाता है। खरीद/कार्य अनुबंध या मौद्रिक भागीदार वाले अन्य हर प्रस्ताव की नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार जाँच की जाती है और उचित निर्णय लेने से पहले एक समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सभी लागू कानूनों का अनुपालन, कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन शामिल हैं। समय-समय पर प्रणाली की समीक्षा की जाती है और इसके सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षा वित्त एवं लेखा विभाग द्वारा समर्थित बाहरी योग्य एजेंसी द्वारा संचालित होती है। आंतरिक लेखा परीक्षा दस्तावेजों/रिकॉर्ड/प्रक्रियाओं की जांच करती है और अनुपालन के लिए आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उसके बाद की जाने वाली कार्रवाई नियमित रूप से लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखी जाती है। लेखा परीक्षा समिति नियमित रूप से आंतरिक लेखा परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता की समीक्षा करती है। आंतरिक लेखा परीक्षा फर्म और कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई है कि वर्तमान लेखा सॉफ्टवेयर में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की जांच और संतुलन, जो कि COBOL प्रोग्रामिंग पर आधारित है, को उद्योग में प्रचलित नवीनतम लेखा सॉफ्टवेयर के साथ बदलकर मजबूत करने की आवश्यकता है।

23. मानव संसाधन विकास:

क. जनशक्ति स्थिति

31 मार्च 2024 तक निगम की कुल जनशक्ति स्थिति 387 थी। 31.03.2024 तक श्रेणीवार जनशक्ति की स्थिति निम्नानुसार थी:-

क्रम सं.	श्रेणियाँ	संख्या.	%
1	अनुसूचित जाति	31	8
2	अनुसूचित जनजाति	50	12.90
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	109	28
4	पूर्व सैनिक	0	0
5	शारीरिक रूप से विकलांग	1	0.25
6	महिलाएं	27 (एससी-04, एसटी-03, ओबीसी-07, जनरल-13)	6.9
7	अल्पसंख्यक	22	5.6
8	अन्य	197	50.9

ख. प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रशिक्षण रिकॉर्ड की रिपोर्ट।

कर्मचारियों के लिए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए तैयार किए गए प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार इकाई में आंतरिक प्रशिक्षण और कक्षा व्याख्यान के माध्यम से कर्मचारियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। फंड और प्रशिक्षण

the system are checked and validated before those are accounted for. Every proposal for purchase/works contract or others having monetary involvement are examined as per policy and procedures and reviewed by a committee before taking appropriate decision. Internal Control System includes compliance of all the applicable laws, safety of assets of the Company and risk management. The System is reviewed from time to time and necessary actions taken for its improvement. Internal Audit is conducted by the outside qualified agency supported by the Finance & Accounts Department. Internal Audit examines documents / records / procedures and submits periodical reports for compliance. The Internal Audit Reports and follow up actions thereon are regularly placed before the Audit Committee. Audit Committee regularly reviews the internal audit and adequacy of internal control. As reported by the Internal Audit Firm and the Statutory Auditors of the Company that the check and balance of internal control system in the present accounting software, which is based on the COBOL Programming, needs to be strengthened by replacing the same with the latest accounting software prevailed in the Industry.

23. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT:

A. MANPOWER POSITION

The total manpower status of the Corporation as on 31st March 2024 was 387. The manpower position by category as on 31.03.2024 was as under:-

Sl.No.	Categories	Nos.	%
1	Scheduled Caste	31	8
2	Scheduled Tribe	50	12.90
3	OBC	109	28
4	Ex- Servicemen	0	0
5	Physically handicapped	1	0.25
6	Women	27 (SC-04,ST-03, OBC-07,Gen-13)	6.9
7	Minority	22	5.6
8	Others	197	50.9

B. TRAINING

A report of the Training Records during the Financial Year 2023-24.

For employees, continuous effort for improved performance of employees has been made through in-house training both in the plant and through classroom lectures as per Training Calendar prepared for FY 2023-24. In spite of limitations on fronts like fund and training

संसाधनों जैसे मोर्चों पर सीमाओं के बावजूद, बीवीएफसीएल विभागों से प्रदर्शन पर वार्षिक फीडबैक के आधार पर प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन करता है। शैक्षिक योग्यता के विश्लेषण के आधार पर समय-समय पर व्यापक प्रशिक्षण आवश्यकता सर्वेक्षण किया जाता है; प्रेरण अवधि के दौरान दिया गया प्रशिक्षण, उसके बाद नौकरी के अनुभव, प्रदर्शन और साक्षात्कार पर संक्षिप्त फीडबैक।

इसके अलावा, कंपनी अप्रेंटिसशिप अधिनियम के तहत प्रशिक्षुओं को नियुक्त कर रही है। प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के अलावा, सीएमए प्रशिक्षुओं के साथ-साथ वास्तविक औद्योगिक वातावरण के संपर्क के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षुओं को भी नियुक्त किया जा रहा है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी के प्रशिक्षण विभाग द्वारा 07 (सात) आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, 07 (सात) बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम और 3 (तीन) वेबिनार आयोजित किए गए।

कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:
आंतरिक कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम का शीर्षक	प्रतिभागियों का स्तर और संख्या	दिनांक	संकाय
01	सुरक्षा जागरूकता एवं अग्निशमन	अधिकारी = 02 कर्मचारी = 26	04/08/2023	अग्नि एवं सुरक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग।
02	एसआईपी 5 रिले कॉन्फिगरेशन पर इलेक्ट्रिकल कार्यशाला	अधिकारी = 11	09/08/2023	एम. मोहम्मद आसिफ, मेसर्स सीमेंस लिमिटेड।
03	सेवानिवृत्ति वित्तीय योजना और निवेश पर कार्यशाला	अधिकारी = 27 कर्मचारी = 05	17/08/2023	श्री ए. आचार्य, पूर्व मुख्य महाप्रबंधक वित्त, नाल्को
04	बीवीएफसीएल में लोटो सुरक्षा प्रणाली के कार्यान्वयन पर कार्यशाला	अधिकारी = 24	18/08/2023	अरुण महतो, ई-स्क्वायर अलायंस लिमिटेड, नई दिल्ली
05	तनाव प्रबंधन और प्राकृतिक चिकित्सा पर सेमिनार	अधिकारी = 44 कर्मचारी = 23	19/12/2023 से 20/12/2023	श्री नरेन्द्र केने, नागपुर
07	टीडीएस/टीसीएस पर आउटरीच/सेमिनार कार्यक्रम	अधिकारी = 31	23/01/2024	आयकर भारत, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गुवाहाटी

बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	नाम	द्वारा आयोजित	कार्यक्रम का स्थान	शीर्षक	अवधि
01	1. श्रीमती जूलियट चेतिया, प्रबंधक (एमएच एवं प्रशिक्षण) 2. श्रीमती गायत्री मणि दास, उप. प्रबंधक (सीएच)	स्कोप, नई दिल्ली	स्कोप, नई दिल्ली	महिला अधिकारियों के लिए विकास नेतृत्व	13वीं और 14वीं जुलाई, 2023

resources, BVFCL works out training need assessment based on the yearly feedback on performance from the departments. Further extensive training need survey is carried out periodically based on the analysis of the educational qualification; training imparted during the induction period, subsequent on the job exposure, summarized nfeedback on performance and interviews

Further, the Company is engaging apprentices under Apprenticeship Act. Apart from engaging apprentices, CMA trainees as well as Vocational Trainees for exposure to actual industrial environment are also engaged.

During the year ending 31st March, 2024, 07 (Seven) nos. of in-house training programmes, 07 (Seven) nos. of external training programmes and 3 (Three) webinars were conducted by the Training Department of the Company.

Brief details of the programme(s) are stated as below:

In-house programmes

क्रम सं.	कार्यक्रम का शीर्षक	प्रतिभागियों का स्तर और संख्या	दिनांक	संकाय
01	Safety Awareness & Fire Fighting	Officers= 02 कर्मचारी = 26	04/08/2023	Fire & Safety Deptt and Medical Deptt.
02	Electrical Workshop on SIP 5 Relay Configuration	Officers = 11	09/08/2023	M. Mohammed Aseef, M/s Siemens Ltd.
03	Workshop on Retirement Financial Planning and Investments	Officers= 27 Workmen = 05	17/08/2023	Shri A.Acharaya Ex-CGM Finance, NALCO
04	Workshop on implementation of LOTO safety system in BVFCL	Officers = 24	18/08/2023	Arun Mahato E-square alliance Ltd. New Delhi
05	Seminar on Stress Management and Naturopathy	Officers= 44 Workmen = 23	19/12/2023 to 20/12/2023	Shri Narendra Kene, Nagpur
07	Outreach/ Seminar Program on TDS/ TCS	Officers = 31	23/01/2024	Income Tax India, North Eastern Region

External Training Program

Sl. No.	Name(s)	Organised by	Venue	Title	Duration
01	1. Mrs. Juliet Chetia, Manager (MH & Training) 2. Mrs. Gayatree Mani Das, Dy.Manager(Ch)	SCOPE, New Delhi	SCOPE, New Delhi	Leadership Development for Women Executives	13th and 14th July, 2023



02	सुश्री प्रिया जोशी, सहायक प्रबंधक (सतर्कता)	आईसीडब्ल्यू नई दिल्ली	आईसीडब्ल्यू नई दिल्ली	सतर्कता प्रशासन और निवारक सतर्कता अच्छे कार्य के लिए एक उपकरण के रूप में शासन	7 और 8 अगस्त 2023	02	Ms Priya Joshi, Asst. Manager (Vigilance)	ICW, New Delhi	ICW, New Delhi	Vigilance Administration and Preventive Vigilance as a tool for Good Governance	7th & 8th August 2023
03	श्री धृति सुंदर बरुआ, प्रबंधक (कानूनी) और सीपीआईओ	स्कोप, नई दिल्ली	लखनऊ	आरटीआई अधिनियम पर राष्ट्रीय बैठक	14वां और 15वां सितंबर 2023	03	Sri Dhriti Sundar Baruah, Manager (Legal) & CPIO	SCOPE, New Delhi	Lucknow	National Meet on RTI Act	14th और 15th Sept. 2023
04	1. श्री अरिजीत नंदी, उप प्रबंधक (यांत्रिक) सी.ई.नं. 3062/7120 2. श्री गिरीश चौधरी गोवाला, उप प्रबंधक (यांत्रिक) सी.ई.नं. 3052/7225	भारतीय उर्वरक संघ	होटल रीजेंट सेंट्रल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	उर्वरक उद्योग में वरिष्ठ रखरखाव इंजीनियरों के लिए एफएआई प्रशिक्षण कार्यक्रम	9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर, 2023	04	1. Shri Arijit Nandi, Dy. Manager (Mech) C/E No. 3062/7120 2. Shri Girish Ch. Gowala, Dy. Manager (Mech) C/E No. 3052/7225	Fertiliser Association of India	Hotel Regenta Central, Lucknow, Uttar Pradesh	FAI Training Program for Senior Maintenance Engineers in Fertilizer Industry	9 Oct. to 13 October 2023
05	श्री सत्यजीत मिश्रा, महा प्रबंधक (विपणन)	निदेशक संस्थान	होटल ली मेरिडियन,	दिल्ली प्रमाणित कॉर्पोरेट निदेशकों के लिए निदेशकों हेतु मास्टर क्लास	1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2023 तक	05	Shri Satyajeet Misra GM (Mktg)	Institute of Directors	Hotel Le Meridien, Delhi	Master class for Directors leading to Certified Corporate Directors	1st Dec to 3rd Dec 2023
06	1. श्री सचिन खेमानी, मुख्य प्रबंधक (वित्त) 2. श्री प्रशांत कुमार, अधिकारी (वित्त)	भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई)	गुवाहाटी, असम	सीए राष्ट्रीय सम्मेलन	1 दिसंबर से 2 दिसंबर 2023 तक	06	1. Shri Sachin Khemani, Chief Manager (Finance) 2. Shri Prashanth Kumar, Officer (Finance)	Institute of Chartered Accounts of India (ICAI)	Guwahati, Assam	CA National Conference	1st Dec to 2nd Dec 2023
07	श्री सूर्यनारायण साहू, अधिकारी वित्त सी.ई. सं. 0313/7594	आईसीएम-एआई - पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद और भुवनेश्वर चैप्टर	ब्लू लिली बीच रिजॉर्ट, बलियापांडा पुरी, ओडिशा	क्षेत्रीय लागत सम्मेलन 2024 का विषय है - रूपंतोर - एक आदर्श बदलाव	12 जनवरी से 14 जनवरी 2024 तक नया भारत -	07	Shri Suryanaryana Sahoo, Officer Finance C/E. No. 0313/7594	ICMAI - Eastern India Regional Council & Bhubaneswar Chapter	Blue Lily Beach Resort, Baliapanda Puri, Bhubaneswar Odisha	The Regional Cost Conference 2024 on the theme Rupantor - New Bharat - A Paradigm Shift	12th Jan to 14th Jan 2024

वेबिनार

क्रम सं.	कार्यक्रम का शीर्षक	प्रतिभागियों का स्तर और संख्या	दिनांक	संकाय
०१	अनुशासनात्मक कार्यवाही पर कार्यशाला	अधिकारी = 29 कर्मचारी = 05	9 अगस्त 2023	श्री डीआर सरिन, पूर्व सीएमडी आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
०२	विद्युत प्रणाली पर विद्युत कार्यशाला, विद्युत व्यापार पर अध्ययन	अधिकारी = १५ कर्मचारी = ०९	११ अगस्त २०२३	सुश्री केना मेहता, मेसर्स एनकॉन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
०३	सार्वजनिक खरीद नीतियों और खरीद पर ऑनलाइन कार्यशाला बीबीएफसीएल के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से	अधिकारी = ७४	२८ अगस्त से २९ अगस्त २०२३	राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास अकादमी, नई दिल्ली

Webinars

Sl. No	Title of the programme	Level & No. of participants	Date	Faculty
01	Workshop on Disciplinary Proceedings	Officers = 29 Workmen = 05	9 th August 2023	Shri D.R. Sarin, Ex CMD Artificial Limbs Mfg. Corp. of India
02	Electrical Workshop on Power System Study on Power Trading	Officers = 15 Workmen = 01	11 th August 2023	Ms Kena Mehta, M/s Encon Engineers Pvt. Ltd.
03	Online workshop on Public Procurement Policies and Procurement through GeM portal for BVFCL	Officers = 74	28 th August to 29 th Aug 2023	National Academy of Human Resource Development, New Delhi

ग. औद्योगिक संबंध रिपोर्ट

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध परिदृश्य कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा।

घ. अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) और शारीरिक रूप से विकलांगों (पीएच) के कल्याण और उन्नति के लिए कंपनी की गतिविधियाँ

आपका निगम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण के मामले में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए राष्ट्रपति के निर्देशों और दिशा-निर्देशों/आदेशों का पालन कर रहा है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों को कंपनी में किसी भी पद के लिए आवेदन करते समय शुल्क के भुगतान से पूरी तरह छूट दी गई है।

आपके निगम में संपर्क अधिकारी के अधीन एक एससी/एसटी/ओबीसी प्रकोष्ठ है, जो एससी/एसटी समुदाय से संबंधित कर्मचारियों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर और एससी/एसटी एसोसिएशनों के परामर्श से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करता है।

आपके निगम की सभी कल्याणकारी सुविधाएँ अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के कर्मचारियों को भी दी जाती हैं। हमारी कंपनी को भारत सरकार से आदिवासी उप-योजना के तहत कोई निधि आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है।

01.01.2024 तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व तथा पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष अर्थात् 2023 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला निर्धारित प्रारूप में वार्षिक विवरण अनुलम्बक-II में संलग्न है।

24. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसईएस) सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012:

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के निर्देशानुसार 23 मार्च, 2012 (संशोधित) के आदेश के अनुसार, बीवीएफसीएल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों और प्रदान की गई सेवाओं की समग्र खरीद वित्तीय वर्ष 2023-24 में की गई कुल खरीद के 27.48% की सीमा तक हासिल की, न्यूनतम 25% के निर्धारित संशोधित पैरामीटर के विरुद्ध। इसके अलावा, एमएसई के माध्यम से कुल खरीद में एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का प्रतिशत 0% था। वित्तीय वर्ष के दौरान महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का प्रतिशत 2.09% था। सभी निविदा आमंत्रण सूचनाओं (एनआईटी) में एमएसई पर लागू छूट के लिए सरकारी दिशानिर्देशों को बताने के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है। एमएसई से खरीद के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बीवीएफसीएल एमएसई पार्टियों को बिल डिस्काउंटिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए सिडबी और एनएसई के संयुक्त उद्यम, रिसेवबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) के टीआरडीएस प्लेटफॉर्म के साथ पंजीकृत है।

C. INDUSTRIAL RELATIONS REPORT

The Industrial Relations Scenario during the year was by and large peaceful.

D. ACTIVITIES OF THE COMPANY FOR WELFARE AND ADVANCEMENT OF SCHEDULED CASTES (SCs), SCHEDULED TRIBES (STs), OTHER BACKWARD CLASSES (OBCs) AND PHYSICALLY HANDICAPPED (PH)

Your Corporation is following the presidential directive and guidelines/ orders issued by the Government of India from time to time in the matter of reservation in services for SCs, STs and OBCs. Candidates belonging to SC and ST are fully exempted from payment of fee while applying for any post in the Company.

Your Corporation is having one SC/ST/OBC Cell under the Liaison Officer, who initiates necessary action to settle the grievances of the employees belonging to SC/ST community on priority basis and in consultation with SC/ST Associations.

All the welfare facilities of your Corporation are also extended to the employees of SC/ST community along with other employees. Our company do not received any allocation of fund under tribal sub-plan from the Govt. of India.

The Annual Statement in the prescribed format showing the representation of SCs, STs and OBCs as on 01.01.2024 and number of appointments made during the preceding calendar year i.e. 2023 is enclosed in Annexure- II.

24. PUBLIC PROCUREMENT POLICY OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES (MSEs) ORDER, 2012:

As per directive of Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises vide Order dated 23rd March, 2012 (as amended), BVFCL achieved overall procurement of products produced and services rendered by Micro, Small and Medium Enterprises to the extent of 27.48% of total purchase made in the financial year 2023- 24 against set amended parameter of minimum of 25%. Moreover, percentage of procurement of Goods & Services from MSEs owned by SC/ST entrepreneurs out of total procurement through MSEs was 0%. During the financial year percentage of procurement of Goods & Services from MSEs owned by women entrepreneurs was 2.09%. In all the Notice Inviting Tenders (NIT) necessary provision has been made for stating the Government guidelines for relaxation applicable to MSEs. All efforts are being made to procure items specified for procurement from MSEs. BVFCL is registered with TReDS platform of Receivable Exchange of India Limited (RXIL), a joint venture of SIDBI and NSE for providing bills discounting facilities to MSEs parties.



25 सतर्कता:

सतर्कता को प्रबंधन कार्य का अभिन्न अंग माना जाता है। सतर्कता का मुख्य उद्देश्य ईमानदार लोगों की रक्षा करना और दोषियों को दंडित करना है, साथ ही व्यापार और उद्योग में “लोगों” का विकास करना और मुख्य सतर्कता अधिकारी के मार्गदर्शन में पारदर्शिता, दक्षता और निष्पक्षता की संस्कृति के लिए प्रबंधन को सक्षम बनाना है।

कंपनी के सतर्कता प्रभाग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करते हैं और सीवीओ को कंपनी के सतर्कता अधिकारियों की एक टीम द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रबंधन के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखते हुए नियमित और निवारक सतर्कता गतिविधियाँ जैसे कि औचक निरीक्षण, प्रशासनिक निर्णयों के लिए सतर्कता मंजूरी, स्थानांतरण नीति का प्रवर्तन और संवेदनशील पदों पर अधिकारियों का रोटेशन किया गया। प्रणालीगत सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सतर्कता अधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की निगरानी और समीक्षा की जा रही है।

सतर्कता विभाग के सामने चुनौती ऐसा माहौल तैयार करने की है, जिसमें ईमानदार लोग निडर होकर काम कर सकें और भ्रष्ट लोगों को तुरंत सजा मिल सके।

कर्मचारियों में उच्च स्तर की जागरूकता बनाए रखने पर उचित जोर दिया गया। उचित सतर्कता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, सतर्कता कार्यकर्ताओं को उनके सतर्कता ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में भेजा जा रहा है ताकि उन्हें अपेक्षित स्तर पर लाया जा सके और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के बराबर गुणवत्ता विकसित की जा सके।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल १५ शिकायतें प्राप्त हुईं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सभी 15 (पंद्रह) शिकायतों का निपटारा कर दिया गया।

सीएमडी और सीबीआई, गुवाहाटी असम के परामर्श से संदिग्ध अधिकारियों की सहमत सूची और संदिग्ध निष्ठा की सूची तैयार की गई और सूचीबद्ध अधिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तीन साल से अधिक समय से संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारियों के रोटेशन की प्रणाली का पालन किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान आकस्मिक एवं नियमित निरीक्षण किए गए। जांच के दौरान यदि कोई विसंगति/अनियमितता पाई गई तो उसे सुधारात्मक कार्रवाई/निवारक उपाय के लिए प्रबंधन के ध्यान में लाया गया।

सीटीई द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार उच्च मूल्यों से संबंधित फाइलों की सतर्कता विभाग द्वारा नियमित आधार पर जांच की गई है तथा निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर व्यवस्थित सुधार के लिए सिफारिशें दी गई हैं।

मासिक रिपोर्ट/तिमाही निष्पादन रिपोर्ट (क्यूपीआर)/सीटीई रिपोर्ट/अर्धवार्षिक रिपोर्ट निदेशक मंडल को समीक्षा के लिए/वार्षिक रिपोर्ट/केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और उर्वरक विभाग (डीओएफ) को रिटर्न शीघ्र और समय पर प्रस्तुत किया जाता है।

25. VIGILANCE:

Vigilance is considered to be an integral part of the management function. The focal point of vigilance is to protect the honest & punish the guilty together with the development of “People” in Business and Industry and to enable the management for culture of transparency, efficiency and fairness under the guidance of the Chief Vigilance Officer.

Vigilance Division of the Company is headed by Chief Vigilance Officer (CVO) and the CVO is assisted by a team of vigilance officers of the Company. Regular and preventive vigilance activities such as surprise checks, vigilance clearance for administrative decisions, enforcement of transfer policy and rotation of officers on sensitive posts was carried out by maintaining close coordination with the Management. The roles and responsibilities of vigilance officers are being monitored and reviewed to bring the focus on systemic improvement.

The challenge before the Vigilance Department is to create an environment in which the honest can work fearlessly and the corrupt are punished promptly.

Due thrust was given to maintain high degree of awareness amongst the employees. In order to impart proper vigilance training, vigilance functionaries are being sent at different training institutes for updating their vigilance knowledge and skill to bring them in a requisite level and to develop the quality at par the other PSUs.

Total 15 no's of complaints were received during FY 2023-24. All the 15 (Fifteen) complaints were disposed off during FY 2023-24.

Agreed lists of suspected officers and List of Doubtful Integrity were prepared in consultation of CMD and CBI, Guwahati Assam and a close watch is being kept on the listed officers. System of rotation of officers posted in sensitive posts for more than three years is being followed.

Surprise and regular inspections were carried out during the year. Discrepancies/irregularities noticed, if any, during the scrutiny was brought to the notice of the Management for corrective action/preventive measures.

Files pertaining to high values have been examined by Vigilance Department on regular basis as per CTE laid down pattern and on the basis of finding of inspections, recommendations has been given for systematic improvement.

Prompt and timely submission of Monthly Reports/Quarterly Performance Report (QPR)/CTE Report/Half yearly report to Board of Directors for their review/Annual Reports>Returns to Central Vigilance Commission(CVC) and Department of Fertilizers (DoF) is maintained.

संगठन में अपनाई गई एक और अच्छी प्रक्रिया यह है कि सरकारी अधिकारियों को अपनी संपत्ति की वार्षिक घोषणा करनी होती है। वार्षिक संपत्ति रिटर्न कहे जाने वाले इन घोषणाओं की मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा जांच की जाती है ताकि ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जा सके जिनके पास उनकी आय के वैध स्रोत से अधिक संपत्ति है, ताकि ऐसे अधिकारियों पर उचित निगरानी रखी जा सके। इसलिए उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों की संपत्ति रिटर्न की नियमित जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी चल/अचल लेन-देन के बारे में प्रबंधन को समय पर जानकारी प्रस्तुत करें और यह जांच की जाए कि क्या कोई अधिकारी, विशेष रूप से वरिष्ठ/संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारी, ऐसी संपत्ति तो नहीं रख रहे हैं जिसे उनकी ज्ञात आय के स्रोत से अधिक कहा जा सकता है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देश पर, बीवीएफसीएल द्वारा 30 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह “ “भ्रष्टाचार का विरोध करें ; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें” थीम के अनुरूप मनाया गया। सहभागी सतर्कता की सच्ची भावना को विकसित करने की दिशा में, आयोग ने 16 अगस्त, 2023 से 15 नवंबर 2023 तक तीन महीने की अभियान अवधि का निर्देश दिया, जिसमें छह अलग-अलग निवारक सतर्कता उपायों को फोकस क्षेत्रों के रूप में लिया गया। जागरूकता पैदा करने के लिए कर्मचारियों और सीआईएसएफ कर्मियों के बीच सतर्कता अधिकारियों द्वारा आंतरिक प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। वीएडब्ल्यू 2023 के दौरान कर्मचारियों और स्कूली बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं।

समय-समय पर सीवीसी/प्रशासनिक मंत्रालय/डीओपीटी/डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देश/निर्देशों को सख्त अनुपालन के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय, नामरूप के सभी विभागाध्यक्षों/विभागों को व्यापक प्रसार हेतु भेजा जा रहा है।

26. कल्याणकारी उपाय (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व):

आपका निगम अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाता है और अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में कई उपाय करता है, जो (8 किलोमीटर की परिधि के भीतर के क्षेत्रों तक) सीमित हैं। संक्षेप में वे निम्नलिखित हैं:

अपने कर्मचारियों और आश्रितों को आवास और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के अलावा, निगम कर्मचारियों के बच्चों और टाउनशिप और आस-पास के गांवों के वार्डों को शैक्षिक सुविधाएं भी प्रदान करता है। निगम एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एक केंद्रीय विद्यालय और एक मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (भूमि और अन्य सुविधाएं बीवीएफसीएल द्वारा प्रदान की जा रही हैं) के अलावा एक प्राथमिक विद्यालय चला रहा है। निगम ने पहले नामरूप कॉलेज की स्थापना, उच्च शिक्षा के लिए एक वी.एड कॉलेज और नामरूप में एक राज्य औषधालय की स्थापना के लिए अपना संरक्षण बढ़ाया था। बीवीएफसीएल रियायती दर पर कॉलोनी क्षेत्र के भीतर आवास प्रदान करके एक जूनियर कॉलेज और एक असमिया माध्यम स्कूल को भी अपना सहयोग दे रहा है।

Another good practice that has been adopted in the Organization is the requirement of public officials to annually declare their assets. These declarations called Annual Property Returns are scrutinized by Chief Vigilance Officer(CVO) to identify individuals who seems to possess assets disproportionate to their legal source of income so that a proper watch can be kept on such officials. Therefore keeping in view of the above, regular scrutiny of property returns of employees are carried out to ensure that employees submit timely information to the Management about moveable/immovable transactions and to check whether any of the officers, particularly those posted at senior/sensitive positions, are holding assets which may be termed as disproportionate, to their known source of income.

On the directives of Central Vigilance Commission, Vigilance Awareness Week was observed by BVFEL w.e.f the 30th October 2023 to 5th November 2023 in line with the theme “भ्रष्टाचार का विरोध करें ; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें” “Say no to Corruption, Commit to the Nation”. In a move towards inculcating the true spirit of participative vigilance, the commission instructed a three months campaign period from 16th August, 2023 till 15th November 2023 in which six different preventive vigilance measures were taken as focus areas. In house training was also conducted by the Vigilance Officials among the employees and CISF Personnel to create awareness. Various competitions were conducted among employees and school children during the VAW 2023.

Guidelines/Instructions issued by the CVC/Administrative Ministry/DoPT/DPE from time to time are being forwarded for wide circulation to all the HODs/Department at Corporate Office, Namrup for strict compliance.

26. WELFARE MEASURES (CORPORATE SOCIAL RESONSIBILITY):

Your Corporation undertakes various welfare schemes for its employees and a host of measures as its Corporate Social Responsibility limited to (the surrounding areas within 8 kms radius). Briefly they comprise of the following:

Besides extending housing and medical facilities to its employees and dependents, the Corporation also provides educational facilities to the children of employees and the wards of the Township and the nearby villages. Corporation is running one Higher Secondary School, one Kendriya Vidyalaya and one Model Higher Secondary School((Land and other facilities are being provided by BVFCL) besides one Primary School. The Corporation extended its patronage earlier for establishment of Namrup College, one B.Ed College for higher education and establishment of a State Dispensary at Namrup. BVFCL also extends its helping hand to a Junior College and one Assamese medium school, by providing accommodations within the colony area at concessional rate.



कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए आधुनिक उपकरणों से युक्त एक अस्पताल उपलब्ध है। आस-पास के लोगों और टेका श्रमिकों को भी मामूली शुल्क पर उपचार प्रदान किया जाता है।

निगम नामरूप और आसपास के क्षेत्रों की जनता को पेयजल सुविधाएं, बाजार, धार्मिक/सांस्कृतिक और अन्य संस्थाओं के लिए भूमि तथा टेलीफोन एक्सचेंज, डाकघर, रोजगार कार्यालय और नागरिक सुरक्षा कार्यालय के लिए आवास जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है।

इलाके की सम्पूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक सद्भावना बनाए रखने के लिए समय-समय पर निकटवर्ती शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सामाजिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

निगम में भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अतिरिक्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए ईडीएलआई, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, समूह बचत संबद्ध बीमा योजना, मेडिकलेम पॉलिसी एवं प्रतिपूर्ति योजना लागू की गई है।

कर्मचारियों को उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो सशक्तिकरण का एक ऐसा क्षेत्र है जो उन्हें कंपनी में आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा तथा साथ ही उनके ज्ञान और आत्मविश्वास के स्तर में भी सुधार करेगा।

इसके अलावा, किसी भी लिंग भेदभाव के बिना, निगम में महिला कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित कदम उठाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

बीवीएफसीएल में, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ है समाज की देखभाल करना, अपने आस-पास के लोगों की देखभाल करना तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाने तथा उनके मूल्य संवर्धन के लिए हर संभव तरीके से योगदान देना।

27. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, २०१३ के अंतर्गत प्रकटीकरण:

आपके निगम ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है, जो कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित मामलों की जांच करती है। वर्ष 2023-24 के दौरान, बीवीएफसीएल के कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न पर कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

One hospital with modern equipments is available to extend medical facilities to employees & their dependents. Nearby people of the localities and contract workers are also provided treatment at nominal fee.

The Corporation also extends facilities to the public of Namrup and adjoining areas like Drinking Water Facilities, Market, Land for Religious / Cultural and other institutions and accommodation for Telephone Exchange, Post Office, Employment Exchange and Civil Defense Office.

In order to maintain the total socio-cultural harmony of the locality, time to time financial assistance are extended to the nearby educational institutions and other social organizations.

In addition to social security schemes like Provident fund, Gratuity, Pension in the Corporation, EDLI, Group Personal Accident Insurance Scheme, Group Savings Linked Insurance Scheme, Mediclaim policy and reimbursement Scheme are implemented for the welfare of the employees.

Employees are encouraged to acquire higher qualifications, an area of empowerment which would enable them to go up the ladder in the company as well improve their knowledge and confidence levels.

Moreover, without indulging any gender discrimination, special attention are being paid in taking the appropriate steps for all round development of the female employees in the corporation.

At BVFCL, Corporate Social Responsibility caring for the society, for the people around us and contributing in every way possible to add value and improving their quality of life.

27. DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013:

Your Corporation has constituted an Internal Complaints Committee under Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 to look into the matters relating prevention of Sexual Harassment of Women employees at the work places. During the year 2023-24, no complaint have been reported on sexual harassment of women employees in work places of BVFCL.

निदेशकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक-I (क)

ANNEXURE – I (A) TO DIRECTORS' REPORT

फार्म क

FORM-A

क. बिजली और ईंधन की खपत

A. Power & Fuel Consumption

	इकाई	2023-24	2022-23
क. ग्रिड पावर	किलोवाट के किलोवाट		
1. नामरूप-II	लाख रुपये में	0.00	0.00
2. नामरूप-III	रु./किलोवाट घंटा	518400	555150
कुल लागत		214.544	210.83
दर		41.38	37.98
ख. स्वयं उत्पादन (सीपीपी)	किलोवाट के किलोवाट		
कुल इकाई	लाख रुपये में	91299950	102993900
कुल लागत	रु./किलोवाट घंटा	5826	5857
दर		6.38	5.69
प्राकृतिक गैस (बिल मात्रा)			
क. कैप्टिव पावर खपत के लिए			
1. नामरूप-II	एससीयूएम	0.00	655682
2. नामरूप-III	एससीयूएम	29653929	29391302
कुल लागत	लाख रुपये में	4278.15	4663.26
दर	रु./1000 एसएम3	14426.91	15519.89
ख. बॉयलर के लिए (एसबी, डब्ल्यूएचबी) (कैटीन सहित)			
1. नामरूप -II	एससीयूएम	0.00	39593
2. नामरूप-III	एससीयूएम	53292965	64510676
कुल लागत	लाख रुपये में	7688.53	10018.13
दर	रु./1000 एसएम3	14426.91	15519.89
ग. फ्रीड स्टॉक के लिए			
1. नामरूप-II	एससीयूएम	0.00	0.00
2. नामरूप-III	एससीयूएम	97925123	111212425
कुल लागत	लाख रुपये में	14127.57	17260.05
दर	रु./1000 एसएम3	14426.91	15519.89
घ. सुधारक ईंधन के लिए*			
1. नामरूप-II	एससीयूएम	0.00	0.00
2. नामरूप-III	एससीयूएम	107566568	124466755
कुल लागत	लाख रुपये में	15518.53	19317.11
दर	रु./1000 एसएम3	14426.91	15519.89

	इकाई	2023-24	2022-23
(a) Grid Power			
1. Namrup-II	Kwh	0.00	0.00
2. Namrup-III	Kwh	518400	555150
Total Cost	Rs. in Lakhs	214.544	210.83
Rate	Rs./Kwh	41.38	37.98
ख. स्वयं उत्पादन (सीपीपी)			
कुल इकाई	Kwh	91299950	102993900
कुल लागत	Rs. in Lakhs	5826	5857
दर	Rs./ Kwh	6.38	5.69
Natural Gas (Billed Quantity)			
(a) For Captive Power consumed			
1. Namrup-II	SCuM	0.00	655682
2. Namrup-III	SCuM	29653929	29391302
Total Cost	Rs. in Lakhs	4278.15	4663.26
Rate	Rs./1000 SM3	14426.91	15519.89
(b) For Boilers (S.B., W.H.B.) (incl. Canteen)			
1. Namrup-II	SCuM	0.00	39593
2. Namrup-III	SCuM	53292965	64510676
Total Cost	Rs. in Lakhs	7688.53	10018.13
Rate	Rs./1000 SM3	14426.91	15519.89
(c) For Feed Stock			
1. नामरूप-II	SCuM	0.00	0.00
2. नामरूप-III	SCuM	97925123	111212425
कुल लागत	Rs. in Lakhs	14127.57	17260.05
दर	Rs./1000 SM3	14426.91	15519.89
(a) For Reformer Fuel*			
1. Namrup-II	SCuM	0.00	0.00
2. Namrup-III	SCuM	107566568	124466755
Total Cost	Rs. in Lakhs	15518.53	19317.11
Rate	Rs./1000 SM3	14426.91	15519.89



ख. यूरिया उत्पादन में प्रति मीट्रिक टन खपत:

	इकाई (प्रति मीट्रिक टन यूरिया)	2023-24	2022-23
प्राकृतिक गैस			
(i) फीड स्टॉक	एसएम3/एमटी (नाम-II)	0.00	0.00
	(नाम-III)	543.57	497.95
(ii) बिजली (सीपीपी)	एसएम3/एमटी (नाम-II)	0.00	0.00
	(नाम-III)	164.60	131.59
(iii) बॉयलर आदि.	एसएम3/एमटी (नाम-II)	0.00	0.00
	(नाम-III)	295.82	288.84
सुधारक ईंधन*	एसएम3/एमटी (नाम-II)	0.00	0.00
	(नाम-III)	597.08	557.29
बिजली			
(i) ग्रिड पावर	किलोवाट घंटा/मीट्रिक टन (नाम-II)	0	0
	(नाम-III)	2.88	2.48
(ii) उत्पन्न शक्ति	किलोवाट घंटा/मीट्रिक टन यूरिया	506.79	461.15

*ऑक्स. बॉयलर और ऑक्स. स्टीम सुपर हीटर में एनजी खपत शामिल है।

B. Consumption per MT of production of Urea:

	Unit (per MT of Urea)	2023-24	2022-23
Natural Gas			
(I) Feed Stock	SM3/MT (Nam-II)	0.00	0.00
	(Nam-III)	543.57	497.95
(ii) Electricity	SM3/MT (Nam-II)	0.00	0.00
(CPP)	(Nam-III)	164.60	131.59
(iii) Boilers etc.	SM3/MT (Nam-II)	0.00	0.00
	(Nam-III)	295.82	288.84
(iv) Reformer Fuel*	SM3/MT (Nam-II)	0.00	0.00
	(Nam-III)	597.08	557.29
Electricity			
(I) Grid Power	Kwh/ MT (Nam-II)	0	0
	(Nam-III)	2.88	2.48
(ii) Generated Power	Kwh/MT Urea	506.79	461.15

* Includes NG consumption in Aux. Boiler & Aux. Steam Super Heater.

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-I (ख):

फॉर्म ख

प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में विवरण का प्रकटीकरण:

क. ऊर्जा संरक्षण उपाय:

नामरूप-II और नामरूप-III दोनों संयंत्रों ने अपने प्रभावी आर्थिक जीवन को पार कर लिया है और एचटीएस और पीडीआईएल जैसे प्रक्रिया लाइसेंसदाताओं द्वारा इसकी पुष्टि की गई है कि इन संयंत्रों में अंतर्निहित कमियों के कारण इन संयंत्रों के प्रदर्शन में कोई बड़ा सुधार संभव नहीं है, जैसे वर्तमान मानक आकार के संयंत्र की तुलना में छोटी क्षमता, अप्रमाणित तकनीक और अप्रचलित उपकरण जो ओईएम द्वारा बहुत पहले बंद कर दिए गए थे आदि। 2011 में यह भी प्रमाणित किया गया कि इन संयंत्रों को अगले 4-5 वर्षों के लिए चलाया जा सकता है और मौजूदा इकाइयों को बंद करने के बाद अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित एक नए मानक आकार के संयंत्र की स्थापना दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए एकमात्र विकल्प है। यह यूरिया नीति 2015 और उसके बाद के संशोधनों में परिलक्षित हुआ है।

हालांकि, नए संयंत्र के चालू होने तक मौजूदा संयंत्रों को किफायती तरीके से चलाने के लिए, 20 साल से अधिक समय पहले एफआईसीसी द्वारा तदर्थ आधार पर तय किए गए ऊर्जा खपत मानदंडों पर फिर से काम करने की जरूरत है क्योंकि बीच की अवधि में परिस्थितियों में बदलाव आया है। उर्वरक विभाग में क्यूआरएम बैठक के परिणाम के अनुसार, मेसर्स पीडीआईएल को नामरूप- II और नामरूप- III संयंत्रों के एफआईसीसी ऊर्जा खपत मानदंड की समीक्षा करने के लिए लगाया गया था और उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में एफआईसीसी द्वारा अपनाए जाने वाले नए ऊर्जा खपत मानदंड के रूप में क्रमशः नामरूप- II और नामरूप- III के लिए 01.01.2015 से 18.12 जीसीएल/एमटी यूरिया और 01.01.2017 से 13.24 जीसीएल/एमटी यूरिया की सिफारिश की गई है। कंपनी संयंत्र की छोटी क्षमता, पुरानी तकनीक और उपकरणों के कारण बार-बार ब्रेकडाउन और केवल एक उत्पाद यानी यूरिया पर निर्भर करती है जिसका फीडस्टॉक और बाजार मूल्य तरह से सरकार के नियंत्रण में है, जिसके कारण भारी वित्तीय संकट का सामना कर रही है।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान समय-समय पर निष्पादित सभी नवीकरण और प्रतिस्थापन कार्यों में, नवीनतम उपलब्ध उन्नत प्रौद्योगिकी वाले उत्पाद खरीदे गए हैं कुछ उदाहरण निम्न हैं- अमोनिया कन्वर्टर दूसरा बेड कैटेलिस्ट केएम 1 को अपग्रेडेड कैटेलिस्ट केएम 111 से बदला गया, एनजीबीसी कंप्रेसर वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम बीएनसी -3300 को नवीनतम संस्करण बीएनसी -3500 से अपग्रेड किया गया। सीओए2 बूस्टर कंप्रेसर कंट्रोलर और इंडिकेटर को न्यूमेटिक

ANNEXURE -I (B) TO DIRECTORS' REPORT:

FORM B

DISCLOSURE OF PARTICULARS WITH RESPECT TO TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO:

A. ENERGY CONSERVATION MEASURES:

Both Namrup-II and Namrup-III plants have surpassed their effective economic life and it has been confirmed by process licensors like HTAS and PDIL that no major improvement in performance is possible in these plants due to inherent deficiencies in these plants like small capacity compared to present day standard size plant, unproven technology and obsolete equipments which were long discontinued by the OEMs etc. It was further certified in 2011 that these plants could be run for another 4 – 5 years and establishment of a new standard size plant based on state-of-the-art technology, after closing the existing units, is the only alternative for long term survival. This has been reflected in the Urea Policy 2015 and subsequent amendments. Due to paucity of fund, capital investments are restricted to extremely unavoidable cases and on the basis of need to run the plants for next 4 – 5 years.

However, to run the existing plants in economical viable manner till the new plant is commissioned, energy consumption norm fixed by FICC more than 20 years back on adhoc basis are required to be reworked because of change in circumstances during the intervening period. As per outcome of QRM meeting at DoF, M/s PDIL was engaged to review the FICC energy consumption norm of Namrup-II and Namrup-III plants and the report submitted by them has recommended 18.12 GCal/MT of urea w.e.f. 01.01.2015 and 13.24 GCal/MT of urea w.e.f. 01.01.2017 for Namrup-II and Namrup-III respectively as the new energy consumption norm to be adopted by FICC. The company is experiencing huge financial crunch due to small capacity of the plant, obsolete technology and equipment leading to frequent breakdowns and dependence of only one product i.e. Urea, which is completely govt. controlled for its feedstock and market price.

B. Technology Absorption:

In all the renewal and replacement jobs executed periodically, products with latest available upgraded technology are procured during the financial year 2023-24. Some examples are - replacement of Ammonia Converter 2nd Bed Catalyst KM1 by the Upgraded Catalyst KM111, NGBC Compressor Vibration Monitoring System BNC-3300 upgraded by the latest version BNC-



वर्जन से इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में अपग्रेड किया गया, बैगिंग प्लांट के पुराने माइक्रोप्रोसेसर आधारित कंट्रोल सिस्टम को पीएलसी आधारित कंट्रोल सिस्टम से अपग्रेड किया गया। अमोनिया-III प्लांट के कूलिंग टावर सेल नंबर 6 को डगलस फ़िर वुड जैसी अपग्रेडेड सामग्री से फिर से बनाया गया। प्रोसेस एयर कंप्रेसर सक्शन चैंबर को इसके इनलेट पर रोलोमैटिक स्क्रीन जोड़कर उन्नत किया गया।

ग. अनुसंधान एवं विकास प्रयास : शून्य

घ. अनुसंधान एवं विकास के

परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ : शून्य

ड. विदेशी मुद्रा कमाई और व्यय : समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की है, लेकिन पूंजीगत उपकरणों के लिए विदेशी वस्तुओं की खरीद पर 0.84 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 3.63 करोड़ रुपये) खर्च किए हैं।

3500. CO2 Booster Compressor Controllers and Indicators upgraded from Pneumatic Version to Electronic Version, Bagging Plant old Microprocessor based Control System upgraded by PLC based Control System. Cooling tower Cell No.: 6 of Ammonia-III Plant was reconstructed with upgraded material like Douglas Fir Wood. Process Air Compressor Suction Chamber was upgraded with the addition of Rollomatic Screen at its inlet.

C. R & D Efforts : Nil

D. Benefit derived as a result of R & D : Nil

E. Foreign Exchange Earning and Outgo : During the year under review, Company has not earned any foreign exchange but expend Rs. 0.84 crores (previous year Rs. 3.63 crores) towards purchase of foreign goods for capital equipment.

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-I (ग):

ANNEXURE -I (C)

दिनांक 1 जनवरी 2024 तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और विकलांगों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला वार्षिक विवरण और पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या

सार्वजनिक उद्यम का नाम: ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर लिमिटेड, नामरूप

ANNUAL STATEMENT SHOWING THE REPRESENTATION OF SCs, STs and OBCs and PHs AS ON 1ST JANUARY, 2024 AND NUMBER OF APPOINTMENTS MADE DURING THE PRECEDING CALENDER YEAR.

NAME OF THE PUBLIC ENTERPRISES: BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED, NAMRUP.

समूह Groups	01.01.2024 तक एससी/एसटी/ओबीसी का प्रतिनिधित्व Representation of SCs / STs / OBCs as on 01.01.2024				कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या Number of appointments made during the calendar year 2023										
	कर्मचारियों की कुल संख्या Total No. of employees	अनुसूचित जाति SCs	अनुसूचित जनजातियों STs	ओबीसी OBCs	प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति द्वारा By Direct Recruitment Method			पदोन्नति द्वारा By Promotion			अन्य तरीकों से By Other Methods				
					कुल Total	अनुसूचित जाति SCs	अनुसूचित जनजातियों STs	ओबीसी OBCs	कुल Total	अनुसूचित जाति SCs	अनुसूचित जनजातियों STs	ओबीसी OBCs	कुल जाति Total	अनुसूचित जनजातियों SCs	अनुसूचित ओबीसी OBCs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	16	17
समूह ए Group A	275	22	31	83	41	2	2	12	61	5	7	15	-	-	-
ग्रुप बी Group B	34	2	9	6	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
ग्रुप सी Group C	68	4	7	18	12	0	0	1	9	0	0	2	-	-	-
ग्रुप डी (सफाई कर्मचारी को छोड़कर) Group D (Excluding Safai Karmachari)	18	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग्रुप डी (सफाई कर्मचारी) Group D (Safai Karmachari)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	396	31	50	112	53	2	2	13	72	6	7	18	-	-	-

शारीरिक रूप से विकलांग जनशक्ति का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है (उपरोक्त विवरण में शामिल):

The representation of physically handicapped man power as under (included in the above statement):

समूह Group	कुल Total	अनुसूचित जाति SCs	अनुसूचित जनजातियों STs	ओबीसी OBC
ग्रुप बी Group B	-	-	-	-
ग्रुप सी Group C	1	-	-	1
ग्रुप डी Group D	-	-	-	-



निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-II

निगमित अधिशासन पर रिपोर्ट

निगमित अधिशासन पर कंपनी का सिद्धांत

निगमित अधिशासन आपके निगम में एक सतत प्रयास रहा है जो सिस्टम के सभी घटकों की समग्र भलाई और कल्याण की परवाह करता है और हर व्यावसायिक निर्णय में हितधारकों के हितों को ध्यान में रखता है। आपका निगम निगमित अधिशासन के उच्चतम मानकों का पालन करके विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राथमिक उद्देश्य निगमित दृष्टि के बारे में जागरूकता पैदा करने और सभी स्तरों पर गतिशीलता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में चेतना, पारदर्शिता और स्पष्टता की निगमित संस्कृति बनाना और उसका पालन करना है। आपका निगम मानता है कि शासन को निगमित लक्ष्यों के साथ व्यक्तिगत हितों को संतुलित करना चाहिए और औचित्य, समानता, निष्पक्ष खेल और न्याय की भावना के स्वीकृत मानदंडों के भीतर काम करना चाहिए। आपके निगम में, हितधारकों का विश्वास बनाने के लिए निर्णय लेने और ऐसे निर्णयों के पीछे तर्क को बेहतर बनाने के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता प्रमुख चालक हैं।

1. निदेशक मंडल:

क. बोर्ड का गठन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के प्रावधानों के अनुसार, आपका निगम एक "सरकारी कंपनी" है, जिसकी 100% चुकता शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित है। निदेशक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

ख. बोर्ड/समिति की जिम्मेदारियां और मूल्यांकन प्रक्रिया

बोर्ड की जिम्मेदारी कंपनी की रणनीतिक नीतियों की देखरेख करना, कॉर्पोरेट प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी करना, विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करना और कंपनी के संचालन में कार्यकारी प्रबंधन के जोखिम को कम करने के प्रयासों की समीक्षा करना है। बोर्ड समितियों/बोर्ड के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त तंत्र पर विचार कर रहा है।

ग. बोर्ड/समिति की बैठकें और प्रक्रियाएं

I. निर्णय लेने की प्रक्रिया को संस्थागत बनाना

सभी निगमित मामलों को संस्थागत बनाने और बोर्ड द्वारा चर्चा/निर्णय लेने की आवश्यकता वाले मामलों के लिए अग्रिम योजना बनाने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं स्थापित करने के उद्देश्य से, आपके निगम ने निदेशक मंडल और उसकी समिति की बैठकों के लिए दिशानिर्देश परिभाषित किए हैं। ये दिशानिर्देश बोर्ड/समितियों की बैठकों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को सूचित और कुशल तरीके से व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। बोर्ड की बैठकों से संबंधित आपके निगम के दिशानिर्देश यथासंभव समिति की बैठकों पर भी लागू होते हैं।

ANNEXURE-II TO DIRECTORS' REPORT REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

COMPANY'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance has been a continuous endeavor in your Corporation that cares for an overall well-being and welfare of all the constituent of the system and takes into account the stakeholder's interest at every business decision. Your Corporation is committed to pursue growth by adhering to the highest standards of corporate governance. The primary objective is to create and adhere to a corporate culture of consciousness, transparency and openness in creating awareness of corporate vision and spark dynamism and entrepreneurship at all levels. Your Corporation believes that governance must balance individual interest with corporate goals and operate within the accepted norms of propriety, equity, fair play and a sense of justice. In your Corporation, accountability and transparency are key drivers to improve decision making and rationale behind such decisions to create stakeholders confidence.

1. BOARD OF DIRECTORS:

A. CONSTITUTION OF BOARD

Pursuant to the provisions of Section 2 (45) of the Companies Act, 2013, your Corporation is a "Government Company" holding 100% of its paid up share capital by the President of India. Members of the Board of Directors are appointed by the President of India.

B. RESPONSIBILITIES AND EVALUATION PROCESS OF BOARD / COMMITTEE

The responsibilities of Board is to oversee the Company's strategic policies, review and monitor corporate performance, ensure regulatory compliance and reviewing the risk minimizing efforts of executive management in the operation of Company. Board is considering appropriate mechanism for evaluating performance of Committees/Board.

C. BOARD / COMMITTEE MEETINGS AND PROCEDURES

I. Institutionalize decision making process

With a view to institutionalize all corporate affairs and set up systems and procedures for advance planning for matters requiring discussion/ decisions by the Board, your Corporation has defined guidelines for the meetings of the Board of Directors and Committee thereof. These guidelines seek to systematize the decision making process at the meetings of Board/ Committees, in an informed and efficient manner. Your Corporation's guidelines relating to Board meetings are applicable to Committee Meetings as far as practicable.

II. बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची मदों का निर्धारण और चयन.

- क. बोर्ड/समिति के अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद उचित अग्रिम सूचना देकर बैठकें बुलाई जाती हैं। विशेष तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए, बैठकें कम समय के नोटिस पर भी बुलाई जाती हैं। आपातस्थिति या अत्यावश्यकता के मामले में, प्रस्ताव पारित किए जाते हैं।
- ख. बैठकों में सार्थक, सूचित और केंद्रित निर्णय लेने में सुविधा के लिए प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक वक्तव्यों से युक्त विस्तृत एजेंडा बोर्ड/समिति के सदस्यों के बीच पहले से ही प्रसारित किया जाता है। जहाँ कहीं भी किसी दस्तावेज़ को प्रसारित करना व्यावहारिक नहीं है या एजेंडा गोपनीय प्रकृति का है, उसे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के अनुमोदन से पेश किया जाता है। विशेष और असाधारण परिस्थितियों में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और बोर्ड/समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत की अनुमति के अधीन अतिरिक्त या पूरक कार्यसूची पर विचार किया जा रहा है।
- ग. बोर्ड के सदस्यों को निगम की सभी जानकारी तक पहुँच प्राप्त करने का अधिकार है और वे चर्चा के लिए कार्यसूची में किसी भी मामले को शामिल करने की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र हैं। आवश्यकता पड़ने पर, निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है ताकि वे चर्चा की जा रही वस्तुओं से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर सकें और/या बोर्ड/समिति के समक्ष प्रस्तुति दे सकें।
- घ. बोर्ड/समिति की बैठकें सामान्यतः निगम के नामरूप स्थित पंजीकृत कार्यालय में या कंपनी के कार्यकारी प्रबंधन द्वारा समय-समय पर तय किए गए किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जाती हैं।
- ङ. एजेंडा पेपर संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तैयार किए जाते हैं, कार्यात्मक निदेशकों और द्वारा सीएमडी द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। विधिवत अनुमोदित कार्यसूची पेपर कंपनी सचिव द्वारा बोर्ड/समिति के सदस्यों के बीच पहले से ही प्रसारित किए जाते हैं।
- च. कंपनी सचिव पूर्व बोर्ड/समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों के आधार पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करते हैं तथा बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यसूची में शामिल करने से पहले कार्यात्मक निदेशकों और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से रिपोर्ट संकलित करते हैं।

II. Scheduling and selection of Agenda items for Board/ Committee Meetings.

- a) The meetings are convened by giving appropriate advance notice after obtaining approval of the Chairman of the Board/ Committee. To address the specific urgent need, meetings are also being called at a shorter notice. In case of exigencies or urgency, resolutions are passed in circulation.
- b) Detailed agenda containing the management reports and other explanatory statements are circulated in advance amongst the members of the Board/Committee for facilitating meaningful informed and focused decisions at the meetings. Wherever it is not practicable to circulate any document or the agenda is of confidential nature, the same is tabled with the approval of CMD and majority of members present in the meeting. In special and exceptional circumstances, additional or supplementary agenda are being considered subject to the permission of CMD and majority of members present in the meeting of Board/ Committee.
- c) The members of the Board are entitled to access all the information of the Corporation and are free to recommend inclusion of any matter in agenda for discussion. In case of need, the senior officials of the Corporation are invited to attend the Board/Committee meetings to provide additional inputs relating to the items being discussed and / or giving presentation to the Board/Committee.
- d) The meetings of Board/ Committee are normally held at the registered office of the Corporation in Namrup or at any other place(s) as may be decided by the Executive Management of the Company from time to time.
- e) The agenda papers are prepared by the Sr. Executives of concerned departments, endorsed by the functional Directors and CMD. Duly endorsed agenda papers are circulated amongst the members of the Board/ Committee by the Company Secretary well in advance.
- f) Company Secretary follow up with the concern Department for the action taken reports based on the decisions of earlier Board/ Committee meetings and compiled the reports in consultation with Functional Directors and CMD before including in the agenda of the Board/ Committee meetings.



- छ. प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त को निर्धारित समय के भीतर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित सचिवीय मानक के प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाता है। अध्यक्ष द्वारा कार्यवृत्त को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, कंपनी सचिव द्वारा कार्यवृत्त की प्रमाणित प्रति बोर्ड/समिति के सभी सदस्यों को वितरित की जाती है। बोर्ड/समिति के इन कार्यवृत्तों को क्रमशः अगली बोर्ड/समिति बैठकों में नोट किया जाता है।
- ज. बोर्ड/समिति के निर्णयों के सार को कंपनी सचिव द्वारा संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजा जाता है।
- झ. निदेशकों के प्रशिक्षण तंत्र के संबंध में डीपीई द्वारा जारी निगमित अधिशासन दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल ने एक प्रशिक्षण नीति को मंजूरी दी है और प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा प्रायोजित ऐसे प्रशिक्षण, सेमिनार, सम्मेलन, अधिवेशनों के लिए संबंधित निदेशकों की सुविधानुसार हर वर्ष कम से कम एक सरकारी निदेशक, एक गैर-सरकारी निदेशक और एक कार्यात्मक निदेशक को नामित करने का वचन दिया है।

III. कानूनों का अनुपालन

कंपनी का कार्यकारी प्रबंधन कानूनों, नियमों और दिशानिर्देशों आदि के सभी लागू प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। सभी लागू कानूनों, नियमों, दिशानिर्देशों आदि के अनुपालन की पुष्टि करने वाली त्रैमासिक वैधानिक अनुपालन रिपोर्ट (सभी विभागों से एकत्रित) की बोर्ड द्वारा त्रैमासिक आधार पर समीक्षा की जा रही है।

घ. बोर्ड बैठक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 5 (पांच) बैठकें आयोजित की गईं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

बोर्ड बैठक सं.	दिनांक	उपस्थित निदेशकों की संख्या	निदेशकों की कुल संख्या
117	08.05.2023	8	8
118	25.07.2023	6	7
119 वां	27.09.2023	6	7
120	15.12.2023	7	7
121	23.02.2024	5	6

ड. बोर्ड की संरचना

31 मार्च, 2024 तक, कंपनी के निदेशक मंडल में छह (06) सदस्य थे, जिनमें श्री प्रदीप कुमार बनिक, निदेशक (उत्पादन) जिनके पास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार है, श्री सुबाश चंद्र दास, निदेशक (वित्त), श्री हरविंदर सिंह, सरकार द्वारा नामित निदेशक (डीओएफ), श्री निरंजन लाल, सरकार द्वारा नामित निदेशक (डीओएफ), श्री सतीश कुमार शर्मा, गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) और श्री रबी रंजन सेन, गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) शामिल हैं।

- g) Minutes of the proceedings of each Board/ Committee meeting are finalized as per the provisions of Secretarial Standard approved by the Central Government within stipulated time. After the finalisation of minutes by the chairman, certified copy of minutes are circulated to all the members of the Board/Committee by the Company Secretary. These minutes of Board / Committee are noted in the next Board/ Committee meetings, respectively.
- h) The extract of decisions of Board/ Committee are circulated by the Company Secretary to the HODs of concerned Departments for taking necessary actions thereon.
- i) As per the Corporate Governance Guidelines issued by DPE regarding training mechanism of Directors, Board of Directors has approved a Training Policy and undertake to nominate every year at least One Govt. Director, One non official Director and One Functional Director at the convenience of concerned Directors for such training, seminar, conference, conventions sponsored by the prestigious institutions.

III. COMPLIANCE OF LAWS

The Executive Management of the Company is responsible to ensure adherence to all the applicable provisions of laws, rules and guidelines, etc. A quarterly statutory compliance report (collected from all the departments) confirming adherence to all the applicable laws, rules, guidelines, etc. are being reviewed by the Board on quarterly basis.

D. BOARD MEETINGS

During the year under review, 5 (five) meetings of Board of Directors were held, details of which are as under :

Board Meeting No.	Date	No. of Directors attended	Total No. of Directors
117th	08.05.2023	8	8
118th	25.07.2023	6	7
119th	27.09.2023	6	7
120th	15.12.2023	7	7
121st	23.02.2024	5	6

E. COMPOSITION OF BOARD

As on 31st March, 2024, there were eight (06) members in the Board of Directors of the Company, comprises Shri Pradip Kumar Banik, Director (Production) with Additional Charge of Chairman & Managing Director, Shri Subash Chandra Das, Director (Finance), Shri Harvinder Singh, Govt. Nominee Director (DOF), Shri Niranjana Lal, Govt. Nominee Director (DOF), Shri Satish Kumar Sharma, Non Official Director (Independent Director) and Shri Rabi Ranjan Sen, Non Official Director (Independent Director).

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निगम के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

- श्री बिपिन बिहारी पाढ़ी, गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र) जिन्हें रासायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग द्वारा दिनांक 01 मई, 2020 को 09 मई, 2020 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष (03) वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था, का कार्यकाल 08 मई, 2023 को समाप्त हो गया है।
- बीवीएफसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री शिव प्रसाद मोहंती ने 28.12.2023 से बीवीएफसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है।
- भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग ने दिनांक 02.02.2024 के आदेश के तहत श्री प्रदीप कुमार बनिक, निदेशक (उत्पादन) को 30.01.2024 से बीवीएफसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इसके बाद, श्री पीके बनिक ने 03.02.2024 से बीवीएफसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है।

निदेशकों की संरचना और श्रेणी, बोर्ड बैठकों और अंतिम वार्षिक आं बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, कंपनी के प्रत्येक निदेशक के लिए अन्य कंपनियों की समितियों में निदेशक पद और सदस्यता का विवरण नीचे दिया गया है।

During the period under review, the following changes took place in the Board of Directors of the Corporation:

- The tenure of Shri Bipina Bihari Padhy, Non Official Director (Independent) who was appointed by Ministry of Chemical and Fertilizers, Department of Fertilizers, dated May 01, 2020 for a period of three year (03) years commencing from May 09, 2020 has ended on May 08, 2023.
- Shri Siba Prasad Mohanty, Chairman & Managing Director, BVFCL, has resigned from the post of CMD, BVFCL w.e.f. 28.12.2023.
- The Govt. of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers vide Order dated 02.02.2024 has assigned the additional charge of Chairman & Managing Director, BVFCL, to Shri Pradip Kumar Banik, Director (Production), w.e.f 30.01.2024. Subsequently, Shri P. K. Banik has assumed the additional charge of Chairman & Managing Director, BVFCL w.e.f. 03.02.2024.

The details of composition and category of Directors, attendance of each Director at the Board Meetings and the last AGM, directorship and membership in committees of other companies for each Director of the Company are given below.

नाम	उपस्थिति विवरण		निदेशक पद और समिति के सदस्यों/अध्यक्ष का विवरण	
	वर्ष के दौरान उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या	पिछली वार्षिक आम बैठक 29.09.2023 को आयोजित	अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशक पदों का विवरण	समिति की सदस्यता और समिति की अध्यक्षता का विवरण
कार्यात्मक निदेशक				
श्री प्रदीप कुमार बनिक, निदेशक (उत्पादन) तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार (*)	5	हाँ	-	-
श्री सुबाश चंद्र दास निदेशक (वित्त)	5	हाँ	-	विवाद समाधान समिति में सदस्य।
श्री शिव प्रसाद मोहंती, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (एमडी का अतिरिक्त प्रभार) (**)	4	हाँ	एफएआई हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एमडी का अतिरिक्त प्रभार)	

Name	Attendance particulars		Details of Directorship and committee members/Chairman	
	No. of Board meetings attended during the year	Held on 29.09.2023	Details of Directorships in other public limited companies	Details of committee memberships and committee Chairmanship
Functional Directors				
Shri Pradip Kumar Banik, Director (Production) with Additional Charge of Chairman & Managing Director(*)	5	Yes	-	-
Shri Subash Chandra Das Director (Finance)	5	Yes	-	Member in Dispute Resolution Committee.
Shri Siba Prasad Mohanty, Chairman & Managing (Add. Charge of MD) Director (**)	4	Yes	FAI Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (Add. Charge of MD)	



अंशकालिक आधिकारिक निदेशक					Part Time Official Directors				
श्री हरविंदर सिंह सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	नहीं	-	पारिश्रमिक समिति में सदस्य	Shri Harvinder Singh Govt. Nominee Director	2	No	-	-Member in Remuneration Committee
श्री निरंजन लाल सरकारी नामित निदेशक	5	हाँ	-	-ऑडिट समिति में सदस्य -पारिश्रमिक समिति में सदस्य -विवाद समाधान समिति में सदस्य	Shri Niranjana Lal Govt. Nominee Director	5	Yes	-	-Member in Audit Committee -Member in Remuneration Committee -Member in Dispute Resolution Committee
गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक					Non Official Part Time Director				
श्री सतीश कुमार शर्मा, गैर सरकारी निदेशक (***)	5	हाँ	-	-ऑडिट समिति के अध्यक्ष -पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष -विवाद समाधान समिति में सदस्य	Shri Satish Kumar Sharma, Non Official Director (***)	5	Yes	-	-Chairman of Audit Committee -Chairman of Remuneration Committee -Member in Dispute Resolution Committee
श्री रबी रंजन सेन, गैर सरकारी निदेशक	५	हाँ	-	-ऑडिट समिति के सदस्य -पारिश्रमिक समिति में सदस्य -विवाद समाधान समिति के अध्यक्ष	Shri Rabi Ranjan Sen, Non Official Director	5	Yes	-	-Chairman of Audit Committee -Chairman of Remuneration Committee -Member in Dispute Resolution Committee
बिपिन बिहारी पाढ़ी, भुवनेश्वर (****)	1	नहीं	-	-ऑडिट समिति के अध्यक्ष -पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष -विवाद समाधान समिति में सदस्य	Bipin Bihari Padhy, Bhubaneswar (****)	5	Yes	-	-Chairman of Audit Committee -Chairman of Remuneration Committee -Member in Dispute Resolution Committee

(*) भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग ने दिनांक 02.02.2024 के आदेश के तहत श्री प्रदीप कुमार बनिक, निदेशक (उत्पादन) को 30.01.2024 से बीवीएफसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इसके बाद, श्री पीके बनिक ने 03.02.2024 से बीवीएफसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है।

(*) The Govt. of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers vide Order dated 02.02.2024 has assigned the additional charge of Chairman & Managing Director, BVFCL, to Shri Pradip Kumar Banik, Director (Production), w.e.f 30.01.2024. Subsequently, Shri P. K. Banik has assumed the additional charge of Chairman & Managing Director, BVFCL w.e.f. 03.02.2024.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है।

(**) 28.12.2023 से निदेशक पद से मुक्त

(***) दिनांक 25.07.2023 से लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष और दिनांक 15.12.2023 से पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए

(****) 09.05.2023 से निदेशक पद से मुक्त

कंपनी का कोई भी निदेशक 10 (दस) से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है या उन सभी कंपनियों में पाँच (5) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है जिनमें वह निदेशक है।

च. आचार संहिता

आपके निगम ने कंपनी के निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक (उप महा प्रबंधक और उससे ऊपर) पर लागू होने वाली आचार संहिता और नैतिकता को अपनाया है। इस संहिता के अनुसार निदेशकों और कर्मचारियों को ईमानदारी, निष्पक्षता, नैतिकता और पारदर्शिता और निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों को वार्षिक आधार पर आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करनी होती है। इस संहिता को कंपनी की वेबसाइट www.bvfcl.com पर प्रदर्शित किया गया है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों (मुख्य सतर्कता अधिकारी सहित) और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने संहिता का अनुपालन किया है और इस आशय के अनुपालन की पुष्टि उनके द्वारा की गई है। इस आशय का एक घोषणापत्र, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुलग्नक-II (क) में दिया गया है।

छ. निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई जानकारी

आपके निगम का कार्यकारी प्रबंधन निम्नलिखित जानकारी निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा, या तो कार्यसूची पत्रों के भाग के रूप में या बोर्ड बैठक के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा:

- वार्षिक परिचालन योजनाएं और बजट तथा कोई भी अद्यतन।
- पूंजीगत बजट और कोई भी अद्यतन।
- कंपनी और उसके परिचालन प्रभागों या व्यावसायिक खंडों के तिमाही परिणाम।
- लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
- बोर्ड स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक की जानकारी, जिसमें मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या निष्कासन शामिल है।
- कारण, मांग, अभियोजन नोटिस और दंड नोटिस दर्शाएं जो भौतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई भी भौतिक प्रदूषण या प्रदूषण संबंधी समस्याएं।
- कंपनी के प्रति वित्तीय दायित्वों में कोई भौतिक चूक या कंपनी द्वारा बेचे गए माल के लिए पर्याप्त भुगतान न किया जाना।

Chairman & Managing Director, BVFCL w.e.f. 03.02.2024.

(**) Ceased from the Directorship w.e.f. 28.12.2023

(***) Appointed as Chairman of Audit Committee w.e.f. 25.07.2023 and Chairman in Remuneration Committee w.e.f. 15.12.2023

(****) Ceased from the Directorship w.e.f. 09.05.2023

No Director of the company is a member in more than 10 (ten) committee or is a Chairman of more than five (5) committees across all companies in which he is a Director.

F. CODE OF CONDUCT

Your Corporation has adopted a code of conduct and ethics applicable to the Board of Directors and Senior Management Personnel (DGM and above) of the Company. The code requires Directors and employees to act honestly, fairly, ethically, and with transparency and integrity. The Board of Directors and Senior Management Personnel are required to affirm compliance with the code of conduct on an annual basis. The code has been displayed on the Company's website at www.bvfcl.com. All members of Board of Directors (including Chief Vigilance Officer) and Senior Management Personnel have complied with the code and the compliance has been affirmed by them to that effect. A declaration to this effect, duly signed by the Chairman and Managing Director is placed at Annexure -II (A).

B. INFORMATION PLACED BEFORE THE BOARD OF DIRECTORS

The Executive Management of your Corporation shall present the following information before the Board of Directors, either as part of the agenda papers or are tabled/ presented during the course of Board meeting:

- Annual operating plans and budgets and any updates.
- Capital budgets and any updates.
- Quarterly results for the Company and its operating divisions or business segments.
- Minutes of meetings of audit committee and other committees of the Board.
- The information on recruitment and remuneration of senior officers just below the board level, including appointment or removal of Chief Financial Officer and the Company Secretary.
- Shows cause, demand, prosecution notices and penalty notices which are materially important.
- Fatal or serious accidents, dangerous occurrences, any material effluent or pollution problems.
- Any material default in financial obligations to and by the Company or substantial non-payment for goods sold by the Company.



- कोई भी मुद्रा, जिसमें पर्याप्त प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता दावे शामिल हों, जिसमें कोई निर्णय या आदेश शामिल हो, जिसके तहत कंपनी के आचरण पर कड़ी टिप्पणी की गई हो या किसी अन्य उद्यम के संबंध में प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया गया हो, जिसका कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता हो।
- किसी संयुक्त उद्यम या सहयोग समझौते का विवरण।
- ऐसे लेनदेन जिनमें सद्भावना, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा के लिए पर्याप्त भुगतान शामिल हो।
- महत्वपूर्ण श्रम समस्याएँ और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि।
- निवेशों, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों की भौतिक प्रकृति की बिक्री, जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं है।
- विदेशी मुद्रा जोखिम का त्रैमासिक विवरण तथा प्रतिकूल विनिमय दर परिवर्तन के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम, यदि आवश्यक हो।
- किसी भी विनियामक, वैधानिक आवश्यकताओं और शेयरधारकों की सेवा का अनुपालन न करना जैसे कि लाभांश का भुगतान न करना, शेयर हस्तांतरण में देरी आदि।

2. लेखा परीक्षा समिति:

I. संविधान और संरचना

वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में, लेखा परीक्षा समिति में तीन (03) सदस्य शामिल होंगे अर्थात् श्री सतीश कुमार शर्मा, गैर-सरकारी निदेशक, स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष); श्री रबी रंजन सेन, गैर-सरकारी निदेशक, स्वतंत्र निदेशक और श्री निरंजन लाल, सरकार द्वारा नामित निदेशक (डीओएफ)। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति ने बैठकों में निम्नलिखित कार्यों की समीक्षा की है:

- कच्चे माल, मध्यवर्ती उत्पाद, तैयार उत्पाद और पैकिंग सामग्री के भौतिक सत्यापन की त्रैमासिक रिपोर्ट;
- त्रैमासिक आंतरिक लेखापरीक्षा (तकनीकी) रिपोर्ट;
- आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा;
- बोर्ड द्वारा अनुमोदन से पहले कंपनी के वार्षिक लेखों की समीक्षा;
- सांविधिक लेखा परीक्षकों की लेखापरीक्षा टिप्पणियों और उन पर प्रबंधन के उत्तर की समीक्षा;
- सीएंडएजी की टिप्पणियों की समीक्षा;
- सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की समीक्षा करना;
- लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की समीक्षा;
- पूर्व लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की समीक्षा।
- प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट;
- कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रमाणन/घोषणा की समीक्षा करना;

- Any issue, which involves possible public or product liability claims of substantial nature, including any judgement or order which may have passed strictures on the conduct of the Company or taken an adverse view regarding another enterprise that can have negative implications on the Company.
- Details of any joint venture or collaboration agreement.
- Transactions that involve substantial payment towards goodwill, brand equity, or intellectual property.
- Significant labour problems and their proposed solutions. Any significant development in human resources/industrial relations front like signing of wage agreement, implementation of Voluntary Retirement Scheme etc.
- Sale of material nature of investments, subsidiaries, assets, which is not in normal course of business.
- Quarterly details of foreign exchange exposures and the steps taken by management to limit the risks of adverse exchange rate movement, if material.
- Non-compliance of any regulatory, statutory requirements and shareholders service such as non-payment of dividend, delay in share transfer etc.

2. AUDIT COMMITTEE:

I. Constitution and Composition

At the end of Financial Year 2023-24, Audit Committee comprises Three (03) members i.e. Shri Satish Kumar Sharma, Non Official Director, Independent Director (Chairman); Shri Rabi Ranjan Sen, Non Official Director, Independent Director and Shri Niranjana Lal, Govt. Nominee Director (DOF).

During the year under review, Audit Committee has reviewed the followings business in the meetings:

- Quarterly reports of physical verification of Raw Materials, Intermediate, Finished product and Packing materials;
- Quarterly Internal Audit (Technical) Reports;
- Review Internal Audit Reports
- Review of Annual Accounts of the Company before approval by the Board;
- Review of Audit observations of Statutory Auditors and management replies thereon;
- Review comments of C & AG;
- Review remuneration of Statutory Auditors;
- Review Appointment of Cost Auditors;
- Review of action taken reports on the decisions of earlier Audit Committee meetings.
- Management Discussions and Analysis Report;
- Review Certification/declaration of financial statements by the Chairman and Managing Director and Director (Finance) of the Company;

- (xii) कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की समीक्षा करना;
- (xiii) लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की समीक्षा;
- (xiv) त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक लागत लेखांकन रिकॉर्ड की समीक्षा करें;
- (xv) भारित पैक यूरिया बैग का भौतिक सत्यापन;
- (xvi) कंपनी की परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के लिए पंजीकृत मूल्यांकक की नियुक्ति;
- (xvii) बाह्य सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा;
- (xviii) जोखिम प्रबंधन स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा;
- (xix) कर लेखा परीक्षक की नियुक्ति;
- (xx) लागत नियंत्रण और लागत में कमी

- (xii) Review appointment of Internal Auditors of the Company;
- (xiii) Review appointment of Cost Auditors;
- (xiv) Review quarterly/half yearly/Annual cost accounting records;
- (xv) Physical verification of weighted packed urea Bags;
- (xvi) Appointment of registered valuer for valuation of assets of the Company;
- (xvii) Review External Safety Audit Report;
- (xviii) Review Risk Management status reports;
- (xix) Appointment of Tax Auditor;
- (xx) Cost Control and Cost Reduction

निगम के निदेशक मंडल ने 06.06.2003 को आयोजित अपनी 12वीं बैठक में प्रारंभिक रूप से लेखा परीक्षा समिति का गठन किया था। लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तों को गठन के समय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था और 03.06.2011 को आयोजित निदेशक मंडल की 57वीं बैठक में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संशोधित किया गया था और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुरूप 10.04.2016 को आयोजित 76वीं (स्थगित) बैठक में संशोधित किया गया था।

Board of Directors of the Corporation has constituted Audit Committee initially in their 12th meeting held on 06.06.2003. The terms of reference of the Audit Committee has been approved by the Board at the time of constitution and modified in 57th meeting of Board of Directors held on 3.06.2011 in line with the guidelines of corporate governance issued by the Department of Public Enterprises (DPE) and further modified in 76th (Adjourned) meeting held on 10.04.2016 in line with the provisions of Section 177 of the Companies Act, 2013.

II. बीवीएफसीएल की लेखापरीक्षा समिति के लिए संदर्भ की शर्तें

II. TERMS OF REFERENCE FOR AUDIT COMMITTEE OF BVFCL

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:

The following are terms of reference of Audit Committee:

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और उसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है
2. बोर्ड को लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारित करने की सिफारिश करना।
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।
4. अनुमोदन हेतु बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में:
 - क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 (5) के अनुसार निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने चाहिए;
 - ख. लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण;
 - ग. प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर अनुमानों से संबंधित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ;
 - घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
 - ङ. वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;

1. Oversight of the Company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible
2. Recommending to the Board the fixation of audit fees.
3. Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors.
4. Reviewing with the management quarterly, half yearly and the annual financial statements before submission to the Board for approval, with particular reference to:
 - a) Matters required to be included in the Directors Responsibility Statement to be included in the Board's report in terms of section 144 (5) of the Companies Act, 2013;
 - b) Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
 - c) Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;
 - d) Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
 - e) Compliance with legal requirements relating to financial statements;
 - f) Disclosure of any related party transactions; and



- च. किसी भी संबंधित पक्ष लेनदेन का प्रकटीकरण; और
- छ. मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्यताएं।
- ज. चालू व्यवसाय की धारणा।
- झ. लेखांकन मानक का अनुपालन।
- ञ. कंपनी की वित्तीय और जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।
- ट. चालू व्यवसाय की धारणा।
- ठ. आईसीएआई के लेखांकन मानक का अनुपालन।
5. प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
- 6.. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की स्टाफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, आंतरिक लेखापरीक्षा की कवरेज और आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
7. आंतरिक लेखा परीक्षकों और/या लेखा परीक्षकों के साथ किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
8. ऐसे मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों/एजेंसियों द्वारा की गई किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता हो और मामले की रिपोर्ट बोर्ड को देना।
9. लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले वैधानिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे के बारे में चर्चा, साथ ही लेखापरीक्षा के बाद चर्चा, ताकि चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाया जा सके।
10. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की जांच करना।
11. व्हिसल ब्लोअर तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।
12. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
13. संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
14. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार का एक खुला मार्ग प्रदान करना।
15. कंपनी में सभी संबंधित पक्ष लेन-देन की समीक्षा करें। इस उद्देश्य के लिए, लेखा परीक्षा समिति एक सदस्य को नामित कर सकती है जो संबंधित पक्ष लेन-देन की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा। किसी विशेष वर्ष में हुए सभी संबंधित पक्ष लेन-देन के बारे में विवरण देते हुए निर्धारित प्रारूप में एक बयान विभिन्न हितधारकों के लिए प्रकटीकरण के लिए उस वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण: "संबंधित पक्ष लेनदेन" शब्द का वही अर्थ होगा जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 18 में निहित है।

- g) Qualifications in the draft audit report.
- h) The going concern assumption.
- i) Compliance with Accounting Standard.
- j) Reviewing the company's financial and risk management policies.
- k) The going concern assumption.
- l) Compliance of Accounting Standard of ICAI.
5. Reviewing with the management performance of internal auditors and adequacy of the internal control systems.
6. Reviewing the adequacy of internal audit function, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit.
7. Discussion with internal auditors and/or auditors any significant findings and follow up there on.
8. Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors/auditors/agencies into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
9. Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern.
10. To look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of nonpayment of declared dividends) and creditors.
11. To review the functioning of the Whistle Blower Mechanism.
12. To review the follow up action on the audit observations of the C&AG audit.
13. To review the follow up action taken on the recommendations of Committee on Public Undertakings (COPU) of the Parliament.
14. Provide an open avenue of communication between the independent auditor, internal auditor and the Board of Directors.
15. Review all related party transactions in the company. For this purpose, the Audit Committee may designate a member who shall be responsible for reviewing related party transactions. A statement in the prescribed format giving details about all related party transactions taken place in a particular year should be included in the Board's report for that year for disclosure to various stakeholders.

Explanation: The term "related party transactions" shall have the same meaning as contained in the Accounting Standard 18, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

- | | |
|---|---|
| <p>16. कवरेज की पूर्णता, अनावश्यक प्रयासों में कमी, तथा सभी लेखापरीक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वय की स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ समीक्षा करें।</p> <p>17. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार करें और समीक्षा करें:</p> <ul style="list-style-type: none"> - कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, और - स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशों, साथ में प्रबंधन की प्रतिक्रियाएं। <p>18. प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार करें और समीक्षा करें:</p> <ul style="list-style-type: none"> - वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष, जिसमें पिछली लेखापरीक्षा सिफारिशों की स्थिति भी शामिल है - लेखापरीक्षा कार्य के दौरान आने वाली कोई भी कठिनाई, जिसमें गतिविधियों के दायरे पर कोई प्रतिबंध शामिल है या आवश्यक जानकारी तक पहुंच। <p>स्पष्टीकरण: यदि कंपनी ने कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार लेखा परीक्षा समिति गठित की है, तो उक्त लेखा परीक्षा समिति के पास ऐसे अतिरिक्त कार्य/विशेषताएं होंगी, जैसा कि इन दिशानिर्देशों में निहित है।</p> <p>19. लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तों में उल्लिखित किसी अन्य कार्य को पूरा करना।</p> <p>20. कंपनी की वित्तीय और जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।</p> <p>21. जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन।</p> <p>22. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का मूल्यांकन</p> <p>23. अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच।</p> <p>24. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देन का अनुमोदन या कोई बाद का संशोधन।</p> | <p>16. Review with the independent auditor the co-ordination of audit efforts to assure completeness of coverage, reduction of redundant efforts, and the effective use of all audit resources.</p> <p>17. Consider and review the following with the independent auditor and the management:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The adequacy of internal controls including computerized information system controls and security, and - Related findings and recommendations of the independent auditor and internal auditor, together with the management responses. <p>18. Consider and review the following with the management, internal auditor and the independent auditor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Significant findings during the year, including the status of previous audit recommendations - Any difficulties encountered during audit work including any restrictions on the scope of activities or access to required information. <p>Explanation: If the company has set up an Audit Committee pursuant to provision of the Companies Act, the said Audit Committee shall have such additional functions/features as contained in these guidelines.</p> <p>19. Carrying out any other function as is mentioned in the terms of reference of the Audit Committee.</p> <p>20. Reviewing the company's financial and risk management policies.</p> <p>21. Valuation of undertakings or assets of the company, wherever it is necessary.</p> <p>22. Evaluation of internal financial controls</p> <p>23. Scrutiny of inter-corporate loans and investments.</p> <p>24. Approval or any subsequent modification of transactions of the company with related parties.</p> |
|---|---|

III. लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां

- अपनी भूमिका के अनुरूप, लेखापरीक्षा समिति को निदेशक मंडल द्वारा निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई हैं:
- (i) अपने संदर्भ की शर्तों के अंतर्गत किसी भी गतिविधि की जांच करना।
 - (ii) किसी भी कर्मचारी से सूचना प्राप्त करना तथा कंपनी के अभिलेखों में निहित सूचना तक पहुंच बनाना।
 - (iii) निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन, बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।
 - (iv) यदि आवश्यक समझा जाए तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
 - (v) कंपनी से स्वतंत्र बैक ऑफिस समर्थन और अन्य संसाधन प्राप्त करना।
 - (vi) मुखबिरो की सुरक्षा के लिए।

III. POWERS OF AUDIT COMMITTEE

- Commensurate with its role, the Audit Committee empowered by the Board of Directors the following:
- (i) To investigate any activity within its terms of reference.
 - (ii) To seek information on and from any employee and access to information contained in the records of the Company.
 - (iii) To obtain outside legal or other professional advice, subject to the approval of the Board of Directors.
 - (iv) To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.
 - (v) To have independent back office support and other resources from the company.
 - (vi) To protect whistle blowers.



IV. लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, चार (04) लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

लेखापरीक्षा समिति सं.	दिनांक	उपस्थित निदेशकों की संख्या	निदेशकों की कुल संख्या
80	25.07.2023	3	3
81	27.09.2023	3	4
82	15.12.2023	3	4
83	23.02.2024	3	3

भारत सरकार द्वारा उर्वरक विभाग के माध्यम से नियुक्त कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) निगम की लेखापरीक्षा समिति की बैठक में स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखापरीक्षक और सांविधिक लेखापरीक्षक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठकों में उपस्थित थे।

V. कंपनी का कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

3. निदेशकों का कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों की आयु सीमा साठ वर्ष है। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उर्वरक विभाग के माध्यम से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति की तिथि तक या भारत सरकार से अगले निर्देश तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है। भारत सरकार के उर्वरक विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी निदेशक उर्वरक विभाग के अधिकारी नहीं रहने या उर्वरक विभाग (भारत सरकार) द्वारा नामांकन वापस लेने पर बोर्ड से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा एक बार में तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए की जाती है।

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

आपकी कंपनी पूर्णतः स्वामित्व वाली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के माध्यम से नियुक्त/नामांकित किया जाता है। इस प्रकार नियुक्त कार्यात्मक निदेशक औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) पैटर्न के वेतनमान और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों और शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक (सरकारी नामित) निदेशक कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं। वे केवल सरकारी अधिकारियों के रूप में उर्वरक विभाग से नियमित पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र) बोर्ड और/या समिति की प्रत्येक बैठक के लिए 10,000/- रुपये की बैठक फीस के भुगतान और कॉर्पोरेशन के व्यवसाय के संबंध में किए गए वास्तविक यात्रा, भोजन, आवास और अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं।

IV. AUDIT COMMITTEE MEETINGS

During the year under review, four (04) Audit Committee Meetings were held.

Audit Committee No.	Date attended	No. of Directors	Total No. of Directors
80	25.07.2023	3	3
81	27.09.2023	3	4
82	15.12.2023	3	4
83	23.02.2024	3	3

Chief Vigilance Officer (CVO) of the Company appointed by the Govt. of India through Department of Fertilizers is the permanent Special Invitee in the Audit Committee meeting of the Corporation. Chairman & Managing Director, Director (Finance), Internal Auditors and Statutory Auditors were attended the meetings as Special Invitee(s).

V. Company Secretary of the Company acts as the Secretary to the Audit Committee.

3. Tenure of Directors

The age limit of Chairman & Managing Director and other Whole Time Functional Directors is sixty years. The Chairman and Managing Director and the Whole Time Functional Directors of the Company are appointed by the President of India through the Department of Fertilizers for a period of five years from the date of taking charge or till the date of superannuation or till further instructions from the Government of India, whichever event occurs earlier. The Government Directors representing the Department of Fertilizers, Government of India, retires from the Board on ceasing to be officials of the Department of Fertilizers or withdrawal of nomination by the Department of Fertilizers (Govt. of India). Independent Directors are appointed by the Government of India for a tenure of three years at a time.

4. Remuneration of Directors

Your Company is a wholly owned Central Public Sector Undertaking and being the Government Company under the provisions of Companies Act, 2013 and rules made there under, the Functional Directors of the Company are appointed /nominated by President of India through the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers. The Functional Directors so appointed, draw remuneration under Industrial Dearness Allowance (IDA) pattern of pay scales and as per the terms and conditions issued by Government of India from time to time. The part-time official (Government Nominee) Directors on the Board of the Company do not draw any remuneration from the Company. They only draw regular remuneration from the Department of Fertilizers as Government officials. The Part Time Non Official Directors (Independent) on the Board of the Company entitled for the payment of sitting fee of Rs. 10,000/- for each meeting of the Board and/or Committee and reimbursement of actual travelling, boarding, lodging and other expenses incurred in connection with the business of the Corporation.

निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन में, निगम ने समय-समय पर निदेशकों की पारिश्रमिक समिति का गठन / पुनर्गठित किया है और पारिश्रमिक समिति का अंतिम पुनर्गठन संकल्प संख्या 116.01 दिनांक 02.03.2023 (116 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 13.03.2023 में नोट किया गया) द्वारा किया गया था। 31 मार्च, 2024 तक, आपके निगम के बोर्ड की पारिश्रमिक समिति में तीन (3) सदस्य शामिल हैं, अर्थात् श्री सतीश कुमार शर्मा, गैर-सरकारी निदेशक, स्वतंत्र निदेशक, (अध्यक्ष), श्री रबी रंजन सेन, गैर-सरकारी निदेशक, स्वतंत्र निदेशक और श्री हरविंदर सिंह, सरकार द्वारा नामित निदेशक। पारिश्रमिक समिति के संदर्भ की मौजूदा शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त समिति एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी और दो बैठकों के बीच छह महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। कोरम कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई या दो सदस्य, जो भी अधिक हो, होगा तथा कम से कम दो गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक उपस्थित होने चाहिए।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पारिश्रमिक समिति की दो (02) बैठकें आयोजित की गईं।

पारिश्रमिक समिति सं.	दिनांक	उपस्थित निदेशकों की संख्या	निदेशकों की कुल संख्या
3	25.07.2023	2	3
4	15.12.2023	3	4

5. विवाद समाधान समिति

प्रारंभ में, 30.06.2020 को आयोजित अपनी 66वीं बैठक में लेखापरीक्षा समिति के निर्देशों के अनुसार, कार्यकारी प्रबंधन ने गैर-सरकारी निदेशक (श्री बिपिन बिहारी पाढ़ी) की अध्यक्षता में दिनांक 22.08.2020 की अधिसूचना द्वारा "विवाद समाधान समिति" नामक एक समिति का गठन किया और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के अन्य सदस्यों का गठन किया, जिसका उद्देश्य विभिन्न न्यायालयों, वैधानिक प्राधिकरणों, मंचों आदि में लंबित सभी कानूनी विवादों/मामलों की समीक्षा करना और वैकल्पिक तंत्र के माध्यम से उपरोक्त विवादों/मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावना का पता लगाना और बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था।

विवाद समाधान समिति का समय-समय पर गठन किया गया था और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विवाद समाधान समिति का अंतिम पुनर्गठन संकल्प द्वारा परिचालन संख्या 116.01 दिनांक 02.03.2023 (116वीं बोर्ड बैठक दिनांक 13.03.2023 में नोट किया गया) द्वारा किया गया था। 31 मार्च, 2024 तक, आपके निगम के बोर्ड की विवाद समाधान समिति में चार सदस्य हैं अर्थात् श्री रबी रंजन सेन (अध्यक्ष), श्री सतीश कुमार शर्मा, गैर-सरकारी निदेशक, श्री निरंजन लाल, सरकार द्वारा नामित निदेशक और श्री एस सी दास, निदेशक (वित्त)। विवाद समाधान समिति के संदर्भ की मौजूदा शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त समिति एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी और दो बैठकों के बीच छह महीने से अधिक का समय नहीं बीतना चाहिए। कोरम इसकी

In compliance with the conditions of guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Department of Public enterprises (DPE), Corporation has constituted/ re-constituted remuneration committee of Directors from time to time and the last reconstitution of the Remuneration Committee was done by Resolution by Circulation No. 116.01 dated 02.03.2023 (noted in 116th Board Meeting dated 13.03.2023). As on 31st March, 2024, the Remuneration Committee of the Board of your Corporation comprises three (3) members i.e. Sh. Satish Kumar Sharma, Non Official Director, Independent Director, (Chairman), Shri Rabi Ranjan Sen, Non Official Director, Independent Director and Shri Harvinder Singh, Govt. Nominee Director. The existing terms of reference of the Remuneration Committee shall remain unchanged. The above Committee shall meet at least twice in a financial year and not more than six months shall elapse between two meetings. The quorum shall be one-third of its total strength or two members, whichever is higher and at least two Non-Official (Independent) Director must be present.

During the year under review two (02) meetings of Remuneration Committee were held.

Remuneration Committee No.	Date	No. of Directors attended	Total No. of Directors
3	25.07.2023	2	3
4	15.12.2023	3	4

5. Dispute Resolution Committee

Initially, as per the directions of Audit Committee in their 66th meeting held on 30.06.2020, executive management constituted a Committee namely "Dispute Resolution Committee vide notification dated 22.08.2020 under the Chairmanship of Non Official Director (Shri Bipina Bihari Padhy) and other members of Sr. Management officials of the company for the purpose to review all the legal disputes/cases pending in different courts, Statutory Authorities, Forums, etc. and explore the possibility of amicable resolution of the above disputes/cases through alternate mechanism and submit its report to the Board.

The Dispute Resolution Committee was constituted/ from time to time and the last reconstitution of the Dispute Resolution Committee during the year under review was done by Resolution by Circulation No. 116.01 dated 02.03.2023 (noted in 116th Board Meeting dated 13.03.2023). As on 31st March, 2024, the Dispute Resolution Committee of the Board of your Corporation comprises four members i.e. Shri Rabi Ranjan Sen (Chairman), Shri Satish Kumar Sharma, Non Official Director, Shri Niranjana Lal, Govt. Nominee Director and Shri S.C. Das, Director (Finance). The existing terms of reference of the Dispute Resolution Committee shall remain unchanged. The above Committee shall meet at least twice in a



कुल क्षमता का एक तिहाई या दो सदस्य, जो भी अधिक हो, होगा और कम से कम दो गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक उपस्थित होने चाहिए।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विवाद समाधान समिति की तीन (03) बैठकें आयोजित की गईं:

विवाद समाधान समिति सं.	दिनांक	उपस्थित निदेशकों की संख्या	निदेशकों की कुल संख्या
5	08.05.2023	5	5
6	25.07.2023	4	4
7	15.12.2023	4	5

6. कॉर्पोरेट सामाजिक समिति

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) के प्रावधानों के तहत निर्धारित तीन मानदंडों में से एक मानदंड को पूरा किया है, अर्थात् शुद्ध लाभ ₹5 करोड़ से अधिक। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी के सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) समिति का गठन 25 जुलाई, 2023 को बोर्ड द्वारा किया गया और सीएसआर नीति का निर्माण प्रक्रिया में है।

कंपनी के बोर्ड की सीएसआर समिति में चार निदेशक शामिल हैं: श्री रबी रंजन सेन (अध्यक्ष), गैर-आधिकारिक निदेशक, श्री सतीश कुमार शर्मा, गैर-आधिकारिक निदेशक, श्री निरंजन लाल, सरकार नामित निदेशक, श्री सुभाष चंद्र दास, कंपनी के वित्त निदेशक।

7. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी स्वैच्छिक निगमित प्रशासन दिशानिर्देशों की शर्तों V के अनुपालन के संबंध में मेसर्स प्रवीण छाजेड़ एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, गुवाहाटी से सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त की गई है और रिपोर्ट में बताई गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के जवाब निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक- II (ख) (घ) में संलग्न हैं।

8. कॉर्पोरेट प्रशासन दिशा-निर्देशों पर अनुपालन प्रमाणपत्र

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में मेसर्स प्रवीण छाजेड़ एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, गुवाहाटी से अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है, जो निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक - II (ग) में संलग्न है और अनुपालन प्रमाणपत्र में बताई गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के जवाब निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक II (घ) में संलग्न हैं।

9. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशा-निर्देश, 2010 के खंड संख्या 4.5 (vi) के अनुपालन में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) कंपनी के निदेशक मंडल को

financial year and not more than six months shall elapse between two meetings. The quorum shall be one-third of its total strength or two members, whichever is higher and at least two Non-Official (Independent) Directors must be present.

During the year under review, three (03) meetings of the Dispute resolution committee were held :

Dispute Resolution Committee No.	Date	No. of Directors attended	Total No. of Directors
5	08.05.2023	5	5
6	25.07.2023	4	4
7	15.12.2023	4	5

6. Corporate Social Responsibility Committee

During the Financial Year 2023-24, the Company satisfies one threshold criteria as under the provisions of Section 135 (1) of the Companies Act, 2013 i.e. Net Profit > /5 Crore out of the three criteria. In compliance of the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013, the CSR Committee of the Company was constituted by the Board on July 25, 2023 and the CSR Policy is in process of formulation.

The Corporate Social Responsibility Committee of the Board of the Company comprises four directors i.e. Shri Rabi Ranjan Sen (Chairman), Non Official Director, Shri Satish Kumar Sharma, Non Official Director, Shri Niranjana Lal, Govt. Nominee Director and Shri Subhash Chandra Das, Director (Finance) of the Company.

7. Secretarial Audit report

Secretarial Audit Report have been obtained from M/s. Pravin Chhajer & Associates, Practicing Company Secretary, Guwahati regarding compliance of the conditions V of Voluntary Corporate Governance guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the management replies on the observations stated in the report are enclosed at Annexure-II (B) (D) to the Directors' Report.

8. Compliance Certificate on Corporate Governance guidelines

Compliance Certificate have been obtained from M/s. Pravin Chhajer & Associates, Practicing Company Secretary, Guwahati regarding compliance of the conditions of Corporate Governance in accordance with the guidelines issued by Department of Public Enterprises (DPE) is enclosed at Annexure- II (C) to the Directors' Report and the management replies to the observations stated in the Compliance Certificate is enclosed at Annexure-II (D) to the Directors' Report.

9. CEO/CFO Certification

In compliance of clause no. 4.5 (vi) of the guidelines on corporate governance for CPSEs, 2010 issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Chairman & Managing Director and Director (Finance) of the Company give annual certificate on financial

वित्तीय रिपोर्टिंग तथा आंतरिक नियंत्रण पर वार्षिक प्रमाणपत्र देते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक-II (ड) में संलग्न है।

10. विहसल ब्लोअर नीति:

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, जिसका प्रशासनिक नियंत्रण रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के पास है, उर्वरक विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अंतर्गत आता है। इसलिए, सीवीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी में अपने सभी हितधारकों के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है, ताकि वे किसी भी अनैतिक/भ्रष्ट व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी के बारे में सीधे सीवीओ या अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट कर सकें। किसी भी कर्मचारी को बीवीएफसीएल बोर्ड की ऑडिट कमेटी के अध्यक्ष तक पहुंचने से मना नहीं किया गया है।

11. प्रकटन :

- कंपनी ने निदेशकों या उनके रिश्तेदारों (कंपनी अधिनियम की धारा 184 के अनुसार निदेशकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया खुलासा) के साथ कोई भी संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया है, जिसका कंपनी के साथ संभावित हित है, जिसे बोर्ड ने अपनी बैठक में नोट किया था। संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन का खुलासा नोट संख्या 30.02 में किया गया है, जो संबंधित पार्टी लेनदेन पर लेखांकन मानक -18 के अनुरूप वार्षिक खातों का हिस्सा है।
- कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), 2010 द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं।
- कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुपालन किया है।
- लेखा पुस्तकों में व्यय की कोई भी मद डेबिट नहीं की जाएगी, जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं है।
- कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया जाएगा जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो तथा निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो।
- कुल व्यय बनाम वित्तीय व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय का विवरण और वृद्धि के कारण निम्नानुसार हैं:

reporting and internal controls to the Board of Directors of the Company. The certificate given by the Chairman & Managing Director and Director (Finance) is enclosed at Annexure-II (E) to the Directors' Report.

10. Whistle Blower Policy:

Your Company being a Government Company under the administrative control by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers is covered under Central Vigilance Commission (CVC). Therefore, as per CVC guidelines, a mechanism has been established in the Company for all its stakeholders to report about any unethical/ corruptible behavior, actual or suspected fraud to the CVO or the Chairman and Managing Director directly. No employee has been denied access to the Chairman of the Audit Committee of the BVFCL Board.

11. DISCLOSURES :

- The Company has not entered into any related party transactions with the Directors or their relatives (Disclosure made by directors individually pursuant to Section 184 of Companies Act) having potential interest with the Company at large, which were noted by the Board in its meeting. Transactions with related parties are disclosed in Note No.30.02 forming part of the Annual Accounts, in line with the Accounting Standard -18 on Related Party Transactions.
- The Company has taken adequate steps to comply with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE), 2010.
- The Company has complied with the Presidential directive received during the financial year 2017-18.
- No items of expenditure debited in the books of accounts, which are not for the purpose of the business.
- No expenditure incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and top Management.
- Details of Administrative and Office expenses as a percentage of total expenses vis – a vis financial expenses and reasons for increase are as under :



	2023-24		2022-23		
	कुल व्यय का %	कुल वित्त व्यय का %(ब्याज)	कुल व्यय का %	कुल वित्त व्यय का %(ब्याज)	टिप्पणी
प्रशासनिक	1.41	शून्य	1.32	शून्य	
कार्यालय व्यय	0.01	शून्य	0.01	शून्य	

	2023-24		2022-23		Remarks
	% of Total Exp.	% of Total Finance Exp. (Int.)	% of Total Exp.	% of Total Finance Exp. (Int.)	
Administrative	1.41	Nil	1.32	Nil	
Office Exp.	0.01	Nil	0.01	Nil	

निदेशक मंडल की ओर से
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
स्थान : नामरूप, असम
दिनांक : अक्टूबर, 2024

For and on behalf of Board of Directors of
Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited
Place : Namrup, Assam
Date : 27 November, 2024

हा /-
पीके बानिक
निदेशक (उत्पादन) अतिरिक्त प्रभार के साथ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10095724

SD/-
P.K. BANIK
Director (Production) with Additional Charge of
Chairman & Managing Director
DIN : 10095724

निदेशकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक-II (क)

ANNEXURE –II (A) TO DIRECTORS' REPORT

आचरण संहिता के अनुपालन की घोषणा

DECLARATION OF COMPLIANCE OF CODE OF CONDUCT

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीपीएसयू के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के दिशानिर्देशों के खंड 3.4.2 के अनुपालन में, बोर्ड ने कंपनी के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण संहिता नियमों को मंजूरी दे दी है, जिसे कंपनी की वेबसाइट www.bvfcl.com पर पोस्ट किया गया है।

In compliance with the clause 3.4.2 of guidelines of Corporate Governance for CPSUs issued by the Department of Public Enterprises, Board has approved the Code of Conduct Rules for all members of Board of Directors and Senior Management of the Company, which has been posted on company's website www.bvfcl.com.

निदेशक मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी उपरोक्त आचरण संहिता नियमों के अनुपालन की पुष्टि करते हैं।

All the members of Board of Directors and the Senior Management Executives do hereby affirms the compliance with the above Code of Conduct Rules.

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
निदेशक मंडल की ओर से

For and on behalf of Board of Directors of
Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited

ह/-
पीके बानिक
निदेशक (उत्पादन) अतिरिक्त प्रभार के साथ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10095724

SD/-
P.K. BANIK
Director (Production) with Additional Charge of
Chairman & Managing Director
DIN : 10095724

स्थान : नामरूप, असम
दिनांक : 27 नवंबर, 2024

Place : Namrup, Assam
Date : 27 November, 2024



निदेशकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक-II (ख)

फॉर्म एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम सं 9 के अनुसरण में

सेवा में,

सदस्यगण,

ब्रह्मपुत्र वैली उर्वरक निगम लिमिटेड

सीआईएन: U24123AS2002GOI006786

डाकघर परबतपुर, नामरूप, डिब्रूगढ़-786623, असम

हमने विद्यमान सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवालयी लेखा परीक्षा की है और ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद से कंपनी के रूप में उल्लेख किया गया है) द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट पद्धति का अनुपालन किया गया है। सचिवालयी लेखा परीक्षा इस तरह से की गई थी कि इसने हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन मूल्यांकन करने और उस पर हमारा मत व्यक्त करने का उचित आधार दिया है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

- क. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करें।
- ख. हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और कार्य प्रणाली का पालन किया है, वे हमारी राय को तर्कसंगत आधार प्रदान करती हैं।
- ग. हमने कंपनी के वित्तीय विवरण के सही होने और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
- घ. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच केवल प्रायोगिक आधार पर प्रक्रियाओं का सत्यापन करने तक ही सीमित थी।
- ङ. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता और नही प्रभाव कारिता या प्रभावशीलता के लिए कोई आश्वासन है जिससे कम्पनी प्रबंधन ने कार्यों का संचालन किया है।

ANNEXURE –II (B) TO DIRECTORS' REPORT

FORM MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 read with Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014

To,

The Members,

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

CIN: U24123AS2002GOI006786

P.O. Parbatpur, Namrup, Dibrugarh-786623, Assam

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

We report that:-

- a. Maintenance of Secretarial records is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our Audit.
- b. We have followed the Audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
- c. We have not verified the correctness and appropriateness of the financial statement of the Company.
- d. The compliance of the provisions of the corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of the management. Our examination was limited to the verifications of procedures on test basis.
- e. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कंपनी द्वारा रखे गए बही-खाते, कागजात, लघु बही-खाते, प्रपत्र और दायर विवरणियां तथा अन्य रिकार्डों के हमारे सत्यापन तथा इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालय की लेखा परीक्षा करने के दौरान दी गई सूचना के आधार पर, हम एतद्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार में कंपनी ने ३१ मार्च, २०२४ ("लेखा परीक्षा अवधि") को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखा परीक्षा अवधि के दौरान इसमें शामिल सांविधिक प्रावधानों की सूची का अनुपालन किया है तथा यह कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन प्रणाली है जो यहां आगे की गई रिपोर्ट के अधीन है:

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा रखे गए बही खातों, कागजातों, लघु बही-खातों, प्रपत्रों और दायर विवरणियों तथा अन्य रिकार्डों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;
- (ii) अन्य कानून, जो विशेष रूप से कंपनी पर लागू होते हैं।

हमने निम्नलिखित से संबंधित लागू खण्डों के साथ अनुपालन की भी जांच की है:

- क. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानका
- ख. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन स्वैच्छिक दिशा-निर्देश, 2009;
- ग. भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, 2010 के लिए जारी कॉर्पोरेशन अधिशासन दिशा निर्देश

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने नोट-1 में हमारे अवलोकन को छोड़कर, ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो निम्नानुसार अवलोकन के अधीन है:

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:-

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी स्थिति एक असूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की रही है और सभी शेयर भारत के राष्ट्रपति और उर्वरक विभाग, भारत सरकार के अधिकारियों के नाम पर हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन विधिवत रूप से किया गया है, जो कि भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन, 2010 के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन किए गए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं, (कुछ बोर्ड बैठकों को छोड़कर जब निदेशकों से तत्काल मामलों पर कम समय के

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st day of March, 2024 ("audit period"), complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED. ("The Company") for the financial year ended on 31st March, 2024 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;
- (ii) Other corporate laws specifically applicable to the Company.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:-

- a) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.
- b) Corporate Governance Voluntary Guidelines, 2009 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.
- c) Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.

During the period under review, the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above except our observation in Note-1 subject to observation as under:

We further report that:-

The status of the Company during the financial year 2023-24 has been that of an Unlisted Public Sector Company and all the shares are held in the name of President of India and officials of Department of Fertilizers, Govt. of India.

The Board of Directors of the Company is duly constituted which is as per guidelines of Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.

The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, (except at few board meeting when consent was received from the directors to hold meeting at shorter notice on



नोटिस पर बैठक आयोजित करने की सहमति प्राप्त हुई थी) और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदार के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड के निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और इसलिए, किसी भी असहमतिपूर्ण विचार को कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं थी। कंपनी ने निदेशक मंडल से प्राप्त कुछ टिप्पणियों को भी कंपनी के कार्यवृत्त में दर्ज किया है।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि विद्यमान कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी में कोई विशिष्ट घटना/ कार्रवाई नहीं हुई, जिसका उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ा हो।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित का कोई मामला सामने नहीं आयाः

- शेयरों/डिबेंचर/स्वेट इक्विटी आदि का सार्वजनिक/राइट/अधिमान्य निर्गम।
- प्रतिभूतियों का ऋण मुक्ति/वापस खरीद/;
- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 180 के अनुसरण में सदस्यों द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय,
- विलय/एकीकरण/पुनर्निर्माण आदि।
- विदेशी तकनीकी सहयोग।

कृते प्रवीण छाजर एंड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

(प्रवीण कुमार छाजर)

प्रोपराईटर

एम. संख्या : A25787

सीओपी: 9231

यूडीआईएन: A025787F001494397

समीक्षा पंजीकरण संख्या: 4436/2023

दिनांक: 09/10/2024

स्थान: गुवाहाटी

टिप्पणी : 1

- हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के तहत कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार अनिवार्य रूप से कंपनी के बोर्ड में किसी भी महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है।

urgent matters) and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Board decisions are carried out with unanimous consent and therefore, no dissenting views were required to be captured and recorded as part of the minutes. The Company has also recorded few comments received from the Board of Directors in the minutes of the Company.

We further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, the Company had no specific events / actions which have a major bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.

We further report that during the audit period there were no instances of:

- Public/Right/Preferential issue of shares / debentures/sweat equity, etc.
- Redemption/ buy-back of securities
- Major decisions taken by the members in pursuance to section 180 of the Companies Act, 2013
- Merger/ amalgamation / reconstruction, etc.
- Foreign technical collaborations.

FOR PRAVIN CHHAJER & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

S/d

(PRAVIN KUMAR CHHAJER)

Proprietor

M. No.: A25787

COP: 9231

UDIN:A025787F001494397

Peer Review Regn. No.: 4436/2023

Date:09/10/2024

Place: Guwahati

Note:1

- During the course of our audit, it was observed that the company has not appointed any Women Director in the board of the company as mandated Under Section 149(1) read with rule 3 of the Companies (Appointment of Directors) Rules, 2014 of the Companies Act, 2013.

निदेशकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक-II (ग)

निगमित अधिशासन प्रमाणपत्र

सेवा में

सदस्यगण,

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: U24123AS2002GOI006786

डाकघर परबतपुर, नामरूप, डिब्रूगढ़ -786623, असम

हमने भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यथासंशोधित केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यम, 2010 के लिए निगम अधिशासन पर दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') द्वारा निगम अधिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

निगम अधिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच निगम अधिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा के दौरान की गई कुछ टिप्पणियों को छोड़कर कंपनी ने भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा संशोधित लागू अनुसार केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यम, 2010 की ऊपर उल्लिखित निगमित शासन में निर्धारित शर्तों का पालन किया है।

हम आगे यह उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के लिए कोई आश्वासन है जिससे कंपनी प्रबंधन ने इसके कार्यों का संचालन किया है।

उक्त दिशा-निर्देशों की सभी अनिवार्य शर्तों का अनुपालन निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन किया गया:-

नोट:1

- 1) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के तहत कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार अनिवार्य रूप से कंपनी के बोर्ड में किसी भी महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है।

ANNEXURE –II (C) TO DIRECTORS' REPORT

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE

To,

The Members,

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

CIN: U24123AS2002GOI006786

P.O. Parbatpur, Namrup, Dibrugarh -786623, Assam

We have examined the Compliance of Conditions of Corporate Governance by BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED ("The Company") for the year ended on 31st March, 2024 as stipulated in the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 as amended issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.

The Compliance of Conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the Compliance of the Conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the Company has complied with the Conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 as amended issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India, as applicable except few observations made during the course of our Audit.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

All mandatory conditions of the said guidelines were complied subject to following observations:-

Note:1

- 1) During the course of our audit, it was observed that the company has not appointed any Women Director in the board of the company as mandated Under Section 149(1) read with rule 3 of the Companies (Appointment of Directors) Rules, 2014 of the Companies Act, 2013.



ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

प्रवीण छाजर एंड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

FOR PRAVIN CHHAJER & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

ह/-

(प्रवीण कुमार छाजर)

प्रप्राइअटर

एम. नं.: A25787

सीओपी: 9231

UDIN: A025787F001494793

सहकर्मी समीक्षा पंजीकरण संख्या: 4436/2023

दिनांक: 09.10.2024

स्थान: गुवाहाटी

S/d

(PRAVIN KUMAR CHHAJER)

Proprietor

M. No.: A25787

COP: 9231

UDIN: A025787F001494397

Peer Review Regn. No.: 4436/2023

Date: 09/10/2024

Place: Guwahati

निदेशक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-II (घ)

ANNEXURE –II (D) TO DIRECTORS' REPORT

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमाणपत्र और सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

MANAGEMENT REPLIES AGAINST THE OBSERVATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE AND SECRETARIAL AUDIT REPORT OF THE COMPANY FOR THE FINANCIAL YEAR ENDING 31ST MARCH :-

क्रम सं.	टिपणी	प्रबंधन का जवाब	Sl. No.	Observations	Management Replies
1.	हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) के तहत कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ अनिवार्य रूप से कंपनी के बोर्ड में किसी भी महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है।	कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है तथा कंपनी के पास ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई आंतरिक व्यवस्था नहीं है। कंपनी चालू वित्त वर्ष (अर्थात 2024-25) में कंपनी के बोर्ड में एक महिला निदेशक की तत्काल नियुक्ति की सुविधा के लिए केंद्र सरकार और मंत्रालय के संबंधित विभाग के साथ मामला उठाएगी।	1	During the course of our audit, it was observed that the company has not appointed any Women Director in the board of the company as mandated Under Section 149(1) read with rule 3 of the Companies (Appointment of Directors) Rules, 2014 of the Companies Act, 2013.	The directors of the company are appointed by the Central Government, and the company does not have an in house mechanism for such appointments. The company will take up the matter with the Central Government and the concerned department of the Ministry to facilitate the immediate appointment of a Women Director in the Board of the Company, in the current financial year (i.e. 2024-25).



निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-II (ड)

सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश, 2010 के अनुपालन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाणन

सेवा में,
निदेशक मंडल
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
नामरूप

हम, प्रदीप कुमार बनिक, निदेशक (उत्पादन) जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभालते हैं और श्री सुभाष चंद्र दास, निदेशक (वित्त) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके द्वारा नियम 4.5 (vi) के अनुसार प्रमाणीकरण देते हैं। सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश, 2010, वह:

- क. हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार:
- (i) इन वक्तव्यों में कोई भी असत्य कथन नहीं है या कोई भी तथ्य छूटा नहीं है या ऐसे वक्तव्य नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;
- (ii) ये विवरण मिलकर कंपनी के मामलों का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुरूप हैं।
- (ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया कोई भी लेनदेन धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला नहीं है।
- (ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष, डिजाइन या संचालन या ऐसे आंतरिक नियंत्रण में कमियों, यदि कोई हो, का खुलासा किया है, जिनके बारे में हम जानते हैं और हमने इन कमियों को दूर करने के लिए जो कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है, उनके बारे में बताया है।
- (घ) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है कि:
- (i) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ;
- (ii) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ; तथा

ANNEXURE- II (E) TO DIRECTORS' REPORT

Certification of Chief Executive Officer and Chief Finance Officer in compliance of Guidelines on Corporate Governance for CPSEs, 2010

To,
The Board of Directors
Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited
Namrup

We, Pradip Kumar Banik, Director (Production) with Additional Charge of Chairman and Managing Director and Shri Subash Chandra Das, Director (Finance) of the Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited do hereby give certification as per Clause 4.5 (vi) of the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs, 2010, that:

- (a) We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the financial year ended 31st March, 2024 and that to the best of my knowledge and belief:
- (i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
- (ii) These statements together present a true and fair view of the Company's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and Regulations.
- (b) To the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Company during the financial year ended 31st March, 2024 which are fraudulent, illegal or violate the Company's code of conduct.
- (c) We accept the responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and we have evaluated the effectiveness of Internal Control Systems of the Company pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation or such internal control, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- (d) We have indicated to the auditors and the Audit committee that :
- (i) There was no significant change in internal control over financial reporting during the financial year ended 31st March, 2024;
- (ii) There was no significant change in accounting policies during the financial year ended 31st March, 2024; and

(iii) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान हमें किसी भी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी और वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में प्रबंधन या किसी कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका की संलिप्तता का कोई मामला नहीं मिला है।

(iii) We have not come across any instance during the financial year ended 31st March, 2024 of any significant fraud and the involvement of the management or an employee having a significant role in the Company's internal control system over financial reporting.

(एस सी दास)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08988297

(पीके बानिक)
निदेशक (निर्माण) अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक का प्रभार
अतिरिक्त के साथ
डीआईएन : 10095724

S/d
(S. C. DAS)
Director (Finance)
DIN : 08988297

S/d
(P.K BANIK)
Director(Production)
with Additional Charge of
Chairman & Managing Director
DIN : 10095724

दिनांक : 27 नवंबर, 2024
स्थान: नामरूप, असम

Date : 27.11.2024
Place: Namrup, Assam

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-III

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताई गई टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब
सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर नीचे दिए गए हैं।

क्रमांक	मुख्य लेखापरीक्षा बिंदु	प्रमुख लेखापरीक्षा बिंदुओं पर प्रतिक्रिया
3.1	नोट 7 : व्यापार देयताएं ₹22,922.59 लाख	
	<p>एमएसएमई अधिनियम, 2006 के तहत धारा 22 के अनुसार, जिस खरीदार को किसी कानून के तहत अपने खाते का ऑडिट करवाना आवश्यक है, उसे प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई मूल राशि और उस पर ब्याज देय राशि (अलग से दर्शाई जानी चाहिए) का खुलासा करना होगा। इसके अलावा धारा 15 के अनुसार, जहां कोई खरीदार आपूर्तिकर्ता को राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, खरीदार और आपूर्तिकर्ता के बीच किसी भी समझौते या वर्तमान में लागू किसी भी कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, खरीदार को उस राशि पर नियत दिन से या, जैसा भी मामला हो, सहमत तिथि के तुरंत बाद की तारीख से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर के तीन गुना पर मासिक चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।</p> <p>चूंकि एमएसएमई की बकाया राशि 45 दिनों से अधिक समय से बकाया थी, इसलिए ब्याज वाले हिस्से की गणना एमएसएमई अधिनियम, 2006 के अनुसार की जानी चाहिए। उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार बकाया राशि पर ब्याज के रूप में ₹34.55 लाख की राशि देय है, हालांकि कंपनी ने एमएसएमई अधिनियम के उल्लंघन में इस ब्याज का प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और अन्य खर्चों को कम करके दिखाया गया है, जबकि वर्ष के लिए लाभ को ₹ 34.55 लाख से अधिक दिखाया गया है।</p>	<p>कंपनी ने पीओ की शर्तों के अनुसार एमएसएमई विक्रेताओं को वैधानिक समय के भीतर भुगतान करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। स्टोर विभाग द्वारा सामग्री के निरीक्षण और स्वीकृति तथा एसआरवी जारी करने और चालान, जीसी, टीसी, सुरक्षा जमा आदि जैसे आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद वित्त विभाग द्वारा भुगतान के लिए बिल संसाधित किए जाते हैं। कुछ अवसरों पर बिलों की प्रक्रिया में देरी हो जाती है यदि संबंधित विक्रेताओं द्वारा समयबद्ध तरीके से बिलों / आवश्यक दस्तावेजों में विसंगतियों का समाधान नहीं किया जाता है। पीओ / वर्क ऑर्डर में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति पर वित्त अनुभाग द्वारा भुगतान संसाधित किया जाता है।</p> <p>कभी-कभी विक्रेता समय पर GSTR1 रिटर्न दाखिल करने में विफल हो जाता है, जिसके कारण कंपनी के GSTR2B रिटर्न में चालान नहीं दिखाई देता है, जिससे कंपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने से वंचित हो जाती है। ऐसे मामलों में चालान का GST घटक अस्थायी रूप से रोक लिया जाता है और बाद में कंपनी के GSTR-2B में दर्शाए जाने के बाद जारी किया जाता है। इसके अलावा कुल विवादित एमएसएमई बकाया 6.00 लाख रुपये है।</p> <p>इसलिए विक्रेता के कारण हुई गलती के लिए ब्याज का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। साथ ही, कंपनी को देरी के लिए कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है भुगतान ब्याज।</p>

ANNEXURE-III TO DIRECTORS' REPORT

**Management Replies on the Observations stated in Independent Audit Report for the financial year ended 31st March, 2024
The Management Replies on the Audit Observations of the Statutory Auditor**

Sl.No.	Key Audit Points	Reply to Key Audit Points
3.1	NOTE 7 : TRADE PAYABLES ₹22,922.59 lakhs	
	<p>As per Section 22 under MSME Act, 2006 the buyer who is required to get his account audited under any law, shall disclose the principal amount and interest dues thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier at the end of each accounting year. Further as per section 15, where any buyer fails to make payment of the amount to the supplier, the buyer shall, notwithstanding anything contained in any agreement between the buyer and the supplier or in any law for the time being in force, be liable to pay compound interest with monthly rests to the supplier on that amount from the appointed day or, as the case may be, from the date immediately following the date agreed upon, at three times of the bank rate notified by the Reserve Bank of India.</p> <p>Since the dues of MSME were outstanding for more than 45 days, so the interest portion should be calculated as per MSME Act, 2006. As per the details made available an amount of ₹34.55 Lakhs payable as interest on the outstanding amount however the company has not provided for this interest in contravention of the MSME Act. This has resulted in understatement of current liabilities and other expenses corresponding to overstatement of profit for the year by ₹34.55 lakhs.</p>	<p>Company has put its best effort to pay to MSME vendors within the statutory time as per terms of P.O.. Bills are processed for payment by Finance department after inspection & acceptance of materials & issue of SRV by stores department and checking of required documents like invoice, GC, TC, deposit of Security Deposit etc. In few occasions processing of bills gets delayed if the discrepancies in bills / required documents are not resolved in time bound manner by the concerned vendors. The payment is processed by the finance section on receipt of all required documents as mentioned in the P.O. / Work Order.</p> <p>Sometimes the vendor fails to file the GSTR1 Return in time leading to non- reflection of invoice in GSTR2B Return of the company restricting the company to avail input tax credit. In such cases the GST component of the invoice is temporarily withheld and subsequently released after reflection in the GSTR-2B of the company. Further the total disputed MSME dues is Rs.6.00 lakhs.</p> <p>Hence no provision of interest is created for fault attributable to vendor. Also company has not received any claim towards delayed payment interest.</p>



3.2	नोट 8 : अन्य वर्तमान देनदारियां ₹ 10539.56 लाख ग्राहकों से अग्रिम राशि लाख: ₹ 1496.68	
	(1) इसमें स्क्रेप सामग्री की बिक्री के लिए जमा देयता के विरुद्ध ₹ 33.66 लाख की राशि शामिल है। हमने देखा कि यह राशि उन व्यक्तियों से प्राप्त हुई है जिन्होंने कंपनी से स्क्रेप सामग्री खरीदी है, लेकिन इस राशि को स्क्रेप की बिक्री से आय के बजाय देयता के रूप में दर्ज किया गया है और परिणामस्वरूप देयता को ₹ 33.66 लाख अधिक दिखाया गया है और लाभ को उसी राशि से कम दिखाया गया है।	(1) स्क्रेप की बिक्री को लेखा पुस्तकों में तभी मान्यता दी जाती है जब स्क्रेप को निगम के परिसर से हटा दिया जाता है जब स्क्रेप से जुड़े जोखिम और पुरस्कार पूरी तरह से स्क्रेप डीलरों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। हालांकि, स्क्रेप डीलर ने निगम के पास 33.66 लाख रुपये की राशि जमा कर दी है, लेकिन उसने अभी तक इन सामग्रियों को निगम के परिसर से नहीं हटाया है। एएस-9 के प्रावधान के अनुसार, माल की बिक्री को राजस्व के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब माल से जुड़े महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित हो जाते हैं जो इस मामले में पूरा नहीं हुआ है। इसलिए स्क्रेप डीलर द्वारा जमा की गई प्रारंभिक राशि को देयता के रूप में मान्यता दी गई है और उपरोक्त शर्त पूरी होने के बाद अंततः राजस्व में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
	(2) ग्राहकों से लिए गए अग्रिम में 15 डीलरों से लिए गए 28.99 लाख रुपए शामिल हैं, जिसके लिए प्रबंधन ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया है, लेकिन उन्हें अभी तक राशि वापस नहीं की गई है। जिन डीलरों के साथ उनका कोई कारोबार नहीं है, उन्हें अतिरिक्त राशि जल्द से जल्द वापस की जानी चाहिए, क्योंकि इन राशियों को अनुचित तरीके से रखने से कंपनी के लिए कानूनी मुद्दे पैदा हो सकते हैं।	(2) प्रबंधन ऐसे डीलरों के खातों का मिलान करने की प्रक्रिया में है और वित्तीय वर्ष 24-25 में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
3.3	टिप्पणी: 10 संपत्ति पौधा और उपकरण: ₹ 18032.25 लाख	
	क. “संपत्ति, संयंत्र और उपकरण” पर AS 10 के अनुसार, स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड-बाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण जैसी वस्तुओं को PPE के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना होती है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम में प्रवाहित होंगे और आइटम की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। इसके अलावा, ऐसे किसी भी स्पेयर को जिसे AS 2 के अनुसार इन्वेंट्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उसे PPE के रूप में पूंजीकृत किया जाना चाहिए और ऐसी परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यहास किया जाना चाहिए। कंपनी ने PPE के तहत पूंजीगत मदों के रूप में ₹ 553.97 लाख दिखाए हैं। हालांकि, ऐसी वस्तुओं पर कोई मूल्यहास नहीं लगाया जाता है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा बनाए गए स्टॉक विवरण के अनुसार, यह देखा गया है कि स्टोर की कई वस्तुएँ पूंजीगत प्रकृति की हैं और उन्हें समय के साथ पूंजीकृत और मूल्यहास किया जाना चाहिए था। हालांकि, ऐसा कोई विभाजन नहीं किया गया है और सभी वस्तुओं को इन्वेंट्री, स्टोर और स्पेयर की वस्तुओं के रूप में दिखाया गया है। इस प्रकार, समग्र इन्वेंट्री को भौतिक रूप से बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए समग्र PPE को कम करके दिखाया गया है। इसके अलावा, ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास न लगाए जाने के कारण वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए कंपनी के समग्र लाभ को भी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है। यह अवलोकन वित्त वर्ष 2022-2023 में भी दिया गया था।	क) 553.97 लाख रुपये के स्टोर और स्पेयर्स की वस्तु पिछले कई वर्षों में खरीदी गई है। खरीद के समय मशीनरी स्पेयर्स जिनका उपयोग केवल अचल संपत्तियों के आइटम के संबंध में किया जा सकता है और जिनके उपयोग की अनियमितता की उम्मीद है और जो PPE के रूप में योग्य हैं, उन्हें कंपनी की नीति के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है और जो इसके लिए योग्य नहीं हैं उन्हें इन्वेंट्री के रूप में माना जाता है।

3.2	NOTE 8 : OTHER CURRENT LIABILITIES ₹ 10539.56 lakhs. Advance from customers ₹1496.68 lakhs:	
	<p>(1) This includes an amount of ₹ 33.66 lakhs. against Liability for Deposit for Scrap Materials sales. We observed that this amount is received from persons who have purchased scrap materials from the company but the amount is booked as liability instead of income by sale of scrap and as result the liability is shown excess by ₹ 33.66 lakhs and profit is shown less by the same amount.</p>	<p>(1) The sale of scrap is recognized in the books of account only when the scrap is removed from the premises of the corporation when the risks and rewards associated with the scraps is completely transferred to the scrap dealers. However though the scrap dealer has deposited an amount of Rs.33.66 lakhs with the corporation it is yet to remove these materials from the premises of the corporation. As per provision of AS- 9, the sale of goods are recognised as revenue only when the significant risks and rewards associated with the goods is transferred which is not fulfilled in this case. Hence the initial amount deposited by the scrap dealer has been recognized as a liability and will be eventually transferred to revenue once the above condition is fulfilled.</p>
	<p>(2) Advance from customers include 28.99 lakhs from 15 dealers for which the management offered the explanation that they have closed their businesses but amount has not yet been refunded to them. The refund of the excess amounts should be made at the earliest to dealers with whom there is no business as undue holding of these amounts may cause legal issues for the company.</p>	<p>(2) Management is in the process of reconciling the ledgers of such dealers and necessary action will be taken in the FY 24-25.</p>
3.3	NOTE10. PROPERTY PLANT AND EQUIPMENTS: ₹18032.25 lakhs	
	<p>a. As per AS 10 on “Property, Plant & Equipment”, items such as spare parts, stand-by equipment and servicing equipment are recognized as PPE when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the enterprise and the cost of the item can be measured reliably. Further, any such spares which have been classified as Inventory as per AS 2 should be capitalized as PPE and should be depreciated over their remaining useful lives of such assets. The company has shown ₹553.97 lakhs under PPE. However, no depreciation is charged on such items. Further, as per the stock details maintained by the company, it has been observed that many items of stores are capital in nature and should have been capitalized and depreciated in due course of time. However, no such bifurcation has been done and all the items have been shown as items of inventory, stores and spares. Thus, the overall inventory has been materially overstated consequently understating the overall PPE as being reflected in the financial statements. Moreover, non-charging of depreciation on such assets has also resulted in overstatement of the overall Profits of the company for the FY 2023-24. This observation was given in financial year 2022-23 also.</p>	<p>a) The item of stores and spares representing Rs. 553.97 Lakhs has been purchased over years. At the time of purchase the Machinery Spares which can be used only in connection with an item of fixed assets and whose use is expected to be irregular and qualify as PPE are capitalized as per the policy of the company and those do not qualify for the same are considered as inventory.</p>

<p>ख. कंपनी ने क्षतिग्रस्त संपत्तियों की पहचान नहीं की है, हालांकि इसके बहीखातों में बड़ी संख्या में ऐसी संपत्तियां हैं, जो अपनी उपयोगी अवधि पूरी कर चुकी हैं और अब सक्रिय उपयोग में नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप संपत्ति संयंत्र और उपकरणों का अधिक विवरण सामने आया है।</p>	<p>ख) परिसंपत्ति की हानि नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई की पहचान के आधार पर की जाती है। कंपनी के पास दो सीजीयू यानी नामरूप II और नामरूप III प्लांट हैं। नामरूप III - यह संयंत्र वित्त वर्ष 22 में 80% से अधिक क्षमता पर चल रहा है। 23 और वित्त वर्ष 23-24 के दौरान लगभग 67% क्षमता पर और नकदी पैदा कर रहा है। तुलन पत्र की तारीख तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। नामरूप II - यह संयंत्र वर्ष 1976 में चालू किया गया था और यह 46 वर्ष से अधिक पुराना है। संयंत्र और मशीनरी की प्रमुख वस्तुएँ अपने आर्थिक जीवन को पार कर चुकी हैं और अपने अवशिष्ट मूल्य पर ही चल रही हैं। नामरूप II संयंत्र की बहाली पर भारत सरकार से औपचारिक निर्णय की प्रतीक्षा है और फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि इसमें कोई हानि हुई है।</p>
<p>ग. नामरूप II समूह के निष्क्रिय संयंत्र को बंद करना: यह संयंत्र 06.01.2020 से बंद है। उर्वरक विभाग द्वारा गठित तकनीकी समिति ने 7.01.2022 को अपनी रिपोर्ट में संयंत्र की मरम्मत के खिलाफ सिफारिश की है क्योंकि यह अब आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। 8 मई 2023 को आयोजित बोर्ड बैठक संख्या 177 में निदेशक मंडल ने जल उपचार संयंत्र को छोड़कर नामरूप II संयंत्र को स्थायी रूप से बंद करने और निपटाने को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। हालांकि, कंपनी ने नामरूप II प्लांट की संपत्तियों को बंद नहीं किया है और संपत्तियों पर मूल्यहास लगाया है और लाभ और हानि खाते में डेबिट किया है जो सही नहीं है और एएस 10 में निर्धारित सिद्धांतों के खिलाफ है। संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर एएस 10 में कहा गया है कि सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त और निपटान के लिए रखे गए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं को उनकी वहन राशि और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से कम पर बताया जाना चाहिए। इस संबंध में किसी भी राइट-डाउन को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जानी चाहिए। यह अवलोकन वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी दिया गया था। इसके अलावा, नामरूप II संयंत्र के लिए वर्ष के दौरान 64.22 लाख रुपये की मरम्मत की राशि व्यय में दर्ज की गई है, जबकि यह 06.01.2020 से गैर-परिचालन है।</p>	<p>ग) संयंत्र के आगे के जीर्णोद्धार के लिए उर्वरक विभाग द्वारा गठित तकनीकी उपसमिति के आधार पर कंपनी के निदेशक मंडल की सहमति प्रदान की गई। हालांकि, नामरूप II संयंत्र की बहाली/बंद करने या संयंत्र के पुनरुद्धार के लिए किसी वैकल्पिक तंत्र पर भारत सरकार से औपचारिक निर्णय अभी भी प्रतीक्षित है। भारत सरकार से निर्णय आने तक इन परिसंपत्तियों को सक्रिय उपयोग से हटाया नहीं गया है। इस मामले में यह स्पष्ट किया गया है कि एएस 10 के अनुसार किसी परिसंपत्ति का मूल्यहास तब शुरू होता है जब वह उपयोग के लिए उपलब्ध होती है, यानी, जब वह प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में होती है। किसी परिसंपत्ति का मूल्यहास उस तिथि से पहले समाप्त हो जाता है जब परिसंपत्ति को सक्रिय उपयोग से हटा दिया जाता है और निपटान के लिए रखा जाता है और उस तिथि से जब परिसंपत्ति को मान्यता से हटा दिया जाता है। इसलिए, जब परिसंपत्ति निष्क्रिय हो जाती है या सक्रिय उपयोग से हटा दी जाती है (लेकिन निपटान के लिए नहीं रखी जाती है) तब मूल्यहास बंद नहीं होता है जब तक कि परिसंपत्ति का पूर्ण मूल्यहास न हो जाए। हालांकि, मूल्यहास के उपयोग के तरीकों के तहत, मूल्यहास शुल्क शून्य हो सकता है जब तक कि कोई उत्पादन न हो। इसके अलावा मूल्यहास इस प्रकार लगाया जाता है खातों की पुस्तकों में सीधी रेखा पद्धति के अनुसार। हालांकि प्लांट में उत्पादन नहीं हो रहा है, लेकिन प्लांट को बंद करने के लिए अभी भी डीओएफ की मंजूरी की आवश्यकता है। इस अवधि के दौरान रखरखाव और सुरक्षा के उद्देश्य से प्लांट और उपकरणों को उसकी मौजूदा स्थिति में रखने के लिए कुछ व्यय किए जाते हैं। हालांकि अवलोकन को नोट कर लिया गया है और प्रबंधन समीक्षा करेगा। व्यय।</p>

<p>b. The company has not identified impaired assets though it has huge number of assets lying in its books which have outlived their useful lives and are not in active use any more. This has resulted in over statement of property plant and equipment.</p>	<p>b) The impairment of asset is done based on the identification of Cash generating unit. The company has two CGU i.e. Namrup II & Namrup III plants.</p> <p>Namrup III - The plant is running at more than 80% capacity in the FY 22-23 & at about 67% capacity during the FY 23-24 and generating cash. As at the Balance Sheet date there is no indication that the asset may be impaired.</p> <p>Namrup II - The plant was commissioned in the year 1976 and is more than 46 years old. Major items of the plant and machinery have surpassed their economic life and carried at their residual value. Formal decision on restoration of Namrup II plant is awaited from Government of India and at the moment there is no indication that the impairment has occurred.</p>
<p>c. Decommissioning of non-functional Namrup II Group of Plant: The plant has been shut down since 06.01.2020. The technical committee constituted by the Department of Fertilizers in its report dated 7.01.2022 recommended against the repairs of the plant as it is no longer economically viable.</p> <p>The Board of Directors in the board meeting no 177 held on 8th May 2023 approved in principle the permanent decommissioning and disposal of the Namrup II Plant except water treatment plant. However, the company has not decommissioned the Namrup II plant assets and has charged depreciation on the assets and debited to the profit and loss account which is not correct and is against the principles laid down in AS 10. AS 10 on Property plant and equipment states that Items of property, plant and equipment retired from active use and held for disposal should be stated at the lower of their carrying amount and net realizable value. Any write-down in this regard should be recognized immediately in the statement of profit and loss. This observation was given in financial year 2022-23 also.</p> <p>Further, repairs amounting to ₹64.22 lakhs are booked in expenses for Namrup II Plant during the year despite it being non-operational since 06.01.2020.</p>	<p>c) The consent of the Board of Directors of the Company was accorded on the basis of the technical subcommittee constituted by the DoF for further restoration of the plant.</p> <p>However formal decision on restoration / decommissioning of Namrup II plant or any alternative mechanism for revival of the plant is still awaited from Government of India.</p> <p>The assets have not retired from active use pending decision from Government of India.</p> <p>In the matter it is clarified that as per AS 10 Depreciation of an asset begins when it is available for use, i.e., when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Depreciation of an asset ceases at the earlier of the date that the asset is retired from active use and is held for disposal and the date that the asset is derecognized. Therefore, depreciation does not cease when the asset becomes idle or is retired from active use (but not held for disposal) unless the asset is fully depreciated. However, under usage methods of depreciation, the depreciation charge can be zero while there is no production.</p> <p>Though the plant is not in production, the closure of the plant still requires the approval of the DOF. During this period certain expenditures are incurred to keep the plant and equipment at its current state, for the purpose of upkeep and security. However the observation is noted and the management will review the expenditure.</p>

3.4	नोट 12 इन्वेंट्री: ₹6199.82 लाख	
	<p>क. “इन्वेंट्री” पर एएस 2 के अनुसार, इन्वेंट्री के शुद्ध वसूली योग्य मूल्य का अनुमान, इन्वेंट्री से प्राप्त होने वाली अपेक्षित राशि के बारे में अनुमान लगाए जाने के समय उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित होता है। ये अनुमान लेते हैं में मूल्य या लागत में उतार-चढ़ाव पर विचार करना जो सीधे तुलन पत्र की तारीख के बाद होने वाली घटनाओं से संबंधित है, इस सीमा तक कि ऐसी घटनाएं इसकी पुष्टि करती हैं तुलन पत्र की तारीख पर मौजूदा स्थितियाँ। इसके अलावा, AS 5 के अनुसार “अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि आइटम और परिवर्तनमें लेखांकननीतियों के अनुसार, यदि जिन परिस्थितियों पर अनुमान आधारित था, उनमें परिवर्तन होता है, या नई जानकारी, अधिक अनुभव के परिणामस्वरूप अनुमान को संशोधित करना पड़ सकता है या बाद के घटनाक्रम।</p> <p>यह देखा गया है कि कंपनी द्वारा 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बकाया इन्वेंट्री के लिए स्टोर और स्पेयर्स का प्रावधान किया गया है, जिसकी राशि ₹ 1337.99 लाख है, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 5.31 लाख की राशि का प्रावधान शामिल है। हालाँकि, इस तरह का प्रावधान कंपनी द्वारा आंतरिक रूप से निर्धारित अनुमानों के आधार पर किया गया है और उचित बाजार मूल्य और गैर-चलती इन्वेंट्री के अप्रचलन के मूल्यांकन के लिए इन्वेंट्री का कोई वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया गया है। इस प्रकार, हमारी पेशेवर राय में, इन्वेंट्री के खिलाफ प्रावधान के आकलन का आधार उचित नहीं है और इसे संशोधित किया जाना चाहिए। कंपनी द्वारा इस तरह का प्रावधान वास्तविक मूल्यांकन और समय-समय पर कंपनी द्वारा किए गए इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन के आधार पर किया जाना चाहिए।</p> <p>इसके अलावा, कंपनी द्वारा गैर-चलती इन्वेंट्री के खिलाफ प्रावधान के आधार के रूप में उपयोग किए जा रहे प्रतिशत को अपडेट या संशोधित नहीं किया गया है और पिछले कुछ वर्षों में लगातार इसका उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, 15-20 वर्षों से बिना किसी हलचल वाली इन्वेंट्री के लिए 50% का प्रावधान किया जा रहा है, जबकि 20 वर्षों से अधिक समय से बिना किसी हलचल वाली इन्वेंट्री के लिए सीधे 95% का प्रावधान किया जा रहा है। हालाँकि, हमारी राय में इन्वेंट्री के खिलाफ प्रावधान के लिए उपयोग किए जा रहे प्रतिशत को समय-समय पर संशोधित किया जाना चाहिए और नियमित अंतराल पर आयोजित की जा रही ऐसी इन्वेंट्री के वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। यह अवलोकन वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिया गया था जो अभी भी चालू वित्त वर्ष 2023-24 में कायम है।</p>	<p>(क) जिन परिस्थितियों पर अनुमान आधारित था, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, या तुलन पत्र की तारीख के बाद कोई नई जानकारी, अधिक अनुभव या अनुवर्ती विकास सामने नहीं आया है।</p> <p>कंपनी पिछले कई वर्षों से लगातार इन्वेंट्री पर आयु-वार प्रावधान की नीति का पालन कर रही है और भौतिक इन्वेंट्री सत्यापन के आधार पर कमी और अधिकता का वास्तविक आधार पर हिसाब लगाया जाता है।</p>

3.4	NOTE 12 INVENTORIES: ₹6199.82 Lakhs	
	<p>a) As per AS 2 on “Inventory”, estimates of net realizable value of inventory are based on the most reliable evidence available at the time the estimates are made as to the amount the inventories are expected to realize. These estimates take into consideration fluctuations of price or cost directly relating to events occurring after the balance sheet date to the extent that such events confirm the conditions existing at the balance sheet date.</p> <p>Moreover, as per AS 5 on “Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies”, an estimate may have to be revised if changes occur regarding the circumstances on which the estimate was based, or as a result of new information, more experience or subsequent developments.</p> <p>It has been observed that provision for stores and spares has been made by the company for inventory which is outstanding for a period of more than 3 years amounting to ₹ 1337.99 lakhs including provision reversed during the FY 2023-24 amounting to ₹ 5.31 lakhs. However, such provisioning has been done based on estimates set by the company internally and no actual valuation of the inventory has been conducted for evaluation of the Fair Market value and obsolescence of the non-moving inventory. Thus, in our professional opinion, the basis for the estimation of provisioning against inventory is not justified and the same should be revised. Such provisioning should be done by the company based on actual valuation and physical verification of inventory conducted by the company on a periodical basis.</p> <p>Furthermore, the percentages being used by the company as a basis for provisioning against non-moving inventory has not been updated or revised and is being used consistently over the years. For instance, inventory with no movement from 15-20 years is being provisioned against at 50% whereas inventory with no movement for more than 20 years is being provisioned directly at 95%. However, in our opinion the percentages being used for provisioning against inventory shall be periodically revised and should be based on the actual valuation of such inventory being conducted at regular intervals. This observation was given in financial year 2022-23 which is still persisting in the current FY 2023-24.</p>	<p>(a) There is no change in circumstances on which the estimate was based, or any new information, more experience or subsequent development have arisen after the balance sheet date.</p> <p>The company has been following the policy of age wise provision on inventory consistently over the years and based on the physical inventory verification shortages and excess is accounted for on actual basis.</p>



3.5	नोट 13 व्यापार प्राप्य: ₹17392.74 लाख	
	क. हमने देखा कि कंपनी ने खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया है। प्रोद्भव लेखांकन में, व्यवसाय संभावित खराब ऋणों के लिए व्यय की एक मद को पहचानने के लिए प्रावधान का उपयोग करते हैं। वे ग्राहकों को बिल दिए जाने के तुरंत बाद ऐसा करते हैं, बजाय इसके कि वे यह निर्धारित करने के लिए प्रतीक्षा करें कि कौन से बिल अप्राप्य हैं।	(क)
	i.) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए व्यापार प्राप्तियों का आयुवार ब्यौरा 2 वर्षों से अधिक समय से बकाया ₹943.85 लाख दिखाता है, जिसमें जनवरी 2017 से अक्टूबर 2017 तक की अवधि के लिए FICC, DOF से ₹6.94 करोड़ की राशि के लिए सब्सिडी का 5% शेष दावा शामिल है, लेकिन संदिग्ध प्राप्तियों के लिए केवल ₹96.73 लाख का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, कंपनी द्वारा पुस्तकों में संदिग्ध प्राप्तियों के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है।	i) कंपनी ने निम्नलिखित नीति अपनाई है: व्यापार प्राप्य, अन्य प्राप्य, ऋण और अग्रिम राशि को मामले-दर-मामला आधार पर समीक्षा करने पर संदिग्ध के रूप में पूरी तरह से प्रावधानित किया जाता है, इस तरह के नुकसान की सीमा तक। इसके अलावा एफआईसीसी, डीओएफ, जीओआई से प्राप्तियों के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।
	ii.) व्यापार प्राप्तियों में विविध देनदारों की बिक्री (विपणन) ₹2011.33 लाख शामिल हैं, जिसके विरुद्ध कंपनी के पास ₹1186.02 लाख नकद सुरक्षा जमा के रूप में हैं और शेष ₹825.31 लाख असुरक्षित हैं। इसके अलावा, ₹544.75 लाख भुगतान की तिथि से छह महीने से अधिक समय से बकाया हैं, हालांकि, कंपनी ने संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया है।	ii) 2011.33 लाख रुपये (वित्त वर्ष 5008.12 लाख) की कुल व्यापारिक प्राप्तियों में से 1186.02 लाख रुपये की नकद सुरक्षा है। इसके अलावा कंपनी ने देनदारों से पोस्ट डेटेड चेक प्राप्त किए हैं, इसलिए प्राप्तियां सुरक्षित हैं। इसके अलावा 175.92 लाख रुपये की उपरोक्त संग्रह राशि वर्तमान में सुलह के लिए लंबित सस्पेंस खाते में रखी गई है और बकाया प्राप्य राशि के विरुद्ध समायोजित की जानी है। कंपनी सुलह की प्रक्रिया में है और देनदारों के साथ इसका मिलान कर रही है। इसलिए शुद्ध खुला जोखिम बहुत कम है। यह देखा जा सकता है कि कंपनी ने पिछले वर्ष के अंत में बकाया राशि की तुलना में अपनी प्राप्तियों में 2996.79 लाख रुपये की उल्लेखनीय कमी की है। शेष राशि की वसूली के लिए भी प्रयास जारी हैं।
	iii.) विविध की बिक्री (विपणन) ₹2011.33 लाख में देनदारों किसान सुविधा केंद्र शामिल है (केएसके)-वहाँ हैं दस 2016 से कंपनी के मार्केटिंग विभाग में KSK का प्रबंधन किया जा रहा है और इनके विरुद्ध ₹122.95 लाख की प्राप्य राशि है। इन KSKS से प्राप्त राशि को नियमित रूप से जमा नहीं किया गया या उसका उचित हिसाब नहीं रखा गया और इस प्रकार यह खाता बकाया के रूप में दिखाया जा रहा है। सामान्य तौर पर कोई बकाया राशि नहीं होनी चाहिए। 3 वर्ष से अधिक पुराने शेष के माध्यम से संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।	iii) 8 केएसके से प्राप्त होने वाली राशि 122.95 लाख रुपये पहले ही प्राप्त हो चुकी है क्योंकि केएसके से सभी सामग्री अंतिम खुदरा उपभोक्ताओं (किसानों) को नकद और कैरी आधार पर बेची गई थी, इसलिए बकाया का कोई सवाल ही नहीं है। किस केएसके से कंपनी के बैंक खाते में राशि जमा की गई है, इसकी जानकारी के अभाव में संबंधित केएसके कोड को संग्रह के विरुद्ध क्रेडिट नहीं दिया जा सका। इस मामले का खुलासा फुटनोट में किया गया है।

3.5	NOTE 13 TRADE RECEIVABLE: ₹17392.74 Lakhs	
	<p>a) We observed that the company has not made adequate provisioning for Bad and doubtful debts. In accrual accounting, businesses use the provision to recognize an item of expenditure for potential bad debts. They do this as soon as bills are given to customers instead of waiting to determine which bills are unrecoverable.</p>	(a)
	<p>i.) Age wise break-up of trade receivables for the F.Y. 2023-24 shows ₹943.85 lakhs as outstanding for more than 2 years which includes 5% balance claim of subsidy for the period from January 2017 to October 2017 amounting to ₹6.94 crores from FICC, DoF but only for doubtful receivables has been made. Thus, adequate provisioning for doubtful receivables is not made in the books by the company.</p>	<p>i) The company has adopted the following policy:</p> <p>Trade receivables, other receivables, loans and advances are fully provided for as doubtful upon review on case to case basis, to the extent of such loss considered as incurred. Further no provision is created against receivables from FICC, DoF, GoI.</p>
	<p>ii.) Trade Receivables others includes Sundry debtors sales (Marketing) ₹2011.33 lakhs against which the company has ₹1186.02 lakhs as cash security deposits and the balance ₹825.31 lakhs is unsecured. Further ₹544.75 lakhs is outstanding for more than six months from the date they were due for payment, however, the company has not created a provision for doubtful debts.</p>	<p>ii) Out of the total trade receivables of Rs. 2011.33lakhs (PY 5008.12 lakhs) there is a cash security of Rs. 1186.02 lakhs. Further the company has obtained post dated cheques from debtors hence the receivables are secured. Further to the above collection amount of Rs. 175.92 lakhs is currently parked in Suspense A/c pending reconciliation and to be adjusted against outstanding receivable amount. The company is in the process of reconciliation and matching the same with the debtors. Therefore the net open exposure is very less. It can be observed that the company has significantly brought down its receivables by Rs. 2996.79 lakhs compared to previous year end outstanding balance. The efforts are on for collection of balance amount also.</p>
	<p>iii.) Sundry debtors sales (Marketing) ₹2011.33 lakhs includes KisanSuwidha Kendra (KSK)- There are ten KSK managed by the company in Marketing department since 2016 and there is receivable of ₹122.95 lakhs against these. The realization made from these KSKS was not regularly deposited or properly accounted for and thus this account is showing as outstanding. Normally there should not have been any balance outstanding. No provision for doubtful debts has been made through the balance are more than 3 years old.</p>	<p>iii) Amount receivable from 8Nos KSKs amounting to Rs.122.95 lakhs has already been received as all materials from KSK were sold to ultimate retail consumers (farmers) on cash and carry basis therefore there is no question of outstanding. Credit to respective KSK code could not be given against collection due to lack of information as to from which KSK the amount has been deposited into the bank account of the company.</p> <p>The matter has been disclosed in the foot note.</p>



<p>ख. कंपनी की ऋण नीति पर टिप्पणियां:</p> <p>कंपनी ने दिसंबर 2023 में ऋण नीति तैयार की, लेकिन इसका कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2023-24 में उतना प्रभावी नहीं रहा।</p> <p>क्रेडिट नीति के अनुसार, "व्यापारिक उत्पादों के मामले में डीलरों/खुदरा विक्रेताओं को दी जाने वाली कुल क्रेडिट अवधि चालान की तारीख से 60 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।" हमें उपलब्ध कराई गई एजिंग के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक बकाया शेष राशि वाले डीलरों के पास 60 दिनों से अधिक के लिए कोई एसडी या पीडीसी नहीं है, जो ₹383.19 लाख है।</p> <p>क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार, "हर डीलर/रिटेलर को 1:3 के अनुपात में सुरक्षित क्रेडिट और ओपन क्रेडिट की पेशकश की जाती है। सुरक्षित क्रेडिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा तक होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट से परे दिया गया कोई भी क्रेडिट ओपन क्रेडिट होता है। ओपन क्रेडिट डीलर से लिए गए पोस्ट-डेटेड चेक के जरिए सुरक्षित किया जाता है।" हालांकि, वास्तविक व्यवहार में, यह देखा गया है कि 31 मार्च, 2024 तक बिना पीडीसी वाले डीलरों का शेष ₹ 1910.04 लाख है, जिसमें एसडी शेष ₹ 318.02 लाख है। इस प्रकार सुरक्षा जमा के 3 गुना की निर्दिष्ट सीमा से अधिक क्रेडिट की अनुमति है।</p>	<table border="1" data-bbox="889 279 1490 583"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>राशि रु.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>केएसके - सस्पेंस सुलह</td> <td>1,27,26,066</td> </tr> <tr> <td>ऋण नीति से पहले कार्यान्वयन</td> <td>1,06,94,921</td> </tr> <tr> <td>बाद में एकत्र किया हुआ</td> <td>1,31,16,936</td> </tr> <tr> <td>कौतुहल सुलह</td> <td>1,78,446</td> </tr> <tr> <td>अंतर्गत सुलह</td> <td>4,02,240</td> </tr> <tr> <td>कुल योग</td> <td>3,71,18,609</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि 10 केएसके से संबंधित 127.27 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं और 234002010000100000 नो डीलर में पार्क किए गए हैं।</p> <p>कोड** (एएस-केएम-0) लेकिन समाधान लंबित है। 131.17 लाख रुपए की राशि बाद में प्राप्त हुई है और 106.94 लाख रुपए क्रेडिट पॉलिसी के कार्यान्वयन से पहले प्रदान किए गए ऋण से संबंधित हैं। शेष 5.82 लाख का समाधान किया जा रहा है।</p> <p>27 डीलर ऐसे हैं जिन पर 25.50 लाख रुपये का एसडी है और उन पर 72.46 लाख रुपये बकाया है।</p> <p>इसके अलावा 10 केएसके हैं, जिनकी कुल राशि 127.26 लाख रुपये है, जिसके विरुद्ध वसूली राशि सस्पेंस खाते में पड़ी हुई है। शेष 151 डीलरों में से 645.50 लाख रुपये की कुल बकाया राशि के साथ 30 जून, 2024 तक 306.44 लाख रुपये बकाया है। जल्द से जल्द राशि एकत्रित करने के प्रयास जारी हैं।</p>	विवरण	राशि रु.	केएसके - सस्पेंस सुलह	1,27,26,066	ऋण नीति से पहले कार्यान्वयन	1,06,94,921	बाद में एकत्र किया हुआ	1,31,16,936	कौतुहल सुलह	1,78,446	अंतर्गत सुलह	4,02,240	कुल योग	3,71,18,609
विवरण	राशि रु.														
केएसके - सस्पेंस सुलह	1,27,26,066														
ऋण नीति से पहले कार्यान्वयन	1,06,94,921														
बाद में एकत्र किया हुआ	1,31,16,936														
कौतुहल सुलह	1,78,446														
अंतर्गत सुलह	4,02,240														
कुल योग	3,71,18,609														
<p>ग. व्यापार प्राप्ति में भारत सरकार से सब्सिडी के तहत प्राप्त होने वाले ₹ 15460.67 लाख शामिल हैं, हालांकि, ₹ 12731.44 लाख की राशि के लिए सब्सिडी बिल अभी भी IFMS पोर्टल से तैयार किया जाना है।</p>	<p>ग) व्यापार प्राप्य - सब्सिडी (भारत सरकार) में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी शामिल है, जिसकी राशि 12076.43 लाख रुपये (पिछले वर्ष 8817.59 रुपये) है, जो पीओएस से निकासी के अधीन है, जिसे अनुसूची-13 के नोट-1 के रूप में दर्शाया गया है।</p>														
<p>3.6 नोट 14 नकदी और बैंक शेष ₹ 11845.66 लाख:</p>															
<p>6 बैंक खाते लंबे समय से निष्क्रिय हैं, जिनमें ₹3.92 लाख की राशि शेष है। यदि इन खातों की अब आवश्यकता नहीं है तो इन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए, ताकि इनमें पड़ी आदर्श धनराशि का उत्पादक ढंग से उपयोग किया जा सके।</p>	<p>मामला संज्ञान में है। वित्त वर्ष 2024-25 में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।</p>														
<p>3.7 नोट 15 अल्पावधि ऋण और अग्रिम: ₹ 8252.41 लाख</p>															
<p>क. जीएसटीआईएन के अनुसार जीएसटी इनपुट बैलेंस ₹ 8063.33 लाख है जबकि खातों की पुस्तकों के अनुसार यह ₹ 6865.18 लाख है, इसमें ₹ 1198.15 लाख का अंतर है। इसके अलावा, जीएसटीआईएन के अनुसार कैश लेजर में ₹ 3.10 लाख दिखाया गया है जबकि पुस्तकों में यह ₹ 133.64 लाख है। कंपनी के लाभ और हानि या परिसंपत्तियों/देनदारियों पर इन असंगत अंतरों का प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं है।</p>	<p>क. जीएसटीआईएन के अनुसार जीएसटी आईटीसी और लेखा पुस्तकों के अनुसार आईटीसी में अंतर निम्नलिखित कारणों से है:</p> <p>i.) जीएसटीआईएन के अनुसार जीएसटी इनपुट शेष राशि आईटीसी को दर्शाती है जब पार्टी जीएसटीआर 1 दाखिल करती है। हालांकि, खातों की पुस्तकों में आईटीसी को वित्त विभाग द्वारा सामग्री और चालान की प्राप्ति पर बुक किया जाता है।</p>														

	<p>b) Observations on the credit policy of the Company:</p> <p>The Company formulated Credit Policy in December 2023, but implementation of which was not that effective in the FY 2023- 24.</p> <p>As per the Credit Policy “Total credit period offered to Dealers/Retailers should not exceed 60 days from the date of Invoicing in case of trading products.” As per the Ageing provided to us Dealers having balance outstanding as on 31st march, 2024, with no SD or PDC for more than 60 days is 383.19 lakhs</p> <p>As per the Credit Policy, “Every Dealer/Retailer is offered with Secured Credit and Open Credit in a proportion of 1:3. Secured credit is to the extent of Security Deposit offered. Any Credit given beyond the Security Deposit is Open Credit. Open Credit is secured through a Post Dated Cheque collected from the Dealer.” However, in actual practice, it has been observed that balances of dealers with No PDC as on 31st March, 2024 is ₹1910.04 lakhs having SD balance of ₹318.02 lakhs Thus credit is allowed more than the specified limit of 3 times the security deposit.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Particulars</th> <th style="text-align: right;">Amount Rs.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KSK - Suspense reconciliation</td> <td style="text-align: right;">1,27,26,066</td> </tr> <tr> <td>Prior to Credit policy implementation</td> <td style="text-align: right;">1,06,94,921</td> </tr> <tr> <td>Subsequently collected</td> <td style="text-align: right;">1,31,16,936</td> </tr> <tr> <td>Suspense reconciliation</td> <td style="text-align: right;">1,78,446</td> </tr> <tr> <td>Under Reconciliation</td> <td style="text-align: right;">4,02,240</td> </tr> <tr> <td>Grand Total</td> <td style="text-align: right;">3,71,18,609</td> </tr> </tbody> </table> <p>From the above, it is clear that Rs.127.27 lakhs pertaining to 10 nos. of KSK has been received and parked in 234002010000100000 NO DEALER</p> <p>CODE**(AS-KAM-0) but reconciliation is pending. Amount of Rs.131.17 lakhs has been received subsequently and Rs.106.94 lakhs is pertaining to credit provided prior to implementation of Credit Policy.</p> <p>Balance 5.82 lakhs is under reconciliation.</p> <p>There are 27 dealers with SD of Rs.25.50 Lakhs having outstanding of Rs.72.46 lakhs.</p> <p>Further there are 10 KSK amounting to Rs.127.26 lakhs against which the collection amount is lying in suspense A/c. Out of the rest 151 dealers with total outstanding of Rs.645.50 lakhs present outstanding as on June 30, 2024 is Rs.306.44 lakhs.</p> <p>Efforts are on for collection of the amount at the earliest.</p>	Particulars	Amount Rs.	KSK - Suspense reconciliation	1,27,26,066	Prior to Credit policy implementation	1,06,94,921	Subsequently collected	1,31,16,936	Suspense reconciliation	1,78,446	Under Reconciliation	4,02,240	Grand Total	3,71,18,609
Particulars	Amount Rs.															
KSK - Suspense reconciliation	1,27,26,066															
Prior to Credit policy implementation	1,06,94,921															
Subsequently collected	1,31,16,936															
Suspense reconciliation	1,78,446															
Under Reconciliation	4,02,240															
Grand Total	3,71,18,609															
	<p>c) Trade receivables include ₹15460.67 lakhs receivable against subsidy from Government of India however, subsidy bill is yet to be generated from IFMS portal for the amount of ₹12731.44 lakhs.</p>	<p>c) Trade Receivable - Subsidy (Government of India) includes Subsidy receivable from Government of India amounting to Rs. 12076.43 lakhs (previous year Rs. 8817.59) which is subject to clearance from POS which has been disclosed as Note-1 to Schedule -13.</p>														
3.6																
	<p>NOTE 14 CASH AND BANK BALANCES ₹11845.66 lakhs:</p> <p>There are 6 bank accounts which are inoperative since long with balance of ₹3.92 lakhs. If the accounts are no more required then must be closed so that the ideal fund lying there can be used productively.</p>	<p>The matter is noted. Necessary action will be taken in FY 2024-25.</p>														
3.7																
	<p>NOTE 15 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES:</p> <p>a) GST input balance as per GSTIN is ₹8063.33 lakhs whereas as per the books of accounts it is ₹6865.18 lakhs ,ther is a difference of ₹ 1198.15lakhs. Further, the cash ledger as per GSTIN shows ₹ 3.10 lakhs whereas in books it is ₹ 133.64 lakhs. The impact of these unreconciled difference on the Profit & Loss or assets/liabilities of the company is not ascertainable.</p>	<p>a) The difference in GST ITC as per GSTIN and ITC as per the books of accounts is due to the following reason:</p> <p>i.) The GST input balance as per GSTIN reflects the ITC as and when the party files the GSTR 1. However in the books of accounts the ITC is booked on receipt of materials and invoice by the Finance department.</p>														



		<p>ii.) चालू वित्त वर्ष 2023-24 में, एजीसीएल के प्रति देयता में उलटफेर हुआ है, जिसमें 673.55 लाख रुपये का जीएसटी घटक है, जिसे पुस्तकों में उलटने की आवश्यकता है। चालू वर्ष में अनुदान सहायता पर व्यय पर जीएसटी घटक की 537.41 लाख रुपए की राशि को व्यय से अलग कर दिया गया है, जबकि पिछले वर्षों में ऐसा नहीं किया जाता था। अंतर का पहले ही समाधान कर लिया गया है।</p>													
<p>ख. इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उपधारा (3) के अनुसार, जो उन मामलों में अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी का प्रावधान करता है, जहां इनपुट पर कर की दर आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण क्रेडिट जमा होता है, यानी उल्टे शुल्क ढांचे के कारण। उसी के रिफंड का दावा करने की समय अवधि धारा 39 के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख से 2 वर्ष है, जिस अवधि में रिफंड से ऐसा दावा उत्पन्न होता है। हालाँकि, जीएसटी राशि की वापसी के लिए आज तक बीवीएफसीएल द्वारा कोई दावा दायर नहीं किया गया है और परिणामस्वरूप फंड को इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में अवरुद्ध किया जा रहा है जिसका उपयोग कंपनी द्वारा दूर के भविष्य में सेट ऑफ के लिए नहीं किया जा सकता है।</p>	<p>ख. मामला संज्ञान में है। वित्त वर्ष 2024-25 में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।</p>														
<p>ग. आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम राशि में शामिल हैं:</p> <table border="1"><thead><tr><th>विवरण</th><th>3 वर्ष से अधिक समय से बकाया(₹ लाख में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>बीएचईएल</td><td>89.49</td></tr><tr><td>फ्लोसर्व सनमार लिमिटेड, चेन्नई</td><td>5.24</td></tr><tr><td>एनएफ रेलवे निनसुख्य</td><td>18.51</td></tr><tr><td>हिंदुस्तान पेपर</td><td>21.22</td></tr><tr><td>जॉन क्रेन</td><td>6.34</td></tr><tr><td>कुल</td><td>140.80</td></tr></tbody></table> <p>3 वर्ष से अधिक समय से बकाया अग्रिमों का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है और इसलिए उनकी वसूली संदिग्ध है और इसलिए 3 वर्ष से अधिक अवधि के अग्रिमों की पूरी राशि ₹ 140.81 लाख के लिए उचित प्रावधान बनाया जाना चाहिए, हालांकि प्रावधान केवल ₹ 34.90 लाख के लिए किया गया है। कम प्रावधान के कारण इकाई की परिसंपत्तियों और देनदारियों, लाभ और हानि का गलत प्रस्तुतीकरण हो रहा है।</p>	विवरण	3 वर्ष से अधिक समय से बकाया(₹ लाख में)	बीएचईएल	89.49	फ्लोसर्व सनमार लिमिटेड, चेन्नई	5.24	एनएफ रेलवे निनसुख्य	18.51	हिंदुस्तान पेपर	21.22	जॉन क्रेन	6.34	कुल	140.80	<p>ग. मामले पर ध्यान दिया गया है और वित्त वर्ष 2024-25 में आवश्यक समाधान किया जाएगा तथा समायोजन प्रविष्टियां पारित की जाएंगी।</p>
विवरण	3 वर्ष से अधिक समय से बकाया(₹ लाख में)														
बीएचईएल	89.49														
फ्लोसर्व सनमार लिमिटेड, चेन्नई	5.24														
एनएफ रेलवे निनसुख्य	18.51														
हिंदुस्तान पेपर	21.22														
जॉन क्रेन	6.34														
कुल	140.80														
<p>घ. अन्य अग्रिमों में नीचे उल्लिखित शेष राशियां शामिल हैं जो पिछले कुछ वर्षों से दिखाई दे रही हैं और समायोजित नहीं हैं तथा गलत प्रतीत होती हैं।</p>	<p>घ. मामला संज्ञान में है। वित्त वर्ष 2024-25 में उचित समाधान किया जाएगा तथा आवश्यक समायोजन प्रविष्टि की जाएगी।</p>														

		<p>ii.) In the current financial year 2023- 24,there has been reversal of liability towards AGCL having GST component of Rs. 673.55 lakhs which needs to be reversed in books.</p> <p>The GST component on expenditure on Grant-in-aid amounting to Rs.537.41 lakhs has been expensed off in the current year which was not the practice in the earlier years. The difference has already been reconciled.</p>														
	<p>b) Further, as per sub-section (3) of section 54 of CGST Act, 2017, which provides for the refund of unutilized input tax credit in cases where credit is accumulated on account of rate of tax of inputs being higher than the rate of tax on outputsupplies i.e. on account of inverted duty structure. The time period for claiming refund of the same is 2 years from the due date of furnishing return u/s 39, for the period in which such claim from refund arises. However, no claim has been filed by BVFCL till date for the refund of the GST amount and as a result funds are being blocked as Input Tax Credit which may not be used by the company for set off in distant future.</p>	<p>b) The matter is noted. Necessary action will be taken in FY 2024-25.</p>														
	<p>c) Advance to Suppliers includes:</p> <table border="1" data-bbox="212 1010 839 1285"> <thead> <tr> <th>Particulars</th> <th>Outstanding for more than 3 years(₹ in lakhs)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BHEL</td> <td>89.49</td> </tr> <tr> <td>Flowserve Sanmar Ltd, Chennai</td> <td>5.24</td> </tr> <tr> <td>NF Railway Ninsukhya</td> <td>18.51</td> </tr> <tr> <td>Hindustan Paper</td> <td>21.22</td> </tr> <tr> <td>John Crane</td> <td>6.34</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>140.80</td> </tr> </tbody> </table> <p>Complete details of the advances outstanding for more than 3 years is not available and therefore are doubtful of recovery and therefore appropriate provisions should be created for full amount of advances above 3 years of ₹140.81 lakhs however provision is made for ₹34.90 lakhs only. The short provisioning is resulting in incorrect presentation of assets and liabilities, profit and loss of the entity.</p>	Particulars	Outstanding for more than 3 years(₹ in lakhs)	BHEL	89.49	Flowserve Sanmar Ltd, Chennai	5.24	NF Railway Ninsukhya	18.51	Hindustan Paper	21.22	John Crane	6.34	Total	140.80	<p>c) The matter is noted and necessary reconciliations will be made in the FY2024-25 will be made and adjustment entries will be passed.</p>
Particulars	Outstanding for more than 3 years(₹ in lakhs)															
BHEL	89.49															
Flowserve Sanmar Ltd, Chennai	5.24															
NF Railway Ninsukhya	18.51															
Hindustan Paper	21.22															
John Crane	6.34															
Total	140.80															
	<p>d) Other Advances includes the below mentioned balances which are appearing since last few years and are not adjusted and seems to be incorrect.e) Loans & Advances to Employees</p>	<p>d) The matter is noted. Proper reconciliation will be done in FY 2024-25 and necessary adjustment entry will be done.</p>														



विवरण	खाता कोड	31.03.24 तक (₹ लाख में)	31.03.23 तक (₹ लाख में)	
दूसरों को अग्रिम (विविध)आय	422/107	0.35	0.35	
पर आगे बढ़े ठेकेदार (परिवहन)	422/103	2.17	2.17	
कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के पास जमा करें	425/101	0.94	0.94	
<p>ड. कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम राशि ₹ 165.06 लाख में ₹ 93.24 लाख शामिल हैं, जिनमें दीर्घ काल से असमायोजित पड़ी तेरह प्रविष्टियां शामिल हैं, तथा वित्तीय स्थिति पर इन असमायोजित मदों के परिणामस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव का तुरंत पता नहीं लगाया जा सकता है।</p>				<p>ड. मामला संज्ञान में है। वित्त वर्ष 2024-25 में उचित समाधान किया जाएगा तथा आवश्यक समायोजन प्रविष्टि की जाएगी।</p>
<p>च. आबकारी एवं सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा ₹ 107.08 लाख:</p> <p>i) इसमें आयकर विभाग और अन्य कर विभागों के पास जमा राशि शामिल है, हालांकि टीडीएस और टीसीएस की राशि 34.16 लाख रुपये और जीएसटी 6868.25 लाख रुपये अन्य अग्रिमों के तहत दर्शाई गई है, इस प्रकार वित्तीय विवरण में दर्शाए अनुसार जमारारिशियों का गलत समूहीकरण किया गया है।</p> <p>ii) इसके अलावा, आयकर विभाग ने 2023-24 के लिए देय रिफंड के विरुद्ध आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 270ए के तहत 2021-22 के लिए ₹47,65,069/- का जुर्माना समायोजित किया है, हालांकि, इस रिफंड समायोजन को पुस्तकों में शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार जमा राशि को ₹47,65,069/- से अधिक दर्शाया गया है और संचित घाटे को कम करके दिखाया गया है।</p>				<p>च.</p> <p>i) मामला संज्ञान में है और वित्त वर्ष 2024-25 में समूहीकरण सही ढंग से किया जाएगा।</p> <p>ii) निगम ने प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर दी है तथा सुनवाई भी पूरी हो चुकी है। आदेश की प्रतीक्षा है।</p>
3.8	<p>अवलोकन पर कथन लाभ और हानि का</p> <p>नोट 17: परिचालन से राजस्व ₹ 74896.44 लाख (जिसमें निर्मित उत्पादों के लिए मूल्य और माल दुलाई सब्सिडी के कारण ₹ 38626.48 करोड़ शामिल हैं):</p>			
	<p>i) एफआईसीसी विनियमन के अनुसार, कंपनी अंतिम बिक्री केंद्र से स्टॉक की निकासी के बाद ही सब्सिडी का दावा करने की हकदार है:</p>			i)
	<p>क. हमने देखा कि कंपनी ने नीम कोटेड यूरिया के बिना बिल वाले स्टॉक के खिलाफ सब्सिडी आय को मान्यता दी है जैसा कि नीचे</p>			क)
				<p>मामले की जानकारी पहले ही DoF को दे दी गई है। प्रश्न में उल्लिखित स्टॉक iFMS में उत्पन्न साप्ताहिक DBT बिलों में</p>

	Particulars	Account code	AS AT 31.03.24 (₹ in lakhs)	AS AT 31.03.23 (₹ in lakhs)	
	Advance to Others (Misc) Revenue	422/107	0.35	0.35	
	Advance to contractors (Transport)	422/103	2.17	2.17	
	Deposit with Calcutta Port Trust	425/101	0.94	0.94	
	e) Loans & Advances to Employees ₹165.06 lakhs includes ₹ 93.24 Lakhs consisting of thirteen entries lying unadjusted since long and the consequent effect of these un-reconciled items on the financials is not ascertainable readily.				e) The matter is noted. Proper reconciliation will be done in FY 2024-25 and necessary adjustment entry will be done.
	f) Deposit with Excise & Govt. Authorities ₹107.08 lakhs: <ul style="list-style-type: none"> i) includes deposit with income tax department and other tax departments however TDS and TCS amounting to ₹34.16 lakhs and GST ₹ 6868.25 lakhs is shown under Other advances thus there is incorrect grouping of the deposits as depicted in the financials. ii) Further, against the refund due for AY 2023-24 the Income tax department has adjusted the penalty u/s.270A of the Income Tax Act, 1961 for the AY.2021-22 amounting to ₹47,65,069/- however, this refund adjustment has not been accounted in books. Thus resulting in overstating the deposits by ₹ 47,65,069/- and understatement of accumulated losses. 				f) <ul style="list-style-type: none"> i) The matter is noted and the groupings will be made correctly in FY 2024-25. ii) The corporation has already filed the appeal before the authority and the hearing has also been concluded. Order is awaited. i) The matter has already been informed to DoF. The stocks mentioned in the query are visible in weekly DBT bills generated in iFMS, but the same is not visible in wholesale and retail level in iFMS.
3.8	OBSERVATION ON STATEMENT OF PROFIT AND LOSS				
	NOTE 17 : Revenue from Operations-₹74896.44 lakhs (which includes ₹ 38626.48 crores on account of Price and freight subsidy for manufactured products):				
	i) As per FICC Regulation, the Company is entitled to claim the subsidy only after clearance of stock from ultimate Point of Sale:-				i)
	a) We observed that the Company has recognized subsidy income against unbilled stock of Neem Coated Urea as detailed below in the table where by the Marketing department of the Company does not have the				a) The matter has already been informed to DoF. The stocks mentioned in the query are visible in weekly DBT bills generated in iFMS, but the same is not



तालिका में विस्तार से बताया गया है, जहां कंपनी के विपणन विभाग को 102.165 मीट्रिक टन के ठिकाने की जानकारी नहीं है। नामरूप II संयंत्र- नीम कोटेड यूरिया (45 किग्रा) की लंबित स्टॉक मात्रा 19.184 मीट्रिक टन और नीम कोटेड यूरिया (50 किग्रा) 0.75 मीट्रिक टन थी। चूंकि नामरूप II संयंत्र ने 2020 में विस्फोट के बाद उत्पादन बंद कर दिया था, इसलिए उपरोक्त स्टॉक किस थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता के पास लंबित है, यह कंपनी के विपणन विभाग को ज्ञात नहीं है। इसमें शामिल सब्सिडी ₹ 1.76 लाख है। साथ ही, 19.934 मीट्रिक टन में से, 18.915 मीट्रिक टन का ऊपर बताए गए कारणों से मिलान नहीं किया गया है। 92.250 मीट्रिक टन में से 83.25 मीट्रिक टन का भी उपरोक्त कारणों से मिलान नहीं किया गया है। अप्रैल 2018 से 50 किलोग्राम की पैकेजिंग बंद कर दी गई थी, लेकिन अभी भी पीओएस में बिना बिके स्टॉक है। इन्वेंट्री का मिलान न होने के कारण DoF से दावों और सब्सिडी की वसूली में देरी हो रही है।

यूरिया इकाई	50 किलोग्राम पैकेजिंग मीट्रिक टन में	45 किलोग्राम पैकेजिंग मीट्रिक टन में	असमाधानित मात्रा मीट्रिक टन में	सब्सिडी की राशि ₹ लाख में है
नामरूप II	0.75	19.184	18.915	1.76
नामरूप-III	92.250		83.250	20.63
कुल	93.00	19.184	102.165	22.39

ख. हमने आगे देखा कि कंपनी के पास खुदरा विक्रेताओं/डीलरों के पास बहुत बड़ा अनबिका स्टॉक पड़ा है या यूरिया पहले ही बिक चुका है लेकिन बिक्री पीओएस के माध्यम से नहीं हो रही है। पिछले वर्ष की तुलना में अनबिके स्टॉक की मात्रा में वृद्धि की प्रवृत्ति परिलक्षित हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में फंड अवरुद्ध हो गया है। 31.03.24 तक, 58278.402 मीट्रिक टन की बिना बिल की मात्रा का स्टॉक मौजूद है, जिस पर ₹ 120.764 करोड़ की मूल्य सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है, यह बिना बिल की मात्रा 30.06.2024 तक बढ़कर 68,555.209 मीट्रिक टन हो गई जिसका मूल्य ₹ 130.17 करोड़ है, इस प्रकार यह एक गंभीर मुद्दा बन रहा है और कंपनी के विपणन विभाग को स्टॉक को समाप्त करने की रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है ताकि सब्सिडी जारी करने का दावा एफआईसीसी के पास दर्ज किया जा सके अन्यथा कंपनी के लिए गंभीर तरलता की समस्या होगी। स्टॉक (नीम कोटेड यूरिया) का विवरण नीचे दिया गया है-

यूरिया	31.03.23तक	31.03.24 तक	30.06.24 तक
एनसीयू मात्रा	38,464.86	58,278.402	68,555.209

दिखाई देते हैं, लेकिन iFMS में थोक और खुदरा स्तर दिखाई नहीं देते हैं।

परिणामस्वरूप, PoS से स्टॉक का परिसमापन नहीं किया जा सका। जैसे ही DoF द्वारा मामला सुलझा लिया जाएगा, BVFCL तदनुसार सब्सिडी राशि का दावा करेगा।

आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

ख) उर्वरक विभाग के निर्देशानुसार सब्सिडी वाले उर्वरक पर किसी भी प्रकार की सब्सिडी का भुगतान किसान द्वारा उर्वरक खरीदे जाने पर ही किया जा सकेगा। अंतर्विपणन विभाग के सभी अधिकारी पीओएस मशीन के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंच रहे हैं। थोक विक्रेताओं के साथ आवधिक एवं दैनिक अनुवर्ती कार्रवाई/RETAILER तेजी के लिए बीवीएफसीएल यूरिया स्टॉक का परिसमापन संचार के सभी माध्यमों से- टेक्स्ट मैसेज/व्हाट्सएप मैसेज/टेली कॉल और कुलपति कर रहा है

इसके पूरक के रूप में हमने भी लेना शुरू कर दिया है की सेवाऑनलाइन पीओएस क्लियरेंस " सब्सिडेक्स" मेसर्स डेक्सट्रा लैब्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया, जो पीओएस बैलेंस के तेजी से क्लियरेंस में सहायता करता है।

विपणन विभाग हैभी असम के 62 खुदरा विक्रेताओं से 300 दिनों से अधिक पुराने स्टॉक को समाप्त कर दिया गया है और जल्द से जल्द सभी पुराने स्टॉक को समाप्त करने के प्रयास जारी हैं।

<p>information of the whereabouts of 102.165 MT. The pending stock quantity of Namrup II plant- Neem Coated Urea (45 kg) was 19.184 MT and Neem Coated Urea (50kg) was 0.75 MT. As the Namrup II plant stopped production after the blast in 2020 the above stock is pending with which wholesaler or retailer is not known to the Marketing department of the Company. Subsidy involved is ₹1.76 lakhs. Also, out of the 19.934 MT, 18.915 MT has not been reconciled for reasons as stated above. Similarly, pending stock of Namrup III urea (50kg) was 92.250 MT Subsidy involved is ₹ 20.63 lakhs. Out of the 92.250 MT, 83.25MT has also not been reconciled for the reasons mentioned above. The 50kg packaging was discontinued from April 2018 but still there is un-sold stock in the POS. Non-reconciliation of the inventory is resulting in delay in recovery of the claims and subsidy from DoF.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Urea Unit</th> <th style="text-align: center;">50 Kg Packaging in MT</th> <th style="text-align: center;">45 Kg Packaging in MT</th> <th style="text-align: center;">Un-reconciled quantity in MT</th> <th style="text-align: center;">Subsidy Involved in lakhs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Namrup-II</td> <td style="text-align: center;">0.75</td> <td style="text-align: center;">19.184</td> <td style="text-align: center;">18.915</td> <td style="text-align: center;">1.76</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Namrup-III</td> <td style="text-align: center;">92.250</td> <td></td> <td style="text-align: center;">83.250</td> <td style="text-align: center;">20.63</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total</td> <td style="text-align: center;">93.00</td> <td style="text-align: center;">19.184</td> <td style="text-align: center;">102.165</td> <td style="text-align: center;">22.39</td> </tr> </tbody> </table>	Urea Unit	50 Kg Packaging in MT	45 Kg Packaging in MT	Un-reconciled quantity in MT	Subsidy Involved in lakhs	Namrup-II	0.75	19.184	18.915	1.76	Namrup-III	92.250		83.250	20.63	Total	93.00	19.184	102.165	22.39	<p>visible in wholesale and retail level in iFMS. As a result the stocks could not be liquidated from PoS. As soon as the matter is resolved by DoF, BVFCL will claim the subsidy amount accordingly. Necessary follow-up is being done..</p>
Urea Unit	50 Kg Packaging in MT	45 Kg Packaging in MT	Un-reconciled quantity in MT	Subsidy Involved in lakhs																	
Namrup-II	0.75	19.184	18.915	1.76																	
Namrup-III	92.250		83.250	20.63																	
Total	93.00	19.184	102.165	22.39																	
<p>b) We further observed that the company is having huge unsold stock lying with the retailers /dealers or the urea is already sold but sales is not routed through the POS. Increasing trend of unsold stock quantity is being reflected compared to last year, resulting in substantial amount of fund being blocked up. As on 31.03.24, stock of unbilled quantity of 58278.402 MT exists on which price subsidy amounting to ₹120.764 crores is unrealized, this unbilled quantity further increased to 68,555.209 MT as on 30.06.2024 valued at ₹ 130.17 crores thus this is turning into a serious issue and the marketing department of the company needs to formulate strategy to liquidate the stock so that the claim to release of the subsidy may be lodged with FICC otherwise there will be serious liquidity problems for the company. The Details of the stock (Neem Coated Urea) is stated as below-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Urea</th> <th style="text-align: center;">As on 31.03.23</th> <th style="text-align: center;">As on 31.03.24</th> <th style="text-align: center;">As on 30.06.24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">NCU Qty.</td> <td style="text-align: center;">38,464.86</td> <td style="text-align: center;">58,278.402</td> <td style="text-align: center;">68,555.209</td> </tr> </tbody> </table>	Urea	As on 31.03.23	As on 31.03.24	As on 30.06.24	NCU Qty.	38,464.86	58,278.402	68,555.209	<p>b) As per directive of DoF any subsidy on subsidized fertilizer will be eligible for payment as and when the fertilizer is bought by farmer/ end user through PoS machine. All officials of marketing department are doing periodic and daily follow up with wholesalers/retailers for faster liquidation of BVFCL urea stocks through all means of communication-text msg/whatsappmsg/tele call and V.C. To supplement we have also started taking the service of online PoS clearance "Subsidex" provided by M/s Dextralabs Innovation Pvt. Ltd. for helping in faster clearance of PoS balance. Marketing department has also liquidated old stocks which were morethan 300 days old from 62 numbers of retailers of Assam and efforts are on to liquidate all old stocks at the earliest.</p>												
Urea	As on 31.03.23	As on 31.03.24	As on 30.06.24																		
NCU Qty.	38,464.86	58,278.402	68,555.209																		

<p>ii) आयातित यूरिया के लिए प्राप्त होने वाला भाड़ा वित्त वर्ष 22-23 के लिए ₹ 4,62,76,581 और वित्त वर्ष 23-24 के लिए ₹ 2,92,84,738 (2 जहाजों के लिए) है। इस प्राप्त होने वाले भाड़े में प्राथमिक (रेल) और द्वितीयक (सड़क) दोनों भाड़े शामिल हैं, जो ₹ 1250 प्रति मीट्रिक टन की दर से तदर्थ अंतर्देशीय भाड़े के अतिरिक्त हैं। डीओपी के 29.06.20 के आदेश के अनुसार, रेल माल दुलाई पर सब्सिडी 1400 किलोमीटर तक सीमित है। हालांकि आयातित जहाजों की नियमित प्रति के अनुसार, आयातित यूरिया को 1400 किलोमीटर से आगे के राज्यों में ले जाया गया है और बीवीएफसीएल द्वारा 1400 किलोमीटर से अधिक की सब्सिडी का दावा किया गया है। रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार, किसी इकाई द्वारा लेन-देन की रिकॉर्डिंग में किसी भी संदिग्ध आय को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। चूंकि, माल दुलाई की प्राप्ति के बारे में कोई निश्चितता मौजूद नहीं है, इसलिए इसे आय के तहत दर्ज करने के बजाय, इसे आकस्मिक परिसंपत्तियों के रूप में खातों में नोट्स के तहत प्रकट किया जाना चाहिए था।</p>	<p>ii) बीवीएफसीएल ने 1400 किलोमीटर से अधिक दूरी तक रैक केवल मध्य प्रदेश राज्य को ही भेजी है। मध्य प्रदेश में प्रत्येक रैक से कम से कम 70% सामग्री मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड को भेजी गई है। मध्य प्रदेश राज्य में रैक की आवाजाही पर राज्य सरकार द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है और राज्य सरकार की मंजूरी/सहमति के अनुसार आवाजाही की योजना बनाई जाती है। पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान 1400 किलोमीटर से अधिक दूरी तक बीवीएफसीएल यूरिया की आवाजाही के मामले में डीओएफ द्वारा कोई वसूली नहीं की गई।</p> <p>बीवीएफसीएल ने पिछले वित्तीय वर्षों में अपनाई गई पद्धति के अनुसार दावा किया है।</p>
--	--

<p>ii) Freight receivable for imported urea is outstanding ₹ 4,62,76,581 for FY 22-23 and ₹2,92,84,738 (for 2 vessels) for FY 23-24. This freight receivable consists of both primary (rail) and secondary (road) freight receivable over & above ad-hoc inland freight at the rate of ₹1250 per Mt received. As per DOP order dated 29.06.20, subsidy on rail freight is restricted to 1400kms. However as per the regularized copy of imported vessels, imported urea has been transported to states beyond 1400 kms and further subsidy over and above 1400 kms have been claimed by BVFCL. In view of the aforesaid DOP order, the additional freight claimed is doubtful to be received. As per convention of conservatism, no doubtful income shall be taken into consideration in recording of transactions by an entity. Since, no certainty exists regarding receipt of freight, rather than recording it under income, it should have been disclosed under Notes to accounts as Contingent Assets.</p>	<p>ii.) BVFCL had dispatched rakes beyond 1400 Km to the state of Madhya Pradesh only. In MP minimum 70% of the material from each rake has been dispatched to MP State Cooperative Marketing Federation Limited. The rake movement in the state of Madhya Pradesh is strictly monitored by State Government and movement is planned as per approval / consent of State Government. In case of movement of BVFCL urea beyond 1400 Km no recovery was made by DoF during last financial years. BVFCL has claimed as per the practice followed in last financial years.</p>
--	---



<p>टिप्पणी 18: अन्य आय – ₹ 6371.77 लाख रुपये (जिसमें विविध आय के अंतर्गत ₹ 197.03 लाख शामिल हैं)</p> <p>i) विविध आय में 145351690000000000 बीवीएफसीएल जन औषधि केंद्र की बिक्री के कारण ₹ 2.46 लाख शामिल हैं, हमने देखा कि वित्तीय वर्ष से संबंधित ₹ 31920.00 की बिक्री दर्ज नहीं की गई थी और इसे 03/04/2024 को दर्ज किया गया था, इस प्रकार इस राशि से आय कम दिखाई गई और 31.03.2024 को नकदी शेष राशि इस राशि से कम दिखाई गई।</p>	<p>I. बी.वी.एफ.सी.एल. जन औषधि केंद्र की बिक्री से संबंधित संग्रह समय-समय पर बी.वी.एफ.सी.एल. बैंक खाते में जमा किया जाता है और तदनुसार लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। हालांकि, अवलोकन को नोट कर लिया गया है और वित्त वर्ष 24-25 में संग्रह को पाक्षिक आधार पर जमा करने के लिए एक परिपत्र जारी किया गया है।</p>
<p>31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण में असाधारण मदें: संन्यास का विवाद के निपटारे पर देयता ₹ 4617.83 लाख नोट 30.12 के साथ पढ़ें: गैस परिवहन शुल्क पर नोट</p> <p>औपचारिक गैस परिवहन समझौते पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और असम गैस कंपनी लिमिटेड द्वारा पहले विवादित अतिरिक्त बिल की गई राशि को वापस करने के लिए कोई क्रेडिट नोट जारी नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी है परिवहन शुल्क के लिए ₹ 4617.83 लाख और जीएसटी के लिए ₹ 673.55 लाख की राशि के लिए उलटफेर किया गया। हमारी राय में उचित लेखा दस्तावेज और समझौते के बिना बैठक के मिनटों के आधार पर खर्चों का उलटफेर सही नहीं है।</p>	<p>बीवीएफसीएल और एजीसीएल के बीच प्रारंभिक गैस परिवहन समझौता वर्ष 2005 से 2015 तक 10 वर्षों के लिए किया गया था। इसे उन्हीं नियमों और शर्तों के साथ 5 वर्षों की अवधि यानी मार्च, 2020 तक के लिए आगे बढ़ाया गया था। इसके बाद, मूल अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार गैस के परिवहन के लिए दोनों कंपनियों द्वारा 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। अंतिम समझौता ज्ञापन की वैधता 31.03.2022 तक थी। उक्त समझौता ज्ञापनों में यह सहमति हुई थी कि समझौते पर हस्ताक्षर करने पर एजीसीएल पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित चालान प्रस्तुत करेगा और शेष राशि को मासिक चालान / क्रेडिट / डेबिट नोटों के माध्यम से पार्टियों द्वारा उचित समझे जाने पर समायोजित किया जाएगा। हालांकि परिवहन शुल्क और समझौते को 31 मार्च, 2024 तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इस मामले में 09 मई, 2024 को असम सचिवालय में असम सरकार, उद्योग, वाणिज्य और पीई विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। असम सरकार, उद्योग, वाणिज्य और पीई विभाग के सचिव के निर्देशानुसार 17 मई, 2024 को दोनों कंपनियों बीवीएफसीएल और एजीसीएल के प्रबंधन के बीच एक बैठक हुई। उक्त बैठक में दोनों कंपनियों के प्रबंधन ने अप्रैल 2020 से लागू नए परिवहन शुल्क पर सहमति व्यक्त की। दोनों प्रबंधन के बीच 17 मई, 2024 के उक्त एमओएम के आधार पर, वित्त वर्ष 2023-24 की वर्तमान लेखा अवधि के दौरान अप्रैल 2020 से पूर्वव्यापी प्रभाव से परिवहन शुल्क संशोधित किया गया है। विवाद के निपटारे पर देयता के त्याग के रूप में 4617.83 लाख रुपये को असाधारण मदों के अंतर्गत दर्शाया गया है।</p> <p>इसके अलावा एएस-4 के अनुसार बैलेंस शीट तिथि के बाद होने वाली घटनाओं के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों में समायोजन की आवश्यकता होती है, जो बैलेंस शीट तिथि पर मौजूद स्थितियों से संबंधित राशियों के निर्धारण को भौतिक रूप से प्रभावित करने वाली अतिरिक्त जानकारी प्रदान करती हैं।</p>

<p>NOTE 18: Other Income – ₹ 6371.77 lakhs (Which includes ₹ 197.03 lakhs under Miscellaneous income)</p> <p>i) The miscellaneous income includes ₹ 2.46 lakhs on account of 145351690000000000 SALE OF BVFCL JANAUSHADHI KENDRA we observed that the sales amounting to ₹ 31920.00 related to the financial year was not recorded and it was recorded on 03/04/2024 thus showing income less by this amount and the cash on hand balance as on 31.03.2024 less by this amount.</p>	<p>i. The collection with regard to the sale of BVFCL JANAUSHADHI KENDRA is deposited periodically in the BVFCL bank account and taken to books of account accordingly. However the observation is noted and a circular has been issued for depositing the collection on fortnightly basis in the FY 24-25.</p>
<p>Exceptional items in Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, 2024 : Relinquishment of liability on settlement of dispute read with</p> <p>Note 30.12 :Note on Gas Transportation Charges</p> <p>The formal gas transportation agreement is not yet signed and no credit note has been issued by Assam Gas Company Limited for the reversal of the earlier disputed excess billed amounts but the Company has accounted the reversal for an amount of charges and our opinion the reversal of expenses based on minutes of meeting without proper accounting document and agreement in place is not correct.</p>	<p>The initial Gas Transportation Agreement between BVFCL & AGCL was made for 10 Years effective from the Year 2005 to 2015. It was further extended for a period of 5 Years i.e. upto March, 2020 with the same terms and conditions. Thereafter, 4 Nos. of MoU were signed by both the Companies to transport the gas as per the terms and conditions of the Original Contract. The validity of the last MoU was up to 31.03.2022. It was agreed in the said MoU's that on signing of the agreement AGCL shall submit the revised invoices with retrospective effect and balance amount will be adjusted through monthly invoices /through credit / debit notes as deemed fit by the parties. However the Transportation Charges and the Agreement could not be finalized upto March 31, 2024. In the matter a meeting was held on May 09, 2024 at Assam Secretariat chaired by Secretary to Govt of Assam, Industries, Commerce & PE Dept. As directed by Secretary to Govt of Assam, Industries, Commerce & PE Dept a meeting was held on 17th May, 2024 between the management of both the companies BVFCL & AGCL. In the said meeting the management of both the companies agreed on the new Transportation Charges applicable from April 2020. Based on the said MOM dated May 17, 2024 between both the the management, the Transportation charges has been revised during current accounting period of FY 2023-24 with retrospective effect</p>



		<p>बैलेंस शीट तिथि के बाद होने वाली घटनाएं जो वित्तीय विवरणों में बताए गए आंकड़ों को प्रभावित नहीं करती हैं, उन्हें सामान्य रूप से वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, हालांकि वे इतने महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि उन्हें वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को उचित मूल्यांकन और निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए अनुमोदन प्राधिकारी की रिपोर्ट में प्रकटीकरण की आवश्यकता हो सकती है।</p> <p>चूंकि राशि परिसंपत्तियों और देनदारियों पर भौतिक प्रभाव डाल रही है, इसलिए एएस की आवश्यकता के अनुरूप ऐसा किया गया है।</p> <p>एएस-5 के अनुसार, अवधि के लिए शुद्ध लाभ और हानि के हिस्से के रूप में लाभ और हानि के विवरण में असाधारण मदों का खुलासा किया जाना चाहिए। ऐसे असाधारण मदों की प्रकृति और राशि को लाभ और हानि विवरण में अलग से प्रकट किया जाना चाहिए ताकि वर्तमान लाभ और हानि पर इसका प्रभाव देखा जा सके।</p> <p>वर्तमान मामले में, असम सरकार के सचिव, उद्योग, वाणिज्य और पीई विभाग की अध्यक्षता में 09 मई 2024 को आयोजित बैठक में बीवीएफसीएल और एजीसीएल के व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित मिनटों का एमओएम एजीसीएल पर एक निर्विवाद बाध्यकारी दायित्व है, जिसके कारण उपरोक्त समायोजन आवश्यक है।</p> <p>अप्रैल 2020 से मार्च 2024 तक 4617.83 लाख रुपये की अतिरिक्त परिवहन राशि को विवाद के निपटारे पर देयता के त्याग के रूप में असाधारण मदों के तहत दिखाया गया है और लाभ और हानि खाते के सामने दिखाया गया है।</p>
	<p>अन्य अवलोकन:</p> <p>i.) सीएजी द्वारा दी गई ट्रांजेक्शन ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, बीवीएफसीएल के पास कुल 2740 क्वार्टर उपलब्ध हैं, जिनमें से 2485 क्वार्टर फिट थे और 255 क्वार्टर अनफिट घोषित किए गए हैं। प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इन क्वार्टरों का किराया एक दशक पहले तय किया गया था। तय किराए के समर्थन में 03.12.2010 को आयोजित द्वितीय टाउनशिप अनुशासन समिति (टीडीसी) की बैठक के मिनट के रूप में एकमात्र उपलब्ध दस्तावेज प्रदान किया गया था। टीडीसी बैठक के अनुसार, किराया हर तीन साल के बाद संशोधन के अधीन था, जो मार्च 2024 तक अभी भी संशोधित नहीं किया गया था। बाहरी लोग यानी निगम के गैर-कर्मचारी जो बीवीएफसीएल के क्वार्टर का लाभ उठाते हैं, वे ₹ 770/- से ₹ 1200/- तक मासिक किराया देते हैं, जिसे 2010 के दौरान संशोधित किया गया था।</p> <p>ii.) कंपनी (बीवीएफसीएल) ने अपने यूरिया के विपणन के लिए नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एनएफएल) के साथ विपणन समझौता किया है</p>	<p>i.) निगम के गैर-कर्मचारियों को आवंटित निगम क्वार्टरों की सुरक्षा जमाराशि को एचएसी दिनांक 22.11.2022 की सिफारिश और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद संशोधित किया गया। बीवीएफसीएल के प्रबंधन ने अवलोकन पर ध्यान दिया है और उचित कार्रवाई करेगा।</p> <p>ii.) एनएफएल द्वारा की गई बैंक गारंटी का कुल निरस्तीकरण 732.04 लाख रुपये था, जिसमें 39.89 लाख रुपये का ब्याज शामिल है।</p>

		<p>from April 2020. Accordingly the excess Transportation charged from April 2020 to March 2024 amounting to Rs.4617.83 lakhs has been shown under Exceptional items as Relinquishment of liability on settlement of dispute.</p> <p>Further as per AS – 4 Adjustments to assets and liabilities are required for events occurring after the balance sheet date that provide additional information materially affecting the determination of the amounts relating to conditions existing at the balance sheet date. Events occurring after the balance sheet date which do not affect the figures stated in the financial statements would not normally require disclosure in the financial statements although they may be of such significance that they may require a disclosure in the report of the approving authority to enable users of financial statements to make proper evaluations and decisions. Since the amount is having material impact on the assets and liabilities same has been done in line with the requirement of AS.</p> <p>As per AS-5,extra-ordinary items should be disclosed in the statement of profit and loss as part of net profit and loss for the period. The nature and amount of such extraordinary item should be disclosed separately in the profit and loss statement that its impact on current profit and loss can be perceived.</p> <p>In the instant case the MOM of the minutes signed by BVFCL and AGCL persons in the meeting held on 09th May 2024 under the Chairmanship of Secretary to Govt. of Assam, Industries, Commerce & PE Dept is an undeniable binding obligation on AGCL thereby necessitating the above adjustment.</p> <p>The excess Transportation charged from April 2020 to March 2024 amounting to Rs. 4617.83 lakhs has been shown under Exceptional items as Relinquishment of liability on settlement of dispute and shown in the face of the Profit and loss account.</p>
	<p>OTHER OBSERVATIONS:</p>	
	<p>i.) As per the Transaction Audit Report given by CAG, a total of 2740 nos. of quarters are available with BVFCL out of which 2485 nos. of quarters were fit and 255 quarters have been declared unfit. As per the</p>	<p>i.) The security deposits of corporation quarters allotted to non-employees of the corporation were revised on recommendation of HAC dtd 22.11.2022 and subsequent approval of the competent authority. The</p>

<p>और एनएफएल को ₹ 10 करोड़ की बैंक गारंटी दी है। समझौते के अनुसार बीवीएफसीएल एनएफएल द्वारा आपूर्ति किए गए उर्वरकों की बिक्री अपने खुदरा विक्रेताओं द्वारा पीओएस के माध्यम से सुनिश्चित करेगी, जो पीओएस के माध्यम से नहीं बेची गई मात्रा के लिए और थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं द्वारा आईएफएमएस में स्वीकार नहीं की गई है। इसके अलावा, यदि सहमत शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ देय भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो संबंधित देय तिथि पर प्रचलित एक वर्ष के एसबीआईएमसीएलआर से 1% अधिक ब्याज लगाया जाएगा।</p> <p>चूंकि यूरिया का पीओएस स्टॉक खाली था, इसलिए एनएफएल ने 13.03.24 को ₹235.29 लाख की बैंक गारंटी रद्द कर दी और देरी से भुगतान के लिए ₹37.83 लाख का ब्याज भी लगाया। इसके अलावा, अप्रैल 2024 में एनएफएल ने बैंक गारंटी को रद्द करके 5 करोड़ और वसूले।</p> <p>इस प्रकार, कंपनी की अपनी सब्सिडी राशि 31.03.24 तक पीओएस से यूरिया स्टॉक की निकासी न होने के कारण और एनएफएल द्वारा लाखों की बैंक गारंटी रद्द करने के कारण कंपनी को तरलता संकट का सामना करना पड़ा।</p> <p>बीवीएफसीएल द्वारा केवल 70 रुपये मीट्रिक टन का ट्रेडिंग मार्जिन अर्जित किया गया है</p> <p>एनएफएल के 13993.38 मीट्रिक टन उत्पाद के व्यापार पर 9.79 लाख रुपये का घाटा हुआ, लेकिन बैंक गारंटी रद्द होने और ब्याज लगाए जाने के कारण इससे कहीं अधिक ब्याज की हानि हुई।</p> <p>विपणन विभाग को अपनी संग्रह गतिविधियों में तेजी लाने की आवश्यकता है, ताकि बहुमूल्य धनराशि अवरुद्ध न हो और उसे समझौते की शर्तों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं की उचित जांच करने के बाद ही किसी अन्य कंपनी के उत्पादों के विपणन पर विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए।</p>	<p>39.89 लाख रुपये का उक्त ब्याज उन संबंधित डीलरों के खाते में डेबिट कर दिया गया है, जिन्होंने बीवीएफसीएल को भुगतान में देरी की थी। इसमें से 17.20 लाख रुपये कुछ डीलरों से पहले ही वसूल किए जा चुके हैं और शेष ब्याज 2024-25 के दौरान जल्द ही वसूल किया जाएगा। इसलिए ब्याज घटक कंपनी के लिए नुकसान नहीं है। शेष 692.14 लाख रुपये के संबंध में यह बताना है कि तीन राज्यों यानी ओडिशा, असम और पश्चिम बंगाल के संबंध में पीओएस में 4303.98 मीट्रिक टन का बकाया स्टॉक था, हालांकि 18/09/2024 तक यह घटकर 29.90 मीट्रिक टन रह गया है। बीवीएफसीएल के विपणन विभाग ने पहले ही 684.30 लाख रुपये (सहायक विवरण के साथ) का रिफंड दावा दायर कर दिया है, जिसे बहुत जल्द वसूल किए जाने की उम्मीद है। शेष पीओएस स्टॉक 29.90 मीट्रिक टन को खाली करने तथा शेष राशि के लिए मेसर्स एनएफएल के पास रिफंड दावा दायर करने के प्रयास जारी हैं।</p>
--	--

<p>information provided by the management, the rent for these quarters was fixed a decade back. The only available document in form of minutes of 2nd Township Discipline Committee (TDC) meeting held on 03.12.2010 was provided in support of fixed rent. As per the TDC meeting, the rent was subject to revision after every three years, which was still not revised till March 2024. The outsiders i.e. non-employees of the corporation who avail quarters of BVFCL, pay monthly rent ranging from - to - which was revised during 2010. Since then the rent was not revised Non revision of rent results in loss of revenue to the company.</p> <p>ii.) The Company (BVFCL) has entered into marketing agreement with the National Fertilizer Limited (NFL) for marketing its urea and gave NFL bank guarantee amounting to ₹ 10 crores. As per the agreement BVFCL will also ensure sale of fertilizers supplied by NFL by its retailers, through POS, for the quantities not sold through POS and not acknowledged by wholesalers/retailers in iFMS. Further, in case the payment due against suppliers made as per the agreed terms is not received within the stipulated period, interest 1% above the one year SBI MCLR prevailing on relevant due date shall be charged.</p> <p>As there was un-cleared POS stock of urea NFL revoked the bank guarantee on 13.03.24 amounting to ₹ 235.29 lakhs also levied interest of ₹ 37.83 lakhs for delayed payment. Further, in April 2024 another 5 crores were collected by NFL by further revoking the bank guarantee.</p> <p>Thus, the company's own subsidy amounting to ₹ 120.764 crores was stuck due to non-clearance of urea stock from POS as on 31.03.24 and due to revocation of bank guarantee by NFL for ₹ 735.29 lakhs the company suffered liquidity crisis.</p> <p>The trading margin of only Rs.70/- MT has been earned by BVFCL amounting to ₹ 9.79 lakhs on trading of 13993.38 MT of NFL's product but suffered interest loss of much more than that due to revocation of bank guarantee and levy of interest. The marketing department needs to ramp up its collection activities so that the precious funds are not blocked and should take wise decision on marketing the products of another company after properly vetting its own capacities to meet the agreement terms and conditions.</p>	<p>management of BVFCL has noted the observation and will take appropriate action.</p> <p>ii.) The total revocation of bank guarantee made by NFL was Rs.732.04 lakhs which includes an interest of Rs.39.89 lakhs. The said interest of Rs.39.89 lakhs has been debited to the respective dealers who delayed in payment to BVFCL out the same Rs.17.20 lakh has already been collected from some dealers & balance interest to be collected shortly during 2024-25. Hence interest component is not a loss to the company. With regard to the balance Rs.692.14 lakhs it is to state that there was outstanding stock in POS in respect of three states i.e. Odisha, Assam and West Bengal to the tune of 4303.98 MT however the same has come down to 29.90 MT as on 18/09/2024. The marketing department of BVFCL has already lodged refund claim of Rs.684.30 lakh (with supporting details) which is expected to be realized very soon. Efforts are on to clear the balance PoS stock 29.90 MT and lodge the refund claim with M/s NFL for balance amount.</p>
---	--



निदेशकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट-IV

सीएजी रिपोर्ट परिशिष्ट

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय विवरणों पर।

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों की तैयारी, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार, कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी अधिनियम की धारा 143 के तहत स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने की है। यह लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है। उन्होंने यह कार्य अपने दिनांक 24 अगस्त, 2024 को लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से पूरा किया है।

मैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत एक अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्यपत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मियों से पूछताछ तथा कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरे ध्यान में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आई है, जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी या पूरक के रूप में प्रस्तुत हो।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से

ह/-

संदीप लाल

प्रधान लेखा परीक्षक निदेशक

(कृषि, खाद्य और जल संसाधन)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 15.10.2024

ANNEXURE- IV TO DIRECTORS' REPORT

CAG REPORT ANNEXURE

Comments of the comptroller and auditor general of india under section 143(6) (b) of the companies act, 2013 on the financial statements of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited for the year ended 31 march 2023

The preparation of financial statements of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited for the year ended 31 March 2024 In accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on Independent audit In accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 24th August, 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited for the year ended 31 March 2024 under section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to Inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6) (b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-

Sandeep Lall

Principal Director of Audit

(Agriculture, Food & Water Resources)

Place: New Delhi

Dated: 15.10.2024

अनुपालना प्रमाण पत्र

हमने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय नामरूप, असम में स्थित है, के खातों का लेखापरीक्षण 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार किया है और यह प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

के लिए एवं की ओर से
बीएल पुरोहित एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन 311056ई
UDIN-
स्थान : गुवाहाटी
तिथि: 24.08.2024

सुभाष पुरोहित, एफसीए
भागीदार
सदस्यता संख्या 059631

Compliance Certificate

We have conducted the Audit of Accounts of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, having its Registered office at Namrup, Assam, for the Financial Year ended 31st March, 2024 in accordance with the Directions issued by the Comptroller & Auditor General of India Under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013 and certify that we have complied with all the Directions / Sub-directions issued to us.

FOR & ON BEHALF OF
B.L. PUROHIT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 311056E
UDIN-

Place : Guwahati
Dated: 24.08.2024

S/d
SUBHASH PUROHIT,
FCA PARTNER
MEMBERSHIP NO. 059631



स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

1. राय:

हमने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक का तुलन पत्र, वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, और वित्तीय विवरणों के लिए (महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित) शामिल हैं।

हमारी राय और उत्कृष्ट जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

2. योग्य राय का आधार:

हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं जो अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारी टिप्पणियां, जिन पर हमारी राय आधारित है, नीचे पैरा 3 में दी गई हैं। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

3. योग्य राय के लिए टिप्पणियां:

तुलन पत्र पर टिप्पणियां

3.1 नोट 7: व्यापार देयताएं ₹22,922.59 लाख

एमएसएमई अधिनियम, 2006 के तहत धारा 22 के अनुसार, जिस खरीदार को किसी कानून के तहत अपने खाते का लेखा परीक्षा करवाना आवश्यक है, उसे प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई

Independent Auditor's Report

To the Members of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL)

Report on the Audit of the Financial Statements

1. Opinion:

We have audited the accompanying standalone financial statements of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2024, and the Statement of Profit and Loss for the year and Statement of Cash Flows for the year then ended, and Notes to the Financial Statements (including a summary of significant accounting policies and other explanatory information).

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph of our report, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ('Act') in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2024, and its profit and cash flows for the year ended on that date.

2. Basis for Qualified Opinion:

We conducted our audit in accordance with the standards on auditing specified under section 143 (10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the auditor's responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. Our observations on which our opinion is based are given in Para 3 below. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

3. Observations for Qualified Opinion:

OBSERVATIONS ON BALANCE SHEET

3.1 NOTE 7: TRADE PAYABLES ₹22,922.59 lakhs

As per Section 22 under MSME Act, 2006 the buyer who is required to get his account audited under any law, shall disclose the principal amount and interest dues thereon (to be shown

मूल राशि और उस पर ब्याज देय राशि (अलग से दर्शाई जानी चाहिए) का खुलासा करना होगा। इसके अलावा धारा 15 के अनुसार, जहां कोई खरीदार आपूर्तिकर्ता को राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, खरीदार और आपूर्तिकर्ता के बीच किसी भी समझौते या वर्तमान में लागू किसी भी कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, खरीदार को उस राशि पर नियत दिन से या, जैसा भी मामला हो, सहमत तिथि के तुरंत बाद की तारीख से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर के तीन गुना पर मासिक चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

चूंकि एमएसएमई का बकाया 45 दिनों से अधिक समय से बकाया था, इसलिए ब्याज वाले हिस्से की गणना एमएसएमई अधिनियम, 2006 के अनुसार की जानी चाहिए। उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार बकाया राशि पर ब्याज के रूप में ₹34.55 लाख की राशि देय है, हालांकि कंपनी ने एमएसएमई अधिनियम के उल्लंघन में इस ब्याज का न तो भुगतान किया है और न ही इसके लिए प्रावधान किया है। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और अन्य खर्चों को कम करके दिखाया गया है, जबकि वर्ष के लिए लाभ को ₹34.55 लाख से अधिक दिखाया गया है।

3.2 नोट 8: अन्य चालू देयताएं ₹10539.56 लाख ग्राहकों से अग्रिम राशि ₹1496.68 लाख:

क. इसमें स्क्रेप सामग्री की बिक्री के लिए जमा देयता के विरुद्ध ₹33.66 लाख की राशि शामिल है। हमने पाया कि यह राशि उन व्यक्तियों से प्राप्त हुई थी जिन्होंने कंपनी से स्क्रेप सामग्री खरीदी है, लेकिन इस राशि को स्क्रेप की बिक्री से आय के बजाय देयता के रूप में दर्ज किया गया है और परिणामस्वरूप देयता को ₹33.66 लाख अधिक दिखाया गया है और लाभ को उसी राशि से कम दिखाया गया है। यह अवलोकन पिछले वित्त वर्ष 22-23 की ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है जो अभी भी चालू वित्त वर्ष 2023-24 में कायम है।

ख. ग्राहकों से लिए गए अग्रिम भुगतान में 15 डीलरों से लिए गए 28.99 लाख रुपए शामिल हैं, जिसके लिए प्रबंधन ने स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया है, लेकिन उन्हें अभी तक राशि वापस नहीं की गई है। जिन डीलरों के साथ उनका कोई कारोबार नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द अतिरिक्त राशि वापस की जानी चाहिए, क्योंकि इन राशियों को अनुचित तरीके से रखने से कंपनी के लिए कानूनी मुद्दे पैदा हो सकते हैं।

3.3 नोट 10. संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई): ₹18032.25 लाख

क. “संपत्ति, संयंत्र और उपकरण” पर एएस 10 के अनुसार, स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड-बाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण जैसी वस्तुओं को पीपीई के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना होती है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम को मिलेंगे और आइटम की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। इसके अलावा, ऐसे किसी भी स्पेयर को जिसे एएस 2

separately) remaining unpaid to any supplier at the end of each accounting year. Further as per section 15, where any buyer fails to make payment of the amount to the supplier, the buyer shall, notwithstanding anything contained in any agreement between the buyer and the supplier or in any law for the time being in force, be liable to pay compound interest with monthly rests to the supplier on that amount from the appointed day or, as the case may be, from the date immediately following the date agreed upon, at three times of the bank rate notified by the Reserve Bank of India.

Since the dues of MSME were outstanding for more than 45 days, so the interest portion should be calculated as per MSME Act, 2006. As per the details made available an amount of ₹34.55 lakhs is payable as interest on the outstanding amount however the company has neither paid nor provided for this interest in contravention of the MSME Act. This has resulted in understatement of current liabilities and other expenses corresponding to overstatement of profit for the year by ₹34.55 lakhs.

3.2 NOTE 8 : OTHER CURRENT LIABILITIES ₹10539.56 lakhs Advance from customers ₹1496.68 lakhs:

a) This includes an amount of ₹33.66 lakhs against Liability for Deposit for Scrap Materials sales. We observed that this amount was received from persons who have purchased scrap materials from the company but the amount is booked as liability instead of income by sale of scrap and as result the liability is shown excess by ₹33.66 lakhs and profit is shown less by the same amount. This observation has been made in the Audit Report for the Previous FY 22-23 which is still persisting in the current FY 2023-24.

b) Advance from customers include 28.99 lakhs from 15 dealers for which the management offered the explanation that they have closed their businesses but amount has not yet been refunded to them. The refund of the excess amounts should be made at the earliest to dealers with whom there is no business as undue holding of these amounts may cause legal issues for the company.

3.3 NOTE 10. PROPERTY PLANT AND EQUIPMENTS(PPE) : ₹18032.25 lakhs

a. As per AS 10 on “Property, Plant & Equipment”, items such as spare parts, stand-by equipment and servicing equipment are recognized as PPE when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the enterprise and the cost of the item can be measured reliably. Further, any such



के अनुसार इन्वेंट्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उसे पीपीई के रूप में पूंजीकृत किया जाना चाहिए और ऐसी परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यहास किया जाना चाहिए।

कंपनी ने पीपीई के तहत पूंजीगत मदों के रूप में ₹553.97 लाख दिखाए हैं। हालांकि, ऐसी वस्तुओं पर कोई मूल्यहास नहीं लगाया जाता है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा बनाए गए स्टॉक विवरण के अनुसार, यह देखा गया है कि स्टोर की कई वस्तुएँ पूंजीगत प्रकृति की हैं और उन्हें समय के साथ पूंजीकृत और मूल्यहास किया जाना चाहिए था। हालांकि, ऐसा कोई विभाजन नहीं किया गया है और सभी वस्तुओं को इन्वेंट्री, स्टोर और स्पेयर के आइटम के रूप में दिखाया गया है। इस प्रकार, समग्र इन्वेंट्री को भौतिक रूप से बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए समग्र पीपीई को कम करके दिखाया गया है। इसके अलावा, ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास न लगाने के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के समग्र लाभ को भी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है।

यह अवलोकन पिछले वित्त वर्ष 22-23 की ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है, जो चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भी कायम है।

ख. कंपनी ने क्षतिग्रस्त संपत्तियों की पहचान नहीं की है, हालांकि इसके बहीखातों में बड़ी संख्या में ऐसी संपत्तियां हैं, जो अपनी उपयोगी अवधि पूरी कर चुकी हैं और अब सक्रिय उपयोग में नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप संपत्ति संयंत्र और उपकरणों का अधिक विवरण सामने आया है।

ग. नामरूप II समूह के निष्क्रिय संयंत्र को बंद करना: यह संयंत्र 06.01.2020 से बंद है। उर्वरक विभाग द्वारा गठित तकनीकी समिति ने 07.01.2022 को अपनी रिपोर्ट में संयंत्र की मरम्मत के खिलाफ सिफारिश की है क्योंकि यह अब आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

8 मई 2023 को आयोजित बोर्ड बैठक संख्या 177 में निदेशक मंडल ने जल उपचार संयंत्र को छोड़कर नामरूप II संयंत्र को स्थायी रूप से बंद करने और निपटाने को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी।

हालांकि, कंपनी ने नामरूप II संयंत्र की परिसंपत्तियों को बंद नहीं किया है। संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर एएस 10 में कहा गया है कि सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त और निपटान के लिए रखे गए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं को उनकी वहन राशि और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से कम पर बताया जाना चाहिए।

यह अवलोकन पिछले वित्त वर्ष 22-23 की ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है, जो चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भी कायम है।

आगे, नामरूप II संयंत्र के लिए वर्ष के दौरान 64.22 लाख रुपये की मरम्मत व्यय के रूप में दर्ज की गई है, जबकि यह 06.01.2020 से गैर-परिचालन है।

spares which have been classified as Inventory as per AS 2 should be capitalized as PPE and should be depreciated over their remaining useful lives of such assets.

The company has shown ₹553.97 lakhs as capital items under PPE. However, no depreciation is charged on such items. Further, as per the stock details maintained by the company, it has been observed that many items of stores are capital in nature and should have been capitalized and depreciated in due course of time. However, no such bifurcation has been done and all the items have been shown as items of inventory, stores and spares. Thus, the overall inventory has been materially overstated consequently understating the overall PPE as being reflected in the financial statements. Moreover, non-charging of depreciation on such assets has also resulted in overstatement of the overall Profits of the company for the FY 2023-24.

This observation has been made in the Audit Report for the Previous FY 22-23 which is still persisting in the current FY 2023-24.

- b. The company has not identified impaired assets though it has huge number of assets lying in its books which have outlived their useful lives and are not in active use any more. This has resulted in over statement of property plant and equipment.
- c. Decommissioning of non-functional Namrup II Group of Plant: The plant has been shut down since 06.01.2020. The technical committee constituted by the Department of Fertilizers in its report dated 7.01.2022 recommended against the repairs of the plant as it is no longer economically viable.

The Board of Directors in the board meeting no 177 held on 8th May 2023 approved in principle the permanent decommissioning and disposal of the Namrup II Plant Except water treatment plant.

However, the company has not decommissioned the Namrup II plant assets. AS 10 on Property plant and equipment states that Items of property, plant and equipment retired from active use and held for disposal should be stated at the lower of their carrying amount and net realizable value.

This observation has been made in the Audit Report for the Previous FY 22-23 which is still persisting in the current FY 2023-24.

Further, repairs amounting to ₹64.22 lakhs are booked in expenses for Namrup II Plant during the year despite it being non-operational since 06.01.2020.

3.4 नोट 12 इन्वेंट्री: ₹6199.82 लाख

क. “इन्वेंट्री” पर एएस 2 के अनुसार, इन्वेंट्री के शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य का अनुमान उस समय उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित होता है, जब इन्वेंट्री से अपेक्षित राशि के बारे में अनुमान लगाया जाता है। ये अनुमान तुलन पत्र की तारीख के बाद होने वाली घटनाओं से सीधे संबंधित मूल्य या लागत में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हैं, इस सीमा तक कि ऐसी घटनाएं तुलन पत्र की तारीख पर मौजूद स्थितियों की पुष्टि करती हैं।

इसके अलावा, "अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की वस्तुएं और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन" पर एएस 5 के अनुसार, यदि परिस्थितियों के संबंध में परिवर्तन होते हैं, जिन पर अनुमान आधारित था, या नई जानकारी, अधिक अनुभव या बाद के घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप, अनुमान को संशोधित करना पड़ सकता है।

यह देखा गया है कि कंपनी द्वारा 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बकाया इन्वेंट्री के लिए स्टोर और स्पेयर्स के लिए प्रावधान किया गया है, जिसकी राशि ₹1337.99 लाख है, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹5.31 लाख की राशि का प्रावधान शामिल है। हालाँकि, इस तरह का प्रावधान कंपनी द्वारा आंतरिक रूप से निर्धारित अनुमानों के आधार पर किया गया है और उचित बाजार मूल्य और गैर-चलती इन्वेंट्री के अप्रचलन के मूल्यांकन के लिए इन्वेंट्री का कोई वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया गया है। इस प्रकार, हमारी पेशेवर राय में, इन्वेंट्री के खिलाफ प्रावधान के आकलन का आधार उचित नहीं है और इसे संशोधित किया जाना चाहिए। कंपनी द्वारा इस तरह का प्रावधान वास्तविक मूल्यांकन और समय-समय पर कंपनी द्वारा किए गए इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन के आधार पर किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, कंपनी द्वारा गैर-चलती इन्वेंट्री के विरुद्ध प्रावधान के लिए आधार के रूप में उपयोग किए जा रहे प्रतिशत को अपडेट या संशोधित नहीं किया गया है और वर्षों से लगातार इसका उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, 15-20 वर्षों से बिना किसी हलचल वाली इन्वेंट्री के विरुद्ध 50% प्रावधान किया जा रहा है, जबकि 20 वर्षों से अधिक समय से बिना किसी हलचल वाली इन्वेंट्री के विरुद्ध सीधे 95% प्रावधान किया जा रहा है। हालाँकि, हमारी राय में इन्वेंट्री के विरुद्ध प्रावधान के लिए उपयोग किए जा रहे प्रतिशत को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है और इसे नियमित अंतराल पर आयोजित की जाने वाली ऐसी इन्वेंट्री के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाना चाहिए।

यह अवलोकन पिछले वित्त वर्ष 22-23 की ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है, जो चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भी कायम है।

3.4 NOTE 12 INVENTORIES: ₹6199.82 Lakhs

a. As per AS 2 on “Inventory”, estimates of net realizable value of inventory are based on the most reliable evidence available at the time the estimates are made as to the amount the inventories are expected to realize. These estimates take into consideration fluctuations of price or cost directly relating to events occurring after the balance sheet date to the extent that such events confirm the conditions existing at the balance sheet date.

Moreover, as per AS 5 on “Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies”, an estimate may have to be revised if changes occur regarding the circumstances on which the estimate was based, or as a result of new information, more experience or subsequent developments.

It has been observed that provision for stores and spares has been made by the company for inventory which is outstanding for a period of more than 3 years amounting to ₹1337.99 lakhs including provision reversed during the FY 2023-24 amounting to ₹5.31 lakhs. However, such provisioning has been done based on estimates set by the company internally and no actual valuation of the inventory has been conducted for evaluation of the Fair Market value and obsolescence of the non-moving inventory. Thus, in our professional opinion, the basis for the estimation of provisioning against inventory is not justified and the same should be revised. Such provisioning should be done by the company based on actual valuation and physical verification of inventory conducted by the company on a periodical basis.

Furthermore, the percentages being used by the company as a basis for provisioning against non-moving inventory has not been updated or revised and is being used consistently over the years. For instance, inventory with no movement from 15-20 years is being provisioned against at 50% whereas inventory with no movement for more than 20 years is being provisioned directly at 95%. However, in our opinion the percentages being used for provisioning against inventory may be periodically revised and should be based on the actual valuation of such inventory being conducted at regular intervals.

This observation has been made in the Audit Report for the Previous FY 22-23 which is still persisting in the current FY 2023-24.



3.5 नोट 13 व्यापार प्राप्य: ₹17392.74 लाख

- क. हमने पाया कि कंपनी ने खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया है। प्रोब्लम लेखांकन में, व्यवसाय संभावित खराब ऋणों के लिए व्यय की एक मद को पहचानने के लिए प्रावधान का उपयोग करते हैं। वे ग्राहकों को बिल दिए जाने के तुरंत बाद ऐसा करते हैं, बजाय इसके कि वे यह निर्धारित करने के लिए प्रतीक्षा करें कि कौन से बिल अप्राप्य हैं।
- i) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए व्यापार प्राप्तियों का आयु-वार ब्यौरा दर्शाता है ₹943.85 लाख रुपये 2 वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं, जिसमें जनवरी 2017 से अक्टूबर 2017 तक की अवधि के लिए एफआईसीसी, डीओएफ से 6.94 करोड़ रुपये की राशि के सब्सिडी का 5% शेष दावा शामिल है, लेकिन केवल ₹96.73 लाख संदिग्ध प्राप्य के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रकार, कंपनी द्वारा पुस्तकों में संदिग्ध प्राप्य के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है।
- ii) व्यापार प्राप्य अन्य में विविध देनदार बिक्री (विपणन) ₹2011.33 लाख शामिल हैं, जिसके विरुद्ध कंपनी के पास नकद सुरक्षा जमा के रूप में ₹1186.02 लाख हैं और शेष ₹825.31 लाख असुरक्षित हैं। इसके अलावा, ₹544.75 लाख भुगतान की तिथि से छह महीने से अधिक समय से बकाया हैं, हालांकि, कंपनी ने संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया है।
- iii) विविध देनदार बिक्री (विपणन) ₹2011.33 लाख में किसान सुविधा केंद्र (केएसके) से ₹122.95 लाख की प्राप्तियां शामिल हैं - 2016 से विपणन विभाग में कंपनी द्वारा प्रबंधित दस केएसके हैं और इनके विरुद्ध ₹122.95 लाख की प्राप्तियां हैं। इन केएसके से की गई प्राप्ति नियमित रूप से जमा नहीं की गई या उसका उचित हिसाब नहीं रखा गया और इस प्रकार ये खाते बकाया हैं। सामान्य तौर पर कोई बकाया राशि नहीं होनी चाहिए। संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, हालांकि शेष राशि 4 वर्ष से अधिक पुरानी है। यह अवलोकन पिछले वित्त वर्ष 22-23 की ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है, जो चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भी कायम है।

ख. कंपनी की ऋण नीति पर टिप्पणियां:

- कंपनी ने दिसंबर 2023 में ऋण नीति तैयार की, लेकिन इसका कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2023-24 में उतना प्रभावी नहीं रहा।
- ऋण नीति के अनुसार "व्यापारिक उत्पादों के मामले में डीलरों/खुदरा विक्रेताओं को दी जाने वाली कुल क्रेडिट अवधि चालान की तारीख से 60 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।" हमें प्रदान की गई एजिंग के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक बकाया शेष राशि वाले डीलरों के पास 60 दिनों से अधिक के लिए कोई एसडी या पीडीसी नहीं है, जो ₹383.19 लाख है।
 - क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार, "हर डीलर/रिटेलर को 1:3 के अनुपात में सुरक्षित क्रेडिट और ओपन क्रेडिट दिया जाता है। सुरक्षित क्रेडिट, सिक्वोरिटी डिपॉजिट की सीमा तक होता है। सिक्वोरिटी डिपॉजिट से ज्यादा दिया गया कोई भी क्रेडिट ओपन क्रेडिट होता है। ओपन क्रेडिट डीलर से लिए गए पोस्ट डेटेड चेक के ज़रिए सुरक्षित किया जाता

3.5 NOTE 13 TRADE RECEIVABLE: ₹17392.74 Lakhs

- a) We observed that the company has not made adequate provisioning for Bad and doubtful debts. In accrual accounting, businesses use the provision to recognize an item of expenditure for potential bad debts. They do this as soon as bills are given to customers instead of waiting to determine which bills are unrecoverable.
- i) Age wise break-up of trade receivables for the F.Y. 2023-24 shows ₹943.85 lakhs as outstanding for more than 2 years which includes 5% balance claim of subsidy for the period from January 2017 to October 2017 amounting to ₹6.94 crores from FICC, DOF but only ₹96.73 lakhs provision for doubtful receivables has been made. Thus, adequate provisioning for doubtful receivables is not made in the books by the company.
- ii) Trade Receivables others includes Sundry debtors sales (Marketing) ₹2011.33 lakhs against which the company has ₹1186.02 lakhs as cash security deposits and the balance ₹825.31 lakhs is unsecured. Further, ₹544.75 lakhs is outstanding for more than six months from the date they were due for payment, however, the company has not created a provision for doubtful debts.
- iii) Sundry Debtors sales (Marketing) ₹2011.33 lakhs includes receivable of ₹122.95 lakhs from Kisan Suwidha Kendra (KSK)- There are ten KSK managed by the company in Marketing department since 2016 and there is receivable of ₹122.95 lakhs against these. The realization made from these KSKs was not regularly deposited or properly accounted for and thus these accounts are outstanding. Normally there should not have been any balance outstanding. No provision for doubtful debts has been made though the balance is more than 4 years old. This observation has been made in the Audit Report for the Previous FY 22-23 which is still persisting in the current FY 2023-24.

b) Observations on the credit policy of the Company:

- The Company formulated Credit Policy in December 2023, but implementation of which was not that effective in the FY 2023-24.
- As per the Credit Policy "Total credit period offered to Dealers/Retailers should not exceed 60 days from the date of Invoicing in case of trading products." As per the Ageing provided to us Dealers having balance outstanding as on 31st march, 2024, with no SD or PDC for more than 60 days is ₹383.19 lakhs.
 - As per the Credit Policy, "Every Dealer/Retailer is offered with Secured Credit and Open Credit in a proportion of 1:3. Secured credit is to the extent of Security Deposit offered. Any Credit given beyond the Security Deposit is Open Credit. Open Credit is secured through a Post Dated Cheque collected from the Dealer."

है। हालांकि, वास्तविक व्यवहार में, यह देखा गया है कि 31 मार्च, 2024 तक बिना पीडीसी वाले डीलरों का शेष ₹1910.04 लाख है, जिसमें एसडी शेष ₹318.02 लाख है। इस प्रकार सुरक्षा जमा के 3 गुना की निर्दिष्ट सीमा से अधिक क्रेडिट की अनुमति दी जाती है।

ग. व्यापार प्राप्तियों में भारत सरकार से सब्सिडी के रूप में प्राप्त होने वाले ₹15460.67 लाख शामिल हैं; तथापि, ₹12731.44 लाख की राशि के लिए आईएफएमएस पोर्टल से सब्सिडी बिल अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं।

3.6 नोट 14 नकद और बैंक शेष ₹11845.66 लाख

6 बैंक खाते लंबे समय से निष्क्रिय हैं, जिनमें ₹3.92 लाख रुपये शेष हैं। यदि इन खातों की अब आवश्यकता नहीं है, तो इन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए, ताकि इनमें पड़े आदर्श फंड का उपयोग उत्पादक रूप से किया जा सके।

3.7 नोट 15 अल्पावधि ऋण और अग्रिम: ₹8252.41 लाख

क. जीएसटीआईएन के अनुसार जीएसटी इनपुट बैलेंस ₹8063.33 लाख है जबकि खातों की पुस्तकों के अनुसार यह ₹6868.25 लाख है, इसमें ₹1195.08 लाख का अंतर है। इसके अलावा, जीएसटीआईएन के अनुसार कैश लेजर में ₹3.10 लाख दिखाया गया है जबकि पुस्तकों में यह ₹133.64 लाख है। कंपनी के लाभ और हानि या परिसंपत्तियों/देनदारियों पर इन असंगत अंतरों का प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं है।

ख. इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उपधारा (3) के अनुसार, जो उन मामलों में अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी का प्रावधान करता है, जहां इनपुट पर कर की दर आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण क्रेडिट जमा होता है, यानी उल्टे शुल्क ढांचे के कारण। उसी के रिफंड का दावा करने की समय अवधि धारा 39 के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख से 2 वर्ष है, जिस अवधि में रिफंड से ऐसा दावा उत्पन्न होता है। हालांकि, कंपनी द्वारा आज तक जीएसटी राशि की वापसी के लिए कोई दावा दायर नहीं किया गया है और परिणामस्वरूप फंड को इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में अवरुद्ध किया जा रहा है जिसका उपयोग कंपनी द्वारा दूर के भविष्य में सेट ऑफ के लिए नहीं किया जा सकता है।

ग. आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम राशि में शामिल हैं:

विवरण	3 वर्ष से अधिक समय से बकाया (₹ लाख में)
बीएचईएल	89.49
फ्लोसर्व सन्मार लिमिटेड, चेन्नई	5.24
एनएफ रेलवे निंसुखिया	18.51
हिंदुस्तान पेपर	21.22
जॉन क्रेन	6.34
कुल	140.80

However, in actual practice, it has been observed that balances of dealers with No PDC as on 31st March, 2024 is ₹1910.04 lakhs having SD balance of ₹318.02 lakhs. Thus credit is allowed more than the specified limit of 3 times the security deposit.

c) Trade receivables include ₹15460.67 lakhs receivable against subsidy from Government of India however; subsidy bills are yet to be generated from iFMS portal for the amount of ₹12731.44 lakhs.

3.6 NOTE 14 CASH AND BANK BALANCES ₹11845.66 Lakhs

There are 6 bank accounts which are inoperative since long with balance of ₹3.92 lakhs. If the accounts are no more required, then must be closed so that the ideal fund lying there can be used productively.

3.7 NOTE 15 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES: ₹8252.41 Lakhs

a) GST input balance as per GSTIN is ₹8063.33 lakhs whereas as per the books of accounts it is ₹6868.25 lakhs, there is a difference of ₹1195.08 lakhs. Further, the cash ledger as per GSTIN shows ₹3.10 lakhs whereas in books it is ₹133.64 lakhs. The impact of these unreconciled difference on the Profit & Loss or assets/liabilities of the company is not ascertainable.

b) Further, as per sub-section (3) of section 54 of CGST Act, 2017, which provides for the refund of unutilized input tax credit in cases where credit is accumulated on account of rate of tax of inputs being higher than the rate of tax on output supplies i.e. on account of inverted duty structure. The time period for claiming refund of the same is 2 years from the due date of furnishing return u/s 39, for the period in which such claim from refund arises. However, no claim has been filed by the Company till date for the refund of the GST amount and as a result funds are being blocked as Input Tax Credit which may not be used by the company for set off in distant future.

c) Advance to Suppliers includes:

Particulars	Outstanding for more than 3 years (₹ in lakhs)
BHEL	89.49
Flowserve Sanmar Ltd, Chennai	5.24
NF Railway Ninsukhya	18.51
Hindustan Paper	21.22
John Crane	6.34
Total	140.80



3 वर्ष से अधिक समय से बकाया अग्रिमों का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है और इसलिए उनकी प्राप्ति संदिग्ध है और इसलिए 3 वर्ष से अधिक अवधि के अग्रिमों की पूरी राशि ₹140.80 लाख के लिए उचित प्रावधान बनाया जाना चाहिए, हालांकि प्रावधान केवल ₹34.90 लाख के लिए किया गया है। कम प्रावधान के कारण इकाई की परिसंपत्तियों और देनदारियों, लाभ और हानि का गलत प्रस्तुतीकरण हो रहा है।

घ. अन्य अग्रिमों में नीचे उल्लिखित शेष राशियां शामिल हैं जो पिछले कुछ वर्षों से दिखाई दे रही हैं और समायोजित नहीं हैं तथा गलत प्रतीत होती हैं।

विवरण	खाताकोड	31.03.24 तक (₹ लाख में)	31.03.23 तक (₹ लाख में)
अन्य को अग्रिम (विविध) राजस्व	422/107	0.35	0.35
ठेकेदारों को अग्रिम (परिवहन)	422/103	2.17	2.17
कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के पास जमा	425/101	0.94	0.94

ड. कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम राशि ₹165.06 लाख में ₹93.24 लाख शामिल हैं, जिनमें दीर्घ काल से असमायोजित पड़ी तेरह प्रविष्टियां शामिल हैं, तथा वित्तीय स्थिति पर इन असमायोजित मदों के परिणामस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाना आसान नहीं है।

च. आबकारी एवं सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा ₹107.08 लाख:

- इसमें आयकर विभाग और अन्य कर विभागों के पास जमा राशि शामिल है, हालांकि टीडीएस और टीसीएस की राशि 34.16 लाख रुपये और जीएसटी 6868.25 लाख रुपये अन्य अग्रिमों के तहत दर्शाई गई है, इस प्रकार वित्तीय विवरण में दर्शाए अनुसार जमाराशियों का गलत समूहीकरण किया गया है।
 - इसके अलावा, आयकर विभाग ने 2023-24 के लिए देय रिफंड के विरुद्ध आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 270ए के तहत 2021-22 के लिए 47.65 लाख रुपये का जुर्माना समायोजित किया था, हालांकि, इस रिफंड समायोजन को पुस्तकों में शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार जमा राशि को 47.65 लाख रुपये अधिक दिखाया गया और संचित घाटे को कम करके दिखाया गया।
- छ. कंपनी ने तीसरे पक्ष के पास कुछ जमा राशि जमा की है, जिसकी पुष्टि नहीं की गई है। कंपनी द्वारा जमा राशि के रूप में अग्रिम राशि की पुष्टि करने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से तीन साल में एक बार पुष्टि प्राप्त की जानी चाहिए ताकि उस पर दावा करने के अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा की जा सके।

Complete details of the advances outstanding for more than 3 years is not available and therefore are doubtful of recovery and therefore appropriate provisions should be created for full amount of advances above 3 years of ₹140.80 lakhs however provision is made for ₹34.90 lakhs only. The short provisioning is resulting in incorrect presentation of assets and liabilities, profit and loss of the entity.

d) Other Advances includes the below mentioned balances which are appearing since last few years and are not adjusted and seems to be incorrect.

Particulars	Account code	AS AT 31.03.24 (₹ in lakhs)	AS AT 31.03.23 (₹ in lakhs)
Advance to Others (Misc) Revenue	422/107	0.35	0.35
Advance to contractors (Transport)	422/103	2.17	2.17
Deposit with Calcutta Port Trust	425/101	0.94	0.94

e) Loans & Advances to Employees ₹165.06 lakhs includes ₹93.24 lakhs consisting of thirteen entries lying unadjusted since long and the consequent effect of these unreconciled items on the financials is not ascertainable readily.

f) Deposit with Excise & Govt. Authorities ₹107.08 lakhs:

- includes deposit with income tax department and other tax departments however TDS and TCS amounting to ₹34.16 lakhs and GST ₹6868.25 lakhs is shown under Other advances thus there is incorrect grouping of the deposits as depicted in the financials.
 - Further, against the refund due for AY 2023-24 the Income tax department had adjusted the penalty u/s.270A of the Income Tax Act, 1961 for the AY.2021-22 amounting to ₹47.65 lakhs however, this refund adjustment has not been accounted in books. Thus resulting in overstating the deposits by ₹47.65 lakhs and understatement of accumulated losses.
- g) The company has made certain deposits with third parties for which confirmation has not been obtained. Prudently confirmation should be obtained once in three years to confirm the amount advanced as deposits by the company to safeguard its legal rights to claim the same.

3.8 लाभ-हानि विवरण पर अवलोकन

नोट 17 परिचालन से राजस्व- ₹74896.44 लाख(जिसमें निर्मित उत्पादों के लिए मूल्य और माल दुलाई सब्सिडी के लिए ₹ 38626.48 करोड़ शामिल हैं)

i) एफआईसीसी विनियमन के अनुसार, कंपनी अंतिम बिक्री केंद्र से स्टॉक की निकासी के बाद ही मूल्य सब्सिडी का दावा करने की हकदार है: -

क. हमने देखा कि कंपनी ने नीम कोटेड यूरिया के बिना बिल वाले स्टॉक के खिलाफ सब्सिडी आय को मान्यता दी है जैसा कि नीचे तालिका में विस्तार से बताया गया है, जहां कंपनी के विपणन विभाग को 102.165 मीट्रिक टन की जानकारी नहीं है। नामरूप II संयंत्र- नीम कोटेड यूरिया (45 किग्रा) की लंबित स्टॉक मात्रा 19.184 मीट्रिक टन और नीम कोटेड यूरिया (50 किग्रा) 0.75 मीट्रिक टन थी। चूंकि नामरूप II संयंत्र ने 2020 में विस्फोट के बाद उत्पादन बंद कर दिया था, इसलिए उपरोक्त स्टॉक किस थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता के पास लंबित है, यह कंपनी के विपणन विभाग को ज्ञात नहीं है। इसमें शामिल सब्सिडी ₹1.76 लाख है। साथ ही, 19.934 मीट्रिक टन में से, 18.915 मीट्रिक टन का ऊपर बताए गए कारणों से मिलान नहीं किया गया है। 92.250 मीट्रिक टन में से 83.25 मीट्रिक टन का भी उपरोक्त कारणों से मिलान नहीं किया गया है। अप्रैल 2018 से 50 किलोग्राम की पैकेजिंग बंद कर दी गई थी, लेकिन अभी भी पीओएस में बिना बिके स्टॉक है। इन्वेंट्री का मिलान न होने के कारण DoF से दावों और सब्सिडी की वसूली में देरी हो रही है।

यूरिया इकाई	50 किलोग्राम	45 किलोग्राम पैकेजिंग मीट्रिक टन	मीट्रिक टन में असमाधानित मात्रा	सब्सिडी की में राशि ₹लाख में है
नामरूप II	0.75	19.184	18.915	1.76
नामरूप-III	92.250		83.250	20.63
कुल	93.00	19.184	102.165	22.39

ख. हमने आगे देखा कि कंपनी के पास खुदरा विक्रेताओं/डीलरों के पास बहुत बड़ा न बिका हुआ स्टॉक पड़ा है या यूरिया पहले ही बिक चुका है लेकिन बिक्री पीओएस के माध्यम से नहीं हो रही है। पिछले वर्ष की तुलना में न बिका हुआ स्टॉक की मात्रा में वृद्धि की प्रवृत्ति परिलक्षित हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में फंड अवरुद्ध हो गया है। 31.03.24 तक, 58278.402 मीट्रिक टन की बिना बिल की मात्रा का स्टॉक मौजूद है, जिस पर ₹ 120.764 करोड़ की मूल्य सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है, यह बिना बिल की मात्रा 30.06.2024 तक बढ़कर 68,555.209 मीट्रिक टन हो गई जिसका मूल्य ₹ 130.17 करोड़ है इस प्रकार यह एक गंभीर मुद्दा बन रहा है और कंपनी के विपणन विभाग को स्टॉक को समाप्त करने के लिए रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है ताकि सब्सिडी जारी करने का दावा एफआईसीसी के पास दर्ज किया जा सके अन्यथा कंपनी के लिए गंभीर नकदी समस्या होगी। स्टॉक (नीम लेपित यूरिया) का विवरण नीचे दिया गया है-

3.8 OBSERVATION ON STATEMENT OF PROFIT AND LOSS

NOTE 17 Revenue from Operations- ₹74896.44 Lakhs (Which includes ₹38626.48 crores on account of Price and freight subsidy for manufactured products)

I) As per FICC Regulation, the Company is entitled to claim the price subsidy only after clearance of stock from ultimate Point of Sale:-

a) We observed that the Company has recognized subsidy income against unbilled stock of Neem Coated Urea as detailed below in the table where by the Marketing department of the Company does not have the information of the whereabouts of 102.165 MT. The pending stock quantity of Namrup II plant- Neem Coated Urea (45 kg) was 19.184 MT and Neem Coated Urea (50kg) was 0.75 MT. As the Namrup II plant stopped production after the blast in 2020 the above stock is pending with which wholesaler or retailer is not known to the Marketing department of the Company. Subsidy involved is ₹1.76 lakhs. Also, out of the 19.934 MT, 18.915 MT has not been reconciled for reasons as stated above. Similarly, pending stock of Namrup III urea (50kg) was 92.250 MT Subsidy involved is ₹20.63 lakhs. Out of the 92.250 MT, 83.25MT has also not been reconciled for the reasons mentioned above. The 50kg packaging was discontinued from April 2018 but still there is un-sold stock in the POS. Non-reconciliation of the inventory is resulting in delay in recovery of the claims and subsidy from DoF.

Urea Unit	50 Kg Packaging in MT	45Kg Packaging in MT	Un-reconciled quantity in MT	Subsidy Involved in ₹ lakhs
Namrup-II	0.75	19.184	18.915	1.76
Namrup-III	92.250		83.250	20.63
Total	93.00	19.184	102.165	22.39

b) We further observed that the company is having huge unsold stock lying with the retailers /dealers or the urea is already sold but sales is not routed through the POS. Increasing trend of unsold stock quantity is being reflected compared to last year, resulting in substantial amount of fund being blocked up. As on 31.03.24, stock of unbilled quantity of 58278.402 MT exists on which price subsidy amounting to ₹ 120.764 crores is unrealized, this unbilled quantity further increased to 68,555.209 MT as on 30.06.2024 valued at ₹ 130.17 crores thus this is turning into a serious issue and the marketing department of the company needs to formulate strategy to liquidate the stock so that the claim to release of the subsidy may be lodged with FICC otherwise there will be serious liquidity problems for the company. The Details of the stock (Neem Coated Urea) is stated as below-



यूरिया	31.03.23 तक	31.03.24 तक	30.06.24 तक
एनसीयू मात्रा	38,464.86	58,278.402	68,555.209

ii) आयातित यूरिया के लिए भाड़ा प्राप्ति वित्त वर्ष 22-23 के लिए ₹462.77 लाख और वित्त वर्ष 23-24 के लिए ₹292.85 लाख (2 जहाजों के लिए) बकाया है। इस भाड़ा प्राप्ति में प्राथमिक (रेल) और द्वितीयक (सड़क) भाड़ा दोनों शामिल हैं, जो प्राप्त प्रति मीट्रिक टन ₹1250 की दर से तदर्थ अंतर्देशीय भाड़ा के अतिरिक्त है। 29.06.20 के डीओपी आदेश के अनुसार, रेल माल ढुलाई पर सब्सिडी 1400 किमी तक सीमित है। हालांकि, आयातित यूरिया को 1400 किलोमीटर से आगे राज्यों में ले जाया गया था और कंपनी द्वारा 1400 किलोमीटर से अधिक की सब्सिडी का दावा किया गया है। पूर्वोक्त डीओपी आदेश के मद्देनजर, दावा किया गया अतिरिक्त भाड़ा प्राप्त होना संदिग्ध है। चूंकि, माल ढुलाई की प्राप्ति के संबंध में कोई निश्चितता नहीं है, इसलिए इसे आय के अंतर्गत दर्ज करने के बजाय, इसे आकस्मिक परिसंपत्तियों के रूप में खातों में नोट के अंतर्गत प्रकट किया जाना चाहिए था।

नोट 18 अन्य आय - ₹ 6371.77 लाख (जिसमें विविध आय के अंतर्गत ₹197.03 लाख शामिल हैं)

विविध आय में 145351690000000000 बीवीएफसीएल जन औषधि केंद्र की बिक्री के कारण ₹2.46 लाख शामिल हैं, हमने देखा कि वित्तीय वर्ष से संबंधित ₹0.32 लाख की बिक्री दर्ज नहीं की गई थी और इसे 03.04.2024 को दर्ज किया गया था, इस प्रकार इस राशि से आय को कम दिखाया गया और 31.03.2024 को हाथ में नकदी शेष को इस राशि से कम दिखाया गया।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण में असाधारण आइटम:

विवाद के निपटारे पर दायित्व का त्याग ₹4617.83 लाख

नोट 30.12 गैस परिवहन शुल्क पर नोट

औपचारिक गैस परिवहन समझौते पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और असम गैस कंपनी लिमिटेड द्वारा पहले विवादित अतिरिक्त बिल की गई राशि के उलटफेर के लिए कोई क्रेडिट नोट जारी नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी ने परिवहन शुल्क के लिए ₹4617.83 लाख और जीएसटी के लिए ₹673.55 लाख की राशि के लिए उलटफेर का हिसाब लगाया है। हमारी राय में उचित लेखा दस्तावेज और समझौते के बिना बैठक के मिनटों के आधार पर खर्चों का उलटफेर सही नहीं है। नतीजतन, आय को इस राशि से अधिक दिखाया गया है और देनदारियों को कम दिखाया गया है।

यूरिया	31.03.23 तक	31.03.24 तक	30.06.24 तक
एनसीयू मात्रा	38,464.86	58,278.402	68,555.209

ii) Freight receivable for imported urea is outstanding ₹462.77 lakhs for FY 22-23 and ₹292.85 lakhs (for 2 vessels) for FY 23-24. This freight receivable consists of both primary (rail) and secondary (road) freight receivable over & above ad-hoc inland freight at the rate of ₹1250 per MT received. As per DOP order dated 29.06.20, subsidy on rail freight is restricted to 1400kms. However, imported urea had been transported to states beyond 1400 kms and further subsidy over and above 1400 kms have been claimed by the Company. In view of the aforesaid DOP order, the additional freight claimed is doubtful to be received. As per convention of conservatism, no doubtful income shall be taken into consideration in recording of transactions by an entity. Since, no certainty exists regarding receipt of freight, rather than recording it under income, it should have been disclosed under Notes to accounts as Contingent Assets.

NOTE 18 Other Income - ₹6371.77 Lakhs (which includes ₹ 197.03 lakhs under Miscellaneous income)

The miscellaneous income includes ₹2.46 lakhs on account of 145351690000000000 SALE OF BVFCL JANAUSHADHI KENDRA, we observed that the sales amounting to ₹0.32 lakhs related to the financial year was not recorded and it was recorded on 03/04/2024 thus showing understatement of income by this amount and understatement of the cash in hand balance as on 31.03.2024 by this amount.

Exceptional items in Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, 2024:

Relinquishment of liability on settlement of dispute ₹4617.83 lakhs read with

Note 30.12 Note on Gas Transportation Charges

The formal gas transportation agreement is not yet signed and no credit note has been issued by Assam Gas Company Limited for the reversal of the earlier disputed excess billed amounts but the Company has accounted the reversal for an amount of ₹4617.83 lakhs towards transportation charges and ₹673.55 lakhs towards GST. In our opinion the reversal of expenses based on minutes of meeting without proper accounting document and agreement in place is not correct. As a result the income is shown excess by this amount and liabilities are shown less.

3.9 अन्य अवलोकन:

- I) CAG द्वारा दी गई लेनदेन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, बीवीएफसीएल के पास कुल 2740 क्वार्टर उपलब्ध हैं, जिनमें से 2485 क्वार्टर उपयुक्त हैं और 255 क्वार्टर अनुपयुक्त घोषित किए गए हैं। प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इन क्वार्टरों का किराया एक दशक पहले तय किया गया था। तय किराए के समर्थन में 03.12.2010 को आयोजित दूसरी टाउनशिप अनुशासन समिति (टीडीसी) की बैठक के मिनट्स के रूप में एकमात्र उपलब्ध दस्तावेज उपलब्ध कराया गया था। टीडीसी की बैठक के अनुसार, किराए में हर तीन साल के बाद संशोधन किया जाना था, जिसे मार्च 2024 तक संशोधित नहीं किया गया था। बाहरी लोग यानी निगम के गैर-कर्मचारी जो बीवीएफसीएल के क्वार्टर का लाभ उठाते हैं, वे 770/- से 1200/- रुपये तक मासिक किराया देते हैं, जिसे 2010 के दौरान संशोधित किया गया था। तब से किराया संशोधित नहीं किया गया था। किराए में संशोधन न करने से कंपनी को राजस्व की हानि होती है।
- ii) कंपनी (बीवीएफसीएल) ने अपने यूरिया के विपणन के लिए नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एनएफएल) के साथ विपणन समझौता किया है और एनएफएल को 10 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दी है। समझौते के अनुसार बीवीएफसीएल एनएफएल द्वारा अपने खुदरा विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उर्वरकों की बिक्री भी पीओएस के माध्यम से सुनिश्चित करेगा, जो मात्रा पीओएस के माध्यम से नहीं बेची गई है और थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं द्वारा आईएफएमएस में स्वीकार नहीं की गई है। इसके अलावा, यदि आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सहमत शर्तों के अनुसार किया गया भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो संबंधित देय तिथि पर प्रचलित एक वर्ष के एसबीआई एमसीएलआर से 1% अधिक ब्याज लगाया जाएगा। चूंकि यूरिया का पीओएस स्टॉक खाली था, इसलिए एनएफएल ने 13.03.24 को ₹ 235.29 लाख की बैंक गारंटी रद्द कर दी और देरी से भुगतान के लिए ₹ 37.83 लाख का ब्याज भी लगाया। इसके अलावा, अप्रैल 2024 में एनएफएल ने बैंक गारंटी को रद्द करके 5 करोड़ और वसूले।
- इस प्रकार, कंपनी की स्वयं की सब्सिडी राशि ₹ 120.764 करोड़ 31.03.24 तक पीओएस से यूरिया स्टॉक की निकासी न होने के कारण अटकी हुई थी और एनएफएल द्वारा ₹ 735.29 लाख की बैंक गारंटी रद्द करने के कारण कंपनी को तरलता संकट का सामना करना पड़ा।
- बीवीएफसीएल द्वारा एनएफएल के 13993.38 मीट्रिक टन उत्पाद के व्यापार पर मात्र 70 रुपये मीट्रिक टन का व्यापार मार्जिन अर्जित किया गया, जो 9.79 लाख रुपये है, लेकिन बैंक गारंटी रद्द होने और ब्याज लगाए जाने के कारण इससे कहीं अधिक ब्याज की हानि हुई।
- विपणन विभाग को अपनी संग्रह गतिविधियों में तेजी लाने की आवश्यकता है, ताकि बहुमूल्य धनराशि अवरुद्ध न हो और उसे समझौते की शर्तों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं की उचित जांच करने के बाद ही किसी अन्य कंपनी के उत्पादों के विपणन पर विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए।

3.9 OTHER OBSERVATIONS:

- i) As per the Transaction Audit Report given by CAG, a total of 2740 nos. of quarters are available with BVFCL out of which 2485 nos. of quarters were fit and 255 quarters have been declared unfit. As per the information provided by the management, the rent for these quarters was fixed a decade back. The only available document in form of minutes of 2nd Township Discipline Committee(TDC) meeting held on 03.12.2010 was provided in support of fixed rent. As per the TDC meeting, the rent was subject to revision after every three years, which was still not revised till March 2024. The outsiders i.e. non-employees of the corporation who avail quarters of BVFCL, pay monthly rent ranging from ₹770/- to ₹1200/- which was revised during 2010. Since then the rent was not revised Non revision of rent results in loss of revenue to the company.
- ii) The Company (BVFCL) has entered into marketing agreement with the National Fertiliser Limited (NFL) for marketing its urea and gave NFL bank guarantee amounting to ₹ 10 crores. As per the agreement BVFCL will also ensure sale of fertilizers supplied by NFL by its retailers, through POS, for the quantities not sold through POS and not acknowledged by wholesalers/retailers in iFMS. Further, in case the payment due against suppliers made as per the agreed terms is not received within the stipulated period, interest 1% above the one year SBI MCLR prevailing on relevant due date shall be charged. As there was un-cleared POS stock of urea NFL revoked the bank guarantee on 13.03.24 amounting to ₹ 235.29 lakhs and also levied interest of ₹ 37.83 lakhs for delayed payment. Further, in April 2024 another 5 crores were collected by NFL by further revoking the bank guarantee. Thus, the company's own subsidy amounting to ₹ 120.764 crores was stuck due to non-clearance of urea stock from POS as on 31.03.24 and due to revocation of bank guarantee by NFL for ₹ 735.29 lakhs the company suffered liquidity crisis. The trading margin of only Rs.70/- MT has been earned by BVFCL amounting to ₹ 9.79 lakhs on trading of 13993.38 MT of NFL's product but suffered interest loss of much more than that due to revocation of bank guarantee and levy of interest. The marketing department needs to ramp up its collection activities so that the precious funds are not blocked and should take wise decision on marketing the products of another company after properly vetting its own capacities to meet the agreement terms and conditions.



4. चालू व्यवसाय से संबंधित भौतिक अनिश्चितता

कंपनी की निवल संपत्ति पूरी तरह से खत्म हो गई है, क्योंकि कंपनी की निवल संपत्ति ऋणात्मक ₹31,583.04 लाख रुपये है।

कंपनी को ₹68,166.28 लाख रुपये का संचित घाटा हो रहा है और इसकी शेयर पूंजी ₹36583.24 लाख रुपये है।

हालांकि प्रबंधन का कहना है कि निवल मूल्य में कमी के कारण कंपनी का परिचालन बंद करने का उसका कोई इरादा नहीं है।

5. प्रमुख लेखापरीक्षा मामले:

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में चालू वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। SA 701 के अनुसार मुख्य लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग इस कंपनी पर लागू नहीं होती है, क्योंकि यह एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी है।

6. वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी:

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक और व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है; तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

7. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी:

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त

4. Material Uncertainty Related to Going Concern

The net worth of the Company has been totally eroded, as the net worth of the Company is negative at ₹31,583.04 Lakhs.

The company is having accumulated losses to ₹ 68,166.28 Lakhs against its Share Capital of ₹36583.24 Lakhs.

Though the management says it has no intention to cease the operation of the company because of erosion of net worth.

5. Key audit matters:

Key Audit Matters are those matters that, in our professional Judgment were of most significance in our Audit of the standalone financial statements of the current year. Reporting of Key Audit Matters as per SA 701, are not applicable to this Company, as it is an unlisted company.

6. Information other than the financial statements and auditors' report thereon:

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexures to Board's Report & Business Responsibility Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

7. Management's responsibility for the Financial Statements:

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134 (5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and

लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने तथा लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

8 . वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां:

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि ऐसी ऑडिट प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के हिसाब से उपयुक्त हों। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

8. Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements:

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.



- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं और हमने कंपनी के चालू व्यवसाय के अस्तित्व पर अपना संदेह रिपोर्टिंग शीर्षक चालू व्यवसाय से संबंधित भौतिक अनिश्चितता के अंतर्गत विधिवत रखा है।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, तथा यह भी देखें कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।
- हम अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में, जिनमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है, शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करते हैं।
- हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।
- शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report and we have duly placed our doubt on the company existence of going concern under. the reporting Head Material Uncertainty Related to Going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
- We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
- From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

9. अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन :

9.1 जैसा कि अपेक्षित है कंपनियां (लेखा परीक्षक की प्रतिवेदन) आदेश, 2020 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए ("आदेश") के अनुपालन में, हम "अनुलग्नक ए" में, "आदेश" के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, जहां तक लागू हो, एक विवरण देते हैं।

9.2 अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- क. हमने उपरोक्त अर्हताप्राप्त राय के आधार पैराग्राफ 3 में वर्णित मामलों को छोड़कर सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;
- ख. हमारी राय में, ऊपर योग्य राय के आधार पैराग्राफ 3 में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाता बही रखी गई है, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है;
- ग. उपरोक्त योग्य राय के आधार पैराग्राफ 3 में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, इस प्रतिवेदन द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, और नकदी प्रवाह विवरण खाता पुस्तकों के साथ सहमत हैं;
- घ. उपरोक्त योग्य राय के आधार पैराग्राफ 3 में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जिसे अधिनियम के नियम 7 कंपनी (लेखा) नियम, 2014, के रूप में संशोधन के साथ पढ़ा जाए।
- ङ. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 05-06-2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) सरकारी कंपनी होने पर लागू नहीं होती है।
- च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "अनुलग्नक बी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
- छ. अधिनियम की धारा 197 (16) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामले के संबंध में, हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार, धारा 197 द्वारा निर्धारित अधिकतम स्वीकार्य प्रबंधकीय पारिश्रमिक की सीमा सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है।

9. Report on other legal and regulatory requirements:

9.1 As required by the 'Companies (Auditors Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the "Annexure A", a statement on the matters specified in paragraph 3 and 4 of "the Order", to the extent applicable.

9.2 As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

- a. We have sought and except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph 3 above obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
- b. Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph 3 above in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company, so far as it appears from our examination of those books;
- c. Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph 3 above, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;
- d. Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph 3 above, in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the accounting standards specified under section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, as amended;
- e. In pursuance to the Notification No. G.S.R 463 (E) dated 05-06-2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Section 164 (2) of the Companies Act, 2013 pertaining to disqualification of Directors for appointment as Director of Company, is not applicable being a Government Company.
- f. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure B".
- g. With respect to the matter to be included in the Auditors' Report under section 197 (16) of the Act, in our opinion and according to the information and explanations given to us, the limit prescribed by section 197 for maximum permissible managerial remuneration is not applicable to a government company as per Notification dated 05.06.2015 issued by Ministry of Corporate Affairs.



- ज. कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में नोट 30.1 के तहत आकस्मिक देयता के रूप में लंबित मुकदमे के प्रभाव का खुलासा किया है;
 - कंपनी ने लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित, दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई हो, भौतिक पूर्वानुमानित हानि के लिए प्रावधान नहीं किया है; तथा
 - ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।
 - (क) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) को, जिसमें विदेशी ("मध्यस्थ") शामिल हैं, कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करना;
- (ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्तपोषण पक्ष") शामिल हैं, कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी; तथा
- (ग) लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर, जिसे हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप-खंड (ए) और (बी) के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलत विवरण है।
- (व) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।
- कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाता बही बनाए रखने के लिए है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है, जो 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है। लेखापरीक्षा के दौरान, हमने देखा
- h. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- The Company has disclosed the impact of pending litigation in its financial statement under Note 30.1 as contingent liability;
 - the Company has not made provisions, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts; and
 - There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
 - (a.) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
 - The management has represented, that to the best of its knowledge and belief, no funds have been received by the company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest on other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provided any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and
 - Based on audit procedure which we considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub – clause (a) and (b) contain any material misstatement.
- v) The company has not declared or paid any dividend during the year in contravention of the provisions of section 123 of the Companies Act, 2013.
- Proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 for maintaining books of account using accounting software which has a feature of recording audit trail (edit log) facility is applicable to the Company with effect from April 1, 2023.

कि कंपनी ने 26 मई 2024 (अर्थात वित्त वर्ष 24-25 से आगे) के लिए ऑडिट ट्रेल की सुविधा सक्षम कर दी है और परिणामस्वरूप, हम वित्त वर्ष 23-24 के लिए उक्त सॉफ्टवेयर की ऑडिट ट्रेल सुविधा पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

During the course of audit, we noticed that the Company has enabled feature of Audit Trail on 26th May 2024 (i.e from FY 24-25 onwards) and consequently, we are unable to comment on audit trail feature of the said software for FY 23-24.

9.3 अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) के निर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षकों की प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षा प्रथाओं के अनुसार कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों और उप-निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर "अनुलग्नक सी" में विवरण दे रहे हैं।

9.3 With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in terms of the directions of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) under Section 143(5) of the Act and on the basis of our examination of the books and records of the Company carried out in accordance with the generally accepted auditing practices in India and according to the information and explanations given to us, we give in the "Annexure C" statements on the matters specified in the Directions and Sub-directions of Comptroller & Auditor General of India.

के लिए एवं की ओर से
बीएल पुरोहित एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 311056ई

FOR & ON BEHALF OF
B.L. PUROHIT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 311056E

ह/-
सुभाष पुरोहित,
एफसीए भागीदार
सदस्यता संख्या 059631
UDIN : 24059631BKGPYE3661

S/d
SUBHASH PUROHIT,
FCA PARTNER
MEMBERSHIP NO. 059631
UDIN: 24059631BKGPYE3661

स्थान : गुवाहाटी
तिथि : 24.08.2024

Place : Guwahati
Date: 24.08.2024



ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का
अनुलग्नक (क)
वित्तीय विवरण पर कंपनी के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक
की रिपोर्ट के पैराग्राफ 9.1 में संदर्भित।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- I.) क) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रा और मूल्य का विवरण दिखाते हुए कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड बनाए रखा है, हालांकि, कंपनी ने अचल संपत्ति रजिस्टर में अपनी अचल संपत्तियों की विशिष्ट स्थितियों को बनाए नहीं रखा है।
(ख) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का विवरण दर्शाते हुए कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- ख) कंपनी प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के भौतिक सत्यापन का काम एक बाहरी एजेंसी को सौंपा गया था। एजेंसी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के सत्यापन का काम शुरू कर दिया है और संगठन में अचल संपत्तियों की विशाल प्रकृति और इसमें शामिल कई विभागों को देखते हुए भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष में पूरी होने की उम्मीद है।
सत्यापन में पाई जाने वाली किसी भी भौतिक विसंगति से आगामी वित्तीय वर्ष में निपटा जाएगा।
- ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारी जांच के लिए प्रस्तुत भूमि स्वामित्व अभिलेखों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के पास असम के नामरूप में 2611 बीघा, 2 कट्टा और 13.5 लाख रूपए की फ्रीहोल्ड भूमि है, जहां इसका संयंत्र स्थित है।
हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास पट्टे पर ली गई भूमि और भवन जैसी कोई अचल संपत्ति नहीं है।
- घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।
- ii) क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमने देखा कि निर्मित माल, व्यापारिक माल और तैयार माल की पैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पैकिंग सामग्री के स्टॉक का प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में भौतिक सत्यापन किया गया है, हालांकि, हमने देखा कि स्टोर और अन्य इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन लंबे समय से नहीं किया

Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited
Annexure A to the Independent Auditor's Report for the
Financial Year 2023-24

Referred to in paragraph 9.1 of Independent Auditor's Report to
the members of the Company on the Financial Statements.

We report that:

- i) a) (A) The company has maintained computerized records showing particulars quantity and value of Property, Plant & Equipment however, the company has not maintained the specific situations of its Fixed Assets in the Fixed Assets Register.
(B) The Company has maintained computerized records showing particulars of intangible assets.
- b) As per information and explanations given to us by the company management, the physical verification of property, plant and equipment was assigned to an external agency. The agency has commenced the task of verification of property, plant and equipment and the process of physical verification is expected to be completed in the subsequent financial year considering the voluminous nature of the fixed assets in the organisation and multiple departments involved.
Any material discrepancy which might be observed in the verification will be dealt in the subsequent financial year.
- c) According to the information and explanations given to us and the land holding records produced for our examination, we report that the company holds 2611 bigha, 2 katha and 13.5 laccha of freehold land in Namrup, Assam where its plant is located.
According to the information and explanations given to us the Company does not have immovable properties of land and building taken on lease.
- d) According to the information and explanations given to us, the company has not revalued its Property, Plants & Equipment's during the reporting Financial Year.
- e) According to the information and explanations given to us, no proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any Benami property under the "Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 and Rules made thereunder.
- ii) a) As per information and explanation given to us, we observed that the stock of manufactured goods, traded goods and the packing materials used for the packing of finished goods have been physically verified by the management at the year end however, we observed that the physical verification of

जा रहा है। इसके अलावा, भौतिक सत्यापन के दौरान शामिल सामग्रियों के संबंध में प्रत्येक वर्ग की सूची के लिए कुल मिलाकर 10 % या उससे अधिक की विसंगतियां नहीं देखी गईं।

- ख)** हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के किसी भी समय कंपनी ने अपनी वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से कार्यशील पूंजी सीमा का लाभ नहीं उठाया है और इसलिए CARO 2020 की खंड (ii) (बी) कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- iii)** कंपनी ने किसी भी कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागीदार या किसी अन्य पक्ष को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण के रूप में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है, इसलिए CARO 2020 के खंड (iii) कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- iv)** हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो इसके द्वारा प्रदान किए गए ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों को लागू करता हो, इसलिए CARO 2020 का खंड (iv) कंपनी पर लागू नहीं है।
- v)** कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है और इसलिए जनता से स्वीकार की गई जमा राशि के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और कंपनी (जमा राशि स्वीकार्यता) नियम, 2015 लागू नहीं होते।
- vi)** हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए लागत अभिलेखों की व्यापक समीक्षा की है और हमारा मत है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित खाते और अभिलेख बनाए और बनाए रखे गए हैं।
- Vii)** क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी भी अन्य भौतिक वैधानिक बकाया सहित अविवादित वैधानिक बकाया के संबंध में लेखा पुस्तकों में कटौती/उपार्जित राशि को कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक, देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए वैधानिक बकाया का कोई भी अविवादित बकाया नहीं था।
- ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, असम मूल्य वर्धित कर और केंद्रीय राज्य कर (सीएसटी) के संबंध में कंपनी के खिलाफ कुछ विवादित बकाया 31 मार्च, 2024 तक बकाया है। उपर्युक्त

stores and other inventory is not being done since long time. Further, discrepancies of 10% or more in the aggregate for each class of inventory were not noticed in respect of the materials covered during the physical verification.

- b)** As per information and explanation given to us, during any point of time of the year the Company has not availed working capital limits from any banks or financial institution against the security of its current assets and hence (ii) (b) of CARO 2020, is not applicable on Company.
- iii)** The Company has not made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties therefore reporting under Clause (iii) of the CARO 2020 is not applicable on Company.
- iv)** As per information and explanation given to us, there are no transactions which attract the provisions of section 185 and 186 of the Companies Act 2013 in respect of loans, investments, guarantees and security provided by it, therefore reporting under Clause (iv) of the CARO 2020 is not applicable on Company.
- v)** The company has not accepted any deposits from the public and hence the directives issued by the Reserve Bank of India and Provisions of Section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act and the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2015 with regards to deposits accepted from the public are not applicable.
- vi)** We have broadly reviewed the Cost Records maintained by the Company pursuant to the rules made by the Central Government for maintenance of Cost Records under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 and we are of the opinion that prima facie the prescribed accounts and records have been made and maintained.
- vii)** a) According to the information and explanations given to us ax, Provident Fund, Income-tax, Sales-tax, Service-tax, Duty of Customs, Duty of Excise, Value added tax, cess and any other material statutory dues have been regularly deposited during the year by the Company with the appropriate authorities. According to the information and explanations given to us no such undisputed arrears of statutory dues were outstanding as at 31st March, 2024, for a period of more than six months from the date they became payable.
- b) According to the information and explanations given to us, some disputed dues against the Company are outstanding as at 31st March, 2024, in respect of Assam Value added tax and central state tax (CST). The details for the aforesaid



बकाया राशि का विवरण नीचे दिया गया है-

mentioned dues has been disclosed below-

क्रानून का नाम	बकाया राशि का नाम	राशि लाख में	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
असम मूल्य वर्धित कर नियम, 2005	सीएसटी और प्रवेश कर	594.07	2013-14	कर आयुक्त, असम
	सीएसटी और प्रवेश कर	21.10	2014-15	कर आयुक्त, असम
	वीएटी	48.52	2012-13	कर अधीक्षक
	सीएसटी	2.25	2012-13	कर अधीक्षक
	वीएटी	3.46	2016-17	कर अधीक्षक
	सीएसटी	5.95	2016-17	कर अधीक्षक
	ई-टैक्स	9.02	2013-14	कर आयुक्त, असम

Name of the statute	Name of dues	Amount In ₹ lakhs	Period to which the amount relates	Forum where the dispute is pending
The Assam value added Tax Rules, 2005	CST and Entry Tax	594.07	2013-14	Commissioner of Taxes, Assam
	CST and Entry Tax	21.10	2014-15	Commissioner of Taxes, Assam
	VAT	48.52	2012-13	Superintendent of taxes
	CST	2.25	2012-13	Superintendent of taxes
	VAT	3.46	2016-17	Superintendent of taxes
	CST	5.95	2016-17	Superintendent of taxes
	E-Tax	9.02	2013-14	Commissioner of Taxes, Assam

viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान खाता पुस्तकों में दर्ज नहीं किए गए किसी भी लेनदेन को आय के रूप में उद्धारित या प्रकट नहीं किया है।

ix) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंक, वित्तीय संस्थान या डिबेंचर धारक को ऋण पर मूलधन या ब्याज की बकाया राशि के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है और इसलिए खंड ix(a) से ix(e) इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

x) (क) रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (x) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ख) रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई भी वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमानीय आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया गया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और धारा 62 के अनुपालन की आवश्यकताएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

xi) (क) हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई भी भौतिक धोखाधड़ी नहीं की गई है या कंपनी के साथ कोई धोखाधड़ी की बात सामने नहीं आई है या इसकी रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी -4 में केंद्र सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।

viii) According to the information and explanations given to us, the Company has not surrendered or disclosed as income any transactions not recorded in books of account during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.

ix) Based on our audit procedures, and as per the information & explanation given to us by the management, the company has not defaulted in the repayment of dues of principal or interest on loan to the bank, financial institution or debenture holder and hence the clause ix(a) to ix(e) are not applicable on this company.

x) (a) During the reporting Financial Year, the Company has not raised money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments). Accordingly, the provision of clause 3 (x) of the Order is not applicable on the Company.

(b) During the reporting Financial Year, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible) during the year and therefore the requirements of compliance of Section 42 and Section 62 of the Companies Act, 2013 is not applicable on company.

xi) (a) To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no material fraud has been observed being committed by the company or any fraud on the company has been noticed or reported.

(b) To the best of our knowledge, no report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and up to the date of this report.

- (ग) लेखा परीक्षक के रूप में, हमें वर्ष के दौरान कोई विहसल-ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
- xii) यह कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए CARO 2020 का यह खंड लागू नहीं होता है।
- xiii) कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (xiv) क) कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा तिमाही आधार पर की जा रही है और लेखापरीक्षा कवरेज का दायरा इसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप प्रतीत होता है।
 ख) हमने लेखा परीक्षा की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विधिवत विचार किया है।
- (xv) कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है, सिवाय वेतन और अन्य सुविधाओं के भुगतान के, जैसा कि सरकारी कंपनी के निदेशकों के लिए सेवा नियमों में अनिवार्य है।
 कंपनी एक केंद्रीय सरकारी उपक्रम है और इसके अध्यक्ष सह पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक को प्रबंधकीय पारिश्रमिक नियुक्ति करने वाले सरकारी विभागों यानी रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा निर्धारित वेतन निर्धारण के अनुसार है। इस प्रकार कंपनी ने केवल केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान/ प्रदान किया है, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन है।
- (xvi) क) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।
 ख) कंपनी ने कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं, और इसलिए CARO 2020 का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।
 ग) कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमों के तहत परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है, और इसलिए CARO 2020 का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।
 घ) कंपनी का प्रबंधन किसी समूह द्वारा नहीं किया जा रहा है, और इसलिए CARO 2020 का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।
- (xvii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, चालू रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी को ₹6460.12 लाख की नकद हानि हुई है तथा तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई थी।
- (xviii) कंपनी एक सरकारी कंपनी है और इसका सांविधिक लेखा परीक्षक भारत के CA&G द्वारा नियुक्त किया जा रहा है। कंपनी के नियुक्त किए गए किसी भी सांविधिक लेखा परीक्षक ने अभी तक अपना इस्तीफा नहीं दिया है।
- xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के प्रबंधन ने बैलेंस
- (c) As auditor, we did not receive any whistle-blower complaint during the year.
- xii) This Company is not a Nidhi Company and hence this clause of CARO 2020 is not applicable.
- xiii) The Company has not entered into any transactions with the related parties and hence compliance with sections 177 and 188 of Companies Act is not applicable on the Company.
- xiv) a) Internal Audit of the Company is being conducted on quarterly basis by a Chartered Accountant firm and the scope of audit coverage seems to be commensurate with the size and nature of its business.
 b) We have duly considered the reports of the Internal Auditors for the period under audit.
- xv) The company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with them, except for payments of salary and other perquisites as mandated in service rules for directors of a Government company.
 The Company is a Central Govt. Undertakings and its managerial remuneration to the Chairman Cum Whole Time Managing Director is as per the pay fixation prescribed by the appointing Govt. Departments i.e. Ministry of Chemical and Fertilizer. Thus the company has paid/ provided managerial remuneration only as per mandate of the Central Govt., which is itself a sufficient compliance of provisions of section 192 of Companies Act 2013.
- xvi) a) The company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.
 b) The Company has not conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance activities, and hence this clause of CARO 2020 is not applicable on Company.
 c) The Company is not a Core Investment Company (CIC) as defined under the Regulations by the Reserve Bank of India, and hence this clause of CARO 2020 is not applicable on Company.
 d) The Company is not being managed by any Group Concerns, and hence this clause of CARO 2020 is not applicable on Company.
- xvii) According to the information and explanations given to us, during the current reporting period the Company has incurred cash losses amounting to ₹6460.12 lakhs and no cash losses were incurred in the immediately preceding financial year.
- xviii) The Company is a Govt. Company and its Statutory Auditor is being appointed by CA& G of India. None of the appointed Statutory Auditor of the Company has placed its resignation so far.
- xix) According to the information and explanations given to us the



शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को चुकाने की अपनी क्षमता व्यक्त की है, हालांकि कंपनी का निवल मूल्य नकारात्मक है।

xx) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन के अनुसार कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों की प्रयोज्यता के लिए 3 में से 2 मानदंडों को पूरा करती है, तथापि, कंपनी के तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत के आधार पर सीएसआर पर खर्च की जाने वाली राशि ऋणात्मक है और इसलिए CARO 2020 का खंड 3(xx) रिपोर्टिंग वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है।

(xxi) कंपनी एक एकल इकाई है और इसका कोई समूह संबंध नहीं है और इसलिए CARO 2020 का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।

management of the Company has expressed its capability of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date though the net worth of the company is negative.

xx) According to the information and explanations given to us by the management the Company fulfills 2 out of 3 criteria for the applicability of the provisions of the Section 135 of the Companies Act, 2013 however, the amount to be spent on CSR based on the two per cent of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years is negative and therefore this clause 3(xx) of CARO 2020 is not applicable on Company during the reporting year 2023-24.

xxi) The Company is a single entity and has no group concerns and hence this clause of CARO 2020 is not applicable on Company.

कृते बीएल पुरोहित एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 311056E

ह/-
सीए सुभाष पुरोहित
भागीदार
सदस्यता संख्या : 059631
UDIN: 24059631BKGPYE3661

स्थान : गुवाहाटी
दिनांक : 24.08.2024

For B. L. PUROHIT & CO
Chartered Accountants
FRN: 311056E

S/d
CA SUBHASH PUROHIT
Partner
Membership No : 059631
UDIN: 24059631BKGPYE3661

Place : Guwahati
Date : 24.08.2024

**ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख**

**Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited
Annexure –B to the Auditors' Report**

कंपनी के सदस्यों को वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के पैराग्राफ 9.2 एफ में संदर्भित वित्तीय वर्ष 2023-24

Referred to in paragraph 9.2 f of Independent Auditor's Report to the members of the Company on the Financial Statements for the Financial Year 2023-24

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट:

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ('the Act'):

हमने 31 मार्च, 2024 तक ब्रह्मपुत्र वैली कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के साथ संयोजन में किया गया है।

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Brahmaputra Valley Corporation Limited (the Company') as of 31st March, 2024 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी:

Management's Responsibility for Internal Financial Controls:

कंपनी प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

The Company management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). The responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी:

Auditors' Responsibility:

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') और आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने गए, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों ही भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित होते हैं।

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit to Internal Financial Controls over Financial Reporting ('the Guidance Note') and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

हमारे ऑडिट में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over



के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी ऑडिट में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिम का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ:

वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो"

1. उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विवरण के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं;
2. यह उचित आश्वासन प्रदान करना कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा
3. कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ:

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control bases on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting:

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that"

1. pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company;
2. provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorization of the Management of the Company; and
3. provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting:

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

राय:

हमारी राय में, कंपनी में भौतिक मामलों में अनियमितताएं हैं, और वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण कमी की पहचान की गई थी और वित्तीय प्रतिवेदन पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहे थे, जिसमें कंपनी के खिलाफ पारित मूल्यांकन आदेशों के खिलाफ समय पर अपील दायर करना शामिल है, जिसके कारण जुर्माना लगाया गया और वित्तीय रूप से जुर्माने का प्रभाव नहीं हुआ, चालू अवधि में असंगत शेष राशि के लिए उचित रिकॉर्ड की अनुपलब्धता, आय, व्यय, संपत्ति और देनदारियों का गलत वर्गीकरण, अपर्याप्त प्रावधान, अचल संपत्तियों और भंडार का 100% भौतिक सत्यापन न करना, महत्वपूर्ण खातों का समाधान करने में विफलता, त्रुटि के कारण गलत विवरण में सुधार (जैसे मूल्यहास की गणना में) जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है

Opinion:

In our opinion, the Company has irregularities in material respects, and significant deficiency in internal financial controls system over financial reporting were identified and such internal financial controls over financial reporting were not operating effectively as at 31st March, 2024 including timely filing of appeals against the assessment orders passed against the company leading to imposition of penalties and not giving effect of the penalty in financials, non-availability of proper records for unreconciled balances in the current period, incorrect classification of income, expenses, assets and liabilities, insufficient provisioning, non-conduct of 100% physical verification of fixed assets and stores, Failure to perform reconciliations of significant accounts, correction of misstatement due to error (like in calculation of depreciation) which is based on internal control over financial reporting criteria established by the company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

के लिए एवं की ओर से
बीएल पुरोहित एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 311056E

ह/-
सुभाष पुरोहित, एफसीए
भागीदार
सदस्यता संख्या 059631
UDIN24059631BKGPYE3661

दिनांक: 24.08.2024
गुवाहाटी

FOR & ON BEHALF OF
B.L. PUROHIT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 311056E

S/d
SUBHASH PUROHIT, FCA
PARTNER
MEMBERSHIP NO. 059631
UDIN-24059631BKGPYE3661

DATE: 24.08.2024
GUWAHATI



ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक - ग

वित्तीय विवरण पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के पैराग्राफ 9.3 में संदर्भित

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश

Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited

Annexure C of the Independent Auditor's Report for the Financial Year 2023-24

Referred to in paragraph 9.3 of Independent Auditor's Report to the members of the Company on the Financial Statement Directions under section 143(5) of the Companies Act, 2013 for the Financial Year 2023-24

क्र.सं.	दिशा-निर्देश	लेखा परीक्षक टिप्पणियाँ
1.	क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खतों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ-साथ वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।	प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण और हमारे ऑडिट के आधार पर हमने पाया कि कंपनी के पास एक कम्प्यूटीकृत लेखा प्रणाली है। कंपनी अपने खतों की पुस्तकों को टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रखती है, सिवाय विनिर्माण प्रक्रिया, सामग्री प्रबंधन, अचल संपत्ति रजिस्टर और पेट्रोल प्रोसेसिंग के लेखांकन के, जो फिलहाल COBOL सिस्टम में सॉफ्टवेयर में बनाए रखा जाता है। COBOL सिस्टम से टैली सिस्टम में माइग्रेट किए गए लीगसी डेटा की जांच और सफाई की आवश्यकता है ताकि अनावश्यक और डुप्लिकेट लेजर को छांटा जा सके और उनका ध्यान रखा जा सके।
2.	क्या कंपनी के मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ ब्याज आदि को माफ/ बट्टे खाते में डालने का मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए।	प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हमने पाया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या ऋण/ उधार/ ब्याज आदि में छूट/ बट्टे खाते में डालने जैसी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

Sl.no.	Directions Auditor	Comments
1.	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT System? If yes, the implication of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	Based on the details provided by the Management and our audit we observed that the Company has a Computerized Accounting System. The company maintains its books of accounts in Tally accounting software except accounting of manufacturing process, material management, fixed assets register and payroll processing which is maintained in software in COBOL system for the time being. The legacy data from the COBOL system migrated to Tally system needs to be scrutinized and cleaned so that unnecessary and duplicate ledgers are sorted and taken care of.
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver / write off of debts / loans/ interest etc made by lender to the company due to company's inability to repay the loans? If yes, the financial impact may be stated.	Based on the details provided by the Management and our audit we observed that during the period under audit there is no restructuring of an existing loan or waiver/write off of debts /loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan.

	<p>3. क्या केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान / सब्सिडी आदि) का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/ उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।</p>	<p>प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हमने पाया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी को केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से कोई नया अनुदान प्राप्त नहीं हुआ।</p>
<p>3.</p>	<p>Whether funds (grants / subsidy etc.) received /receivables for specific scheme from Central/State agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.</p>	<p>Based on the details provided by the Management and our audit we observed that during the financial year 2023-24 no new grants were received by the Company from Central/State agencies.</p>

के लिए एवं की ओर से
बीएल पुरोहित एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
UDIN -24059631BKGPYE3661
एफआरएन 311056E

ह/-
सुभाष पुरोहित, एफसीए
भागीदार
सदस्यता संख्या 059631

स्थान: गुवाहाटी
दिनांक: 24.08.2024

FOR & ON BEHALF OF
B.L. PUROHIT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
UDIN- 24059631BKGPYE3661
FRN 311056E

S/d
SUBHASH PUROHIT,
FCA PARTNER
MEMBERSHIP NO. 059631

PLACE: GUWAHATI
DATED : 24.08.2024



ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

(सीआईएन / CIN U24123AS2002GOI006786)

31 मार्च, 2024 के अनुसार तुलन पत्र

Balance Sheet as at 31st March, 2024

(रुपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

	विवरण	PARTICULARS	टिप्पणी सं. Note No.	31 मार्च, 2024 तक As at 31 st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at 31 st March, 2023
I	इक्विटी और देयताएं	I EQUITY AND LIABILITIES			
क.	शेयरधारक निधि	A Shareholders' Funds			
(क)	शेयर पूंजी	(a) Share Capital	1	36,583.24	36,583.24
(ख)	रिजर्व और अधिशेष	(b) Reserves and Surplus	2	(68,203.31)	(69,037.52)
ख.	गैर-वर्तमान देयताएं	B Non-Current Liabilities			
(क)	दीर्घावधि उधार	(a) Long term Borrowing	3	57,275.00	57,275.00
(ख)	अन्य दीर्घावधि देनदारियां	(b) Other long-term liabilities	4	2,173.78	1,756.16
(ग)	दीर्घावधि प्रावधान	(c) Long-Term Provisions	5	2,278.37	2,616.91
ग.	वर्तमान देनदारियां	C Current Liabilities			
(क)	अल्पावधि उधार	(a) Short term Borrowing	6	64.94	2,495.80
(ख)	व्यापार भुगतान	(b) Trade Payables	7	22,922.59	21,428.62
	सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम का कुल बकाया	Total Outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		580.25	67.98
	सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम को छोड़कर अन्य लेनदारों का कुल बकाया	Total Outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		22,342.34	21,360.63
(ग)	अन्य वर्तमान देयताएं	(c) Other current liabilities	8	10,554.48	15,777.63
(घ)	अल्पकालिक प्रावधान	(d) Short-term provisions	9	223.66	663.19
	योग (क+ख+ग)	TOTAL (A+B+C)		63,872.75	69,559.05
II	परिसंपत्तिया	II ASSETS			
घ	गैर वर्तमान परिसंपत्तिया	D Non-Current Assets			
(क)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तिया	(a) Property, Plant & Equipment and Intangible Assets			
(i)	मूर्त संपत्तिया (कुल संपत्ति)	(i) Tangible Assets (Net Block)	10	16,973.50	15,101.83
(ii)	अमूर्त संपत्तिया	(ii) Intangible Assets	10	12.04	10.32
(iii)	पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	(iii) Capital work-in-progress			
क)	मूर्त	a) Tangible	10	468.20	468.20
ख)	अमूर्त	b) Intangible	10	24.50	25.25
(iv)	पूंजीगत कार्य प्रगति पर (पूंजीगत समान)	(iv) Capital work-in-progress (Capital stores)	10	553.97	682.68
(ख)	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	(b) Long-term loans and Advances	11	1,332.30	1,103.12
ड	वर्तमान परिसंपत्तिया	E Current Assets			
(क)	माल सूची	(a) Inventories	12	6,199.41	3,449.04
(ख)	व्यापार प्राप्तिया	(b) Trade Receivables	13	17,392.74	29,407.11
(ग)	नकद और बैंक शेष	(c) Cash and Bank Balances	14		
-	नकद और नकद समकक्ष	- Cash & Cash Equivalents		11,047.41	6,710.64
-	अन्य बैंक बैलेंस	- Other Bank Balances		798.25	5,796.03
(घ)	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	(d) Short-Term Loans and Advances	15	8,230.74	6,443.98
(ड)	अन्य वर्तमान परिसंपत्तिया	(e) Other Current Assets	16	839.68	360.85
	योग (घ+ड)	TOTAL (D+E)		63,872.75	69,559.05
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	Significant Accounting Policies	29		
	खातों के लिए अतिरिक्त टिप्पणियाँ	Additional Notes to Accounts	30		
	संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग है	The accompanying note forms an integral part of these Financial Statements			

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

प्रियंका कुमारी
Priyanka Kumari
कंपनी सचिव
Company Secretary

एस. सी. दास
S.C. Das
निदेशक (वित्त)
Director (Finance)
डी आई एन - 08988297
DIN - 08988297

पी के बनिक
P.K Banik
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
Chairman & Managing Director (Add Charge)
डी आई एन-10095724
DIN - 10095724

समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बीएल पुरोहित एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

As per our report of even date annexed
For BL Purohit & Co.
Chartered Accountants,

सीए, सुभाष पुरोहित
भागीदार
आईसीआईए सदस्यता सं 059631
फर्म रजि. नंबर: 311056ई
UDIN- UDIN :

CA Subhash Purohit
Partner
ICAI Membership No. : 059631
Firm Regn. No : 311056E

दिनांक: 23.08.2024
स्थान : गुवाहाटी

Dated: Guwahati
Place: 23.08.2024



ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

(सीआईएन / CIN U24123AS2002GOI006786)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, 2024

(रुपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

	विवरण	PARTICULARS	टिप्पणी सं. Note No.	31 मार्च, 2024 तक As at 31 st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at 31 st March, 2023
I	परिचालनों से राजस्व	I Revenue from Operations	17	74,896.43	114,649.60
II	अन्य आय	II Other Income	18	6,356.91	1,199.57
III	कुल आय	III Total Income		81,253.34	115,849.17
IV	व्यय	IV Expenses			
	उपभुक्त सामग्रियों की लागत	Cost of Materials Consumed	19	16,720.66	20,765.14
	स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	Purchases of Stock-in-Trade	20	17,763.29	34,297.25
	तैयार वस्तुओं की माल सूची में परिवर्तन	Changes in Inventories of Finished Goods,	21	(2,534.91)	628.02
	कार्य प्रगति पर और भंडार माल	Work in Progress and Stock in Trade	21	280.19	(419.20)
	कर्मचारी हित लाभ व्यय	Employee Benefits Expenses	22	6,059.32	5,545.99
	वित्तीय लागत	Finance Cost	23	65.97	9.63
	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	Depreciation and Amortisation Expense	10	1,513.74	3,472.76
	अन्य व्यय	Other Expenses	24,25, 26,27	47,717.61	48,677.45
	कुल व्यय	Total Expenses		87,585.86	112,977.05
V	असाधारण और असाधारण मद और कर से पहले लाभ (III-IV)	V Profit before exceptional and extraordinary items and Tax (III-IV)		(6,332.52)	2,872.12
VI	असाधारण वस्तुएँ (चूरिया की कमी)	VI Exceptional Items			
क)	पूर्व अवधि समायोजन	a) Prior period Adjustment - Expenses / (Income)	27A	(2,548.90)	434.49
ख)	चूरिया की कमी	b) Relinquishment of liability on settlement of dispute (Refer Note No. 30.11)		4,617.83	-
VII	असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (V-VI)	VII Profit before extraordinary items and Tax (V-VI)		834.20	2,437.63
VIII	असाधारण सामग्री	VIII Extraordinary Items		-	-
IX	कर पूर्व लाभ (VII-VIII)	IX Profit before Tax (VII-VIII)		834.20	2,437.63
X	कर व्यय-	X Tax Expenses			
(1)	वर्तमान कर	(1) Current Tax		-	-
(2)	आस्थगित कर	(2) Deffered Tax		-	-
XI	गत वर्ष के लिए सतत परिचालनों के लिए लाभ / (हानि) (VII-VIII)	XI Profit / (Loss) for the period from continuing operations (VII-VIII)		834.20	2,437.63
XII	परिचालन बंद करने से लाभ/(हानि)	XII Profit / (Loss) from discontinuing operations		-	-
XIII	परिचालन बंद करने के लिए कर व्यय	XIII Tax expenses for discontinuing operations		-	-
XIV	परिचालन बंद करने से लाभ/(हानि) कर के बाद (XII- XIII)	XIV Profit / (Loss) from discontinuing operations after Tax) (XII- XIII)			
XV	लाभ/हानि (XI +XIV)	XV Profit / Loss (XI +XIV)		834.20	2,437.63
	प्रति शेयर आय (रु. 1,000/- प्रति शेयर):	Earnings per share (of Rs. 1,000/- each):	28		
	प्रति शेयर मूल आय (रुपये में)	Basic Earnings per Share (Rupees)		22.80	66.63
	प्रति शेयर पतला आय (रुपये में)	Diluted Earnings per Share (Rupees)		22.80	66.63
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	Significant Accounting Policies	29		
	खातों के लिए अतिरिक्त टिप्पणियाँ	Additional Notes to Accounts	30		
	संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग है The accompanying note forms an integral part of these Financial Statements				

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

प्रियंका कुमारी
Priyanka Kumari
कंपनी सचिव
Company Secretary

एस. सी. दास
S.C. Das
निदेशक (वित्त)
Director (Finance)
डी आई एन - 08988297
DIN - 08988297

पी के बनिक
P.K Banik
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
Chairman & Managing Director (Add Charge)
डी आई एन-10095724
DIN - 10095724

समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बीएल पुरोहित एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

As per our report of even date annexed
For BL Purohit & Co.
Chartered Accountants,

सीए, सुभाष पुरोहित
भागीदार
आईसीआईए सदस्यता सं 059631
फर्म रजि. नंबर: 311056ई
UDIN- UDIN :

CA Subhash Purohit
Partner
ICAI Membership No. : 059631
Firm Regn. No : 311056E

दिनांक: 23.08.2024
स्थान : गुवाहाटी

Dated: Guwahati
Place: 23.08.2024



ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

(सीआईएन / CIN U24123AS2002GOI006786)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण

Cash Flow Statement for the Year ended as on 31st March, 2024

(रुपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	2023-24		2022-23	
प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES :				
कर पूर्व लाभ/(हानि) :	Profit/(Loss) before tax :		834.20		2,437.63
जोड़ें : प्रचालन कार्यकलाप के अलावा तथा गैर नकद मदों और अन्य के प्रचालन गतिविधियाँ	Add:Adjustments for Non Cash items & other than				
	Operating Activities				
- मूल्यहास	- Depreciation	1,513.74		3,472.76	
- भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों के पुरानेपन के लिए प्रावधान	- Provision for Obsolescence of stores & Spares	9.90		41.20	
- छुट्टी के नकद भुगतान के लिए प्रावधान	- Provision for Leave Encashment	492.50		373.43	
- उपदान के लिए प्रावधान	- Provision for Gratuity	559.56		274.46	
- प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों की तुलना में बढ़े खाते में डाली गई नीयत परिसंपत्तिया	- Fixed Assets written off against replaced assets	127.86		42.10	
अचल पूंजीगत समान के लिए प्रावधान	Provision for Unmoved Capital Stores	-		8.09	
वापस लिखी गई परिसंपत्तियों हेतु कोई प्रावधान अपेक्षित नहीं	Provision no longer required written back	-		-	
वापिस लिखी देयताएं	Liability Written back	(2,721.52)		(34.99)	
वापस लिखी गई मूल्यहास राशि	Depreciation written back	(2,710.21)		(152.23)	
आस्थगित कर देयताएं	Provision for doubtful Debts / advances	-		47.58	
बढ़े खाते में संपत्ति	Assets Write off (Net)	(13.23)		442.49	
			(2,741.40)	-	4,514.90
कार्यशील पूंजी परिवर्तन, कर और असाधारण मदों से पूर्व प्रचालन से नकद प्रवाह	Cash flow from Operation Before Working Capital Changes, Taxes & Extraordinary Items		(1,907.19)		6,952.53
कार्यशील पूंजी परिवर्तनो के लिए समायोजन:	Adjustments for Working Capital changes :				
व्यापार और अन्य प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	- (Increase)/Decrease in Trade and Other Receivable	12,014.37		(26,780.79)	
- माल सूची में (वृद्धि)/कमी	- (Increase)/ Decrease in Inventory	(2,760.27)		(589.33)	
- व्यापार देय और अन्य देयता में वृद्धि/(कमी)	- Increase/(Decrease) in Trade Payable and other payables	(3,799.00)		15,870.00	
- अग्रिम और अन्य चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि	- Increase in Advance & other Current Assets	(2,265.59)		(769.68)	
- पूंजीगत समान में वृद्धि	- Increase in Capital stores	(100.48)		(105.17)	
- उपदान और अवकाश का नकद भुगतान	- Gratuity and Leave encashment paid	(1,052.06)	2,036.98	(1,443.42)	(13,818.40)
			129.78		(6,865.87)

असाधारण मदें	Extra ordinary items	-		-	
प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह (क)	Cash Inflow from Operating Activities(A)		129.78		(6,865.87)
निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह :	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :				
नीयत परिसंपत्तियों की खरीद	Purchase of Fixed Assets		(790.04)		(357.54)
सीडब्ल्यूआईपी के लिए अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Advances for CWIP		(0.75)		(311.51)
निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह (ख)	Cash Outflow from Investing Activities (B)		(790.79)		(669.05)

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

प्रियंका कुमारी
Priyanka Kumari
कंपनी सचिव
Company Secretary

एस. सी. दास
S.C. Das
निदेशक (वित्त)
Director (Finance)
डी आई एन - 08988297
DIN - 08988297

पी के बनिक
P.K Banik
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
Chairman & Managing Director (Add Charge)
डी आई एन-10095724
DIN - 10095724

समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बीएल पुरोहित एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

As per our report of even date annexed
For BL Purohit & Co.
Chartered Accountants,

सीए, सुभाष पुरोहित
भागीदार
आईसीआईए सदस्यता सं 059631
फर्म रजि. नंबर: 311056ई
UDIN- UDIN :

CA Subhash Purohit
Partner
ICAI Membership No. : 059631
Firm Regn. No : 311056E

दिनांक: 23.08.2024
स्थान : गुवाहाटी

Dated: Guwahati
Place: 23.08.2024



ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

(सीआईएन / CIN U24123AS2002GOI006786)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण

Cash Flow Statement for the Year ended as on 31st March, 2024

(रूपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	2023-24	2022-23
वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह :	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :-	-	-
नकद और नकद समकक्ष में निवल नकद वृद्धि: (क +ख+ग)	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS: (A+B+C)	(661.01)	(7,534.92)
वर्ष के प्रारम्भ में नकद और नकद समकक्ष :	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR :	12,506.67	20,041.59
वर्ष के अन्त में नकद और नकद समकक्ष	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR :	11,845.66	12,506.67

Notes:

- Cash and Cash Equivalents include :

Cash & Bank Balances, Short term and other deposits, which are highly liquid and encashable as and when needed.

- Purchase of fixed assets has been shown net of adjustments.

- Cash Flow Statement has been prepared under the "Indirect method" as set-out in Accounting Standard (AS) - 3 on Cash Flow Statement issued by ICAI

- Previous Year's figures have been regrouped / rearranged, wherever found necessary to confirm to current year's presentation.

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

प्रियंका कुमारी
Priyanka Kumari
कंपनी सचिव
Company Secretary

एस. सी. दास
S.C. Das
निदेशक (वित्त)
Director (Finance)
डी आई एन - 08988297
DIN - 08988297

पी के बनिक्
P.K Banik
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
Chairman & Managing Director (Add Charge)
डी आई एन-10095724
DIN - 10095724

समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बीएल पुरोहित एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

As per our report of even date annexed
For BL Purohit & Co.
Chartered Accountants,

सीए, सुभाष पुरोहित
भागीदार
आईसीआईए सदस्यता सं 059631
फर्म रजि. नंबर: 311056ई
UDIN- UDIN :

CA Subhash Purohit
Partner
ICAI Membership No. : 059631
Firm Regn. No : 311056E

दिनांक: 23.08.2024
स्थान : गुवाहाटी

Dated: Guwahati
Place: 23.08.2024

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

(सीआईएन / CIN U24123AS2002GOI006786)

वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2023-24

(रुपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2024 तक As at 31 st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at 31 st March, 2023
टिप्पणी 1 : शेयर पूंजी प्राधिकृत पूंजी : प्रत्येक रु. 1,000/- के - 5,100,000 इक्विटी शेयर	NOTE 1 : SHARE CAPITAL Authorised Capital : 5,100,000 Equity Shares of Rs. 1,000/- each	51,000.00	51,000.00
जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी: प्रमोटरों का योगदान प्रत्येक रु. 1,000/- के 100 इक्विटी शेयर पुनरुद्धार के लिए भारत सरकार से नकद में प्राप्त इक्विटी प्रत्येक 1,000/- रूपए के 588000 के इक्विटी शेयर।	Issued, Subscribed & Paid up Capital : Promoters' Contribution 100 Equity Shares of Rs. 1,000/- each Equity received in cash from GoI against Revamp 588000 Equity Shares of Rs. 1,000/- each	1.00 5,880.00	1.00 5880.00
अन्य प्रत्येक 1,000/- रूपए के 3,070,224 इक्विटी शेयर 01.04.2002 से हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 05.04.2002 को निवल परिसंपत्तियों के अंतरण के लिए जारी किया गया।	Others 3,070,224 Equity Shares of Rs. 1,000 /- each issued against transfer of Net Assets as at 05.04.2002 w.e.f. 01.04.02 from Hindustan Fertilizer Corporation Ltd.	 30,702.24	 30,702.24
		36,583.24	36,583.24

(i) वर्ष की शुरुआत और अंत में शेयरों की संख्या और (i) Reconciliation of the number of shares and amount outstanding at the beginning and at the
बकाया राशि का मिलान : end of the year : (रुपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2024 तक As at 31 st March, 2024		31 मार्च, 2023 तक As at 31 st March, 2023	
		Number of Shares	Amount (Rs.in Lakhs)	Number of Shares	Amount (Rs.in Lakhs)
वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयर जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किया गया वर्ष के अंत में शेष राशि	Equity Shares at the beginning of the year Add : Issued during the year Balance at the end of the year	3658324 - 3658324	36,583.24 - 36583.24	3658324 - 3658324	36,583.24 - 36583.24

ii) 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक ii) Details of Equity shares held by each share holder holding more than 5% shares :

शेयर धारकों के नाम शेयरधारक द्वारा धारित इक्विटी (रुपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

शेयरों का विवरण:	Name of share holders	31 मार्च, 2024 तक As at 31st March, 2024		31 मार्च, 2023 तक As at 31st March, 2023	
भारत के राष्ट्रपति	President of India	धारित शेयरों की संख्या Number of Shares held	धारण का प्रतिशत Percentage of holding	धारित शेयरों की संख्या Number of Shares held	धारण का प्रतिशत Percentage of holding
		3658324	100%	3658324	100%



iii) वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर		iii) Shares held by promoters at the end of the year	
प्रमोटरों का नाम	Promoters Name	31.03.2024 को शेयरों की संख्या No. of shares as on 31.03.2024	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares
भारत के राष्ट्रपति	President of India	3658324	100%

कंपनी के पास केवल एक ही वर्ग के इक्विटी शेयर हैं जिनका मूल्य 1000 रुपये प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक कंपनी की शेष संपत्ति लेनदारों को वितरण के बाद और सभी तरजिही राशियों को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

The Company has only one class of equity shares having par value of Rs 1000 per share. Each share holder is entitled to one vote per share. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the Company after distribution to creditors and all preferential amounts, in proportion to their shareholding.”

(रुपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च , 2024 तक As at 31 st March,2024	31 मार्च , 2023 तक As at 31 st March,2023
टिप्पणी 2 :आरक्षित और अधिशेष	NOTE 2 : RESERVES AND SURPLUS		
लाभ और हानि का विवरण	Statement of Profit and Loss		
आरम्भिक शेष	Opening Balance	(69,037.52)	(71,475.15)
जमा: वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)	Add: During the year Profit/(Loss)	834.20	2,437.63
कुल	Total	(68,203.31)	(69,037.52)
टिप्पणी 3 :दीर्घावधि ऋण	NOTE 3 : LONG-TERM BORROWINGS		
भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण	Interest free unsecured loan from GoI	57,275.00	57,275.00
कुल	Total	57,275.00	57,275.00
टिप्पणी 4 :अन्य दीर्घावधि देनदारियाँ	NOTE 4 : OTHER LONG-TERM LIABILITIES		
सुरक्षा जमा राशि		2,173.78	1,756.16
कुल	Total	2,173.78	1,756.16
टिप्पणी 5 : दीर्घावधि प्रावधान	NOTE 5 : LONG-TERM PROVISIONS		
कर्मचारी हित लाभ के लिए प्रावधान	Provisions for Employee Benefits		
उपदान के लिए प्रावधान	Provision for Gratuity	1,475.92	1,756.27
छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	Provision for Leave Encashment	802.45	860.64
कुल	Total	2,278.37	2616.91
टिप्पणी 6: अल्पकालिक देनदारियाँ	NOTE 6 : SHORT-TERM BORROWING		
बैंक अधिविकर्ष	Bank Overdraft	-	2,495.80
बुक अधिविकर्ष	Book Overdraft	64.94	-
		64.94	2,495.80

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

(सीआईएन / CIN U24123AS2002GOI006786)

वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2023-24

(रूपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS		31 मार्च, 2024 तक As at 31 st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at 31 st March, 2023
टिप्पणी 7 :व्यापार देयताएं	NOTE 7 : TRADE PAYABLES			
क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	a) Total Outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		580.25	67.98
ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	b) Total Outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		22,342.34	21,360.63
कुल	Total		22,922.59	21,428.62
टिप्पणी 8 :अन्य वर्तमान देयता	NOTE 8 : OTHER CURRENT LIABILITIES			
आस्थगित सरकारी अनुदान - सामान्य	Deffered Government Grant - General		6,955.94	9,123.71
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	Opening Balance of Grant	9,123.71		
जमा :- अप्रयुक्त अनुदान पर अर्जित ब्याज	Add:- Interest Accrued on Unutilized Grant	391.11		
घटाएँ :- लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्यता प्राप्त सरकारी अनुदान	Less:- Govt Grant recognised in Statement of Profit & Loss Account along with GST on Goods & services	(2,558.87)		
पूंजी संचय	Capital Reserve		-	-
सांविधिक प्रेषण (पीएफ, वैट कर, उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर, जीएसटी आदि में योगदान)	Statutory remittances (Contributions to PF, VAT Withholding taxes, Excise Duty, VAT, Service Tax, GST etc)		155.36	301.56
ग्राहकों से अग्रिम	Advances from Customers		1,495.92	2,682.20
अन्य	Others			
i) व्यापार देयताओं के अलावा विविध लेनदार#	i) Sundry Creditors other than Trade Payables		314.64	2,238.93
ii) व्यय देयता@	ii) Liability for Expenses		1,320.18	864.82
iii) अन्य देयताएँ\$	iii) Other Liabilities		312.42	566.41
कुल	Total		10,554.48	15,777.63
संयंत्रों की मरम्मत और रखरखाव के लिए भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 10,000 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान अर्जित/प्राप्त	An amount of Rs 10,000 lakh have been received during the financial year 2021 - 22 from GoI for repair & Maintenance of plants. Interest accrued/received during the financial year 2021-22, 2022-23 & 2023-24 is Rs. 80.66 lakh , Rs. 412.72 lakhs & Rs.391.11 Lakhs respectively. An amount of Rs. 2558.87 lakhs (Rs. 2227.70 lakhs charged to Profit & Loss A/c along with			



ब्याज क्रमशः 80.66 लाख रुपये, 412.72 लाख रुपये और 391.11 लाख रुपये है। 2558.87 लाख रुपये की राशि (लाभ और हानि खाते में 2227.70 लाख रुपये के साथ जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट 331.17 लाख रुपये) के अलावा पिछले वर्ष के लिए 206.24 लाख रुपये का जीएसटी क्रेडिट भी वित्तीय वर्ष के दौरान लाभ और हानि पर चार्ज किया गया था (पिछले वर्ष 57.20 लाख रुपये की राशि के जीएसटी क्रेडिट के उत्क्रमण सहित 402.41 लाख रुपये)। तथापि, नकद आधार पर भुगतान के लिए 4842.80 लाख रुपए की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग को प्रस्तुत कर दिया गया है। (लेखा टिपण्णी की टिपण्णी संख्या

GST input tax credit of Rs. 331.17 lakhs) in addition to the same the GST credit of Rs.206.24 lakhs for the Previous Year was also charged to Profit and Loss during the financial year (Previous year Rs 402.41 lakh including reversal of GST credit of an amount of Rs. 57.20 lakhs) . However Utilization certificate of an amount of Rs. 4842.80 lakh has been submitted to the DoF for payment made on cash basis. (Refer Note No.- 30.9 of notes to accounts)

(रुपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

टिपण्णी 9: अल्पावधि प्रावधान	NOTE 9 : SHORT TERM PROVISIONS			
उपदान का वर्तमान बकाया	Current dues of Gratuity	161.92	483.62	
अवकाश नकदीकरण का वर्तमान बकाया	Current dues of Leave encashment	61.74	179.57	
कुल	Total	223.66	663.19	

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए व्यापार देय राशि का आयुवार विवरण

Age wise break-up of Trade Payables for the F.Y. 2023-24

(रुपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	Particulars	1 वर्ष से कम Less than 1 year	1 से 2 वर्ष 1-2 years	2 से 3 वर्ष 2-3 years	3 वर्ष से अधिक More than 3 years	कुल Total
(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	(i) MSME	574.25	6.00			580.25
(ii) अन्य	(ii) Other	22,284.67	17.39	11.89	28.39	22,342.34
(iii) विवादित बकाया - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	(iii) Disputed Dues - MSME					-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	(iv) Disputed Dues - others				-	
कुल	Total	22,858.92	23.39	11.89	28.39	22922.59

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए व्यापार देय राशि का आयुवार विवरण

Age wise break-up of Trade Payables for the F.Y. 2022-23

(रुपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	Particulars	1 वर्ष से कम Less than 1 year	1 से 2 वर्ष 1-2 years	2 से 3 वर्ष 2-3 years	3 वर्ष से अधिक More than 3 years	कुल Total
(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	(I) MSME	67.98	-	-	-	67.98
(ii) अन्य	(ii) Other	17,085.03	2.95	35.45	2.67	17,126.10
(iii) विवादित बकाया - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	(iii) Disputed Dues - MSME	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	(iv) Disputed Dues - others	2,549.16	1,685.38	-	-	4,234.54
कुल	Total	19702.17	1688.333	5.45	2.67	21428.61

टिप्पणी 10 : संपत्ति, सयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति NOTE 10 : Property, Plant & Equipment and Intangible Asse

(रुपये लाखों)
(Rs. in lakhs)

विवरण	लागत / C O S T						मूल्यहास/DEPRECIATION						निवल ब्लॉक/ NET BLOCK	
	01.04.2023 को As on 01.04.2023	प्रतिस्थापन में कटौती Deduction for Replac- ement	भट्टे खाते में डालने के लिए कटौती Deduction for Adjustment	31.03.2024 को As at 31.03.2024	01.04.2023 को As on 01.04.2023	के दौरान प्रदान किया गया Provided During the	पिछले वर्ष के मूल्यहास समायोजन Adjustment of depreciation	मूल्यहास बढ़े खाते में प्रतिस्थापन Dep. W/off Replacement	परिपंक्तिों के मूल्यहास के निरा अवमूल्यन Dep W/off Depreciation of Assets	31.03.2024 तक कुल Total upto 31.03.2024	31.03.2024 को As on 31.03.2024	31.03.2023 को As on 31.03.2023		
A. TANGIBLE ASSETS														
क. मूर्त परिसंपत्तियां	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
भूमि														
फ्रीहोल्ड	176.95	-	-	-	176.95	-	-	-	-	-	176.95	176.95		
बिल्डिंग्स	3,996.66	-	-	-	3,996.66	3,698.27	11.69	(32.63)	3,677.33	3,19.33	298.38	298.38		
विद्युत स्थापना	260.71	12.71	-	-	273.42	239.67	1.00	(0.17)	-	240.50	32.92	21.04		
सयंत्र और मशीनरी	105,157.06	728.29	(302.19)	10.91	105,594.07	91,256.21	1,417.07	(2,553.94)	(175.28)	89,944.06	15,650.01	13,900.84		
उत्प्रेरक	0.05	-	-	0.05	-	0.02	-	-	0.02	0.03	0.05	-		
एनपीके 19 : 19 : 19	21.47	-	-	-	21.47	0.68	0.26	-	-	0.96	20.51	21.45		
फैक्टरी और कार्यालय उपकरण	561.23	-	-	(1.65)	559.58	478.85	8.32	(1.37)	(0.26)	485.54	74.04	82.38		
फर्नीचर और फिक्स्चर	277,973.06	-	-	(0.46)	280.57	221.16	6.10	(4.68)	-	222.58	57.99	56.81		
कंप्यूटर	198.97	15.41	(4.42)	4.95	214.91	164.73	4.43	11.75	(0.63)	176.08	38.83	34.24		
वाहन	299.34	24.85	-	(0.63)	323.56	255.35	8.30	0.04	(0.04)	263.65	59.91	43.98		
सड़कें, पुल एवं पुलिया	238.15	-	-	-	238.15	216.45	3.43	(3.49)	-	216.39	21.76	21.70		
रेलवे साइडिंग	2,264.78	-	-	-	2,264.78	1,903.01	33.41	(104.55)	-	1,831.87	432.91	361.77		
जल प्रणाली	583.34	-	-	-	583.34	501.11	15.29	(21.40)	-	88.33	82.22	-		
योग (क)	114,036.66	784.32	(306.60)	13.13	114,527.51	98,934.83	1,509.74	(2,710.18)	(179.48)	97,553.98	16,973.50	15,101.83		
B. INTANGIBLE ASSETS														
ख. अमूर्त परिसंपत्तियां														
सॉफ्टवेयर	45.26	5.72	-	-	50.98	34.94	4.00	-	-	38.94	12.04	10.32		
योग (ख)	45.26	5.72	-	-	50.98	34.94	4.00	-	-	38.94	12.04	10.32		
TOTAL (A+B)	114,081.92	790.04	(306.60)	13.13	114,578.49	98,969.77	1,513.74	(2,710.21)	(179.48)	97,592.92	16,985.54	15,112.15		
पिछले वर्ष	114,232.37	357.54	(65.49)	(442.49)	114,081.93	95,672.63	3,472.76	(152.23)	(23.39)	98,969.78	15,112.15	-		
ग. पूंजीगत कार्य														
प्रगति पर है														
क) मूर्त														
एसएसपी सयंत्र	3.91	-	-	-	3.91	-	-	-	-	-	3.91	-		
नामस्थ - IV	457.17	-	-	-	457.17	457.17	-	-	-	7.12	7.12	-		
सौर ऊर्जा परियोजना	7.12	-	-	-	7.12	-	-	-	-	-	468.20	-		
कुल (क)	468.20	-	-	-	468.20	-	-	-	-	-	468.20	-		
ख) अमूर्त														
एसएपी	24.50	-	-	-	24.50	-	-	-	-	-	24.50	-		
मानव संसाधन और प्रबंधन	0.75	-	(0.75)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75		
कुल (ख)	25.25	-	(0.75)	-	24.50	-	-	-	-	-	24.50	25.25		
कुल पा = (क+ख)	493.45	-	(0.75)	-	492.70	-	-	-	-	-	492.70	493.45		
घ. पूंजीगत कार्य प्रगति पर (पूँजी भंडार)														
D. CAPITAL WORK IN PROGRESS (CAPITAL STORES)														
विवरण	Particulars	Opening Balance	Purchase	Issue	Provisions	Closing balance				Closing balance	Closing balance			
		01.04.23			31.03.2024					31.03.2024				
पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	Capital work in progress	980.69	139.77	(253.26)	553.97					553.97	682.68			
योग (घ)	Total of 'D'	980.69	139.77	(253.26)	553.97					553.97	682.68			
उप टिप्पणी 10: संपत्ति, सयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति														
1. 5 अप्रैल, 2002 को हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड से ली गई अवल संपत्तियों। Includes original cost and corresponding accumulated depreciation on Fixed Assets taken over from Hindustan Fertilizer Corporation Limited as on 5th April, 2002.														
2. मूल्यहास उलटवा करवा गया है अन्यथा नीचे दिये गए अनुसार लिखा/पुनः लिखा गया है। Depreciation has been provided or otherwise charged/written-back as detailed below :-														
वर्ष	Year	2023 - 24	2022 - 23											
लाभ और हानि का विवरण	Statement of Profit & Loss	1,513.74	3,472.76											
योग	Total	1,513.74	3,472.76											



3. कंपनी ने 31 मार्च, 2024 तक एक आंतरिक तकनीकी समिति की दिनांक 13.06.24 की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिस्थापित अचल परिसंपत्तियों के लिखित मूल्य के संबंध में वर्ष (पिछले वर्ष 42.10 लाख रुपये) के दौरान 127.12 लाख रुपये (मूल्यहास के बाद शुद्ध) को लिखा है क्योंकि बही मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका था, ऐसी प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों का बड़ा हिस्सा पिछले वर्षों से संबंधित है।

4. चालू वर्ष के दौरान कंपनी ने एफएआर और ट्रेल बैलेंस के अनुसार संचित मूल्यहास और नेट ब्लॉक के बीच अंतर की पहचान की। पिछले कई वर्षों से खातों की पुस्तकों में मूल्यहास अधिक लगाया गया था। एफएआर और ट्रेल बैलेंस के अनुसार मूल्यहास से मिलान करने के लिए चालू वर्ष में इसे ठीक किया गया। इसके अलावा यह देखा गया है कि कुछ परिसंपत्तियों के मामले में मूल्यहास अधिक लगाया गया है। चालू वर्ष में सुधार किया गया है और लगाए गए अतिरिक्त मूल्यहास को आय के रूप में दर्ज किया गया है। मूल्यहास के प्रावधान को समायोजित करके पिछली अवधि क्रेडिट की पहचान की गई है और इसे ठीक किया जा सकता है।

3. The company has written off Rs. 127.12 lakhs (net of depreciation) during the year (Previous year Rs. 42.10 lakhs) towards written down value of replaced fixed assets on the basis of report dated 13.06.24 of an inhouse technical committee as on 31st March, 2024 since book value was not ascertainable, major part of such replaced assets related to earlier years.

4. During the current year the company identified the difference between the Accumulated depreciation & Net Block as per FAR and as per Trail Balance. The depreciation was over charged in books of accounts over years. Same was rectified in the current year to match the Depreciation as per FAR and Trail Balance. Further it is noticed that in case of some of the assets the deprecation has been over charged. The rectification has been done in the current year and excess depreciation charged has been booked as income Depreciation past period Credits by adjusting the provision for depreciation to the extent it has been identified and can be rectified.

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

(सीआईएन / CIN U24123AS2002GOI006786)

वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2023-24

(रूपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2024 तक As at 31 st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at 31 st March, 2023
टिप्पणी 11 : दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	NOTE 11 : LONG-TERM LOAN AND ADVANCES		
क. पूंजीगत अग्रिम	A. Capital Advances		
रक्षित, जिन्हें अच्छा माना गया	Secured, considered good	-	-
अरक्षित, जिन्हें अच्छा माना जाता	Unsecured, considered good	-	0.01
ख. अन्य	B. Others		
गारंटी जारीकर्ता के विरुद्ध अंतर राशि के रूप में	Deposit held as margin money against gurantee issuer	1,230.61	1,000.00
जमा राशि	Security Deposit	65.23	68.63
प्रीपेड खर्चे	Prepaid expenses	36.46	34.48
संदिग्ध	Doubtful	28.65	28.98
घटाए: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful advances	(28.65)	(28.98)
कुल	Total	1,332.30	1,103.12
टिप्पणी 12 : वस्तुसूची	NOTE 12 : INVENTORIES		
मध्यवर्ती उत्पाद (अमोनिया) (मूल्य न्यूनतम लागत या निवल प्राप्ति मूल्य पर)	Intermediaries product (Ammonia) (valued at lower of cost or net realisable value)	202.66	482.85
तैयार उत्पाद (व्यापार की प्राप्ति के अलावा)	Finished Products (other than those acquired for Trading)	2,058.06	138.60
व्यापारित उत्पादों का स्टॉक	Stock of traded Products	973.00	103.86
अन्य	Others		
(न्यूनतम लागत या निवल प्राप्ति मूल्य पर)	(valued at lower of cost or net realisable value)		
एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक	Stock of LPG Cylinder	1.94	2.47
निरीक्षण के तहत भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	Stores & Spares under inspection	367.09	0.98
मार्गस्थ में भंडार	Stores in Transit	-	168.20
कुल (क)	Subtotal (A)	3,602.55	896.95
भण्डारण और अतिरिक्त पुर्जे (लागत पर)	Stores and spares (At cost)	4,117.41	3,975.95
पैकिंग सामग्री का स्टॉक (लागत पर)	Stock of packing materials (at cost)	72.13	203.30
घटाए :	Less :		
क) पुरानेपन और इंपेयरमेंट के लिए प्रावधान	a) Provision for obsolescence & Impairment	(1,338.00)	(1,343.32)
ख) बैग की कमी के लिए प्रावधान	b) Provision for shortage of Bags	-	(30.67)
ग) तैयार उत्पादों की कमी के लिए प्रावधान	c) Prov. For shortage of Finished products	(253.17)	(253.17)
घ) व्यापारिक उत्पादों की कमी के लिए प्रावधान	d) Prov. For shortage of Trading Products	(1.30)	-
कुल (ख)	Subtotal (B)	2,596.86	2,552.09
कुल (क+ख)	Total (A+B)	6,199.41	3,449.04



वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान तैयार माल, मध्यवर्ती वस्तुओं और पैकिंग सामग्री (एचडीपीई बैग) का भौतिक सत्यापन किया गया और पाई गई विसंगतियों/क्षतियों को सही ढंग से खातों में समायोजित किया गया।

कंपनी ने स्टोर्स और स्पेयर्स की इन्वेंटरी के लिए आयु-आधारित प्रावधान बनाने की एक व्यापक नीति तैयार की है, जैसा कि टिप्पणी संख्या 29.7 में उल्लेख किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, तैयार माल की इन्वेंटरी में ₹253.17 लाख की कमी पाई गई। निदेशक मंडल (BoD) के निर्देशानुसार, इन्वेंटरी का मूल्य पुस्तकों में दर्ज किया गया और समान राशि का प्रावधान कमी के मूल्य के बराबर बनाया गया। इसके बाद, वित्तीय वर्ष 2022-23 में, समिति की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर इन्वेंटरी का लेखा किया गया। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 की यूरिया की कमी से संबंधित इन्वेंटरी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के उपभोग में डेबिट किया गया। हालांकि, इस संदर्भ में बनाया गया प्रावधान पुस्तकों में बना रहा। यह त्रुटि वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹253.17 लाख की राशि से इन्वेंटरी बढ़ाकर और पूर्व वर्ष के उपभोग (यूरिया की कमी) को उसी सीमा तक क्रेडिट करके सुधारी गई।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान, स्टोर्स और स्पेयर्स के भौतिक सत्यापन में विसंगतियां पाई गईं और तदनुसार ₹30.67 लाख की राशि को बैग की कमी के प्रावधान के रूप में पुस्तकों में दर्ज किया गया। हालांकि, यह देखा गया कि पुस्तकों में ऐसा कोई संबंधित स्टॉक नहीं है जिसके लिए यह प्रावधान बनाया गया था। इसलिए, इस प्रावधान को रद्द कर दिया गया।

वर्तमान वर्ष के दौरान, व्यापारिक उत्पादों की कमी के लिए ₹1.30 लाख का प्रावधान बनाया गया है।

Physical verification of Finished Goods, Intermediaries, and Packing Materials (HDPE Bags) have been carried out during the financial year 2023 - 24 and discrepancies/ damages found have been properly dealt with in the accounts.

The company has formulated a comprehensive policy for age wise provisioning for inventories of Stores and spares as stated in Note no 29.7.

During the FY 2021-22, shortage of inventory of finished goods amounting to Rs 253.17 lakhs were identified and as per the directives of the BoD the value of inventory was carried in the books and a corresponding provision against the same was created for the amount equivalent to the value of shortage. Subsequently in the FY 2022-23 the inventory was accounted based on the physical verification report of the committee hence the inventory pertaining to the shortage of urea for FY 2021-22 was charged off to consumption of the FY 22-23. However the provision created existed in the books of account. The error has been rectified in the FY 23-24 by increasing the inventory by the amount of Rs. 253.17 and crediting the prior year material consumed (shortage of urea) to that extent.

During the FY 2010-11 discrepancies were noticed during physical verification of stores and spares and accordingly an amount of Rs. 30.67 lakhs was provided for in the books as Provision for shortage of Bags. However it is noticed that no corresponding inventory is carried in the books for which the provision is created. Therefore the provision is written back.

During the current year a provision of Rs.1.30 lakhs has been created against shortage of trading products.

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

(सीआईएन / CIN U24123AS2002GOI006786)

वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2023-24

(रूपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2024 तक As at 31 st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at 31 st March, 2023
टिप्पणी 13 :व्यापार प्राप्तियां	NOTE 13 : TRADE RECEIVABLES		
भुगतान के लिए देय तारीख से छह माह से अधिक की अवधि की बकाया प्राप्तियां	Trade receivables outstanding for a period more than six months from the date they were due for payment		
राजसहायता (भारत सरकार)	Subsidy (Government of India)	1352.34	741.90
अन्य	Others	544.75	4186.10
		1897.09	4928.00
छह माह से कम अवधि व्यापार प्राप्तियां	Trade Receivable less than six months		
राजसहायता (भारत सरकार)	Subsidy (Government of India)	14108.33	23701.63
अन्य	Others	1484.05	874.21
		15592.38	24575.84
संदिग्ध प्राप्तियों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful receivables	-96.73	-96.73
		15495.65	24479.11
कुल	Total	17392.74	29407.11
व्यापार प्राप्तियां का योग :	Aggregate of Trade receivables :		
अरक्षित, जिन्हें अच्छा माना गया है	Unsecured, Considered good	17392.74	29407.11
अरक्षित, जिन्हें संदिग्ध माना गया है	Unsecured Considered doubtful	96.73	96.74
संदिग्ध प्राप्तियों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful receivables	-96.73	-96.74
		17392.74	29407.11

टिप्पणी 1: - व्यापार प्राप्तियां - सब्सिडी (भारत सरकार) में भारत सरकार से प्राप्त करने योग्य सब्सिडी शामिल है, जो ₹12,076.43 लाख (पिछले वर्ष ₹8,817.59 लाख) की है, जो पीओएस से मंजूरी के अधीन है।

टिप्पणी 2: - व्यापार प्राप्तियों में ₹127.97 लाख (पिछले वर्ष ₹127.97 लाख) शामिल हैं, जो 2016 से विपणन विभाग द्वारा प्रबंधित सात केएसके और दो निजी पक्षों द्वारा प्रबंधित केएसके से प्राप्त करने योग्य हैं। विपणन विभाग ने केएसके से किसी भी सामग्री को उधार पर नहीं बेचा है, और भुगतान बीवीएफसीएल खाते में जमा किए गए हैं। हालांकि, इसका समायोजन प्रक्रिया में है और इसे बहुत जल्द पूरा करने की उम्मीद है।

टिप्पणी 3: - व्यापार प्राप्तियों में ₹1.78 लाख (पिछले वर्ष ₹1.78 लाख) शामिल हैं, जो डीलर कोड 1001 के तहत वर्मी की खुदरा बिक्री से संबंधित हैं। विपणन विभाग ने किसी भी सामग्री को उधार पर नहीं बेचा है। यह खाता 6 साल पहले के लेनदेन को दर्शाता है और तब से खाते की शेष राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कंपनी इसका समायोजन प्रक्रिया में है, और समायोजन के बाद आवश्यक प्रविष्टियों की जाएंगी।

Note 1 :- Trade Receivable - Subsidy (Government of India) includes Subsidy receivable from Government of India amounting to Rs. 12076.43 lakhs (previous year Rs. 8817.59) which is subject to clearance from POS.

Note 2:- Trade receivables include Rs. 127.97 Lakhs (Previous year Rs. 127.97 Lakhs) on account of receivable from seven numbers of KSK managed by Marketing Department since 2016 and two number of KSK managed by private parties. Marketing Department has not sold any materials from KSK on credit and the payments were deposited in BVFCL account. However the reconciliation of the same is under process and expected to be completed very soon.

Note 3:- Trade receivables include Rs. 1.78 Lakhs (Previous year Rs. 1.78 Lakhs) from retail sale of Vermi-under dealer code 1001. Marketing Department has not sold any materials on credit. The account represents the transactions 6 years earlier and since then there is no change in the account balance. The company is in the process of reconciliation of the same, necessary entries will be passed after reconciliation.



टिपण्णी 4: - सब्सिडी (भारत सरकार) ₹1,352.24 लाख से अधिक की राशि में छह महीने से अधिक समय से बकाया है, जिसमें ₹694.31 लाख (पिछले वर्ष ₹694.31 लाख) शामिल हैं, जो जनवरी 2017 से अक्टूबर 2017 तक की अवधि के लिए 5% शेष सब्सिडी दावा के रूप में पांच साल से अधिक समय से बकाया है। कंपनी ने उक्त राशि, जो एफआईसीसी, डीओएफ से प्राप्त करने योग्य है, के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं किया है।

Note 4:- Subsidy (Government of India) outstanding for more than six months amounting to Rs. 1352.24 lakhs includes Rs. 694.31 lakhs (Previous year 694.31 lakhs) outstanding for more than 5 years on account of 5% balance claim of subsidy for the period from January 2017 to October 2017. Company has not made any provision against the said amount being receivable from FICC, DOF.

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए व्यापार प्राप्तियों का आयुवार विवरण

Age wise break-up of Trade Receivables for the F.Y. 2023-24

(रूपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	Particulars	6 माह से कम	1 वर्ष से कम Less than 1 year	1 से 2 वर्ष 1-2 years	2 से 3 वर्ष 2-3 years	3 वर्ष से अधिक More than 3 years	कुल Total
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य	(i) Undisputed Trade	15,592.38	204.22	706.25	140.92	802.93	17,446.70
	Receivables						
ii) विवादित प्राप्य	(ii) Disputed receivables	-	-	42.77	-	-	42.77
कुल	Total	15592.38	204.22	749.02	140.92	802.93	17489.47

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए व्यापार प्राप्तियों का आयुवार विवरण

Age wise break-up of Trade Receivables for the F.Y. 2022-23

(रूपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	Particulars	6 माह से कम	1 वर्ष से कम Less than 1 year	1 से 2 वर्ष 1-2 years	2 से 3 वर्ष 2-3 years	3 वर्ष से अधिक More than 3 years	कुल Total
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य	(i) Undisputed Trade	24575.84	3899.69	177.10	2.73	805.47	29460.83
	Receivables						
ii) विवादित प्राप्य	(ii) Disputed receivables	0.00	43.02	0.00	0.00	0.00	43.02
कुल	Total	24575.84	3942.71	177.10	2.73	805.47	29503.85

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

(सीआईएन / CIN U24123AS2002GOI006786)

वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2023-24

(रुपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2024 तक As at 31 st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at 31 st March, 2023
टिप्पणी 14 : नकद और नकद समतुल्य	NOTE 14 : CASH AND BANK BALANCES		
क) नकद और नकद समतुल्य	A) Cash and Bank Balances	11,047.41	6,710.64
ख) बैंक के बकाया	B) Balances with Bank		
सावधि जमा खातों में बकाया, धनराशि, उधार और अन्य प्रति प्रतिबद्धताओं के लिए मार्जिन धनराशि या सुरक्षा के रूप में रखी गई।	In Term deposit accounts Balances held as margin money or security against borrowings, and other commitments.	795.47 2.78	5,789.86 6.17
योग	Total	11,845.66	12,506.67
टिप्पणी 15 : अल्पाविधि ऋण और अग्रिम असुरक्षित, जो अच्छा माने गए	NOTE 15 : SHORT-TERM LOANS AND ADVANCES Unsecured, considered good		
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	Loans and advances to employees	165.06	115.55
बीमा प्रीमियम के लिए अग्रिम	Advance for Insurance Premium	90.96	66.11
उत्पाद और सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा राशि	Deposit with Excise & Govt. Authorities	107.08	85.79
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	Advance to suppliers	609.54	520.35
अन्य अग्रिम	Other Advances	7,254.16	5,621.34
आपूर्तिकर्ताओं के लिए संदिग्ध अग्रिम	Doubtful advances to suppliers	34.90	34.78
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful advances	(34.90)	(34.78)
पूर्व प्रदत्त व्यय	Prepaid expenses	3.94	34.82
योग	Total	8,230.74	6,443.97
टिप्पणी 16 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां असुरक्षित, जो अच्छा माने गए	NOTE 16 : OTHER CURRENT ASSETS Unsecured, considered good		
अन्य प्राप्य	Other Receivables	682.32	272.83
असुरक्षित, संदिग्ध माने गए	Unsecured, considered doubtful		
अन्य प्राप्य	Other Receivables	197.57	197.57
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्य राशि के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful receivables	-197.57	-197.57
जमा पर अर्जित ब्याज	Interest accrued on deposits	157.36	88.02
योग	Total	839.68	360.85

अन्य प्राप्तियों में विविध देनदार (एस्टेट) शामिल हैं, जिनकी राशि ₹546.37 लाख (पिछले वर्ष ₹444.41 लाख) है, जो लाइसेंस शुल्क आदि के खिलाफ बकाया है। प्रबंधन लाइसेंस शुल्क प्राप्तियों आदि को वसूलने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है, जिसमें बीएसएनएल, पुलिस विभाग के अधिकारी, सरकारी स्वास्थ्य विभाग और अन्य व्यक्तियों से संपर्क करना शामिल है। इस प्रक्रिया में कुछ पक्षों से बकाया राशि प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, डिफॉल्टरों को चेतावनी पत्र भी जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, किरायेदारी अधिनियम और नियमों के तहत अधिकारों की रक्षा करने के लिए, डिफॉल्टर किरायेदारों के खिलाफ किराए के बिल जारी किए गए हैं। हालांकि, लेखा मानक 9 "राजस्व मान्यता" के आधार पर, कर्मचारियों के अलावा अन्य से ₹197.57 लाख (पिछले वर्ष ₹197.57 लाख) बकाया लाइसेंस शुल्क आदि के खिलाफ प्रावधान रखा गया है।

Other receivables include sundry debtors (Estate) amount Rs. 546.37 lakhs (Previous year Rs. 444.41 Lakhs) due against licence fee etc. The management is taking necessary initiatives to recover the licence fee receivables etc., by calling on the parties like BSNL, Police Department Authorities, Govt. Health Department and other individuals. Dues from some of the parties have been received in the process. Moreover, warning letters have also been issued to the defaulters.

Further, in order to protect rights under Tenancy Act and rules, rental bills have been raised against the defaulting tenants. However on the basis of Accounting Standard 9 "Revenue Recognition", Provision has been kept against arrear licence fee etc. from other than employees Rs. 197.57 lakhs (Previous Year Rs. 197.57 lakhs).



ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

(सीआईएन / CIN U24123AS2002GOI006786)

वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2023-24

(रुपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2024 तक As at 31 st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at 31 st March, 2023
टिप्पणी 17 : प्रचालनों से राजस्व	NOTE 17 : REVENUE FROM OPERATIONS		
क. विनिर्मित उत्पादों की बिक्री	A. Sale of Manufactured Products		
यूरिया	Urea	9,900.86	12,049.64
एनपीके की बिक्री	Sale of NPK	293.22	89.91
जैव उर्वरक	Bio Fertilizer	228.20	221.78
कृमि खाद	Vermi compost	5.75	8.49
योग (क)	Total of 'A'	10,428.03	12,369.82
ख. व्यापार वस्तुओं की बिक्री	B. Sale of Trading Goods		
एमओपी की बिक्री	Sale of MOP	603.91	2,200.25
कीटनाशकों की बिक्री	Sale of Pesticides	-	33.35
डीएपी की बिक्री	Sale of DAP	93.60	4,404.76
एसएसपी की बिक्री	Sale of SSP	3,103.08	7,950.85
बीज की बिक्री	Sale of Vegetable Seeds	16.52	12.23
रॉकफॉस्फेट की बिक्री	Sale of Rock Phosphate	376.67	756.99
सूक्ष्म पोषक तत्वों की बिक्री	Sale of Micronutrient	198.10	161.10
सिटी कंपोस्ट	Sale of City Compost	-	28.96
एनएफएल यूरिया की बिक्री	Sale of Urea -Traded	3,572.93	3,516.77
एग्रो पावर की बिक्री	Sale of Agro Power	-	324.45
जल में घुलनशील उर्वरक की बिक्री	Sale of FACTUMPHOS	304.18	110.52
फक्टुम्फोस की बिक्री	Sale of Amm. Sulphate	1,067.96	2,999.35
अमोनिया सल्फेट की बिक्री	Sale of HIL Net	-	18.76
एचआईएल नेट की बिक्री	Sale of imported urea	14,551.14	11,725.82
आयातित यूरिया की बिक्री	Sale of Mukta Power	1,823.76	4,416.28
मुक्ता पावर की बिक्री	Sale of Calcium Nitrate	38.85	945.23
एनएफएल एपीएस की बिक्री	Sale of NPK	32.45	826.73
एनपीके की बिक्री	Sale of PDM	51.19	565.77
पीडीएम की बिक्री	Sale of other Trading products	7.59	-
योग (ख)	Total of 'B'	25,841.93	40,998.17
कुल (क+ख)	Total of (A+B)	36,269.96	53,367.99
ग. अन्य प्रचालन से राजस्व	C. Other Operating Revenue		
i) निर्मित उत्पाद (यूरिया)	i) Manufactured Product (Urea)		

क) विनिर्मित उत्पादों के लिए मूल्य राजसहायता	a) Price Subsidy for manufactured products	35,720.04	52,245.03
ख) विनिर्मित उत्पादों के लिए माल ढुलाई राजसहायता	b) Freight Subsidy for manufactured products	2,943.65	3,340.79
ii .आयातित यूरिया के व्यय की प्रतिपूर्ति	ii. Reimbursement of expenses for imported Urea		
क) खरीद लागत प्रतिपूर्ति	a) Purchase cost Reimbursement	240.65	991.17
ख) माल ढुलाई	b) Freight	1,223.65	462.77
ग) छूट अवधि से आय	c) Income from laytime	21.55	64.88
iii) पिछली अवधि की राजसहायता	iii) Past period subsidy - Income / (Reversal)	(1,523.06)	4,176.97
योग (ग)	Total of 'C'	38,626.47	61,281.61
कुल (क+ख+ग)	Total of (A+B +C)	74,896.43	1,14,649.60

सहायता प्राप्त/प्राप्त करने योग्य ₹38,663.69 लाख (पिछले वर्ष ₹55,585.82 लाख) को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया गया है। यह एएस-12 (सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन) के अनुसार किया गया है।

उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) से अधिसूचना लंबित होने के कारण, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान देय/प्राप्ति मूल्य सब्सिडी में वृद्धि/कमी से संबंधित ₹2,511.75 लाख (पिछले वर्ष ₹1,084.12 लाख वृद्धि दावा) को भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों, नीतियों, निर्देशों और स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए उपार्जन आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

Subsidy received / receivable of Rs. 38,663.69 lakhs (previous year Rs. 55,585.82 lakhs) is credited to statement of profit and loss. This is followed as per AS- 12 Accounting for Govt. Grants.

Pending notification from Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC), the adjustment relating to escalation / deescalation price subsidy payable / receivable amounting to Rs. 2,511.75 lakhs deescalation claim during the Financial year 23-24 (previous year Rs. 1,084.12 lakhs escalation claim) has been accounted for on accrual basis taking into account the guidelines, policies, instructions and clarifications issued by the Govt. of India.



ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

(सीआईएन / CIN U24123AS2002GOI006786)

वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2023-24

(रूपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च , 2024 तक As at 31 st March, 2024	31 मार्च , 2023 तक As at 31 st March, 2023
टिप्पणी 18 :अन्य कमाई	NOTE 18 : OTHER INCOME		
क) ब्याज आय	A.Interest income		
i) अल्पावधि जमा राशि पर ब्याज (83.98 लाख रुपये के टीडीएस कटौती पिछले वर्ष रु. 80.24 लाख रूपए)	i) Interest on short term deposit (TDS deducted Rs. 88.88 lacs Previous year Rs. 83.98 lacs)	307.22	283.69
ii) आयकर रिफंड पर प्राप्त ब्याज	ii) Interest received on Income tax refund	3.57	6.00
iii) अन्यो पर ब्याज	iii) Interest on others	0.08	0.44
iv) बचत खातों पर ब्याज	iv) Interest on savings Accounts	0.01	0.01
कुल	Total	310.87	290.14
ख) स्क्रेप और बचाई गई सामग्री की बिक्री	B.Sale of Scrap & Salvaged materials	111.82	37.21
ग) कर्मचारियों और अन्य लोगों से लाइसेंस शुल्क और बिजली एवं जल प्रभारों आदि की वसूली।	C.Recovery of Licence fee, Electricity & Water charges etc. from employees & others.	266.17	292.62
घ) विविध आय	D. Miscellaneous income	181.41	199.41
ड) मरम्मत एवं रखरखाव से संबंधित सरकारी अनुदान की मान्यता.	E. Recognition of Govt. Grant related to repair & Maintenance	2,765.11	345.21
च) विविध देयता की वापसी	F. Sundry Liability written back	2,721.52	34.99
योग	Total	6,046.03	909.43
कुल योग	Grand Total	6,356.91	1,199.57

लाइसेंस शुल्क, बिजली और पानी के शुल्क की वसूली में ₹249.65 लाख अन्य स्रोतों से लाइसेंस शुल्क, पानी और बिजली के शुल्क के रूप में शामिल हैं (पिछले वर्ष ₹259.66 लाख)।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार से पौधों की मरम्मत और रखरखाव के लिए ₹10,000 लाख प्राप्त हुए ₹2,558.87 लाख (जिसमें ₹2,227.70 लाख लाभ और हानि खाते में दर्ज किए गए और ₹331.17 लाख के जीएसटी क्रेडिट को खर्च के रूप में दिखाया गया) का उपयोग सन्त्र की मरम्मत और रखरखाव के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के ₹206.24 लाख के जीएसटी क्रेडिट को भी वित्तीय वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में दर्ज किया गया (पिछले वर्ष ₹402.41 लाख, जिसमें ₹57.20 लाख के जीएसटी क्रेडिट का रिवर्सल शामिल है)। (संदर्भ टिप्पणी संख्या - 8)।

वर्तमान वर्ष में ₹2,721.52 लाख की संज्ञी देनदारियाँ वापस की गईं, जिसमें संज्ञी क्रेडिटर्स (विविध), गोदाम किराया, परिवहन शुल्क, खरीद के लिए देनदारी और रेलवे मालभाड़े के लिए ₹936.06 लाख का प्रावधान शामिल है। इसके अतिरिक्त, ₹1,572.17 लाख की द्वितीयक मालभाड़ा देनदारी का प्रावधान यह पहचानने के बाद वापस किया गया कि यह प्रावधान अब आवश्यक नहीं है। संज्ञी देनदारी वापस करने में वित्त वर्ष 2010-11 में बैग की कमी के लिए ₹30.67 लाख का प्रावधान भी शामिल है, जिसके लिए कोई संबंधित इन्वेंट्री नहीं है।

Recovery of licence fee,electricity & water charges includes Rs. 249.65 lakhs from others on account of licence fee, water & electricity charges (Previous year Rs. 259.66 lakh).

An amount of Rs 10,000 lakh have been received during the financial year 2021-22 from GoI for repair & Maintenance of plants. An amount of Rs. 2558.87 lakhs (Rs. 2227.70 lakhs charged to Profit & Loss A/c along with GST credit expensed off amounting to Rs. 331.17 lakhs) in addition to the same the GST credit of Rs. 206.24 lakhs for the Previous Year was also charged to Profit and Loss during the financial year (Previous year Rs 402.41 lakh including reversal of GST credit of an amount of Rs. 57.20 lakhs) have been utilized for repair and maintenance of plant (Refer Note No.- 8)

Sundry liability written back during the current year amounting to Rs. 2721.52 lakhs includes provision for sundry creditors Misc, Godown rent, transport charges, liability for purchase and railway freight amounting to Rs. 936.06 lakhs. Further provision for secondary freight payable amounting to Rs. 1572.17 lakhs has been identified as provision no longer required and hence written back. Sundry Liability written back also includes Provision for shortage of Bags amounting to Rs. 30.67 lakhs created in FY 2010-11 against which there is no corresponding inventory.

(रूपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च , 2024 तक As at 31 st March, 2024	31 मार्च , 2023 तक As at 31 st March, 2023
टिप्पणी 19 :उपभोग की गई सामग्री की लागत	NOTE 19 : COST OF MATERIALS CONSUMED		
प्राकृतिक गैस	Natural Gas		
प्रारंभिक स्टॉक	Opening stock	-	-
जमा: खरीद	Add: Purchase	14,126.06	17,260.05
प्रारंभिक स्टॉक और खरीद का योग	Total of Opening Stock and Purchase	14,126.06	17,260.05
अंतिम स्टॉक	Closing Stock	-	-
खपत	Consumption		
सन्थंत्र - II	Plant - II	-	-
सन्थंत्र - III	Plant - III	14,126.06	17,260.05
खपत क योग	Total Consumption	14,126.06	17,260.05
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत	Consumption of Stores and Spare Parts	1,096.90	1,579.29
पैकिंग सामग्रीयों की खपत	Consumption of Packing Materials	1,497.69	1,925.80
उपभोग की गई सामग्री की कुल लागत	Total of Cost of Materials Consumed	16,720.66	20,765.14



वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2023-24

(रुपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च , 2024 तक As at 31 st March, 2024	31 मार्च , 2023 तक As at 31 st March, 2023
टिप्पणी 20 :स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	NOTE 20 : PURCHASES OF STOCK - IN - TRADE		
सिटी कंपोस्ट की खरीद	Purchase of City Compost	-	28.08
डीएपी की खरीद	Purchase of DAP	93.03	4,371.69
एमओपी की खरीद	Purchase of MOP	596.56	2,194.36
कीटनाशकों की खरीद	Purchase of Pesticides	-	31.18
एसएसपी की खरीद	Purchase of SSP	2,938.49	7,053.00
बीज की खरीद	Purchase of Seeds	15.26	11.75
रॉक फॉस्फेट की खरीद	Purchase of Rockphosphate	361.84	726.81
एनएफएल से यूरिया की खरीद	Purchase of Urea - Traded	3,036.07	3,470.92
जिंक की खरीद	Purchase of Zinc	174.69	138.72
बोरोन की खरीद	Purchase of Boron	-	8.47
एचआईएल नेट की खरीद	Purchase of HIL Net	-	17.63
अमोनिया सल्फेट की खरीद	Purchase of Amm. Sulphate	1,053.02	2,932.40
फक्टुम्फोस की खरीद	Purchase of FACTAMFOS	295.49	108.39
एग्रो पावर की खरीद	Purchase of Agro Power	-	300.62
मैनेजियम सल्फेट की खरीद	Purchase of NPK	312.36	921.29
एनपीके की खरीद	Purchase of Imported Urea	7,250.99	6,489.59
आयातित यूरिया की खरीद	Purchase of NFL APS	-	935.77
एनएफएल एपीएस की खरीद	Purchase of Mukta Urea	-	4,044.36
मुक्ता यूरिया की खरीद	Purchase of PDM	15.43	512.24
पीडीएम की खरीद	Purchase of Calcium Nitrate	35.45	-
	Purchase of Mukta Power (Baroda)	1,577.22	-
	Purchase of other Trading products	7.40	-
कुल	Total	17,763.29	34,297.25
नोट 21 :तैयार वस्तुएं , चालू कार्य और व्यापार वस्तुओं की माल सूची में परिवर्तन	NOTE 21 :CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS, WORK IN PROGRESS AND TRADING GOODS		
वर्ष के अंत में माल-सूची	Inventories at the end of the year		
क . विनिर्मित वस्तुओं का स्टॉक	A. Stock of Manufactured goods		
यूरिया (निर्मित)	Urea (Manufactured)	1744.51	130.79
मध्यवर्तिया/अर्द्ध-तैयार वस्तुएं (अमोनिया)	Intermediaries product (Ammonia) /goods	202.66	482.85
कुल	Total	2007.5	5621.45
ख. व्यापारिक उत्पादों का स्टॉक	B. Stock of Traded Products		
व्यापारिक उत्पाद	Traded Products	973.00	103.86
		973.00	103.86
वर्ष की शुरुआत में माल-सूची:	Inventories at the beginning of the year:		
ग. विनिर्मित वस्तुओं का स्टॉक	C. Stock of Manufactured goods		
यूरिया	Urea	130.79	863.68
मध्यवर्तिया/अर्द्ध-तैयार वस्तुएं (अमोनिया)	Intermediaries product (Ammonia) /goods	482.85	63.65
जैव उर्वरकों का स्टॉक	Stock of Biofertilizers	7.81	6.79
व्यापारिक उत्पादों का स्टॉक (एसएसपी)	Stock of Traded products	103.86	-
कुल	Total	725.31	934.13

घ. व्यापारित उत्पादों का स्टॉक	D. Stock of Traded Products		
व्यापारिक उत्पाद	Traded Products	-	-
		-	-
स्टॉक में निवल (वृद्धि)/ कमी	Net (Increase) / Decrease in stock	(2,255.25)	208.82
31.03.2024 को समाप्त होने वाले उर्वरक का समाप्त स्टॉक में 3917.275 मीट्रिक टन सिलो स्टॉक (पिछले वर्ष 479.76 मीट्रिक टन) और 1318.59 मीट्रिक टन ट्रांजिट स्टॉक (पिछले वर्ष शून्य) शामिल है।	*The Closing stock of Urea as on 31.03.2024 includes silo stock of 3917.275 MT (Previous year 479.76 MT) and stock in transit of 1318.59 MT (Previous year NIL)		
नोट 22 : कर्मचारी हित लाभ	NOTE 22 : EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE		
वेतन और भत्ते	Salaries and wages	3,624.36	3,685.27
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	Contributions to Provident and other funds	404.90	415.11
कर्मचारी कल्याण व्यय	Staff welfare expenses	978.00	797.72
उपदान देयता के लिए प्रावधान	Provision for Gratuity Liability	559.56	274.46
छुट्टी देयता के लिए प्रावधान	Provision for Leave Liability	492.50	373.43
कुल	Total	6,059.32	5,545.99

(रूपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च , 2024 तक As at 31 st March, 2024	31 मार्च , 2023 तक As at 31 st March, 2023
टिप्पणी 23 : वित्तीय लागत	NOTE 23 : FINANCE COST		
ब्याज व्यय :	Interest expenses:		
क. भारत सरकार से असुरक्षित ऋण पर ब्याज	A. Interest on Unsecured loan from Govt of India		
i) सामान्य ब्याज	i) Normal Interest	-	-
ii) दंडस्वरूप ब्याज	ii) Penal Interest	-	-
ख. बैंक से सुरक्षित ऋण पर ब्याज	B. Interest on Secured loan from Bank		
बैंक ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	Interest on bank over draft	65.97	9.63
कुल	Total	65.97	9.63
टिप्पणी 24: मरम्मत एवं अनुरक्षण	NOTE 24 : REPAIRS & MAINTENANCE		
मरम्मत और अनुरक्षण - भवन	Repairs and Maintenance - Buildings	231.98	192.87
मरम्मत और अनुरक्षण - संयंत्र और मशीनरी	Repairs and Maintenance - Plant & Machinery	2,334.70	657.57
मरम्मत एवं अनुरक्षण - अन्य	Repairs and Maintenance - Others	193.41	58.73
कुल	Total	2,760.09	909.18
टिप्पणी 25: बिजली और ईंधन	NOTE 25 : POWER & FUEL		
बिजली और ईंधन	Power and Fuel	27,832.56	34,545.64
कुल	Total	27,832.56	34,545.64
टिप्पणी 26 : मालभाड़ा एवं हैंडलिंग व्यय	NOTE 26 : FREIGHT & HANDLING EXPENSE		
माल भाड़ा	Freight	7,833.90	6,139.06
हैंडलिंग प्रभार	Handling charges	3,039.85	2,570.74
कुल	Total	10,873.75	8,709.80



वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2023-24

(रूपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2024 तक As at 31 st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at 31 st March, 2023
टिप्पणी : 27 अन्य व्यय	Note : 27 Other Expenses		
पट्टा किराया सहित किराया	Rent including Lease Rentals	26.92	23.72
बीमा	Insurance	110.84	117.44
जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण कर एवं उपकर	Water & Air pollution Control Tax & Cess	10.37	10.41
भू राजस्व	Land Revenue	21.07	21.07
दर एवं कर	Rates & Taxes	-	0.04
संचार व्यय	Communication Expenses	23.08	23.17
यात्रा और वाहन	Travelling and Conveyance	131.63	86.54
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	Printing and Stationeries	2.25	10.45
व्यापार संवर्धन	Business promotion	5.61	19.49
दान और अंशदान	Donations and Contributions	3.13	2.88
विधि और व्यावसायिक शुल्क	Legal and professional fee	14.17	29.79
वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान	Payments to Statutory auditors	2.70	3.00
फैक्ट्री के अंदर सफाई का काम	Cleaning work inside Factory	467.40	435.80
फैक्ट्री के लिए विविध व्यय	Miscellaneous Expenses for factory	549.90	261.28
सुरक्षा व्यय	Security expenses	1,667.23	1,678.41
निदेशक व्यय	Director expenses	4.10	21.33
संदिग्ध ऋणों/अग्रिम के लिए प्रावधान	Provision for doubtful Debts FICC	-	47.58
एफआईसीसी के संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Provision for obsolescence of stores & Spares	9.90	41.20
भंडारों और पुर्जों के अप्रचलन के लिए प्रावधान	Provision for shortage of trading products	1.30	
अचल पूंजीगत वस्तुओं के लिए प्रावधान	Provision for unmoved capital items	-	8.09
विविध आकस्मिक श्रम टाउनशिप	Miscellaneous Casual labour township	199.15	180.72
विविध प्रशासन व्यय	Miscellaneous Administration expenses	1,148.05	703.82
बिक्री एवं वितरण व्यय	Selling & Distribution Expenses	1,574.07	552.68
रिटेनर्स को भुगतान	Payment to Retainers	150.49	191.83
प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों के लिए बट्टे खाते में डाली गई नीयत परिसंपत्तिया	Fixed Assets written off for replaced assets	127.86	42.10
कुल	Total	6,251.21	4,512.83

वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2023-24

(रुपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2024 तक As at 31 st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at 31 st March, 2023
उप टिप्पणी 27 :: पूर्व अवधि समायोजन	SUB NOTE 27A :: PRIOR PERIOD ADJUSTMENT		
व्यय	EXPENSES		
पूर्ववर्ती अवधि व्यय (मार्केटिंग)	Prior Period Exp (Mktg)	192.86	-
सामग्री उपभोग	Material Consumed	192.54	0.07
मरम्मत और रखरखाव	Repairs & Maintenance	14.09	-
विविध व्यय	Misc. Expenses	1.49	0.59
बीमा शुल्क	Insurance Charges	0.23	-
लेखा परीक्षा व्यय	Audit expenses	0.83	2.22
भविष्य निधि व्यय	Provident Fund expenses	0.17	-
सीआईएसएफ व्यय	CISF Expenses	21.94	25.65
वर्क कॉन्ट्रैक्ट व्यय	Work Contract Expenses	54.99	-
विद्युत शुल्क	Electricity Charges	9.90	-
स्टॉक खाता	Stock Account	-	1.34
लाइसेंस शुल्क आदि	Licence fee etc	-	0.02
डेमेरेज व्यय	Dumorage Exp.	-	6.48
पुराने संपत्तियों का लिखित रूप से समापन	Write off of old assets	-	289.81
नामरूप-IV के लिए सीडब्ल्यूआईपी	CWIP for Namrup - IV	-	258.51
अन्य खर्च (मार्केटिंग)	Other Expenses (Mktg.)	-	22.09
डेबिट का योग	Total of Debit	489.05	606.77
आय	INCOME		
सामग्री उपभोग	Material consumed	3.40	0.03
मूल्यहास (पिछली अवधि का क्रेडिट)	Depreciation past period credit	2,710.22	-
सीआईएसएफ खर्च	CISF Expenses	-	172.15
बैंक शुल्क	Bank Charges	1.16	0.10
पूर्ववर्ती अवधि सामग्री उपभोग (यूरिया की कमी)	Prior Period material consumed (Shortage of Urea)	253.17	-
क्रेडिट का कुल	Total of Credit	3,037.95	172.28
शुद्ध डेबिट/ (क्रेडिट)	Net Debit/(Credit)	(2,548.90)	434.48



वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2023-24

(रूपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च , 2024 तक As at 31 st March, 2024	31 मार्च , 2023 तक As at 31 st March, 2023
टिप्पणी 28 : प्रति शेयर आय	NOTE 28 : EARNINGS PER SHARE		
क) वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयरों की संख्या	A)Number of Equity Shares at the beginning of the year	3658324	36,58,324
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या	Number of Equity Shares at the end of the year	3658324	36,58,324
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या during the year	Weighted average number of Equity Shares outstanding	3658324	36,58,324
प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य	Face Value of each Equity Share	1000	1,000
ख) इक्विटी शेयर धारकों के कारण वर्ष के लिए शुद्ध लाभ(पूर्व अवधि समायोजन के बाद लेकिन पहले असाधारण मदों से पहले) (रूपये लाख में)	B)Net Profit for the year attributable to Equity Share Holders (after Prior Period Adjustments but before Exceptional items) (Rs in lacs)	-8881.42	2,437.63
इक्विटी शेयर धारकों के कारण वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (पूर्व अवधि समायोजन के बाद लेकिन पहले असाधारण मदों से पहले) (रूपये लाख में)	Net Profit for the year attributable to Equity Share Holders (after Prior Period Adjustments and Exceptional items) (Rs. in lacs)	834.20	2,437.63
ग) असाधारण मदों से पूर्व कर के बाद लाभ पर प्रति शेयर मूल और मिश्रित आय (रूपए /शेयर)	C)Basic earning per share on profit after tax before Exceptional items (Rs/share)	22.80	66.63
घ) कर असाधारण मदों (रूपए /शेयर) के बाद लाभ पर प्रति शेयर मूल और मिश्रित कमाई	D)Diluted earning per share on profit after tax and Exceptional items (Rs/share)	22.80	66.63

वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2023-24

29. महत्वपूर्ण लेखा नीति

1. निगमित जानकारी :

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) कंपनी भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जिसे ५ अप्रैल २००२ को असम में नामरूप इकाइयों को मूल कंपनी हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HFCL) से अलग करने के बाद शामिल किया गया था। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नामरूप, डिब्रूगढ़ में स्थित है, जो यूरिया, जैव-उर्वरक और वर्मीकम्पोस्ट के उत्पादन और उर्वरक आदि के व्यापार में शामिल है।

2. तैयारी और प्रस्तुति का आधार:

वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों, कंपनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों के अनुसार ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत प्रोद्भवन के आधार पर तैयार किए जाते हैं। तुलन पत्र और लाभ और हानि का विवरण कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में तैयार और प्रस्तुत किया जाता है। अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित अनुसार तुलन पत्र और लाभ और हानि के विवरण में मदों के संबंध में प्रकटीकरण आवश्यकताओं को टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जो अधिसूचित लेखांकन मानकों के तहत प्रकट किए जाने वाले अन्य टिप्पणियों के साथ खातों का हिस्सा बनते हैं। सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के १२ महीने के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, २०१३ की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार 'चालू' या 'गैर-चालू' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय विवरणों में राशियों को दो दशमलव तक लाखों रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

3. अनुमान का उपयोग:

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के लिए अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करती हैं। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच कोई भी अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/वास्तविक होते हैं।

4. अचल संपत्तियां:

- i. स्थाई संपत्तियों का उल्लेख लागत में संचित हास को कम करके किया जाता है।
- ii. लागत में खरीद की लागत और सभी व्यय शामिल हैं जैसे कि स्थापना लागत, आवक भाड़ा, गैर-वापसी योग्य कर और परिसंपत्ति को उसके वर्तमान स्थान पर लाने से लेकर उसके उपयोग के लिए तैयार होने तक

29. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Corporate information :

Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL) referred to the Company is a wholly owned Public Sector Undertaking of Govt. of India was incorporated on 5th April 2002 after segregation of Namrup units in Assam from parent company Hindustan Fertilizer Corporation Ltd (HFCL). The registered office of the Company is located at Namrup, Dibrugarh which is involved in the production of Urea, Bio-Fertilizer and Vermicompost and Trading of Fertilizer etc.

2. Basis of preparation and presentation:

The financial statements are prepared on accrual basis under the historical cost convention in accordance with the generally accepted accounting principles in India, the provisions of the Companies Act, 2013. The Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are prepared and presented in the format prescribed in the Schedule III to the Companies Act, 2013 ("the Act"). The disclosure requirements with respect to items in the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss, as prescribed in the Schedule III to the Act, are presented by way of Notes forming part of accounts along with the other notes required to be disclosed under the notified Accounting Standards.

All the assets and liabilities have been classified as 'current' or 'non-current' as per the Company's normal operating cycle of 12 months and other criteria set out in Schedule III to the Companies Act, 2013. The amounts in the financial statements are rounded off to rupees in lakhs up to two decimal.

3. Use of Estimates:

The presentation of financial statements requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of the financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates made in the preparation of financial statements are prudent and reasonable. Any difference between the actual results and estimates are recognized in the period in which the results are known/materialized.

4. Fixed Assets:

- i. Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation.
- ii. Cost includes cost of purchase and all expenditure such as installation cost, inward freight, non-refundable taxes and



क्रिए गए अन्य व्यय

- iii. अचल संपत्तियों की लागत के अलावा, निर्माण और कमीशनिंग अवधि के दौरान क्रिए गए राजस्व व्यय को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने तक पूंजीकृत क्रिया जाता है। वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से पहले आकस्मिक आय को परियोजना की लागत के विरुद्ध सेट-ऑफ क्रिया जाता है।
- iv. प्लांट और मशीनरी में क्रिए जाने वाले अतिरिक्त कार्यों में प्रमुख मरम्मत के साथ-साथ नवीनीकरण और प्रतिस्थापन शामिल हैं, जिससे प्लांट की आयु और दक्षता में वृद्धि होगी। ऐसे मामलों में, यदि प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों का लिखित मूल्य पता लगाने योग्य नहीं है, तो खातों में समायोजन के लिए तकनीकी मूल्यांकन क्रिया जाता है।
- v. मशीनरी के पुर्जे जिनका उपयोग केवल अचल संपत्तियों के मद के संबंध में क्रिया जा सकता है और जिनके उपयोग के अनियमित होने की संभावना है, उन्हें पूंजीकृत क्रिया जाता है।
- vi. प्रत्येक वर्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित आंतरिक समिति द्वारा अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन क्रिया जाता है। तथा प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार बाहरी पेशेवर एजेंसी द्वारा अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन क्रिया जाता है।

5. मूल्यहास और परिशोधन:

- i. 5,000/- रुपये तक की लागत वाली मशीनरी, उपकरण और कार्यालय उपकरणों का मूल्यहास वर्ष में पूरी तरह से क्रिया जाता है।
- ii. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन और मूल्यहास की दर के अनुसार, "सीधी रेखा पद्धति" पर मूल्यहास लगाया जाता है।
- iii. पैरा ए (v) में उल्लिखित मशीनरी पुर्जों की लागत मूल संयंत्र के उपयोगी जीवन पर परिशोधित की जाती है।
- iv. परिसंपत्तियों पर मूल्यहास तब लगाया जाता है जब उन्हें स्थापित करने और उपयोग में लाने के लिए प्रमाणित क्रिया जाता है।

6. ऋण लेना: :

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण के संबंध में क्रिए गए उधार की लागत लागतों को उस वर्ष में व्यय के रूप में चार्ज क्रिया जाता है जिसमें ये खर्च क्रिए जाते हैं।

any other expenses incurred for bringing the asset in its current location till it is ready to use.

- iii. Apart from cost of Fixed Assets, Revenue Expenditure incurred during construction and commissioning period is capitalized till commencement of commercial production. Incidental Income prior to commencement of commercial production is set-off against the cost of the Project.
- iv. Additions to Plant & Machinery include major repairs as well as renewals and replacements which will increase life and efficiency of the Plant. In such cases, if the written down value of the assets replaced is not ascertainable, technical valuation is made for adjustment in the accounts.
- v. Machinery spares which can be used only in connection with an item of fixed assets and whose use is expected to be irregular are capitalized.
- vi. Physical Verification of fixed assets is carried out by the internal committee constituted by competent authority each year. And once in every five years the Physical Verification of fixed assets conducted by an outside professional agency.

5. Depreciation and amortization:

- i. Machinery, Equipments and Office Appliances costing up to Rs. 5,000/- are fully depreciated in the year of addition.
- ii. Depreciation is charged on "Straight Line Method", as per useful life and rate of depreciation specified in the Schedule – II of the Companies Act, 2013.
- iii. The cost of Machinery spares referred to in Para A (v) above are amortized over the useful life of the Original Plant.
- iv. Depreciation is provided on the assets after they are certified to be installed and put to use.

6. Borrowing Cost: :

Borrowing costs incurred in relation to the acquisition / construction of qualifying assets are capitalized as part of the cost of such assets up to the date when such assets are ready for intended use. Other borrowing costs are charged as an expense in the year in which these are incurred.

7. इन्वेंटरी:

- i. इन्वेंटरी में कच्चा माल, पैकेजिंग सामग्री, स्टोर और स्पेयर, मध्यवर्ती उत्पाद/माल और तैयार स्टॉक शामिल हैं
- ii. कच्चे माल का मूल्यांकन लागत (मासिक भारत औसत) पर किया जाता है।
- iii. पैकेजिंग सामग्री और स्टोर और स्पेयर का मूल्यांकन लागत (सामग्री को वर्तमान स्थिति और स्थान पर लाने के लिए आकस्मिक व्यय सहित) पर मासिक भारत औसत या तकनीकी अनुमानों के आधार पर किया जाता है, जो भी कम हो।
- iv. ढीले औजारों को तीन साल की अवधि में बड़े खाते में डाल दिया जाता है।
- v. स्टॉक में शामिल हैं:
 - क. तैयार माल:

यूरिया का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है, जिसमें रियायती मूल्य सब्सिडी और माल ढुलाई सब्सिडी शामिल है।
 - ख. अमोनिया जैसे मध्यवर्ती उत्पादों/माल का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।
 - ग) खरीदे गए तैयार उत्पाद - लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर मूल्यांकित किए जाते हैं।
 - घ) कंपनी ने पूंजी भंडार और अन्य भंडारों और पुर्जों के लिए इन्वेंट्री के आयु-वार प्रावधान के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है, जो लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उसे निर्धारित करने के लिए बुक वैल्यू पर आधारित है।

यह प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया गया है:

क्रम सं.	आयु अनुसार वास्तु श्रेणी	प्रावधान %
1	3 वर्ष तक स्थानांतरित न की गई वस्तुएं	शून्य
2	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक स्थानांतरित न की गई वस्तुएं	5
3	5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक स्थानांतरित न की गई वस्तुएं	10
4	10 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष तक स्थानांतरित न की गई वस्तुएं	25
5	15 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष तक स्थानांतरित न की गई वस्तुएं	50
6	20 वर्षों से अधिक समय से स्थानांतरित न की गई वस्तुएं	95

8. सब्सिडी:

सब्सिडी का बिल और लेखा गंतव्य पर उर्वरक की प्राप्ति के आधार पर किया जाता है और खातों में सब्सिडी के लिए क्रेडिट केवल बेची गई मात्रा के लिए लिया जाता है और संचालन से राजस्व के रूप में लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है। हालांकि, अंतिम निपटान के लिए एफआईसीसी से अधिसूचना प्राप्त होने तक, इनपुट कीमतों में भिन्नता के लिए सब्सिडी का दावा सरकार द्वारा दिए गए प्रचलित तरीके, दिशा-निर्देशों, नीतियों, निर्देशों

7. Inventories :

- i. Inventory includes Raw Material, Packaging Material, Stores and Spares, Intermediate products/goods and finished stock
- ii. Raw Materials are valued at cost (monthly weighted average).
- iii. Packaging Materials and Stores & Spares are valued at Cost (inclusive of expenses incidental to bring the materials to the present condition and location less duties and taxes recoverable by company from taxing authorities) on the basis of monthly weighted average or technical estimates, whichever is lower.
- iv. Loose tools are written-off over a period of three years.
- v. Stocks of:
 - a. Finished Goods :-

Urea is valued at lower of cost or net realizable value comprising concessional price subsidy and freight subsidy.
 - b. Intermediate products/ goods like Ammonia is valued at lower of cost or net realizable value.
 - c. Bought out finished products – are valued at lower of cost or net realizable value.
 - d. The company has formulated a comprehensive policy for age wise provisioning of inventory for capital stores and other stores & spares on the book value for determining the lower of cost or net realizable value.

The provision is made on the following basis:

Sl. No.	Age wise item category	Provision %
1	Items not moved upto 3 years	Nil
2	Items not moved for more than 3 years & upto 5 years	5
3	Items not moved for more than 5 years & upto 10 years	10
4	Items not moved for more than 10 years & upto 15 years	25
5	Items not moved for more than 15 years & upto 20 years	50
6	Items not moved for more than 20 years.	95

8. Subsidies:

The subsidy is billed and accounted for on the basis of receipt of fertilizer at the destination and credit for subsidy in the accounts is taken only for the quantities sold and stated in the Profit and Loss Statement as revenue from operations. However, pending receipt of notification from FICC for final settlement, the subsidy claim for variations in input prices is provided for in the accounts on the estimate basis taking into account the prevailing



और स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए अनुमान के आधार पर खातों में प्रदान किया जाता है।

9. राजस्व मान्यता:

- निर्यात बिक्री का लेखा एमएमटीसी के साथ समझौता ज्ञापन (समझौता) के अनुसार दर के आधार पर किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा जारी नीति और दिशा-निर्देशों के अनुसार समायोजन के अधीन है
- स्वदेशी बिक्री की पहचान डिलीवरी ऑर्डर और उचित चालान जारी करने पर की जाती है।
- आय/व्यय का लेखा आम तौर पर उपार्जन आधार पर किया जाता है, जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से न कहा गया हो।
- कर्मचारियों को दिए जाने वाले अग्रिम पर ब्याज का लेखा मूलधन की पूरी वसूली के बाद किया जाता है
- स्क्रैप/बचाव/अपशिष्ट सामग्री का लेखा बिक्री के समय किया जाता है।

10. पूर्व-भुगतान व्यय:

आगामी वर्ष(वर्षों) से संबंधित अग्रिमों में प्रत्येक मामले में किए गए 10,000/- रुपए तक के व्यय का लेखा उस वर्ष में किया जाता है जिसमें वह व्यय किया गया है।

11. पूर्व अवधि समायोजन:

पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय का लेखा केवल त्रुटियों या चूक के मामलों में ही किया जाता है।

12. उत्प्रेरक पर व्यय:

उत्प्रेरक की खपत पर किए गए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी विनिर्देश में दिए गए उपयोगी जीवन के अनुसार मूल्यहास लगाया जाता है।

13. सेवानिवृत्ति लाभ:

ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण देयता का प्रावधान बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

14. कंपनी की पारिवारिक पेंशन योजना के अंतर्गत भुगतान:

कंपनी की पारिवारिक पेंशन योजना के अंतर्गत भुगतान का हिसाब तब लगाया जाता है जब भुगतान किया जाता है।

15. अनुदान सहायता -वीआरएस:

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान का उपयोग नकद आधार पर किया जाता है।

16. अनुदान सहायता –संयंत्र की मरम्मत और रखरखाव के लिए

- राजस्व से संबंधित अनुदान को 'अन्य आय' के अंतर्गत लाभ और हानि विवरण में क्रेडिट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
- अनुदान से सभी मरम्मत और रखरखाव व्यय को पी एंड एल खाते में चार्ज किया जाता है। ऐसे खर्चों पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया जा रहा है।

method, guidelines, policies, instructions and clarifications given by the Government.

9. Revenue recognition:

- Export sale accounted for based on the rate as per Memorandum of Understanding (Agreement) with MMTC subject to the adjustment as per policy and guidelines issued by the Govt. of India.
- Indigenous Sales is recognized on issue of Delivery Order and proper invoice.
- Income/Expenditure is generally accounted for on accrual basis unless otherwise specifically stated.
- Interest on Advances to Employees is accounted for after the principal is fully recovered.
- Scrap/Salvage/Waste Materials are accounted for as and when sold.

10. Pre-Paid Expenses:

Expenditure up to Rs. 10,000/- in each case incurred in advances relating to the following year(s), is accounted for in the year in which it is incurred.

11. Prior period Adjustments:

Income/Expenditure relating to prior period(s) is accounted for only in cases of errors or omissions.

12. Expenditure on Catalyst:

Expenditure incurred towards consumption of catalyst is capitalized and depreciation charged as per its useful life given in technical specification provided by supplier.

13. Retirement Benefits:

Provision for gratuity and leave encashment liability is made on the basis of actuarial valuation.

14. Payment under Company's Family Pension Scheme:

Payment under Company's Family Pension Scheme is accounted for as and when paid.

15. Grant In Aid -VRS:

Utilization of Grant in Aid against Voluntary Retirement Scheme is accounted for on cash basis.

16. Grant In Aid –For Repair & Maintenance of Plant

- Grants related to revenue are presented as a credit in the Profit & Loss statement under 'Other income'.
- All repair & maintenance expense out of grant are charged to P&L account. GST Input Tax credit are not being availed on such expenses.

- iii. अनुदान की प्राप्ति को भारत सरकार से आस्थगित अनुदान के रूप में मान्यता दी जाती है।
- iv. अनुदान राशि, किए गए व्यय की सीमा तक, लाभ और हानि के विवरण में आय के रूप में मान्यता दी जा रही है।
- 17. आस्थगित कराधान:**
आस्थगित कर को, विवेक के आधार पर, समय के अंतर पर मान्यता दी जाती है, जो कर योग्य और लेखांकन आय/व्यय के बीच का अंतर है जो एक अवधि में उत्पन्न होता है और एक या अधिक बाद की अवधि में उलटने में सक्षम होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि "वास्तविक निश्चितता" न हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्राप्त किया जाएगा।
- 18. विदेशी मुद्रा लेनदेन:**
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट द्वारा कवर न की गई विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्ष के अंत में लागू दरों पर दर्शाया जाता है। अचल संपत्तियों से संबंधित विनिमय अंतर को परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है। किसी भी अन्य विनिमय अंतर को लाभ और हानि खाते में निपटाया जाता है।
- 19. परिसंपत्तियों की क्षति:**
किसी परिसंपत्ति को तब क्षतिग्रस्त माना जाता है जब उसकी वहन लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। क्षतिग्रस्त नुकसान को उस वर्ष लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति की पहचान की जाती है और उसे क्षतिग्रस्त घोषित किया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई परिवर्तन हुआ है तो पिछली लेखा अवधि में पहचानी गई क्षतिग्रस्त हानि को उलट दिया जाता है।
- 20. निवेश:**
सभी निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है। हालाँकि, निवेश के मूल्य में अस्थायी के अलावा किसी अन्य गिरावट को पहचानने के लिए मूल्य में कमी का प्रावधान किया जाता है।
- 21. बयाना राशि जमा एवं सुरक्षा जमा:**
बयाना राशि और सुरक्षा जमा, जो स्थानांतरित नहीं हुई है और उनके विरुद्ध ५ वर्ष से अधिक समय से कोई दावा लंबित नहीं है, उन्हें वापस लिख दिया जाता है और अन्य आय में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- iii. Receipt of grants is recognized as deferred grant from the Government of India. The grant amount, to the extent of expenditure incurred, is being recognized as income in the Statement of Profit and Loss.
- iv. Unutilized/Unspent amount of Grants are shown as deferred Grant.
- 17. Deferred Taxation:**
Deferred tax is recognized, subject to consideration of prudence, on timing differences, being difference between taxable and accounting income/expenditure that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent period(s). Deferred Tax Assets are not recognized unless there is "Virtual Certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.
- 18. Foreign Currency Transaction:**
Foreign currency assets and liabilities not covered by forward contracts are stated at rates ruling at the year end. Exchange differences relating to fixed assets are adjusted in the cost of the assets. Any other exchange differences are dealt with in the Profit and Loss Account.
- 19. Impairment of Assets:**
An asset is treated impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to the Profit & Loss Account in the year in which an asset is identified and declared as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting period is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.
- 20. Investments:**
All investments are stated at cost. However, a provision for diminution in value is made to recognize a decline other than temporary in the value of investment.
- 21. Earnest Money Deposits & Security Deposits:**
Earnest Money Deposits and Security Deposits which has not moved and there is no claims pending against them for more than 5 years are written back and transferred to other income



22. खंड प्रतिवेदन

व्यवसाय खंड किसी उद्यम का एक विशिष्ट घटक है जो किसी व्यक्तिगत उत्पाद या सेवा या संबंधित उत्पादों या सेवाओं के समूह को प्रदान करने में लगा हुआ है और जो लेखांकन मानक-१७ के अनुसार अन्य व्यवसाय खंडों से भिन्न जोखिमों और रिटर्न के अधीन है। कंपनी ने दो प्राथमिक रिपोर्टिंग खंडों की पहचान की है अर्थात् स्वयं निर्मित उर्वरक (यूरिया, जैव-उर्वरक और वर्मी कम्पोस्ट) और उर्वरक व्यापार (स्वदेशी और आयातित)।

23. अनुदान सहायता – उत्प्रेरक के लिए

यदि उत्प्रेरक अनुदान से खरीदा गया हो तो उसे कटौतीत्मक दृष्टिकोण के अनुसार अनुदान में समायोजित किया जाना चाहिए (प्रत्येक उत्प्रेरक पर 1,000 रुपये की कटौती के बाद, जो कि नाममात्र मूल्य है)।

24. देनदारों के लिए प्रावधान:-

व्यापार प्राप्य, अन्य प्राप्य, ऋण और अग्रिम राशि को मामले दर मामले के आधार पर समीक्षा करने पर, उस सीमा तक सदिग्ध माना जाता है, जिस सीमा तक हानि मानी जाती है।

22. Segment Reporting

A business segment is a distinguishable component of an enterprise that is engaged in providing an individual product or service or a group of related products or services and that is subject to risks and returns that are different from those of other business segments as per Accounting Standard-17. Company has Identified two primary reporting segments viz own manufactured fertilizers (Urea, Bio-fertilizers and vermi compost) and fertilizer trading (Indigenous and Imported).

23. Grant In Aid – For Catalyst

In case Catalyst procured out of grant it should be adjusted against grant (after deducting @ Rs. 1,000/- each catalyst, which is nominal value) as per deductive approach.”

24. Provision for Debtors:-

Trade receivables, other receivables, loans and advances are fully provided for as doubtful upon review on case to case basis, to the extent of such loss considered as incurred.

नोट 30: खातों के लिए सामान्य टिप्पणियां

30.1 आकस्मिक देयताएं:

इस प्रावधान को तब मान्यता प्राप्त होती है जब कंपनी के पास पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधान (कर्मचारी लाभ को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है और तुलन पत्र तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है। आकस्मिक देनदारियों को प्रकट टिप्पणियों में किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता दी जाती है और न ही उनका प्रकट किया जाता है।

कंपनी के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से कर्मचारियों/ग्राहकों/आपूर्तिकर्ताओं आदि द्वारा कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए दावे तथा कर और अन्य सरकारी प्राधिकरणों के साथ लंबित कार्यवाही शामिल हैं। कंपनी ने अपने लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है तथा जहां प्रावधान की आवश्यकता है, उसके लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं तथा जहां लागू हो, वहां अपने वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देनदारियों का प्रकट किया है। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम से उसके वित्तीय विवरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा आकस्मिक देनदारियों के लिए उचित प्रकटीकरण नीचे दिया गया है -

31 मार्च 2024 तक आकस्मिक देयताएं निम्नानुसार हैं:-

विवरण	2023 - 24	2022 - 23
कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया:		
i) मुकदमे और अन्य प्रतिबद्धताएं:	199.47	101.73
ii) 'सीएसटी', प्रवेश कर और वैट के विरुद्ध कर देयताएं	684.39	684.39
iii) नवीकरण क्रय दायित्व (ईआरसी विनियमन 2010)	-	747.57
कुल	838.86	1533.69

30.2 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण:

कंपनी, भारत सरकार के रसायन एवं ऊर्जरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

क. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

- (1) श्री एस.पी.मोहंती, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 28 दिसंबर 2023 तक
- (2) श्री एस.सी.दास, निदेशक (वित्त)

NOTE 30:-General Notes to Accounts

30.1 Contingent Liabilities:

A provision is recognized when the Company has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions (excluding employee benefits) are not discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current best estimates. Contingent liabilities are disclosed in the Notes. Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

The Company's pending litigations comprise of claims by or against the Company primarily by the employees/customers/suppliers, etc. and proceedings pending with tax and other government authorities. The Company has reviewed its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where Provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements. The company does not expect the outcome of these proceedings to have a materially adverse effect on its financial statement and appropriate disclosure for contingent liabilities is given below -

As on 31st March 2024 contingent liability are as under:-

Particulars	2023 - 24	2022 - 23
Claims against the Company not acknowledged as debts:		
i) Litigation and Other Commitments :	199.47	101.73
ii) Tax Liabilities against 'CST', Entry Tax & VAT	684.39	684.39
iii) Renewal Purchase Obligation (AERC Regulation 2010)	-	747.57
Total	838.86	1533.69

30.2 Related Party Disclosures:

Company is under the administrative control of Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India.

(A) Key Management Personnel:

- (1) Shri S.P.Mohanty, Chairman & Managing Director Up to 28th December 2023
- (2) Shri S.C. Das, Director (Finance)



(3) श्री पी. के. बनिक 22 मार्च 2023 से निदेशक (उत्पादन) एवं 3 फरवरी 2024 से सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

(4) श्री आर.के. गुप्ता, कंपनी सचिव 31 जुलाई 2023 तक

(5) श्री आर.के. तिवारी, सहायक प्रबंधक (सीएस) 1 अगस्त 2023 से 2 मार्च 2024 तक

ख. अन्य संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था या लेन-देन: - सामान्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक वाला उद्यम

क. हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड

क. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

(1) श्री एस.पी. मोहंती, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

विशिष्ट	2023-24	2022-23
पारिश्रमिक		
-वेतन एवं भत्ते	26.45	33.27
-अन्य लाभ	0.00	0.00
कुल	26.45	33.27

(2) श्री एस.सी.दास, निदेशक (वित्त)

विशिष्ट	2023-24	2022-23
पारिश्रमिक		
-वेतन एवं भत्ते	34.23	31.60
-अन्य लाभ	0.00	0.00
कुल	34.23	31.60

(3) श्री पीके बनिक (उत्पादन) 3 फरवरी 2024 से सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार

विशिष्ट	2023-24	2022-23
पारिश्रमिक		
-वेतन एवं भत्ते	31.46	0.78
-अन्य लाभ	0.00	0.00
कुल	31.46	0.78

(1) श्री आर.के. गुप्ता, कंपनी सचिव

विशिष्ट	2023-24	2022-23
पारिश्रमिक		
-वेतन एवं भत्ते	9.92	24.65
-अन्य लाभ	0.00	0.06
कुल	9.92	24.65

(3) Shri P.K. Banik Director (Production) w.e.f 22nd March – 2023& Addl.Charge of CMD w.e.f 3rd February 2024.

(4) Shri R.K. Gupta, Company Secretary Up to 31st July 2023

(5) Shri. R.K. Tiwari, Assistant Manager (CS) w.e.f.1st August 2023 to 2nd March 2024

(B) Contracts or arrangements or Transactions with other Related Parties:- Enterprise having Common Key Managerial Personnel

a. Hindustan Urvarak & Rasayan Ltd.

(A) Key Management Personnel:

(1) Shri S.P. Mohanty, Chairman & Managing Director

Particular	2023-24	2022-23
Remuneration		
-Salary & Allowances	26.45	33.27
-Other Benefit	0.00	0.00
Total	26.45	33.27

(2) Shri S.C. Das, Director (Finance)

Particular	2023-24	2022-23
Remuneration		
-Salary & Allowances	34.23	31.60
-Other Benefit	0.00	0.00
Total	34.23	31.60

(3) Shri P.K. Banik (Production) Addl.Charge of CMD w.e.f 3rd February 2024

Particular	2023-24	2022-23
Remuneration		
-Salary & Allowances	31.46	0.78
-Other Benefit	0.00	0.00
Total	31.46	0.78

(1) Shri R.K. Gupta, Company Secretary

Particular	2023-24	2022-23
Remuneration		
-Salary & Allowances	9.92	24.65
-Other Benefit	0.00	0.06
Total	9.92	24.65

(5) श्री आरके तिवारी, सहायक प्रबंधक (सीएस) 1 अगस्त 2023 से 2 मार्च 2024 तक

विशिष्ट	2023-24	2022-23
पारिश्रमिक		
-वेतन एवं भत्ते	9.11	0.00
-अन्य लाभ	0.00	0.00
कुल	9.11	0.00

पारिश्रमिक में सेवानिवृत्ति लाभों के बीमांकिक मूल्यांकन पर किया गया प्रावधान शामिल नहीं है।

ख. अन्य संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था या लेन-देन:

a. हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) के साथ

विशिष्ट	2023-24	2022-23
यूरिया की खरीद	2449.45	-
निदेशकों के यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति	4.30	
कुल	2453.75	-

30.3 लेखापरीक्षा व्यय:

क्र.	विशिष्ट	2023-24	2022-23
क)	वैधानिक लेखा परीक्षक		
i.	लेखा परीक्षा शुल्क	2.70	2.40
ii.	यात्रा और जेब से बाहर के खर्चों की प्रतिपूर्ति	-	0.60
ख)	कर लेखा परीक्षा		
i.	लेखा परीक्षा शुल्क एवं अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.80	0.70
ग)	आंतरिक लेखा परीक्षक		
i.	लेखा परीक्षा शुल्क एवं यात्रा भत्ता एवं अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति	1.40	2.86
घ)	लागत लेखा परीक्षक		
i.	लेखा परीक्षा शुल्क एवं अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.37	0.49
ङ)	एफआईसीसी / टॉप लेखा परीक्षक		
i.	लेखा परीक्षा शुल्क एवं अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति	1.11	0.88
च)	पीएफ लेखा परीक्षक		
i.	लेखा परीक्षा शुल्क एवं अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.17	0.18
छ)	लेखा परीक्षा शुल्क सूची / भौतिक सत्यापन लेखा परीक्षा		
		1.00	0
ज)	लेखा परीक्षा शुल्क एवं अन्य सेवाओं के लिए अन्य व्यय		
		4.2	12.98
	कुल	11.76	11.09

(5) Shri R.K. Tiwari, Assistant Manager (CS) w.e.f.1st August 2023 to 2nd March 2024

Particular	2023-24	2022-23
Remuneration		
-Salary & Allowances	9.11	0.00
-Other Benefit	0.00	0.00
Total	9.11	0.00

Remuneration does not include the provision made on actuarial valuation of retirement benefits.

(B) Contracts or arrangements or Transactions with other Related Parties:

a. With Hindustan Urvarak & Rasayan Limited(HURL)

Particular	2023-24	2022-23
Purchase of Urea	2449.45	-
Reimbursement of Travel	4.30	
Expenditure of Directors		
Total	2453.75	-

30.3 Audit Expenses:

Sr.No.	Particular	2023-24	2022-23
A)	Statutory Auditors		
i.	Audit Fee	2.70	2.40
ii.	Reimbursement of travelling and out of pocket expenses	-	0.60
B)	Tax Audit		
i	Audit fee & Reimbursement of Other expenses	0.80	0.70
C)	Internal Auditors		
i.	Audit Fee & Reimbursement of TA & Other expenses	1.40	2.86
D)	Cost Auditors		
i	Audit fee & Reimbursement of Other expenses	0.37	0.49
E)	FICC / TOP Auditors		
i	Audit fee & Reimbursement of Other expenses	1.11	0.88
F)	PF Auditors		
i	Audit fee & Reimbursement of Other expenses	0.17	0.18
G)	Audit fee Inventory / Physical verification Audit 1.00 0		
H)	Audit fee & Other expenses for other services		
		4.21	2.98
	Total	11.76	11.09

30.4 एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि का विवरण:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बकाया राशि का विवरणकंपनी के पास उपलब्ध जानकारी निम्नानुसार है:-

विवरण	31.03.24 तक	31.03.23 तक
क. बकाया और अप्रदत्त मूल राशि	580.25	67.98
ख. उपरोक्त (क) पर देय ब्याज और अदा न किया गया ब्याज	-	-
ग. एमएसएमईडी अधिनियम के तहत सभी विलंबित भुगतानों पर ब्याज का भुगतान	-	-
घ. वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया भुगतान	-	-
ङ. उपरोक्त (ग) के अलावा विलंब की अवधि के लिए देय ब्याज	-	-
च. अर्जित और अप्रदत्त ब्याज	-	-
छ. आगामी वर्षों में देय और भुगतान योग्य शेष ब्याज की राशि	-	-

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशि का निर्धारण ऐसे पक्षों द्वारा दी गई/कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई सीमा तक किया गया है। वर्ष के दौरान एमएसएमईडी पक्षों को देय ब्याज राशि देय/उपार्जित/भुगतान या देय नहीं है।

30.5 एएस 15 (संशोधित) 2005 के अनुसार) कर्मचारी लाभ का प्रकटीकरण :

कंपनी ने कर्मचारी लाभ के लिए आईसीएआई द्वारा जारी एएस 15 (संशोधित 2005) को अपनाया है। अपनाने के परिणामस्वरूप, लेखांकन आदि से संबंधित निम्नलिखित प्रकट एएस 15 (संशोधित 2005) की आवश्यकता के तहत यथासंभव किए गए हैं।

क) परिभाषित अंशदान योजनाएँ
कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भविष्य निधि में कंपनी का योगदान ₹.336.84 है लाख (पिछले वर्ष ₹402.06 लाख)

ख) परिभाषित लाभ योजनाएँ
जो लाभ योजनाएं चल रही हैं, वे हैं ग्रेच्युटी फंड और अर्जित अवकाश। दायित्व का वर्तमान मूल्य प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट (PUC) पद्धति का उपयोग करके एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो सेवा की प्रत्येक अवधि को कर्मचारी लाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई के रूप में पहचानता है और अंतिम दायित्व बनाने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापता है। अर्जित अवकाश के लिए दायित्व को ग्रेच्युटी के समान तरीके से पहचाना जाता है।

30.4 Details of dues to Micro and Small Enterprises as per MSMED Act, 2006:

The details of amounts outstanding to Micro, Small and Medium Enterprise under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act), based on the available information with the Company are as under:-

Particulars	As at 31.03.24	As at 31.03.23
a. Principal amount due and remaining unpaid	580.25	67.98
b. Interest due on (a) above and unpaid interest	-	-
c. Interest paid on all delayed payments under the MSMED Act	-	-
d. Payment made beyond the appointed day during the year	-	-
e. Interest due and payable for the period of delay other than © above	-	-
f. Interest accrued and remaining unpaid	-	-
g. Amount of further interest remaining due and payable in succeeding years	-	-

Dues to Micro and small enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information given by such parties/available with the Company. Interest amount due to MSMED parties during the year is not due/accrued/paid or payable.

30.5 Disclosure pursuant to AS 15 (Revised) 2005) - Employee Benefits:

The Company has adopted AS 15 (Revised 2005) for Employee Benefits issued by ICAI. Consequent to the adoption, the following disclosures related to accounting etc. are made as far as practicable under AS 15 (Revised 2005) requirement.

a) Defined Contribution Plans

The Company's contribution to Provident Fund for employees and executives is ₹.336.84 lakh (previous year ₹402.06 lakh)

b) Defined Benefit plans

The Benefit plans which are in operation are Gratuity Fund and Earned Leave. The present value of the obligation is determined based on Actuarial Valuation using the Project Unit Credit (PUC) method, which recognizes each period of service as giving rise to additional unit of employee benefits entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. The obligation for Earned Leave is recognized in the same manner as Gratuity.

ग) एक्चुअरी द्वारा प्रमाणित विभिन्न आंकड़े:-

क. परिभाषित लाभ दायित्व के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश
वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2239.90	1040.21
अधिग्रहण समायोजन	-	-
ब्याज लागत	161.27	75.94
पिछली सेवा लागत	-	-
वर्तमान सेवा लागत	54.43	49.19
कटौती लागत	-	-
निपटान लागत	-	-
भुगतान किये गये लाभ	(1161.62)	(668.51)
दायित्वों का बीमांकिक (लाभ)/हानि	343.86	367.37
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1637.84	864.20
i) दीर्घकालिक देयता	1475.92	802.45
ii) वर्तमान देयता	161.92	61.75
	1637.84	864.20

ख. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाला

विवरण:- यह योजना वित्त पोषित नहीं है, इसलिए यह लागू नहीं है।

ग. परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का मिलान:- यह योजना वित्तपोषित नहीं है, इसलिए यह लागू नहीं है।

घ. लाभ/हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश
वर्तमान सेवा लागत	54.43	49.19
पिछली सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत	161.277	5.93
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	-	-
कटौती लागत	-	-
निपटान लागत	-	-
दायित्वों का बीमांकिक लाभ/(हानि)	343.86	367.37
लाभ/हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	559.56	492.50

c) Various data as certified by Actuary:-

A. Reconciliation of opening and closing balance of Defined benefits Obligation

	Gratuity	Earned Leave
Present value of Obligation at the beginning of the year	2239.90	1040.21
Acquisition Adjustment		
Interest Cost	161.27	75.94
Past Service Cost	-	-
Current Service Cost	54.43	49.19
Curtailement Cost	-	-
Settlement Cost	-	-
Benefits Paid	(1161.62)	(668.51)
Actuarial (gain)/loss of obligations	343.86	367.37
Present value of obligation at the end of the year	1637.84	864.20
i) Long term liability	1475.92	802.45
ii) Current liability	161.92	61.75
	1637.84	864.20

B. Statement showing change in fair value of plan assets:-
Not Applicable as Scheme is unfunded.

C. Reconciliation of present value of defined benefit obligation and fair value of plan Assets:- Not Applicable as Scheme is unfunded.

D. Expenses Recognized in Statement of Profit/Loss

	Gratuity	Earned Leave
Current Service Cost	54.43	49.19
Past Service Cost	-	-
Interest Cost	161.27	75.93
Expected return on Plan Assets	-	-
Curtailement Cost	-	-
Settlement Cost	-	-
Actuarial gain/(loss) of obligations	343.86	367.37
Expenses Recognized in Statement of Profit/Loss	559.56	492.50



ड. बीमांकिक मान्यताएं

विवरण	उपहार	अर्जित अवकाश
मृत्यु दर तालिका (आईएलएम)	2006 - 08	2006 - 08
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
शीघ्र सेवानिवृत्ति एवं विकलांगता (10 प्रति हजार)		
- आयु 45 वर्ष से अधिक	6	6
- आयु 29 से 45 के बीच	3	3
- आयु 29 वर्ष से कम	1	1
छूट की दर	7.00%	7.00%
महंगाई दर	5.00%	5.00%
परिसंपत्ति पर प्राप्ति	लागू नहीं	लागू नहीं

30.6- भविष्य निधि के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट को कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 79सी के तहत अधिसूचना संख्या AS/620/Exempt/Genl/1468 दिनांक 08.08.2007 के तहत छूट दी गई थी। हालांकि, कंपनी के पिछले परिचालन प्रदर्शन और ईपीएफ ट्रस्ट के अनुपालन संबंधी मुद्दे के कारण, ईपीएफओ ने छूट आदेश को वापस लेने के लिए संख्या AS/TSK/EXEMPT/APCL/2008/287 दिनांक 20.04.2009 के तहत एक नोटिस जारी किया है। इसके बाद, नामरूप फर्टिलाइजर श्रमिक यूनियन ने आरपीएफसी, तिनसुकिया द्वारा छूट आदेश को वापस लेने को रद्द करने/रद्द करने के लिए माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 5310/2009 दायर की। इसके बाद, माननीय न्यायमूर्ति श्री आई.ए.अंसारी ने 7 अप्रैल 2010 के फैसले के तहत आदेश दिया और निर्देशित किया कि अगले आदेश तक प्रतिवादी अदालत की अनुमति प्राप्त किए बिना बीवीएफसीएल के भविष्य निधि खाते को ईपीएफओ में स्थानांतरित नहीं करेगा। 13.03.2018 को माननीय उच्च न्यायालय की अंतिम सुनवाई के दौरान, यह देखा गया कि चूंकि ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम 1952 के पैरा 79 सी के तहत छूट देने / रद्द करने के लिए आरपीएफसी को सौंपी गई शक्ति को श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या सी - II / MISC / 02/06 / EX / खंड - I / 11854 दिनांक 24.07.2012 द्वारा वापस ले लिया है, न्यायालय के पास भारत सरकार के आरोपित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है और 2009 की तत्काल रिट याचिका संख्या 5310 को निरर्थक होने के कारण बंद कर दिया गया है। सीपीएफ आयुक्त (छूट), ईपीएफओ, नई दिल्ली ने अपने पत्र संख्या ए/VI/पीएफ/एक्सएम/18 - 19 / 10042 दिनांक 07.05.2018 के माध्यम से ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम 1952 के पैरा 17(1) (ए) के अंतर्गत छूट प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है, जो विचाराधीन है लेकिन अंतिम आदेश आना बाकी है।

E. Actuarial Assumptions

	Gratuity	Earned Leave
Mortality Table (IALM)	2006 - 08	2006 - 08
Superannuation Age	60	60
Early Retirement & Disablement (10 Per Thousand P.A)		
- age above 45	6	6
- age between 29 and 45	3	3
- age below 29	1	1
Discount Rate	7.00%	7.00%
Inflation Rate	5.00%	5.00%
Return on Asset	N / A	N / A

30.6- Disclosure regarding Provident Fund

The Company's Provident Fund Trust was granted relaxation under para 79C of Employees Provident Fund scheme 1952 vide Notification No. AS/620/Exempt/Genl/1468 dtd. 08.08.2007. However, due to past operational performance of the company and compliance related issue of EPF trust, EPFO has issued a notice vide No.AS/TSK/EXEMPT/APCL/2008/287 dtd.20.04.2009 for withdrawal of relaxation order. Thereafter, Namrup Fertilizer Shramik Union filed a writ Petition No. 5310 of 2009 before the Hon'ble Guwahati High Court for set aside/quash the withdrawal of relaxation order by RPFC, Tinsukia. Subsequently, the Hon'ble Justice Mr. I.A.Ansari vide judgment dated 7th April 2010 has ordered and directed that until further order, the respondent shall not transfer the Provident Fund Account of BVFCL to EPFO without obtaining leave of the Court. During final hearing of the Hon'ble High Court on 13.03.2018, it was viewed that since power delegated to RPFC for grant / cancel of relaxation under Para 79C of EPF & MP Act 1952 have been withdrawn by Ministry of Labour & Employment, GoI vide letter No. C - II/MISC/02/06/EX/Vol - I/11854 Date 24.07.2012, The Court has no basis to cause interference with the impugned decision of the GoI and the instant Writ petition No. 5310 of 2009 stands closed as having become redundant. However, a representation has been made to Addl. CPF Commissioner (Exemption), EPFO, New Delhi vide our letter No. A/VI/PF/EXEMPT/18 - 19/10042 Date 07.05.2018 for grant of relaxation under Para 17(1) (a) of EPF & MP Act.' 1952 which is under consideration but final order is yet to come.

इसके बाद, आरपीएफसी, टीएसके ने 13 सितंबर 2018 को अपने पत्र संख्या एनई/टीएसके/एक्सई/बीवीएफसीएल/1334 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के 13.03.2018 के अंतिम निर्णय के आधार पर बीवीएफसीएल ईपीएफ ट्रस्ट के पिछले संचय को सीबीटी खाते में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। इस बीच, 2 मई 2018, 16 जुलाई 2018, 8 अगस्त 2018, 28 सितंबर 2018 और 22 अक्टूबर 2018 को हमारे पत्र के माध्यम से छूट प्रदान करने के लिए सीपीएफसी और आरपीएफसी के साथ कई बार संवाद किया गया है। लेकिन सीपीएफसी और आरपीएफसी द्वारा किसी भी प्रतिनिधित्व का जवाब नहीं दिया गया है।

बाद में, न्यासी बोर्ड ने 27 सितंबर 2018 को आयोजित अपनी 36वीं बैठक में माननीय उच्च न्यायालय में फिर से एक रिट याचिका दायर करने का निर्णय लिया और ट्रस्ट के कार्यकारी अधिकारी/सचिव और ट्रस्ट की ओर से कार्यकर्ता/कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी सदस्य ट्रस्टी को याचिका निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया। तदनुसार, 01.11.2018 को केस संख्या WP(C) 7528/2018 के तहत गुवाहाटी उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई है। माननीय न्यायालय ने मामले को 19.11.2018 को निर्देश के लिए तय किया है और आरपीएफसी, तिनसुकिया द्वारा जारी 13 सितंबर 2018 के आदेश के संचालन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। 19.11.2018 को पक्षों की सुनवाई के बाद मामले को 18.12.2018 को निर्देश के लिए तय किया भारत संघ एवं अन्य की ओर से 18.12.2018 को न्यायालय में उपस्थित हुए, अतः माननीय न्यायालय यह निर्देश देने में प्रसन्न है कि इस बीच 31 अक्टूबर 2018 का स्थगन आदेश जारी रहेगा। आज तक निर्देश के लिए कोई अगली तिथि तय नहीं की गई है।

कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट (बीवीएफसीएल ईपीएफ ट्रस्ट), अपने सचिव द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए, 25 अक्टूबर 2018 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या - 4 (यानी आरसीपीएफ -1, तिनसुकिया) द्वारा जारी आदेश संख्या, एनई / टीएसके / एक्सई / बीवीएफसीएल / 1334 दिनांक 13.09.2018 और प्रतिवादी संख्या 2 (यानी ईपीएफओ, नई दिल्ली) द्वारा जारी पत्र संख्या - सी - एक्स / सी- II / 14 (16) / 2005 / एक्स / ईजेड दिनांक 24.09.2018 को रद्द करने और रद्द करने की प्रार्थना की गई और आदेश दिनांक 31 अक्टूबर 2018 के तहत माननीय उच्च न्यायालय ने 13 सितंबर 2018 और 24 सितंबर 2018 के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी। इसके बाद, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 18.12.2018 को अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें 13.09.2018 और 24.09.2018 के उक्त विवादित आदेशों के क्रियान्वयन को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया (आदेश की प्रति संलग्न है)। मामले को 17/10/2023 को सूचीबद्ध किया गया था, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा स्थगन के अनुरोध पर, मामले को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद आज तक अगली सुनवाई की तिथि तय नहीं की गई है।

Subsequently, the RPFC, TSK, vide letter No. NE/TSK/Exe/ BVFCL/ 1334 dated 13th September'18 has ordered for transfer of past accumulation of BVFCL EPF Trust to CBT Account based on the final judgment of Hon'ble High Court on 13.03.2018. In the meantime, series of communication have been made with CPFC & RPFC for grant of relaxation vide our letter dated 2nd May 2018, 16th July 2018, 8th August 2018, 28th September 2018 and 22nd October 2018. But no representation has been responded by either CPFC & RPFC.

Later on, The Board of Trustees in its 36th meeting held on 27th September 2018, have decided to file a Writ Petition again with Hon'ble High Court and Authorized the Executive Officer / Secretary of the Trust and any member trustee representing workman / employee on behalf of the Trust to execute the petition. Accordingly, a Writ Petition have been filed with Guwahati High Court on 01.11.2018 vide Case No. WP(C) 7528/2018. The Hon'ble Court has fixed the case for instruction on 19.11.2018 and ordered to staying the operation of latter dated 13th September 2018 issued by RPFC, Tinsukia. On 19.11.2018, upon hearing the parties have fixed the case for instruction on 18.12.2018. No counsel on behalf of Union of India & Ors has attended the Court on 18.12.2018, hence the Hon'ble Court further pleased to direct that the stay Order dated 31st October 2018 in the meantime shall continue. No further date has fixed for instruction till date.

Employees Provident fund Trust (BVFCL EPF TRUST), Rep. by its Secretary filed writ petition on 25.10.18 before Guwahati High Court praying inter-alia for setting aside and quash the order No, NE/TSK/Exe/BVFCL/1334 dated 13.09.2018 issued by respondent No. - 4 (i.e. RCPF -1, Tinsukia) and letter No. - C - EX/C- II/14(16)/ 2005/ Ex/ EZ dated 24.09.2018 issued by the respondent No. 2 (i.e. EPFO, New Delhi) and vide Order dated 31.10.18 Hon'ble High Court stayed the operation of impugned order dated 13.09.2018 & 24.09.2018. Thereafter, the Gauhati High Court passed the interim order on 18.12.2018 suspending the operation of said impugned orders dated 13.09.2018 and 24.09.2018 until further orders(copy of order attached herewith). The matter had been listed on 17/10/2023, On request for adjournment by the learned counsel of the Petitioner, the matter was adjourned for two weeks. After that the next date hearing has not been fixed till date.



30.7- खंड प्रतिवेदन :

कंपनी ने दो प्राथमिक प्रतिवेदन खंडों की पहचान की है, अर्थात् स्वयं निर्मित उर्वरक (यूरिया, जैव-उर्वरक और वर्मी कम्पोस्ट) और उर्वरक व्यापार (स्वदेशी और आयातित)। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी एएस-17 के अनुसार उक्त खंड के संबंध में जानकारी नीचे दी गई है।

30.7- Segment Reporting:

Company has Identified two primary reporting segments viz own manufactured fertilizers (Urea, Bio-fertilizers and vermi compost) and fertilizer trading (Indigenous and Imported). Information in respect of said segment as required by AS-17, issued by Institute of Chartered Accountants of India is given hereunder.

विवरण	Particulars	व्यापार		उत्पादन		समेकित कुल	
		चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
आय	REVENUE					-	-
बाहरी बिक्री	External sales	27,327.77	42,516.99	47,568.66	72,042.70	74,896.43	1,14,559.69
अन्य कमाई	Other Income	-	-	6,356.91	1,199.57	6,356.91	1,199.57
अंतर-खंड बिक्री	Inter-segment sales	-	-	-	-	-	-
कुल राजस्व	Total Revenue	27,327.77	42,516.99	53,925.57	73,242.28	81,253.34	1,15,759.26
परिणाम	RESULT						
खंड परिणाम	Segment result	1,185.25	1,936.12	(351.05)	501.52	834.20	2,437.63
अनावंटित कॉर्पोरेट व्यय	Unallocated corporate expenses	-	-	-	-	-	-
परिचालन लाभ	Operating profit	1,185.25	1,936.12	(351.05)	501.52	834.20	2,437.63
ब्याज व्यय	Interest expense	-	-	-	-	-	-
आयकर	Income taxes	-	-	-	-	-	-
सामान्य गतिविधियों से लाभ	Profit from ordinary activities	1,185.25	1,936.12	(351.05)	501.52	834.20	2,437.63
शुद्ध लाभ	Net profit	1,185.25	1,936.12	(351.05)	501.52	834.20	2,437.63
अन्य सूचना	OTHER INFORMATION						
खंड परिसंपत्तियाँ	Segment assets	63,872.75	69,559.05	63,872.75	69,559.05		
अनावंटित कॉर्पोरेट परिसंपत्तियाँ	Unallocated corporate assets	-	-	-	-		
कुल संपत्ति	Total assets	-	-	63,872.75	69,559.05	63,872.75	69,559.05
खंड देयताएं	Segment liabilities	-	-	95,492.83	1,02,013.33	95,492.83	1,02,013.33
असंबद्ध कॉर्पोरेट देयताएं	Unallocated corporate liabilities	-	-	-	-		
कुल देनदारियों	Total liabilities	-	-	95,492.83	1,02,013.33	95,492.83	1,02,013.33
पूँजीगत व्यय	Capital expenditure	-	-	790.04	357.54	790.04	357.54
मूल्यहास	Depreciation	-	-	1,513.74	3,472.76	1,513.74	3,472.76
मूल्यहास के अलावा अन्य गैर-नकद व्यय	Non-cash expenses other than depreciation	-	-	223.66	663.19	223.66	663.19

30.8- अनुपातों का प्रकटीकरण

30.8- Disclosure of Ratios

महत्वपूर्ण अनुपातों का खुलासा निम्नानुसार है: -

The disclosure of significant ratios is as under: -

Sl No. क्रम सं.	Ratio अनुपात	Numerator मीटर	Denominator भाजक	31.03.2024 31.03.2024	31.03.2023 31.03.2023	Variance मतभेद	Reason कारण
1	वर्तमान अनुपात Current Ratio	वर्तमान संपत्ति Current Assets	वर्तमान देयताएं Current Liabilities	1.32	1.32	0%	
2	ऋण इक्विटी अनुपात Debt – Equity Ratio	दीर्घकालिक उधार Long term borrowing	इक्विटी और रिजर्व Equity & Reserve	-1.81	(1.77)	2%	-
3	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात Debt Service Coverage Ratio	ब्याज से पहले कर के बाद नकद लाभ Cash profit after tax before interest	ब्याज सहित किस्त Installment with Interest	शून्य NIL	शून्य NIL	-	-
4	इक्विटी पर रिटर्न (आरओई): Return on Equity (ROE):	शुद्ध लाभ Net Profit	इक्विटी शेयर पूंजी और रिजर्व Equity Share Capital & reserve	-3%	-8%	-63%	लाभप्रदता में कमी Decrease in profitability
5	इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात Inventory Turnover Ratio	बेचे गए माल की कीमत Cost of Goods Sold	औसत इन्वेंट्री Average Inventory	6.68	17.41	-62%	वर्ष के अंत में व्यापारिक वस्तुओं की सूची में वृद्धि और व्यापार की मात्रा में कमी के कारण। Due to Increase in year end inventory of trading good and also decrease in volume of Business.
६	व्यापार प्रायः कारोबार अनुपात Trade receivables	बिक्री Sales	देनदारों के खुलने और बंद होने का औसत Average of opening turnover ratio & closing of debtors	3.2	7.15	-55%	वर्ष के अंत में इन्वेंट्री में वृद्धि और बिक्री में कमी के कारण। Due to Increase in year end inventory and decrease in sales.
७	व्यापार देयता कारोबार अनुपात Trade payables turnover ratio	खरीदना Purchase	लेनदार खरीद के आरंभ और समाप्त का औसत Average of opening & closing of creditor Purchase	1.44	3.44	-58%	प्राकृतिक गैस की कीमत की खरीद लागत में कमी और व्यापारिक वस्तुओं में कमी के कारण Due to decrease in Purchase cost of Natural Gas Price and decrease in traded goods
८	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात Net capital turnover ratio	शुद्ध वार्षिक बिक्री Net Annual Sales	कार्यशील पूंजी Working Capital	६.९७	९.६६	-२८%	टर्नओवर में कमी के कारण Due decrease in Turnover
9	शुद्ध लाभ अनुपात Net profit ratio	शुद्ध लाभ Net Profit	कारोबार Turnover	0.01	0.02	-50%	कारोबार में कमी के कारण Due to decrease in turnover
10	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) Return on capital employed (ROCE)	ईबीआईटी EBIT	नियोजित पूंजी (ऋण + इक्विटी) Capital Employed (Debt + Equity)	2.99%	10%	-70%	लाभ में कमी और नियोजित पूंजी में वृद्धि के कारण Due to decrease in profit and Increased in Capital employed
११	निवेश पर प्रतिफल Return on investment	ईबीआईटी EBIT	नियोजित पूंजी (ऋण + इक्विटी) Capital Employed (Debt + Equity)	शून्य NIL	शून्य NIL	-	



30.9- सरकारी अनुदान की मान्यता-सामान्य

भारत सरकार ने यूरिया विनिर्माण इकाइयों के संचालन को बनाए रखने के लिए संयंत्रों की मरम्मत और रखरखाव के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 10,000 लाख रुपये की राशि मंजूर और वितरित की है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रयुक्त सरकारी अनुदान पर अर्जित 391.11 लाख रुपये (पिछले वर्ष ₹ 412.71 लाख) को उपरोक्त आस्थगित सरकारी अनुदान में शामिल किया गया है।

उर्वरक विभाग को ₹ 4842.80 लाख रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करवाए गए हैं (जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 2597.77 लाख रुपये) और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1277.77 लाख रुपये और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 967.26 लाख रुपये) का उपयोग शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल व्यय राशि 2765.11 लाख रुपये थी और विवरण निम्नानुसार है:-

विशिष्ट	2023-24	2022-23
आपूर्ति के विरुद्ध अग्रिम	424.45	141.47
सामग्री खरीदी गई, अभी तक उपभोग नहीं किया गया	489.80	733.89
वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए जीएसटी सहित क्रय एवं उपभोग की गई सामग्री रु. 331.17 (अन्य आय के अंतर्गत मान्यता प्राप्त)	2558.87	345.21
पूर्व वर्ष के जीएसटी को सहायता अनुदान के रूप में मान्यता दी गई (वित्त वर्ष 22-23 के लिए पूर्व वर्ष का जीएसटी 57.20 रुपये और अन्य आय के तहत 149.04 रुपये मान्यता दी गई)	206.24	-
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त कुल अनुदान आय	2765.11	345.21
प्रयुक्त सामग्री पर जीएसटी भुगतान (जीएसटी का उलटफेर)	-	57.20
कुल	3679.36	1277.77

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 16 (ii) के अनुसार सहायता अनुदान पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया जा रहा है और इसलिए इसे व्यय में चार्ज किया जाना चाहिए। हालांकि वित्तीय वर्ष 21-22 और 22-23 के दौरान इसे व्यय में चार्ज नहीं किया गया था। चालू वर्ष में पिछले वर्ष के सहायता अनुदान व्यय से संबंधित जीएसटी को पूर्व अवधि व्यय के रूप में चार्ज किया गया है और सहायता अनुदान आय में इसी के अनुरूप वृद्धि हुई है।

30.9- Recognition of Government Grant-General

Government of India has sanctioned and disbursed of an amount of Rs 10,000 lakhs during the financial year 2021-22 for Repair & Maintenance of plants to sustain operation of the Urea Manufacturing Units. Interest of ₹391.11 lakhs during FY 2023-24 (Previous year ₹ 412.71 lakhs) earned on unutilized government grant have been included in the above Deferred Government Grant.

Utilization Certificate of ₹4842.80 lakhs has been submitted to Department of Fertilizers (Comprising Utilization of ₹2597.77 lakhs during FY 2023-24 and ₹1277.77 lakhs during FY 2022-23 and ₹967.26 lakhs during FY 2021-22).

During the financial year 2023-24, the total amount incurred was of an amount of Rs. 2765.11 lakhs and details are as under:-

Particular	2023-24	2022-23
Advance against supplies	424.45	141.47
Material procured, yet to be consumed	489.80	733.89
Material procured and consumed including GST for the FY 23-24 Rs. 331.17 (Recognized under other income)	2558.87	345.21
Prior Year GST recognized as Grant in Aid (prior year GST of Rs. 57.20 for FY 22-23 & Rs.149.04 recognized under other income)	206.24	-
Total Grant Income recognized in Profit & Loss Account	2765.11	345.21
GST Payment on used material (Reversal of GST)	-	57.20
Total	3679.36	1277.77

As per the significant accounting policy 16 (ii) GST Input Tax credit on Grant in Aid are not being availed and hence same needs to be charged off to expenses. However during the financial year 21-22 & 22-23 same was not charged to expenses. In the current year the GST relating to previous year grant in Aid expenses has been charged to as prior period expenses and with corresponding increase in the Grant in Aid Income.

30.10 (क) प्रगति पर पूंजीगत कार्य:-

(क) पूंजीगत - कार्य - प्रगति पर आयु निर्धारण अनुसूची के लिए:-

सीडब्ल्यूआईपी में अवधि के लिए राशि					
सीडब्ल्यूआईपी	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	इससे अधिक	कुल
एसएसपी प्लांट पर डीपीआर व्यय	-	3.91	-	-	3.91
डीपीआर व्यय सौर ऊर्जा परियोजना	-	7.12	-	-	7.12
नामरूप-IV पर डीपीआर व्यय	-	-	-	457.17	457.17

(ख) पूंजीगत के लिए - प्रगति पर कार्य, जिसका पूरा होना विलम्बित है या जिसकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है।

विलम्बित					
सीडब्ल्यूआईपी	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	इससे अधिक	कुल
एसएसपी प्लांट	0	0	0	0	0
सौर ऊर्जा परियोजना	0	0	0	0	0
नामरूप-IV	0	0	0	0	0

(बी) विकासधीन अमूर्त परिसंपत्तियां:-

(क) विकास आयु अनुसूची के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए:-

सीडब्ल्यूआईपी में अवधि के लिए राशि					
सीडब्ल्यूआईपी	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	इससे अधिक	कुल
एसएसपी कार्यान्वयन		24.50	-	-	24.50

- चूंकि परियोजना नामरूप-IV, डीओएफ के विचाराधीन है तथा अपेक्षित समापन तिथि और अनुमानित लागत डीओएफ द्वारा अधिसूचित नहीं की गई है, इसलिए इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत में कोई देरी या अधिकता नहीं है।
- प्रबंधन के निर्णय के अनुसार, SAP ERP S/4 HANA के कार्यान्वयन को टैली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंतिम कार्यान्वयन/स्थिरीकरण तक रोक दिया गया है।
- एसएसपी परियोजना- उर्वरक विभाग, भारत सरकार ने नई एसएसपी परियोजना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, इसके बाद बोर्ड ने डीपीआर अध्ययन, तकनीकी सह वित्तीय मूल्यांकन के आधार पर परियोजना के लिए निवेश की मंजूरी भी दे दी है। एसएसपी परियोजना की स्थापना के लिए एलएसटीके ठेकेदार की नियुक्ति के लिए निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया में है।
- सौर ऊर्जा परियोजना- हाल ही में सलाहकार ने नामरूप में प्रस्तावित 2.4 मेगावाट सौर पीवी पावर परियोजना के लिए अंतिम डीपीआर प्रस्तुत की है। रूफटॉप सिस्टम की स्थापना के लिए डेवलपर का चयन अभी किया जाना है।

30.10 (A) Capital work in progress:-

(a) For Capital - Work - in - progress ageing schedule:-

Amount in CWIP for a period of					
CWIP	Less than year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 1 years	Total
DPR Expenses on SSP Plant	-	3.91	-	-	3.91
DPR Expenses on Solar Power Project	-	7.12	-	-	7.12
DPR Expenses on Namrup-IV	-	-	-	457.17	457.17

(b) For capital - work in progress, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan.

To be completed in					
CWIP	Less than year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 1 years	Total
SSP Plant	0	0	0	0	0
Solar Power Project	0	0	0	0	0
Namrup-IV	0	0	0	0	0

b) Intangible assets under development:-

(a) For Intangible assets under development ageing schedule:-
(₹ in lakhs)

Amount in CWIP for a period of					
CWIP	Less than year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 1 years	Total
SAP Implementation		24.50	-	-	24.50

- Since the Project Namrup-IV is under consideration of DoF and expected completion date and estimated cost has not been notified by DoF, hence there is no ageing for overdue or exceeded its cost compared to its original plan.
- As per management decision implementation of SAP ERP S/4 Hana has been put on hold till final implementation / stabilization of Tally Prime Accounting Software.
- SSP Project- Department of Fertilizer, GoI has given in principal go ahead approval for the new SSP Project, Subsequently Board has also given investment approval for the project based on DPR Study, technical cum financial appraisal. Tender for engagement of LSTK contractor for establishment of SSP Project is under evaluation process.
- Solar Power Project- Recently the consultant has submitted the final DPR for the proposed 2.4 MW Solar PV Power Project at Namrup. Developer for Installation of Rooftop system is yet to be selected.



30.11 गैस परिवहन शुल्क पर टिपण्णी

बीवीएफसीएल और एजीसीएल के बीच प्रारंभिक गैस परिवहन समझौता वर्ष 2005 से 2015 तक 10 वर्षों के लिए किया गया था। इसे उन्हीं नियमों और शर्तों के साथ 5 वर्षों की अवधि यानी 2020 तक के लिए आगे बढ़ाया गया था। इसके बाद, मूल अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार गैस के परिवहन के लिए दोनों कंपनियों द्वारा 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। अंतिम समझौता ज्ञापन की वैधता 31.03.2022 तक थी। उक्त समझौता ज्ञापनों में यह सहमति हुई थी कि समझौते पर हस्ताक्षर करने पर एजीसीएल पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित चालान प्रस्तुत करेगा और शेष राशि को मासिक चालान / क्रेडिट / डेबिट नोटों के माध्यम से पार्टियों द्वारा उचित समझे जाने पर समायोजित किया जाएगा। हालांकि परिवहन शुल्क और समझौते को 31 मार्च, 2024 तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इस मामले में असम सचिवालय में 09 मई, 2024 को असम सरकार, उद्योग, वाणिज्य और पीई विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। असम सरकार, उद्योग, वाणिज्य और पीई विभाग के सचिव के निर्देशानुसार 17 मई, 2024 को दोनों कंपनियों के प्रबंधन के बीच एक बैठक हुई। उक्त बैठक में दोनों कंपनियों के प्रबंधन ने परिवहन शुल्क पर सहमति व्यक्त की। दोनों कंपनियों के प्रबंधन के बीच 17 मई, 2024 के एमओएम के आधार पर वित्त वर्ष 2023-24 में परिवहन शुल्क संशोधित किया गया है। तदनुसार, अप्रैल 2020 से मार्च 2024 तक 4617.83 लाख रुपये का अतिरिक्त परिवहन शुल्क विवाद के निपटारे पर देयता के त्याग के रूप में असाधारण मदों के तहत दिखाया गया है।

30.12 तैयार माल की सूची की कमी के लिए पूर्व अवधि त्रुटि

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 253.17 लाख रुपये की तैयार माल की सूची की कमी की पहचान की गई और निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार पुस्तकों में सूची का मूल्य दर्ज किया गया और उसी के विरुद्ध कमी के मूल्य के बराबर राशि का प्रावधान बनाया गया। इसके बाद वित्त वर्ष 2022-23 में समिति की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर सूची का लेखा-जोखा किया गया, इसलिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए यूरिया की कमी से संबंधित सूची को वित्त वर्ष 22-23 की खपत में शामिल किया गया। हालांकि बनाया गया प्रावधान लेखा पुस्तकों में मौजूद था। वित्त वर्ष 23-24 में सूची में 253.17 रुपये की राशि बढ़ाकर और उस सीमा तक पूर्व वर्ष की खपत की गई सामग्री (यूरिया की कमी) को जमा करके त्रुटि को सुधारा गया है।

30.11 Note on Gas Transportation Charges

The initial Gas Transportation Agreement between BVFCL & AGCL was made for 10 Years effective from the Year 2005 to 2015. It was further extended for a period of 5 Years i.e. up to 2020 with the same terms and conditions. Thereafter, 4 Nos. of MoU were signed by both the Companies to transport the gas as per the terms and conditions of the Original Contract. The validity of the last MoU was up to 31.03.2022. It was agreed in the said MoU's that on signing of the agreement AGCL shall submit the revised invoices with retrospective effect and balance amount will be adjusted through monthly invoices / through credit / debit notes as deemed fit by the parties. However the Transportation Charges and the Agreement could not be finalized upto March 31, 2024. In the matter a meeting was held on May 09, 2024 at Assam Secretariat chaired by Secretary to Govt of Assam, Industries, Commerce & PE Dept. As directed by Secretary to Govt of Assam, Industries, Commerce & PE Dept a meeting was held on May, 17, 2024 between the management of both the companies. In the said meeting the management of both the companies agreed on the Transportation Charges. Based on the MOM dated May 17, 2024 between the management of both the companies the Transportation charges has been revised in the FY 2023-24. Accordingly the excess Transportation charged from April 2020 to March 2024 amounting to Rs. 4617.83 lakhs has been shown under Exceptional items as Relinquishment of liability on settlement of dispute.

30.12 Prior period error for shortage of inventory of finished goods

During the FY 2021-22 shortage of inventory of finished goods amounting to Rs 253.17 lakhs were identified and as per the directives of the BoD the value of inventory was carried in the books and a corresponding provision against the same was created for the amount equivalent to the value of shortage. Subsequently in the FY 2022-23 the inventory was accounted based on the physical verification report of the committee hence the inventory pertaining to the shortage of urea for FY 2021-22 was charged off to consumption of the FY 22-23. However the provision created existed in the books of account. The error has been rectified in the FY 23-24 by increasing the inventory by the amount of Rs. 253.17 and crediting the prior year material consumed (shortage of urea) to that extent.

30.13-अतिरिक्त जानकारी

आयात के मूल्य, विदेशी मुद्रा में व्यय, भंडार एवं स्पेयर्स की खपत तथा अन्य संबंधित ब्यौरे के संबंध में अतिरिक्त जानकारी निम्नानुसार दी गई है:-

क्र.	विवरण	2023-24	2022-23
1)	आयात का मूल्य सीआईएफ आधार पर परिकलित किया गया		
	i. कच्चा माल		-
	ii. पूंजीगत माल	37.47	352.42
	iii. घटक एवं स्पेयर पार्ट्स		-
2)	विदेशी मुद्रा में व्यय	46.27	10.41
	I. उत्पादों की खरीद		-
	ii. तकनीकी जानकारी		-
	iii. व्यावसायिक परामर्श शुल्क		-
	iv. अन्य सामग्री(यात्रा)		-

3) उपभोग किए गए रसायन और उत्प्रेरक सहित कच्चे माल, भंडार और स्पेयर पार्ट्स और घटकों का मूल्य:-

क्र.	विवरण	2023-24	%	2022-23	%
i.	आयातित	105.90	0.64%	149.64	0.72%
ii.	स्वदेशी	16,614.76	99.36%	20615.50	99.28%
	कुल	16,720.66	100%	20765.14	100%

4) विदेशी मुद्रा में कमाई - -

5) अनुसंधान एवं विकास

क. राजस्व व्यय

ख. पूंजीगत व्यय

6) अन्य जानकारी :

क) कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख: सभी संपत्तियां कंपनी के नाम पर हैं।

ख) बेनामी संपत्ति का ब्यौरा - 31 मार्च, 2024 तक बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

ग) विलफुल डिफॉल्टर - कंपनी को 31 मार्च, 2024 तक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

30.13-Additional Information

Additional information in regard to value of Imports, Expenditure in Foreign Currency, Stores & Spares consumption, and other related details are furnished as under:-

S. No	Particulars	2023-24	2022-23
1)	Value of Imports calculated on CIF basis		
	i. Raw Materials		-
	ii. Capital Goods	37.47	352.42
	iii. Components & spare parts		-
2)	Expenditure in Foreign Currency	46.27	10.41
	i. Purchase of products		-
	ii. Know-how		-
	iii. Professional Consultancy Fees		-
	iv. Other Materials(Travelling)		-

3) Value of Raw Materials, Stores & Spare parts and Components including Chemicals& Catalysts consumed:-

Sr.No	Particulars	2023-24	%	2022-23	%
i.	Imported	105.90	0.64%	149.64	0.72%
ii.	Indigenous	16,614.76	99.36%	20615.50	99.28%
	Total	16,720.66	100%	20765.14	100%

4) Earning in Foreign Currency - -

5) Research & Development

(a) Revenue Expenditure - -

(b) Capital Expenditure

6) Other Information's :

a) **Title deeds of Immovable Property not held in name of the Company** : All the properties are held in the name of company.

b) **Details of Benami Property held** - There are no proceedings initiated or pending against the company for holding Benami Property under the Benami Transactions (Prohibition) Act., 1988 (45 of 1988) and the rules made there under as on 31 March, 2024.

c) **Wilful Defaulter** – The company has not been declared willful defaulter by any bank or financial institution or other lender as on 31 March, 2024.



घ) कंपनियों के साथ संबंध समाप्त - कंपनी का 31 मार्च, 2024 तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत संबंध समाप्त कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है।

ड) कंपनियों की कई परतों का अनुपालन - लागू नहीं।

च) क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण - कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है। - -

30.14- लेखा परीक्षा ट्रेल

कंपनियों के खाते CoBOL में रखे जाते थे जो एक बहुत पुरानी प्रणाली है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहायता उपलब्ध नहीं है। CoBOL सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रायल संभव नहीं है, इसलिए टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को वित्तीय वर्ष 2023-24 में लागू करने के लिए चुना गया।

वर्ष 2023-24 हमारे संगठन में टैली के कार्यान्वयन की अवधि थी। इस अवधि के दौरान, हमारे उपयोगकर्ता दोनों अनुप्रयोगों, यानी COBOL और टैली पर काम कर रहे थे। संक्रमण चरण में, मास्टर रिकॉर्ड COBOL से निर्यात किए गए और फिर टैली में आयात किए गए। टैली में आयात करते समय कई बार त्रुटियाँ हुईं। दोनों प्रणालियों को समानांतर चलाने के लिए बैकलॉग प्रविष्टियाँ भी की गईं। कंपनी की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन और स्थिरीकरण में अपेक्षित समय से अधिक समय लगा। इसलिए, टैली कार्यान्वयन भागीदार ने COBOL से टैली में सभी मास्टर रिकॉर्ड के हस्तांतरण के पूरा होने के बाद ही एडिट लॉग को सक्षम करने की सलाह दी। उपरोक्त के कारण ऑडिट ट्रेल को लागू नहीं किया जा सका।

इसके अलावा, कंपनी द्वारा पहले अपनाई गई प्रचलित प्रथा के अनुसार, टैली में CoBOL सॉफ्टवेयर को अपनाया गया है, जिसके तहत प्रविष्टियों में विलोपन/संशोधन नहीं किया जाता है। कोई भी आवश्यक परिवर्तन सुधार प्रविष्टि पारित करके या पारित/अनुचित प्रविष्टि को उलट कर और सही/उचित प्रविष्टि पारित करके किया जाता है।

30.15- पिछले वर्ष की तुलना

- क. आंकड़े निकटतम लाख रुपये तक पूर्णांकित किए गए हैं, सिवाय जहां अन्यथा कहा गया हो।
- ख. पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दिखाए गए हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो। पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत, पुनर्व्यवस्थित और पुनः वर्गीकृत किया गया है।

d) Relationship with Struck off- The company has no transactions with companies struck off under section 248 of the companies Act, 2013 or section 560 of Companies Act, 1956 as on 31 March, 2024.

e) Compliance with number of layers of companies – Not Applicable.

f) Details of Crypto Currency or Virtual Currency- The company has not traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during the financial year. - -

30.14- Audit Trail

The companies accounts were maintained in CoBOL which is a very old system. Hardware and software support is not available. Audit Trail is not possible in CoBOL software therefore Tally accounting software was chosen to be implemented in financial year 2023-24.

Financial year 2023-24 was the implementation period of Tally in our Organization. During this period, our users were working on both applications, i.e. COBOL and Tally. In transition phase, master records were exported from COBOL and then imported to Tally. Many times errors occurred while importing to Tally. Backlog entries were also done to run the two systems in parallel. Customization as per the company requirement and stabilization took more than expected time. Therefore, Tally implementation Partner advised to enable the Edit Log only after completion of transfer of all Master Records from COBOL to Tally. Due to the above the Audit trail could not be implemented.

Further as per the prevailing practice followed by the company in the erstwhile CoBOL software was adopted in Tally whereby the deletion / modification in entries are not done. Any change required is done by passing rectification entry or by reversing the entry passed / improper entry and passing the correct / proper entry.

30.15- Previous year's comparison

- a) Figures have been rounded off to the nearest lakh of rupees except where otherwise stated.
- b) Previous year's figures have been shown in brackets unless otherwise stated. Previous year's figures have been regrouped, rearranged and reclassified, wherever necessary.

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

ह/
प्रियंका कुमारी
Priyanka Kumari
कंपनी सचिव
Company Secretary

ह/
एस. सी. दास
S.C. Das
निदेशक (वित्त)
Director (Finance)
डी आई एन - 08988297
DIN - 08988297

ह/
पी के बनिक
P.K Banik
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
Chairman & Managing Director (Add Charge)
डी आई एन-10095724
DIN - 10095724

समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बीएल पुरोहित एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

As per our report of even date annexed
For BL Purohit & Co.
Chartered Accountants,

ह/
सीए, सुभाष पुरोहित
भागीदार
आईसीआईए सदस्यता सं 059631
फर्म रजि. नंबर: 311056ई
UDIN: 24059631BKGPYE3661

S/d
CA Subhash Purohit
Partner
ICAI Membership No. : 059631
Firm Regn. No : 311056

दिनांक: 24.08.2024
स्थान : गुवाहाटी

Dated: 24.08.2024
Place: Guwahati



PERFORMANCE AT A GLANCE

S.No	Particulars	2023 - 24	2022 - 23	2021 - 22	2020 - 21	2019 - 20	2018 - 19	2017-18	2016 - 17	2015-16	2014-15
1	SALES	36270	53368	16115	12172	13440	16059	17801	17278	17760	21039
2	Subsidy	38626	61282	14106	10146	19287	30025	20315	27284	44894	38712
3	TOTAL Turn Over (1+2)	74896	114650	30221	22318	32727	46084	38116	44562	62654	59751
4	Other income	6372	1200	2553	1014	1040	1600	4199	1712	2019	1436
5	Stock: accretion(+) decretion(-)	2255	-209	106	-1194	168	-72	-861	1990	319	-582
6	TOTAL INCOME	83523	115641	32880	22138	33935	47612	41454	48264	64992	60605
7	Raw materials (Feed Stock) packing materials etc.	16721	20765	6575	5194	8525	11691	9326	10758	14239	14845
8	Salaries & Allowances	6038	5546	6129	5980	7338	8112	6110	6212	7439	5950
9	Repairs & Maintenance	2760	909	884	1455	1199	1167	1282	1052	1036	980
10	Power & Fuel	27833	34546	11551	9307	16835	20280	15857	17353	25123	26366
11	Other Manufacturing Expenses	34887	47520	13560	10337	9338	9026	7496	8568	10693	11071
12	TOTAL EXPENDITURE	88239	109286	38699	32273	43235	50276	40071	43943	58530	59212
13	Gross margin(6-12)	-4716	6355	-5819	-10135	-9300	-2664	1383	4321	6462	1393
14	Interest & Financial charges	66	10	0	0	0	2	0	10	0	9110
15	Depreciation	1514	3473	3692	3640	3670	3649	3632	3561	3612	3494
16	Prior Period Adjustment										
	[Debit (+)/Credit (-)]	-7167	434	0	0	0	0	0	0	0	1507
17	Profit before taxation	871	2438	-9511	-13775	-12970	-6315	-2249	750	2850	-12718
18	Provision for taxation	0	0	0	0	0	0	132	0	0	132
19	Exceptional items	0	0	-253	0	0	0	2196	0	0	77462
20	NET PROFIT/LOSS	871	2438	-9764	-13775	-12970	-6315	79	750	2850	64612
21	Transfer to and from investment Allowance Reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Provision for dividend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Corporate tax on propose dividend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Gross Block	114578	114082	114232	114058	113050	112583	112252	110853	111178	110914
25	Less :Cumulative Depreciation	97593	98970	95673	91999	88439	84850	81200	77609	75651	72067
26	Less :Provision for Impairment	0	0	0	0	0	0	0	0	543	113
27	Net block	16985	15112	18559	22059	24611	27733	31052	33244	34984	38734
28	Capital work in progress	2379	2211	1302	1359	1677	1101	1143	1456	3130	3644
29	Assets Held for Disposal	0	0	0	0	0	0	0	847	0	0
30	Current assets	44531	52236	32220	26052	40075	46261	46483	48686	49504	48793
31	Current Liabilities & Provision	33751	40365	24732	11019	13783	9854	8143	12128	15799	22238
32	Investments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Misc. expenditure (to the extent not written off or adjusted)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Accumulated Losses	68166	69038	71475	61711	47936	34966	28651	28729	29479	32328
35	Total Utilisation	98310	98232	98824	100162	100516	100207	99186	100834	101298	101261
36	WORKING CAPITAL (30 - 31)	10780	11871	7488	15033	26292	36407	38340	36558	33705	26555
37	Long Term Borrowings	57275	57275	57275	57275	57275	57275	57275	57275	57275	57275
38	Short Term Borrowings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Share Capital	36583	36583	36583	36583	36583	36583	36583	36583	36583	36583

40	Non - Current Liabilities & Provisions	4452	4374	4966	6304	6658	6349	5328	4648	5112	5067
41	Deferred Tax Liability	0	0	0	0	0	0	0	132	132	132
42	Reserve & Surplus	0	0	0	0	0	0	0	2196	2196	2196
43	Total Sources	98310	98232	98824	100162	100516	100207	99186	100834	101298	101253
44	NET WORTH (39+42-34)	-31583	-32455	-34892	-25128	-11353	1617	7932	10050	9300	6451
45	Capital Employed (27+36)	27765	26983	26047	37092	50903	57791	69392	69802	68689	65289
46	Finished Goods	2058	139	870	762	1735	1790	1750	2434	658	383
47	Work Progress	203	483	64	63	288	65	177	353	140	95
48	Trading Goods	973	104	0	4	0	0	0	0	0	0
49	Stores & Spares etc.	2966	2723	1967	2043	1770	3103	3052	3270	3498	3578
50	Sundry Debtors	17393	29407	2676	852	28760	26878	8740	27561	42200	38831
51	Cash & Bank Balance	11846	12507	20542	18522	2625	11074	30678	13819	1734	4821
52	Other Current Assets	840	361	363	268	166	328	708	211	150	444
53	Loans & Advances	8252	6512	5738	3538	4731	3023	1378	1038	1124	641
54	Total (46 to 53)	44531	52236	32220	26052	40075	46261	46483	48686	49504	48793
55	Less: Current Liabilities	33527	39702	24285	10301	12336	8984	7985	10993	14823	21220
56	Provisions	224	663	447	718	1447	870	158	1135	976	1018
57	Total (55+56)	33751	40365	24732	11019	13783	9854	8143	12128	15799	22238
58	NET WORKING CAPITAL (54 - 57)	10780	11871	7488	15033	26292	36407	38340	36558	33705	26555
59	Gross Internal Resources (15+20)	2385	5911	-6072	-10135	-9300	-2666	3711	4311	6462	68106
60	Cumulative Gross Internal Resources(25-34)	29427	29932	24198	30288	40503	49884	52549	48880	46172	39739
61	Total Urea (MT) Installed Capacity	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000
62	Total Urea (MT) Production	180153	223342	170280	131880	155992	286315	269586	310605	322645	359003
63	Capacity Utilisation (%)/UREA	35.32	43.79	33.39	25.86	30.59	56.14	52.86	60.90	63.26	70.39
64	Total Urea Sales Quantity	175340	227873	169922	137569	160186	286435	269972	297641	320606	364704



बीवीएफसीएल ने बीवीएफसीएल मार्केटिंग टीम और बीवीएफसीएल चैनल भागीदारों की उपस्थिति में असम और पश्चिम बंगाल में विभिन्न स्थानों पर डीलर और रिटेलर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। बीवीएफसीएल उत्पाद पोर्टफोलियो विजन, वर्तमान उर्वरक परिदृश्य, बीवीएफसीएल के आगामी नए उत्पादों और बोरो धान फसल के आगामी सीजन के लिए उर्वरकों की योजना पर चर्चा की गई।

BVFCL conducted dealer and retailer training programmes at various locations in Assam & West Bengal in the presence of BVFCL Marketing Team and BVFCL channel partners. Discussed on BVFCL product portfolios Visions, present fertiliser scenarios, BVFCL Upcoming New products and plan of fertilizers for the upcoming season of Boro Paddy Crop.



असम के काजीरंगा में बीवीएफसीएल द्वारा आयोजित बीवीएफसीएल मार्केटिंग और फाइनेंस टीम की वार्षिक बिक्री सम्मेलन और मार्केटिंग मीट Annual Sales Conference & Marketing Meet of BVFCL Marketing and Finance Team held by BVFCL in Kaziranga, Assam



ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED